



सत्यमेव जयते

विनियोग लेखे 2021-22



SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest



हिमाचल प्रदेश सरकार

विनियोग लेखे

2021-22

हिमाचल प्रदेश सरकार

विनियोग लेखे
2021- 22
विषय-सूची

	पृष्ठ
भूमिका	(iii)
विनियोग लेखों का सारांश	(v-xvii)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का रिपोर्ट	(xix-xxi)
अनुदान/विनियोग का नाम और संख्या	
1. विधान सभा	.. 1-3
2. राज्यपाल और मंत्री-परिषद	.. 4-6
3. न्याय प्रशासन	.. 7-12
4. सामान्य प्रशासन	.. 13-21
5. भू-राजस्व और जिला प्रशासन	.. 22-32
6. आबकारी और कराधान	.. 33-35
7. पुलिस और सम्बद्ध संगठन	.. 36-45
8. शिक्षा	.. 46-57
9. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	.. 58-73
10. लोक निर्माण कार्य-सड़कें, पुल तथा भवन	.. 74-86
11. कृषि	.. 87-96
12. उद्यान	.. 97-102
13. सिंचाई, जलापूर्ति तथा स्वच्छता	.. 103-126
14. पशु पालन, दुग्ध विकास एवं मत्स्य	.. 127-136
15. योजना एवं पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना	.. 137-145
16. वन और वन्य जीवन	.. 146-155
17. निर्वाचन	.. 156-158
18. उद्योग, खनिज, आपूर्ति एवं सूचना प्रौद्योगिकी	.. 159-164
19. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	.. 165-184
20. ग्रामीण विकास	.. 185-194
21. सहकारिता	.. 195-197
22. खाद्य और नागरिक आपूर्ति	.. 198-203
23. विद्युत विकास	.. 204-206
24. मुद्रण और लेखन सामग्री	.. 207-208
25. सड़क और जल परिवहन	.. 209-212
26. पर्यटन और नागर विमानन	.. 213-215
27. श्रम, रोजगार और प्रशिक्षण	.. 216-221
28. शहरी विकास, नगर और ग्राम योजना तथा आवास	.. 222-229
29. वित्त	.. 230-241
30. विविध सामान्य सेवाएं	.. 242-247
31. जनजातीय विकास	.. 248-328
32. अनुसूचित जाति उप-योजना	.. 329-385
परिशिष्ट	
वर्ष 2021-22 के लेखाओं में व्यय में कमी के रूप में समायोजित वसूलियों के अनुमानों और वास्तविकताओं के आँकड़ों का अनुदानवार विवरण	.. 386

भूमिका

हिमाचल प्रदेश सरकार के वर्ष 2021-22 के विनियोग लेखाओं के इस संकलन में 31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष में व्यय की गई राशियों के लेखे प्रस्तुत किये गए हैं। लेखाओं की व्ययित राशियों की तुलना भारत के संविधान की धारा 204 व 205 के अर्न्तगत पारित विनियोग अधिनियमों में संलग्न अनुसूचियों में निर्दिष्ट राशियों से की गई है।

इन लेखाओं में:-

‘मूल’ का तात्पर्य मूल अनुदान या विनियोजन से है।

‘पूरक’ का तात्पर्य पूरक अनुदान या विनियोजन से है।

‘पुनर्वि०’ का तात्पर्य किसी सक्षम - प्राधिकारी द्वारा संस्वीकृत पुनर्विनियोजनों, धन -वापसियों या अभ्यर्पणों से है।

प्रभारित विनियोजन और व्यय को इटालिक में दर्शाया गया है।

हिमाचल प्रदेश विधानमंडल की लोक लेखा समिति के पत्र संख्या VS-PAC(A.G.) 7-6/1998 विधान सभा दिनांक 13 मई 2016 द्वारा निम्नलिखित मानकों को अनुमोदित किया गया, जिन्हें विनियोजन लेखे की टिप्पणियों में अपनाया गया है।

बचत

दत्तमत प्रावधान

बचत ₹ 20 लाख से अधिक या प्रावधान का 20 प्रतिशत जो भी अधिक हो, के लिए टिप्पणियाँ की जानी चाहिए।

प्रभारित विनियोजन

यदि बचत ₹ 8 लाख से अधिक या प्रावधान का 20 प्रतिशत जो भी अधिक हो, के लिए टिप्पणियाँ की जानी चाहिए।

आधिक्य

दत्तमत प्रावधान

यदि आधिक्य ₹ 15 लाख या प्रावधान का 20 प्रतिशत जो भी कम हो, के लिए टिप्पणियाँ की जानी चाहिए।

प्रभारित विनियोजन

यदि आधिक्य ₹ 6 लाख या प्रावधान का 20 प्रतिशत जो भी कम हो, के लिए टिप्पणियाँ की जानी चाहिए।

विनियोग लेखाओं का सारांश

अनुदान / विनियोजन की संख्या एवं नाम		कुल अनुदान/ विनियोजन	
1		राजस्व	पूंजीगत
		2	3
(₹ हजार में)			
1-	विधान सभा-		
	दत्तमत	49,21,46	3,14,01
	प्रभारित	1,23,51	..
2-	राज्यपाल और मंत्री-परिषद-		
	दत्तमत	17,84,43	..
	प्रभारित	8,80,14	..
3-	न्याय प्रशासन-		
	दत्तमत	1,91,98,98	31,68,46
	प्रभारित	55,68,45	..
4-	सामान्य प्रशासन-		
	दत्तमत	2,76,57,15	24,99,15
	प्रभारित	14,56,92	..
5-	भू-राजस्व और जिला प्रशासन-		
	दत्तमत	13,06,37,66	78,08,46
	प्रभारित
6-	आबकारी और कराधान-		
	दत्तमत	1,13,61,66	5,00,00
	प्रभारित
7-	पुलिस और सम्बद्ध संगठन-		
	दत्तमत	15,50,82,85	88,05,87
	प्रभारित	6,89	..
8-	शिक्षा-		
	दत्तमत	70,87,45,40	2,24,68,98
	प्रभारित	10,37	12,56
9-	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण-		
	दत्तमत	25,00,13,12	2,11,11,00
	प्रभारित	6,79,10	..
10-	लोक निर्माण कार्य- सड़कें, पुल तथा भवन-		
	दत्तमत	37,33,34,98	14,88,23,42
	प्रभारित	20,16	..

लेखे

का सारांश

व्यय		कुल अनुदान/ विनियोजन के साथ व्यय की तुलना			
		बचत		आधिक्य	
राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
4	5	6	7	8	9
(₹ हजार में)					
46,01,92	2,18,76	3,19,54	95,25
1,22,88	..	63
16,85,98	..	98,45
7,47,42	..	1,32,72
1,69,18,29	31,20,73	22,80,69	47,73
49,78,00	..	5,90,45
2,48,86,56	24,98,87	27,70,59	28
9,93,95	..	4,62,97
17,73,33,27	98,32,46	4,66,95,61	20,24,00
				(4,66,95,61,477)	(20,24,00,000)
..
1,01,29,21	5,14,71	12,32,45	14,71
					(14,70,829)
..
13,06,08,09	96,53,32	2,44,74,76	8,47,45
					(8,47,44,598)
6,89
				(3)	
59,91,02,27	2,39,72,59	10,96,43,13	15,03,61
					(15,03,61,271)
10,37	12,56
22,56,27,85	2,29,35,51	2,43,85,27	18,24,51
					(18,24,51,519)
6,79,10
25,38,89,39	14,42,90,70	11,94,45,59	45,32,72
19,03	..	1,13

अनुदान /विनियोजन की संख्या एवं नाम		कुल अनुदान/ विनियोजन	
		राजस्व	पूंजीगत
1		2	3
(₹ हजार में)			
11- कृषि-			
	दत्तमत	3,90,22,35	88,82,95
	प्रभारित
12- उद्यान-			
	दत्तमत	4,73,19,56	14,68,12
	प्रभारित
13- सिंचाई, जलापूर्ति तथा स्वच्छता-			
	दत्तमत	26,49,52,59	8,05,12,78
	प्रभारित	1	24,83
14- पशुपालन, दुग्ध विकास एवं मत्स्य-			
	दत्तमत	4,00,24,09	14,52,75
	प्रभारित
15- योजना एवं पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना-			
	दत्तमत	72,11,74	4,71,14,00
	प्रभारित
16- वन और वन्य जीवन-			
	दत्तमत	7,68,96,22	11,55,50
	प्रभारित	5,67	..
17- निर्वाचन-			
	दत्तमत	62,67,74	20,05,00
	प्रभारित
18- उद्योग, खनिज, आपूर्ति एवं सूचना प्रौद्योगिकी-			
	दत्तमत	1,76,33,99	37,21,57
	प्रभारित
19- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता-			
	दत्तमत	12,48,97,04	8,36,00
	प्रभारित
20- ग्रामीण विकास-			
	दत्तमत	12,29,11,22	14,01,27
	प्रभारित	7,17	..

लेखे

का सारांश

व्यय		कुल अनुदान/ विनियोजन के साथ व्यय की तुलना			
		बचत		आधिक्य	
राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
4	5	6	7	8	9
(₹ हजार में)					
3,52,30,33	77,58,84	37,92,02	11,24,11
..
4,97,36,05	1,75,00	..	12,93,12	24,16,49	..
				(24,16,48,889)	
..
25,69,11,63	7,31,66,93	80,40,96	73,45,85
..	7,65	1	17,18
3,64,78,95	13,66,30	35,45,14	86,45
..
54,68,07	4,17,50,38	17,43,67	53,63,62
..
6,34,57,51	10,19,64	1,34,38,71	1,35,86
5,67
62,39,11	39,35,00	28,63	19,30,00
					(19,30,00,000)
..
1,57,08,36	1,11,88,45	19,25,63	74,66,88
					(74,66,87,810)
..
12,02,59,07	4,60,01	46,37,97	3,75,99
..
10,95,01,14	18,85,27	1,34,10,08	4,84,00
					(4,84,00,000)
7,17

विनियोग
विनियोग लेखाओं

अनुदान /विनियोजन की संख्या एवं नाम		कुल अनुदान/ विनियोजन	
		राजस्व	पूंजीगत
1		2	3
(₹ हजार में)			
21-	सहकारिता-		
	दत्तमत	35,62,14	4,08,80
	प्रभारित	2,70	..
22-	खाद्य और नागरिक आपूर्ति-		
	दत्तमत	2,85,50,53	1,58,00
	प्रभारित
23-	विद्युत विकास-		
	दत्तमत	4,53,96,35	2,65,11,00
	प्रभारित
24-	मुद्रण और लेखन सामग्री-		
	दत्तमत	30,53,33	30,00
	प्रभारित
25-	सड़क और जल परिवहन-		
	दत्तमत	3,84,35,78	3,05,41,22
	प्रभारित
26-	पर्यटन और नागर विमानन-		
	दत्तमत	1,42,47,89	5,78,39,02
	प्रभारित
27-	श्रम, रोजगार और प्रशिक्षण-		
	दत्तमत	3,06,11,13	95,46,60
	प्रभारित
28-	शहरी विकास,नगर और ग्राम योजना तथा आवास-		
	दत्तमत	7,56,81,67	1,84,06,31
	प्रभारित	..	5,40,00
29-	वित्त-		
	दत्तमत	72,03,57,70	19,77,52
	प्रभारित	50,17,56,69	53,33,51,20
30-	विविध सामान्य सेवाएं-		
	दत्तमत	1,07,11,08	47,75,72
	प्रभारित

लेखे

का सारांश

व्यय		कुल अनुदान/ विनियोजन के साथ व्यय की तुलना			
		बचत		आधिक्य	
राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
4	5	6	7	8	9
(₹ हजार में)					
33,89,45	4,07,80	1,72,69	1,00
2,70
2,82,13,16	44,93	3,37,37	1,13,07
..
14,90,94,23	3,40,02,79	10,36,97,88	74,91,79
..	(10,36,97,87,955)	(74,91,79,000)
..
28,47,55	30,00	2,05,78
..
3,77,90,61	3,19,23,35	6,45,17	13,82,13
..	(13,82,12,643)
..
94,03,19	82,18,03	48,44,70	4,96,20,99
..
2,80,02,29	98,86,60	26,08,84	3,40,00
..	(3,40,00,000)
..
7,50,77,98	85,01,85	6,03,69	99,04,46
..	5,40,00
..	(68)
64,95,10,87	13,92,20	7,08,46,83	5,85,32
46,40,78,59	43,87,28,50	3,76,78,10	9,46,22,70
1,01,22,50	48,73,25	5,88,58	97,53
..	(97,53,080)
..

अनुदान /विनियोजन की संख्या एवं नाम	कुल अनुदान/ विनियोजन	
	राजस्व	पूंजीगत
1	2	3
(₹ हजार में)		
31- जनजातीय विकास-		
दत्तमत	16,64,21,46	5,74,14,04
प्रभारित	7,89	..
32- अनुसूचित जाति उप योजना		
दत्तमत	20,78,66,38	18,05,90,63
प्रभारित
जोड़		
दत्तमत	3,77,47,69,67	75,22,48,15
प्रभारित	51,05,25,67	53,39,28,59
सकल जोड़	4,28,52,95,34	1,28,61,76,74

लेखे

का सारांश

व्यय		कुल अनुदान/ विनियोजन के साथ व्यय की तुलना			
		बचत		आधिक्य	
राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
4	5	6	7	8	9
(₹ हजार में)					
12,60,78,99	4,44,03,58	4,03,42,47	1,30,10,46
2,89	..	5,00
19,37,16,69	14,15,44,66	1,41,49,69	3,90,45,97
..
3,45,70,20,56	64,49,72,51	47,05,59,09	13,26,82,25	15,28,09,98	2,54,06,61
				(15,28,09,98,321)	(2,54,06,60,750)
47,16,54,66	43,92,88,71	3,88,71,01	9,46,39,88
				(3)	(68)
3,92,86,75,22	1,08,42,61,22	50,94,30,10	22,73,22,13	15,28,09,98	2,54,06,61
				(15,28,09,98,324)	(2,54,06,60,818)

विनियोग लेखे
विनियोग लेखाओं का सारांश
(क्रमशः)

वर्ष 2021-22 में आकस्मिक निधि से कोई अग्रिम नहीं लिया गया।

निम्नलिखित दत्तमत अनुदान में आधिक्य का नियमन अपेक्षित है:-

राजस्व प्रवर्ग

- 05- भू-राजस्व और जिला प्रशासन
- 12- उद्यान
- 23- विद्युत विकास

पूंजीगत प्रवर्ग

- 05- भू-राजस्व और जिला प्रशासन
- 06- आबकारी और कराधान
- 07- पुलिस और सम्बद्ध संगठन
- 08- शिक्षा
- 09- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण
- 17- निर्वाचन
- 18- उद्योग, खनिज, आपूर्ति एवं सूचना प्रौद्योगिकी
- 20- ग्रामीण विकास
- 23- विद्युत विकास
- 25- सड़क और जल परिवहन
- 27- श्रम, रोजगार और प्रशिक्षण
- 30- विविध सामान्य सेवाएं

निम्नलिखित अनुदानों में भी प्रभारित विनियोजन के आधिक्य का नियमन अपेक्षित है:-

राजस्व प्रवर्ग

- 07- पुलिस और सम्बद्ध संगठन

पूंजीगत प्रवर्ग

- 28- शहरी विकास, नगर और ग्राम योजना तथा आवास

चूंकि अनुदान एवं प्रभारित विनियोजन व्यय हेतु अपेक्षित सकल राशियों के प्रति होती है, अतः उनके सम्मुख दर्शाए गए व्यय के आंकड़ों में यह वसूलियां (परिशिष्ट पृष्ठ संख्या 386) सम्मिलित नहीं होती हैं, जिन्हें लेखाओं में व्यय से कम करके समायोजित किया जाता है। शुद्ध व्यय के आंकड़े वित्त लेखाओं में दर्शाए गए हैं।

वर्ष 2021-22 के दौरान बारह अनुदान संख्या (अनुदान संख्या-5, 8, 10, 11, 13,14, 20, 22, 28, 30, 31 और 32) के अन्तर्गत ₹ 6,23,39,68,317 का व्यय बिना बजट प्रावधान के हुआ। बिना बजट प्रावधान का व्यय वित्तीय अनियमितताएं और वित्तीय नियमों के उल्लंघन को दर्शाता है।

टिप्पणी:-

(i) वर्ष 2019-20 में ₹ 13,73,76,86 हजार के वाञ्छरों को व्यय का प्रमाण प्रस्तुत न करने के कारण प्रधान महालेखाकार (ले0व ह0) द्वारा वास्तविक व्यय में सम्मिलित न कर के उच्चंत के अन्तर्गत रखा गया है। ₹ 11,83,76,43 हजार की कुल समायोजित राशि में सम्मिलित ₹ 10,50,28,76 हजार राजस्व प्रवर्ग एवं ₹ 1,33,47,67 हजार पूंजीगत प्रवर्ग की है जिसे अनुपालना के आधार पर वर्ष 2021-22 में समायोजित किया गया है।

(ii) वर्ष 2020-21 में ₹ 2,27,66,15 हजार की राशि प्रधान महालेखाकार (ले0व ह0) की पुस्तकों में उच्चंत के अन्तर्गत एवं वाञ्छर तथा अन्य दस्तावेज व्यय के प्रमाण प्रस्तुत न करने के कारण रखा गया था। विभिन्न विभागों द्वारा अनुपालना दिखाने के पश्चात वर्ष 2021-22 में ₹ 7,01,80 हजार की राशि का समायोजन किया गया।

(iii) प्रधान महालेखाकार (ले0व ह0) द्वारा ₹ 78,73,79 हजार की राशि के व्यय को वर्ष 2021-22 के वित्त लेखे में नहीं लिया गया क्योंकि राज्य सरकार द्वारा इस राशि वाउचर एवं अन्य दस्तावेजों को व्यय के प्रमाण न करने के कारण वास्तविक व्यय के रूप में वास्तविक व्यय में दर्शा कर उच्चंत के अन्तर्गत रखा गया है परिणाम स्वरूप विनियोजन लेखे 2021-22 में सम्बन्धित मांगों में कुल मिला कर बचत हुई।

**विनियोग लेखे
विनियोग लेखाओं का सारांश
(समाप्त)**

वर्ष 2021-22 के विनियोग लेखाओं के अनुसार कुल व्यय तथा उस वर्ष के वित्त लेखाओं में दर्शाए गए कुल व्यय का समाधान नीचे दर्शाया गया है:-

	प्रभारित		दत्तमत	
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
	(₹ हजार में)		(₹ हजार में)	
विनियोग लेखाओं के अनुसार कुल व्यय	47,16,54,66	43,92,88,71	3,45,70,20,55	64,49,72,51
घटाएं-परिशिष्ट में दर्शाई गई कुल वसूलियां	30,92,20,95	47,97,79
शुद्ध जोड़ जैसा कि वित्त लेखाओं की विवरणी संख्या-11 में दर्शाया गया है।	47,16,54,66	43,92,88,71	3,14,77,99,60	64,01,74,72

उपरोक्त वसूलियों के विवरण परिशिष्ट पृष्ठ संख्या 386 पर दिये गये हैं।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट

हिमाचल प्रदेश सरकार के विनियोजन लेखाओं की लेखापरीक्षा

अभिमत

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार के विनियोग लेखे, वर्ष में व्यय की गई राशियों के लेखाओं को संविधान के अनुच्छेद 204 और 205 के अंतर्गत पारित विनियोग अधिनियमों से जुड़ी अनुसूचियों में निर्दिष्ट राशियों की तुलना में प्रस्तुत करते हैं। वर्ष के लिए सरकार की प्राप्तियों और संवितरण के लेखों के साथ वित्तीय स्थिति को दर्शाने वाले वर्ष के लिए सरकार के वित्त लेखे अलग से प्रस्तुत किए जाते हैं।

मेरे अधिकारियों द्वारा अपेक्षित और प्राप्त की गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के आधार पर तथा लेखाओं की परीक्षण लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप, मेरे अभिमत में, विनियोग लेखे इस संकलन में टिप्पणियों के साथ पठित, 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष में व्यय की गई राशियों के लेखों को, भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 और 205 के अन्तर्गत राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विनियोग अधिनियमों से जुड़ी अनुसूचियों में निर्दिष्ट राशियों की तुलना में निष्पक्ष रूप से प्रस्तुत करते हैं।

इन खातों की लेखापरीक्षा के साथ-साथ वर्ष या पूर्व के वर्षों के दौरान किए गए लेखापरीक्षा से उत्पन्न टिप्पणियां 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए अलग से प्रस्तुत की जा रही हिमाचल प्रदेश सरकार पर मेरी वित्तीय, अनुपालन और निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में निहित हैं।

अभिमत के लिए आधार

लेखापरीक्षा का संचालन सीएजी के लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार किया गया है। ये मानक यह अपेक्षा करते हैं कि हम इस आशय का तर्क संगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा की योजना तैयार करके उसका निष्पादन करें कि लेखे वस्तुपरक अशुद्ध विवरण से मुक्त हैं। एक लेखापरीक्षा में, परीक्षण के आधार पर, वित्तीय विवरणों में राशियों और प्रकटीकरणों से संबंधित साक्ष्यों की जांच शामिल है। हमारे द्वारा प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा साक्ष्य मेरे अभिमत के लिए एक आधार प्रदान करते हैं।

प्रारंभिक और अनुषंगी लेखाओं की तैयारी का उत्तरदायित्व

राज्य सरकार राज्य विधान मंडल से बजट का प्राधिकरण प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी है। राज्य सरकार और वे जो बजट के निष्पादन के लिए उत्तरदायी हैं जैसे हिमाचल प्रदेश सरकार के कोषागार, कार्यालय और विभाग, प्रारंभिक और अनुषंगी खातों की तैयारी और शुद्धता के साथ-साथ लागू विधियों, मानकों, नियमों एवं विनियमों के अनुसार लेनदेन की नियमितता सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार हैं।

इसके अलावा, वे विनियोग लेखाओं के संकलन और तैयारी के लिए हिमाचल प्रदेश के प्रधान महालेखाकार (लेखा और हकदारी) के कार्यालय को प्रारंभिक और अनुषंगी लेखाओं और उससे संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए जिम्मेदार हैं।

वार्षिक लेखाओं के संकलन का उत्तरदायित्व

मेरे नियंत्रणाधीन कार्यरत हिमाचल प्रदेश के प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) का कार्यालय राज्य सरकार के वार्षिक लेखों के संकलन एवं तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। यह नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की आवश्यकताओं के अनुसार है।

वार्षिक लेखा वाउचरों, चालानों और कोषागारों, कार्यालयों और हिमाचल प्रदेश सरकार के विभाग और भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त विवरण और प्रारंभिक एवं अनुषंगी लेखाओं से संकलित किया गया है।

वार्षिक लेखाओं की लेखापरीक्षा के उत्तरदायित्व

वार्षिक लेखाओं की लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 और 151 तथा नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की आवश्यकताओं के अनुसार प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) के कार्यालय के माध्यम से ऐसी लेखापरीक्षा के परिणामों के आधार पर इन लेखाओं पर अभिमत व्यक्त करने के लिए की जाती है।

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) और प्रधान महालेखाकार (लेखा और हकदारी) के कार्यालय अलग-अलग संवर्ग, अलग रिपोर्टिंग लाइन और प्रबंधन संरचना के साथ स्वतंत्र संगठन हैं।

मामले का महत्व

मैं,

भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के अनुसार राज्य सरकार के लिए अनुदान/विनियोग से अधिक होने वाले किसी भी व्यय को राज्य विधान मंडल द्वारा नियमित कराना अनिवार्य है। लोक लेखा समिति (पी.ए.सी.) द्वारा विनियोग लेखाओं पर चर्चा पूरी होने के बाद अधिक व्यय का नियमितीकरण किया जाता है। वर्ष 2021-22 के लिए ₹ 1,782.17 करोड़ के अधिक व्यय को नियमित करने की आवश्यकता है। उपरोक्त के अतिरिक्त, वर्ष 2014-15 से वर्ष 2020-21 के दौरान राज्य विधान मंडल द्वारा प्राधिकृत विनियोगों से अधिक व्यय किए गए ₹ 8,818.47 करोड़ का व्यय भी अगस्त 2022 तक नियमितीकरण के लिए लम्बित था [अनुदान संख्या 01, 02, 03, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31]

पर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ।

'मामले के महत्व' खंड के कारण विनियोग लेखाओं पर मेरे अभिमत संशोधित नहीं हुए।

दिनांक: 06/12/2022

स्थान: नई दिल्ली



(गिरीश चंद्र मुर्मू)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-1-विधान सभा

(शीर्ष- 2011-संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधानमण्डल, 2216-आवास तथा 7610-सरकारी कर्मचारी आदि को ऋण)

		कुल अनुदान/ विनियोजन	वास्तविक व्यय (₹ हजारों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
राजस्व प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	41,80,11			
		49,21,46	46,01,92	(-)3,19,54
पूरक	7,41,35			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..
प्रभारित				
मूल	1,07,51			
		1,23,51	1,22,88	(-)63
पूरक	16,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..
पूंजीगत प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	3,05,00			
		3,14,01	2,18,76	(-)95,25
पूरक	9,01			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..

टिप्पणियां तथा अभ्यक्तियां

- (i) राजस्व प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 319.54 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से फरवरी 2022 में प्राप्त ₹ 741.35 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्याधिक सिद्ध हुआ तथा वर्ष के दौरान विभाग द्वारा कोई राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (ii) पूंजीगत प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 95.25 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से फरवरी 2022 में प्राप्त ₹ 9.01 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ तथा वर्ष के दौरान कोई राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

राजस्व प्रवर्ग

- (iii) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्ष के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
-------	------------	-----------------------------------	-----------------------

2011- संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मंडल-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-1 (क्रमशः)

02- राज्य/संघ क्षेत्र विधान मंडल-				
101- विधान सभा-				
03- हिमाचल प्रदेश विधानसभा सदस्य-				
(i)	मूल	1,721.53		
	पूरक	585.00	2,296.53	2,237.74
	पुनर्वि०	(-)10.00		(-)58.79
103- विधानमंडल सचिवालय-				
01- विधानमंडल सचिवालय के कर्मचारी-				
(ii)	मूल	1,822.29		
	पूरक	51.35	1,888.64	1,628.18
	पुनर्वि०	15.00		(-)260.46

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 319.25 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

(iv) उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्ष के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
2011- संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मंडल-			
02- राज्य/संघ क्षेत्र विधान मंडल-			
101- विधान सभा-			
04- पूर्व सदस्यों को मुफ्त यात्रा सुविधा-			
	मूल	12.84	
	पूरक	5.00	22.84
	पुनर्वि०	5.00	22.82
			(-)0.02

मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 5.00 लाख का आवर्धन पूर्व विधान सभा सदस्यों के दौरे पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

पूंजीगत प्रवर्ग

(v) दत्तमत्त अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्ष के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
7610- सरकारी कर्मचारियों को ऋण-			
201- भवन निर्माण अग्रिम-			
04- माननीय विधायकों को गृह निर्माण अग्रिम/ऋण-			
	मूल	200.00	200.00
			124.75
			(-)75.25

₹ 75.25 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-1 (समाप्त)

06-	पूर्व विधायकों को आवास ऋण-				
	मूल	20.00	20.00	..	(-)20.00

₹ 20.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

विनियोग लेखे

अनुदान संख्या-2 -राज्यपाल और मंत्री परिषद

शीर्ष- 2012-राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति/राज्यपाल, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक, 2013-मंत्री परिषद तथा 2216-आवास)

		कुल अनुदान/ विनियोजन	वास्तविक व्यय (₹ हजारों में)	आधिक्य(+) बचत(-)
राजस्व प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	17,05,43			
		17,84,43	16,85,98	(-)98,45
पूरक	79,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..
प्रभारित				
मूल	8,18,21			
		8,80,14	7,47,42	(-)1,32,72
पूरक	61,93			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..

टिप्पणियां तथा अभ्यक्तियां

- (i) राजस्व प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 98.45 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से फरवरी 2022 में प्राप्त ₹ 79.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ। जबकि मूल अनुदान भी अप्रयुक्त रहा तथा विभाग द्वारा वर्ष के दौरान कोई राशि अभ्यर्पित नहीं की गई जोकि अच्छे बजट एवं व्यय पर नियन्त्रण की आवश्यकता की ओर इंगित करता है।
- (ii) राजस्व प्रवर्ग के प्रभारित विनियोजन में ₹ 132.72 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से फरवरी 2022 में प्राप्त ₹ 61.93 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ जबकि मूल अनुदान भी अप्रयुक्त रहा तथा वर्ष के दौरान विभाग द्वारा कोई राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

राजस्व प्रवर्ग

- (iii) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्ष के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
-------	------------	-----------------------------------	-----------------------

2013- मंत्री परिषद-

101- मंत्रियों/उप मंत्रियों का वेतन-

01- मंत्रियों तथा उप मंत्रियों का वेतन-

मूल 1,154.09

पूरक 12.00

पुनर्वि0 (-)10.00

1,156.09

1,068.70

(-)87.39

₹ 1,068.70 लाख में से ₹ 16.26 लाख का व्यय वर्ष 2019-20 की आपत्ति पुस्तिका के उचंत के समायोजन के कारण हुआ।

₹ 87.39 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

विनियोग लेखे

अनुदान संख्या - 2 (क्रमशः)

(iv) उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्ष के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुईः-			
शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य(+) बचत(-)

2013- मंत्री परिषद-

105- मंत्रियों की ऐच्छिक निधि-

02- अन्य उद्देश्यों के लिए-

मूल 9.00

पूरक 2.00

पुनर्वि० 10.00

21.00

14.00

(-)7.00

₹ 7.00 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 10.00 लाख का आवर्धन मुख्य मंत्री की स्वैच्छिक निधि में अधिक मांग के कारण हुआ जोकि अत्याधिक सिद्ध हुआ।

₹ 7.00 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

(v) प्रभारित विनियोजन में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्ष के अन्तर्गत हुईः-			
शीर्ष	कुल विनियोजन	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)

2012- राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति/राज्यपाल, संघ क्षेत्र के प्रशासक-

03- राज्यपाल, संघ क्षेत्रों के प्रशासक-

090- सचिवालय-

01- राज्यपाल सचिवालय के कर्मचारी वर्ग-

(i) मूल 465.60

497.00

420.00

(-)77.00

पूरक 31.40

103- घरेलु स्थापना-

01- राज्यपाल की घरेलु स्थापना-

(ii) मूल 278.11

पूरक 3.70

पुनर्वि० (-)4.50

277.31

227.78

(-)49.53

108- यात्रा व्यय-

01- राज्यपाल तथा उनकी स्थापना के लिए यात्रा व्यय-

(iii) मूल 10.00

पूरक 2.00

पुनर्वि० (-)1.00

11.00

8.87

(-)2.13

उपरोक्त तीन मामलों में ₹ 128.66 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 2 (समाप्त)

800- अन्य व्यय-

06- मरम्मत-

मूल 3.10

1.90

..

(-)1.90

पुनर्वि० (-)1.20

₹ 1.90 लाख के समस्त विनियोजन के अप्रयुक्त रहने की दृष्टि से मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा विनियोजन में ₹ 1.20 लाख की कमी मरम्मत कार्यों पर कम व्यय के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 1.90 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

(vi) उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्ष के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-

शीर्ष	कुल विनियोजन	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य(+) बचत(-)
-------	-----------------	-----------------------------------	---------------------

2012- राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति/राज्यपाल, संघ क्षेत्र के प्रशासक-

03- राज्यपाल/संघ क्षेत्रों के प्रशासक-

104- आतिथ्य भत्ते-

01- राज्यपाल के आतिथ्य भत्ते-

मूल 2.00

पूरक 6.50

13.50

13.49

(-)0.01

पुनर्वि० 5.00

मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा विनियोजन में ₹ 5.00 लाख का आवर्धन माननीय राज्यपाल के अधिकारिक अतियों के आतिथेय के लिए होने वाली बैठकों पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

800- अन्य व्यय-

03- विद्युत-

मूल 3.50

पूरक 6.90

12.10

11.00

(-)1.10

पुनर्वि० 1.70

₹ 1.10 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा विनियोजन में ₹ 1.70 लाख का आवर्धन बिजली बिलों के अधिक प्राप्ति के कारण हुआ जोकि अत्याधिक सिद्ध हुआ।

₹ 1.10 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

विनियोग लेखे

अनुदान संख्या-3- न्याय प्रशासन

(शीर्ष- 2014-न्याय प्रशासन, 2059-लोक निर्माण कार्य, 2062-सतर्कता, 2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं, 2216-आवास तथा 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय)

		कुल अनुदान/ विनियोजन	वास्तविक व्यय (₹ हजारों में)	आधिव्यय (+) बचत (-)
राजस्व प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	1,91,98,87			
		1,91,98,98	1,69,18,29	(-)22,80,69
पूरक	11			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)				14,72,89
प्रभारित				
मूल	55,68,44			
		55,68,45	49,78,00	(-)5,90,45
पूरक	1			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)				88,85
पूंजीगत प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	4,17,00			
		31,68,46	31,20,73	(-)47,73
पूरक	27,51,46			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..

टिप्पणियां तथा अभ्युक्तियां

- राजस्व प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 2,280.69 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से ₹ 1,472.89 लाख का अभ्यर्पण अपर्याप्त सिद्ध हुआ।
- राजस्व प्रवर्ग के प्रभारित विनियोजन में ₹ 590.45 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से ₹ 88.85 लाख का अभ्यर्पण अपर्याप्त सिद्ध हुआ।
- पूंजीगत प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 47.73 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से फरवरी 2022 में प्राप्त ₹ 2,751.46 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्याधिक सिद्ध हुआ तथा वर्ष के दौरान विभाग द्वारा कोई राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

8
विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-3- (क्रमशः)

राजस्व प्रवर्ग

(iv) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
2014- न्याय प्रशासन-			
105- सिविल और सेशन न्यायालय-			
01- सिविल तथा सत्र न्यायालय स्थापना-			
मूल	14,240.34		
		12,668.85	12,280.83
पुनर्वि०	(-)1,571.49		(-)388.02
₹ 388.02 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,571.49 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने एवं यात्रा पर कम व्यय के कारण हुई जोकि अधीनस्थ न्यायालयों में क्लोज सर्किट टेलीविजन कैमरों की स्थापना तथा कम्प्यूटर हार्डवेयर की खरीद पर अधिक व्यय के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसन्तुलित हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।			
₹ 388.02 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।			
108- दण्ड न्यायालय-			
01- गवाहों को यात्रा तथा भोजन राशि-			
मूल	90.00		
		70.00	70.00
पुनर्वि०	(-)20.00		..
मार्च 2022 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 20.00 लाख की कमी योजना के अन्तर्गत कम व्यय होने के कारण हुई।			
114- विधि सलाहकार और परामर्शदाता (काउंसल)-			
01- महाधिवक्ता-			
मूल	1,278.89		
		1,044.13	1,043.50
पुनर्वि०	(-)234.76		(-)0.63
मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 234.76 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, दैनिक वेतन भोगियों के नियमितीकरण तथा यात्रा पर कम व्यय के कारण हुई जोकि व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं को प्राप्त करने पर अधिक व्यय के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसन्तुलित हुई।			
02- अन्य विधि अधिकारी-			
मूल	2,256.64		
		2,321.29	2,071.22
पुनर्वि०	64.65		(-)250.07
₹ 250.07 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 64.65 लाख का आवर्धन व्यावसायिक एवं विशेष सेवाओं को प्राप्त करने, प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन तथा बाह्य सेवाओं पर अधिक व्यय के कारण हुआ जोकि जैम प्रतिकर्ताओं द्वारा पूर्ति न करने के कारण कम व्यय, चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति तथा दैनिक वेतन			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-3- (क्रमशः)

भोगियों के नियमितीकरण के कारण हुई बचत से अंशतः प्रतिसन्तुलित हुआ जोकि अनावश्यक सिद्ध हुआ।

₹ 250.07 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

03-	राज्य न्यायाधिक अकादमी पर व्यय-				
	मूल	292.40			
			291.52	238.51	(-)53.01
	पुनर्वि०	(-)0.88			

₹ 53.01 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

800-	अन्य व्यय-				
02-	हिमाचल प्रदेश राज्य विधि सेवाएं प्राधिकरण-				
	मूल	607.34			
			624.22	552.95	(-)71.27
	पुनर्वि०	16.88			

₹ 71.27 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 16.88 लाख का आवर्धन बाह्य सेवाओं एवं बाह्य वाहनों, तेल, पेट्रोल स्नेहक, वाहनों की मरम्मत तथा यात्रा पर अधिक व्यय के कारण हुआ जोकि मानदेय पर कम व्यय के कारण हुई बचत से अंशतः प्रतिसन्तुलित हुआ जोकि अनावश्यक सिद्ध हुआ।

₹ 71.27 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

2059- लोक निर्माण कार्य-

01- कार्यालय भवन-

053- रखरखाव तथा मरम्मत-

57- लोकायुक्त कार्यालय भवन का रख-रखाव-

	मूल	1.52			
		
	पुनर्वि०	(-)1.52			

मार्च 2022 में ₹ 1.52 लाख का समस्त प्रावधान कार्यालय भवनों पर व्यय न होने के कारण पुनर्विनियोजन द्वारा कम कर दिया गया।

58- महाधिवक्ता के कार्यालय भवन का रख-रखाव-

	मूल	1.52	1.52	..	(-)1.52
--	-----	------	------	----	---------

₹ 1.52 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

(v) उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
		(₹ लाखों में)	

2014- न्याय प्रशासन-

102- उच्च न्यायालय-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-3- (क्रमशः)

05-	ई-कोर्ट मिशन मोड परियोजना (फेज-II)-				
	मूल	0.01			
			40.31	23.30	(-)17.01
	पुनर्वि०	40.30			
	₹ 17.01 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 40.30 लाख का आवर्धन भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ जोकि अत्याधिक सिद्ध हुआ।				
	₹ 17.01 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।				
105-	सिविल और सत्र न्यायालय-				
07-	फास्ट ट्रैक विशेष अदालतें (पॉक्सों)-				
	पूरक	0.04			
			16.08	16.07	(-)0.01
	पुनर्वि०	16.04			
	मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 16.04 लाख का आवर्धन गवाहों की यात्रा तथा भोजन राशि पर अधिक व्यय के कारण हुआ।				
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
	पूरक	0.06			
			73.93	67.92	(-)6.01
	पुनर्वि०	73.87			
	₹ 6.01 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 73.87 लाख का आवर्धन बिजली, पानी तथा टेलीफोन बिलों पर अधिक व्यय के कारण हुआ जोकि अत्याधिक सिद्ध हुआ।				
	₹ 6.01 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।				
800-	अन्य व्यय-				
04-	पीडित क्षतिपूर्ति स्कीम-				
	मूल	200.00			
			225.00	224.15	(-)0.85
	पुनर्वि०	25.00			
	मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 25.00 लाख का आवर्धन पीड़ितों को मुआवजे के भुगतान के कारण हुआ।				
2070-	अन्य प्रशासनिक सेवाएं-				
105-	विशेष जाँच आयोग-				
04-	हिमाचल प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग-				
	मूल	64.37			
	पूरक	0.01	142.87	129.86	(-)13.01
	पुनर्वि०	78.49			
	₹ 13.01 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 78.49 लाख का आवर्धन रिक्त पदों को भरने, वाहनों, पेट्रोल, तेल, स्नेहकों, वाहनों की मरम्मत				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-3- (क्रमशः)

बाह्य स्रोत सेवाओं, विद्युत, पानी, टेलीफोन बिलों, फर्नीचर पर व्यय तथा दैनिक वेतन भोगियों की अधिक नियुक्ति के कारण हुआ जोकि अत्याधिक सिद्ध हुआ।

₹ 13.01 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

2216- आवास-

05- सामान्य पूल आवास-

053- मरम्मत और रख-रखाव-

01- अन्य रख-रखाव व्यय-

मूल 40.58

75.18

74.10

(-)1.08

पुनर्वि० 34.60

मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 34.60 लाख का आवर्धन न्याय पालिका के आवासीय भवनों के रख-रखाव पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

(vi) प्रभारित विनियोजन में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल विनियोजन	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
-------	--------------	--------------------------------	-----------------------

2014- न्याय प्रशासन-

102- उच्च न्यायालय-

01- उच्च न्यायालय स्थापना-

मूल 5,289.66

5,200.83

4,778.84

(-)421.99

पुनर्वि० (-)88.83

₹ 421.99 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2022 में अभ्यर्पण द्वारा विनियोजन में ₹ 88.83 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति, दैनिक वेतन भोगियों की कम नियुक्ति तथा यात्रा पर कम व्यय के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 421.99 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

2062- सतर्कता-

103- लोकायुक्त/उप-लोकायुक्त-

01- लोकायुक्त-

गैर योजना

मूल 278.78

पूरक 0.01

278.77

199.15

(-)79.62

पुनर्वि० (-)0.02

₹ 79.62 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-3-(समाप्त)

पूंजीगत प्रवर्ग

(vii) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्ष के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-			
01- कार्यालय भवन-			
051- निर्माण-			
31- राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय-			
(i) मूल	1.00		
		1,496.00	(-)481.67
पूरक	1,495.00		
36- वैकल्पिक विवाद समाधान केन्द्र -			
(ii) मूल	13.00		
		58.00	(-)49.00
पूरक	45.00		
उपरोक्त दो मामलों में ₹ 530.67 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।			
42- फास्ट ट्रक विशेष अदालतें (पोक्सो)-			
मूल	1.00		
	
पुनर्वि०	(-)1.00		
मार्च 2022 में ₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण पुनर्विनियोजन द्वारा कम कर दिया गया।			

(viii) उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्ष के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-			
01- कार्यालय भवन			
051- निर्माण-			
25- जिला न्यायवादी कार्यालयों का निर्माण-			
मूल	338.00	338.00	(+289.81
₹ 627.81 लाख में से ₹ 300.00 लाख का व्यय वर्ष 2019-20 के आपत्ति पुस्तिका के उचंत के समायोजना के कारण हुआ।			
32- न्यायिक अकादमी-			
मूल	1.00		
		188.50	(+187.50
पूरक	187.50	376.00	
₹ 187.50 लाख के सारभूत अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।			

विनियोग लेखे

अनुदान संख्या-4-सामान्य प्रशासन

(शीर्ष- 2051-लोक सेवा आयोग, 2052- सचिवालय-सामान्य सेवाएं, 2053- जिला प्रशासन, 2059- लोक निर्माण-कार्य, 2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं, 2075- विविध सामान्य सेवाएं, 2216- आवास, 2235- सामाजिक सुरक्षा और कल्याण, 2251- सचिवालय -सामाजिक सेवाएं, 3425- अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान, 3435- पारिस्थितिकी विज्ञान और पर्यावरण, 3451- सचिवालय-आर्थिक सेवाएं, 4059-लोक निर्माण कार्य और पूंजीगत परिव्यय, 4216- आवास पर पूंजीगत परिव्यय तथा 4235- सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय)

		कुल अनुदान/ विनियोजन	वास्तविक व्यय (₹ हजारों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
राजस्व प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	2,58,43,85			
		2,76,57,15	2,48,86,56	(-)27,70,59
पूरक	18,13,30			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)				1,56,83
प्रभारित				
मूल	14,56,92			
		14,56,92	9,93,95	(-)4,62,97
पूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)				40,55
पूंजीगत प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	11,19,00			
		24,99,15	24,98,87	(-)28
पूरक	13,80,15			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)				..

टिप्पणियां तथा अभ्युक्तियां

- (i) राजस्व प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 2,770.59 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से फरवरी 2022 में प्राप्त ₹ 1,813.30 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ जबकि मूल अनुदान अप्रयुक्त रहा तथा ₹ 156.83 लाख का अभ्यर्पण अपर्याप्त सिद्ध हुआ।
- (ii) राजस्व प्रवर्ग के प्रभारित विनियोजन में ₹ 462.97 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से ₹ 40.55 लाख का अभ्यर्पण अपर्याप्त सिद्ध हुआ।

14
विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-4 (क्रमशः)

राजस्व प्रवर्ग

(iii) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
-------	------------	--------------------------------	-----------------------

2051 लोक सेवा आयोग-

103- कर्मचारी चयन आयोग-

01- हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग-

मूल	786.04			
		1,304.90	1,261.64	(-)43.26
पूरक	518.86			

₹ 43.26 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

2052- सचिवालय-सामान्य सेवाएं-

090- सचिवालय-

01- मुख्य सचिवालय-

मूल	5,966.96			
पूरक	413.51	6,303.51	5,410.07	(-)893.44
पुनर्वि०	(-)76.96			

₹ 893.44 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 76.96 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने तथा दैनिक वेतन भोगियों के नियमितीकरण के कारण हुई जोकि वाहन की खरीद, बाह्य स्रोत वाहनों, पेट्रोल, तेल स्नेहक तथा वाहनों की मरम्मत पर अधिक व्यय के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 893.44 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

02- राजस्व विभाग-

(i) मूल 741.32 741.32 610.42 (-)130.90

03- आबकारी एवं कराधान विभाग-

(ii) मूल 118.46 118.46 75.51 (-)42.95

05- लोक निर्माण विभाग-

(iii) मूल 591.88 591.88 449.28 (-)142.60

06- वित्त विभाग-

(iv) मूल 1,000.58 1,000.58 787.32 (-)213.26

07- विधि विभाग-

(v) मूल 673.48 673.48 515.06 (-)158.42

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-4 (क्रमशः)

उपरोक्त पांच मामलों में ₹ 688.13 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

091- संलग्न कार्यालय-				
01- आवासीय आयुक्त-				
मूल	222.08			
		153.82	150.16	(-)3.66
पुनर्वि०	(-)68.26			

मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 68.26 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, पेट्रोल, तेल, वाहनों की मरम्मत, टेलीफोन, बिजली, पानी के बिलों तथा बाहरी स्रोत सेवाओं पर कम व्यय के कारण हुई।

2053- जिला प्रशासन-

800- अन्य व्यय-				
05- 50वें राज्यत्व दिवस का उत्सव-				
मूल	2,100.00	2,100.00	1,479.80	(-)620.20

₹ 620.20 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

2059- लोक निर्माण कार्य-

01- कार्यालय भवन-				
053- रखरखाव तथा मरम्मत-				
28- हिमाचल प्रदेश आवासीय आयुक्त नई दिल्ली के भवनों के रखरखाव पर व्यय-				
मूल	9.16			
पूरक	32.00	94.42	21.98	(-)72.44
पुनर्वि०	53.26			

₹ 72.44 लाख की सारभूत अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 53.26 लाख का आवर्धन मरम्मत/रखरखाव के कार्यों के अधिक निष्पादन होने के कारण हुआ जोकि अनावश्यक सिद्ध हुआ।

₹ 72.44 लाख की सारभूत अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

2075- विविध सामान्य सेवाएं-

800- अन्य व्यय-				
14- अन्य उद्देश्यों के लिए हेलिकॉप्टर सेवाएं-				
(i) मूल	1,700.00	1,700.00	1,452.65	(-)247.35

2216- आवास-

05- साधारण पूल आवास-				
053- मरम्मत एवं रखरखाव-				
01- अन्य रखरखाव व्यय-				
(ii) मूल	2,400.00	2,400.00	2,344.01	(-)55.99

16
विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-4 (क्रमशः)

800-	अन्य व्यय-				
04-	सम्पदा प्रबन्धन-				
(iii)	मूल	72.64			
			73.01	54.27	(-)18.74
	पुनर्वि०	0.37			
2235-	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-				
60-	अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम-				
200-	अन्य कार्यक्रम-				
02-	जिला कर्मचारी वर्ग-				
(iv)	मूल	367.78			
			369.40	340.48	(-)28.92
	पुनर्वि०	1.62			
	उपरोक्त चार मामलों में ₹ 351.00 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।				
05-	हिमाचल प्रदेश स्वतंत्रता सेनानी कल्याण कोष-				
	मूल	857.69			
			754.81	754.81	..
	पुनर्वि०	(-)102.88			
	मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 102.88 लाख की कमी प्रस्तावों की कम प्राप्ति के कारण हुई।				
08-	स्वतंत्रता सेनानियों की कन्याओं/प्रपोत्रियों के विवाह हेतु सहायता-				
(i)	मूल	13.00	13.00	10.29	(-)2.71
2251-	सचिवालय-सामाजिक सेवाएं-				
090-	सचिवालय-				
03-	शिक्षा विभाग-				
(ii)	मूल	376.97	376.97	322.41	(-)54.56
04-	भाषा संस्कृति कार्यक्रम एवं कल्याण विभाग-				
(iii)	मूल	175.26	175.26	137.94	(-)37.32
06-	खाद्य एवं आपूर्ति विभाग-				
(iv)	मूल	151.27	151.27	121.08	(-)30.19
	उपरोक्त चार मामलों में ₹ 124.78 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।				
3425-	अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान-				
60-	अन्य-				
001-	निदेशन तथा प्रशासन-				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-4 (क्रमशः)

02- पर्यावरण एवं वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी विभाग-
मूल 691.00

541.86 439.44 (-)102.42

पुनर्वि0 (-)149.14

₹ 102.42 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 149.14 लाख की कमी बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के अन्तर्गत निधियों के कम उपयोग के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 102.42 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

₹ 439.44 लाख में से ₹ 56.00 लाख का व्यय वर्ष 2019-20 की आपत्ति पुस्तिका के उचंत के समायोजन के कारण हुआ।

3451- सचिवालय-आर्थिक सेवाएं-

090- सचिवालय-

02- उद्यान विभाग-

(i) मूल 148.83 148.83 117.45 (-)31.38

03- सहकारिता विभाग-

(ii) मूल 144.45 144.45 120.45 (-)24.00

04- पशुपालन विभाग-

(iii) मूल 137.30 137.30 103.90 (-)33.40

05- ग्रामीण एकीकरण विकास तथा पंचायती राज विभाग-

(iv) मूल 123.25 123.25 93.71 (-)29.54

06- वन फार्म एवं पर्यावरण संरक्षण विभाग-

(v) मूल 333.44 333.44 236.65 (-)96.79

07- उद्योग विभाग-

(vi) मूल 254.53 254.53 220.60 (-)33.93

08- परिवहन तथा पर्यटन विभाग-

(vii) मूल 137.14 137.14 113.25 (-)23.89

09- श्रम, रोजगार तथा प्रशिक्षण विभाग-

(viii) मूल 104.16 104.16 83.02 (-)21.14

10- योजना विभाग-

(ix) मूल 121.33 121.33 97.05 (-)24.28

13- अन्य सचिवालय विभाग-

(x) मूल 145.69 145.69 98.21 (-)47.48

उपरोक्त दस मामलों में 365.83 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-4 (क्रमशः)

(iv) उपरोक्त बचत निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
2052- सचिवालय-सामान्य सेवाएं-			
090- सचिवालय -			
04- गृह विभाग-			
मूल	389.85		
पुनर्वि०	40.00		
	429.85	390.71	(-)39.14
₹ 39.14 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 40.00 लाख का आवर्धन वेतन संशोधन, महंगाई भत्ते की दरों में वृद्धि, वार्षिक वेतन वृद्धि तथा पदोन्नतियों के कारण हुआ जोकि अत्याधिक सिद्ध हुआ।			
₹ 39.14 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।			
2070- अन्य प्रशासनिक सेवाएं-			
115- अतिथिगृह, सरकारी छात्रावास इत्यादि-			
01- आतिथ्य संगठन-			
मूल	118.40		
पूरक	98.00	236.50	
पुनर्वि०	20.10		
		229.29	(-)7.21
मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 20.10 लाख का आवर्धन राजकीय एवं प्रतिनिधि मंडलों के आतिथ्य पर अधिक व्यय के कारण हुआ।			
02- नई दिल्ली स्थित हिमाचल भवन का प्रबन्धन-			
मूल	500.00	500.00	1,250.00
			+750.00
₹ 1,250.00 लाख में से ₹ 750.00 लाख का व्यय वर्ष 2019-20 की आपत्ति पुस्तिका के उच्चतम के समायोजना के कारण हुआ।			
2075- विविध सामान्य सेवाएं-			
800- अन्य व्यय-			
09- अन्य विविध संगठनों को सहायता-			
मूल	5.00		
पूरक	0.11	7.48	
पुनर्वि०	2.37		
		7.48	..
मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2.37 लाख का आवर्धन योजना के अंतर्गत अधिक व्यय के कारण हुआ।			
2216- आवास-			
05- साधारण पूल आवास-			
053- मरम्मत एवं रख-रखाव-			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-4 (क्रमशः)

04-	नई दिल्ली स्थित सरकारी आवासों की मरम्मत एवं रख रखाव पर व्यय-				
	मूल	0.78			
			15.78	60.00	(+)44.22
	पुनर्वि०	15.00			
	मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 15.00 लाख का आवर्धन सरकारी आवासों के रखरखाव पर अधिक व्यय के कारण हुआ।				
	₹ 60.00 लाख में से ₹ 45.00 लाख का व्यय वर्ष 2019-20 की आपत्ति पुस्तिका के उच्चतम के समायोजना के कारण हुआ।				
2235-	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-				
60-	अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम-				
200-	अन्य कार्यक्रम-				
01-	सैनिक कल्याण निदेशालय-				
	मूल	68.81			
			85.10	79.67	(-)5.43
	पुनर्वि०	16.29			
	मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 16.29 लाख का आवर्धन वेतनमानों में संशोधन, महंगाई भत्ते की दरों में बढ़ोतरी तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की अधिक प्राप्ति के कारण हुई।				
04-	विशेष रोजगार कार्यक्रम-				
	मूल	28.13			
			40.00	39.86	(-)0.14
	पुनर्वि०	11.87			
	मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 11.87 लाख का आवर्धन टेलीफोन, बिजली और पानी के बिलों पर अधिक व्यय के कारण हुआ जोकि रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई बचत से अंशतः प्रतिसंतुलित हुआ।				
09-	मृतक स्वतन्त्रता सैनानियों के अंतिम संस्कार हेतु अनुग्रहित अनुदान-				
	मूल	4.00			
			6.45	6.45	..
	पुनर्वि०	2.45			
	मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2.45 लाख का आवर्धन मृतक स्वतन्त्रता सेनानी के अंतिम संस्कार हेतु अनुग्रहित अनुदान पर अधिक व्यय के कारण हुआ।				
2251-	सचिवालय-सामाजिक सेवाए-				
090-	सचिवालय-				
01-	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग-				
(i)	मूल	419.06			
	पूरक	51.41	519.06	500.93	(-)18.13
	पुनर्वि०	48.59			

20
विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-4 (क्रमशः)

3451- सचिवालय-आर्थिक सेवाएं-

090- सचिवालय-

01- कृषि विभाग-

(ii) पूरक 288.85

313.85

299.31

(-)14.54

पुनर्वि० 25.00

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 73.59 लाख का आवर्धन वेतनमानों में संशोधन तथा महंगाई भत्ते की दरों में वृद्धि के कारण हुआ।

(v) प्रभारित विनियोजन में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्ष के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल विनियोजन	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
-------	--------------	-----------------------------------	-----------------------

2051- लोक सेवा आयोग-

102- राज्य लोक सेवा आयोग-

01- राज्य लोक सेवा आयोग-

मूल 1,456.92

1,416.37

993.95

(-)422.42

पुनर्वि० (-)40.55

₹ 422.42 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा विनियोजना में ₹ 40.55 लाख की कमी परीक्षा और साक्षात्कार के कम आयोजन के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 422.42 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

पूंजीगत प्रवर्ग

(vi) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्ष के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
-------	------------	-----------------------------------	-----------------------

4216- आवास पर पूंजीगत परिव्यय-

01- सरकारी आवासीय भवन-

106- सरकारी पूल आवास-

19- सरकारी पूल आवासीय भवनों का निर्माण-

मूल 790.00

400.00

399.73

(-)0.27

पुनर्वि० (-)390.00

मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 390.00 लाख की कमी कार्यों के कम निष्पादन के कारण हुई।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-4 (समाप्त)

(vii) उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसन्तुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-			
60- अन्य भवन-			
051- निर्माण-			
05- नई दिल्ली में स्टेट गेस्ट हाऊस का निर्माण-			
मूल	329.00		
		440.42	440.41
			(-)0.01
पुनर्वि०	111.42		
मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 111.42 लाख का आवर्धन निर्माण कार्यो पर अधिक व्यय होने के कारण हुआ।			
4235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-			
02- सामाजिक कल्याण-			
800- अन्य व्यय-			
02 सैनिक विश्राम गृहों तथा भवनों का निर्माण-			
पूरक	671.42		
		950.00	950.00
पुनर्वि०	278.58		..

मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 278.58 लाख का आवर्धन कैंटीन स्टोर विभाग के विस्तार काउंटर के निर्माण के कारण हुआ।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-5-भू-राजस्व और जिला प्रशासन

(शीर्ष- 2029-भू-राजस्व, 2030- स्टाम्प तथा पंजीकरण, 2053- जिला प्रशासन, 2055-पुलिस, 2059- लोक निर्माण-कार्य, 2216- आवास, 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, 2245- प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत, 2401- फसल कृषि कर्म, 2506- भूमि सुधार, 2702- लघु सिंचाई, 3454- जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, 4059- लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय तथा 4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजारों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
राजस्व प्रवर्ग			
दत्तमत			
मूल	12,98,70,46		
	13,06,37,66	17,73,33,27	(+),4,66,95,61
पूरक	7,67,20		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			..
पूंजीगत प्रवर्ग			
दत्तमत			
मूल	13,68,00		
	78,08,46	98,32,46	(+),20,24,00
पूरक	64,40,46		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			..

टिप्पणियां तथा अभ्युक्तियां

- (i) राजस्व प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 4,66,95,61,477 के आधिक्य का नियमन अपेक्षित है।
- (ii) पूंजीगत प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 20,24,00,000 के आधिक्य का नियमन अपेक्षित है।
- (iii) राजस्व प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 46,695.61 लाख के आधिक्य की दृष्टि से फरवरी 2022 में प्राप्त ₹ 767.20 लाख का अनुपूरक अनुदान अपर्याप्त सिद्ध हुआ।
- (iv) पूंजीगत प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 2,024.00 लाख के आधिक्य की दृष्टि से फरवरी 2022 में प्राप्त ₹ 6,440.46 लाख का अनुपूरक अनुदान अपर्याप्त सिद्ध हुआ।

राजस्व प्रवर्ग

- (v) दत्तमत अनुदान में आधिक्य मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
शीर्ष			

2030- स्टाम्प तथा पंजीकरण-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-5 (क्रमशः)

02-	स्टाम्प न्यायधिकेतर-				
102-	स्टाम्प बिक्री पर व्यय-				
01-	स्टाम्प विक्रेताओं के माध्यम से स्टाम्पों की बिक्री पर व्यय-				
	मूल	126.00			
			166.50	164.37	(-)2.13
	पुनर्वि०	40.50			

मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 40.50 लाख का आवर्धन स्टॉम्प विक्रेताओं को छूट/कमीशन पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

03-	पंजीकरण-				
001-	निदेशन तथा प्रशासन-				
01-	पंजीकरण की स्कीम-				
	मूल	28.73	28.73	34.66	(+)5.93

₹ 5.93 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

2059- लोक निर्माण कार्य-

01-	कार्यालय भवन-				
053-	रख रखाव और मरम्मत-				
02-	रखरखाव व्यय-				
	गैर योजना				
	मूल	70.26			
			107.26	98.50	(-)8.76
	पुनर्वि०	37.00			

मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 37.00 लाख का आवर्धन सरकारी भवनों के रखरखाव तथा मरम्मत पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

2245- प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत-

01-	सूखा-				
101-	अनुग्राहिक राहत-				
07-	दवाईयों के वितरण पर व्यय-				
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(i)	360.00		(+)360.00
102-	पेयजल आपूर्ति-				
01-	ट्रकों के माध्यम से पेयजल की आपूर्ति-				
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(ii)	80.00		(+)80.00

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 440.00 लाख का समस्त व्यय वर्ष 2029-20 के आपत्ति पुस्तिका के उच्चतम के समायोजन के कारण हुआ।

02-	बाढ़ चक्रवात-				
101-	अनुग्राहिक राहत-				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-5 (क्रमशः)

01-	कैश डौलस-				
	मूल	0.01			
			9,083.13	8,425.73	(-)657.40

पुनर्वि० 9,083.12

₹ 657.40 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 9,083.12 लाख का आवर्धन कोविड-19 से सम्बन्धित मदों की खरीद पर व्यय के कारण हुआ जोकि अत्याधिक सिद्ध हुआ।

₹ 657.40 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

₹ 8,425.73 लाख में से ₹ 1,250.00 लाख का व्यय वर्ष 2019-20 की आपत्ति पुस्तिका के उच्चत के समायोजन के कारण हुआ।

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

..	..	3,070.00	(+)3,070.00
----	----	----------	-------------

₹ 3,070.00 लाख का समस्त व्यय वर्ष 2019-20 की आपत्ति पुस्तिका के उच्चत के समायोजन के कारण हुआ।

102-	पेयजल आपूर्ति-				
01-	पेयजल पर व्यय-				
	मूल	0.01			
			370.00	283.00	(+)87.00

पुनर्वि० 369.99

₹ 87.00 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 369.99 लाख का आवर्धन राज्य में सूखे जैसी स्थिति में पीने के पानी को तालाबों द्वारा उपलब्ध करवाने के कारण हुआ जोकि अत्याधिक सिद्ध हुआ।

₹ 87.00 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

..	..	50.00	(+)50.00
----	----	-------	----------

₹ 50.00 लाख का व्यय बिना प्रावधान के किया गया; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

104-	चारा आपूर्ति-				
01-	चारे के वितरण पर व्यय-				
	मूल	0.01			
			120.00	111.00	(-)9.00

पुनर्वि० 119.99

₹ 9.00 लाख की सारभूत अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 119.99 लाख का आवर्धन राज्य में सूखे जैसी स्थिति के कारण हुआ जोकि अत्याधिक सिद्ध हुआ।

₹ 9.00 लाख की सारभूत अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

106-	क्षतिग्रस्त सड़कों एवं पुलों की मरम्मत एवं पुनस्थापन-
------	---

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-5 (क्रमशः)

01- सड़कों तथा पुलों के निर्माण पर व्यय-

मूल	0.01			
		6,514.84	13,118.19	(+6,603.35)

पुनर्वि० 6,514.83

मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 6,514.83 लाख का आवर्धन प्राकृतिक आपदा के कारण क्षतिग्रस्त सड़कों तथा पुलों की मरम्मत पर अधिक व्यय करने के कारण हुआ।

₹ 13,118.19 लाख के व्यय में से ₹ 6,658.00 लाख का व्यय वर्ष 2019-20 के आपत्ति पुस्तिका के उच्चंत के समायोजन के कारण हुआ।

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

..	..	24,500.00	(+24,500.00)
----	----	-----------	--------------

₹ 24,500.00 लाख का समस्त व्यय वर्ष 2019-20 की आपत्ति पुस्तिका के उच्चंत के समायोजन के कारण हुआ।

109- क्षतिग्रस्त जलापूर्ति, जल निकासी तथा मल निकासी एवं पुनस्थापन-

01- पेयजल तथा सीवरेज योजनाओं पर हुए

नुकसान की मरम्मत पर व्यय-

मूल	0.01			
		4,600.00	7,049.86	(+2,449.86)

पुनर्वि० 4,599.99

मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 4,599.99 लाख का आवर्धन प्राकृतिक आपदा के कारण क्षतिग्रस्त जलापूर्ति, जल निकासी तथा सीवरेज की मरम्मत पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

₹ 7,049.86 लाख के व्यय में से ₹ 2,450.00 लाख का व्यय वर्ष 2019-20 के आपत्ति पुस्तिका के उच्चंत के समायोजन के कारण हुआ।

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

..	..	13,400.00	(+13,400.00)
----	----	-----------	--------------

₹ 13,400.00 लाख का समस्त व्यय वर्ष 2019-20 की आपत्ति पुस्तिका के उच्चंत के समायोजन के कारण हुआ।

111- शोक संतप्त परिवारों को अनुग्रह अनुदान-

01- अनुग्रहपूर्वक अनुदान

मूल	0.01			
		3,500.00	10,123.72	(+6,623.72)

पुनर्वि० 3,499.99

मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 3,499.99 लाख का आवर्धन कोविड-19 से मरने वाले व्यक्तियों के परिजनों को अनुग्रहपूर्वक अनुदान के भुगतान के कारण हुआ।

₹ 10,123.72 लाख में से ₹ 7,500.00 लाख का व्यय वर्ष 2019-20 के आपत्ति पुस्तिका के उच्चंत के समायोजन के कारण हुआ।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-5 (क्रमशः)

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

..	..	3,049.00	(+)	3,049.00
<p>₹ 3,049.00 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)। जबकि ₹ 3,049.00 लाख में से ₹ 2,950.00 लाख का व्यय वर्ष 2019-20 की आपत्ति पुस्तिका के उच्चंत के समायोजन के कारण हुआ।</p>				
02-	राज्य विशेष आपदा के कारण मृत्यु- मूल	0.01		
		4,500.00		3,408.91
	पुनर्वि०	4,499.99		(-)1,091.09
<p>₹ 1,091.09 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 4,499.99 लाख का आवर्धन स्थानीय आपदा में मारे गए व्यक्तियों के परिजनों को अनुग्रहपूर्वक अनुदान के भुगतान के कारण हुआ जोकि अत्याधिक सिद्ध हुआ।</p> <p>₹ 1,091.09 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।</p>				
113-	घरों की मरम्मत एवं पुनःस्थापना हेतु अनुदान-			
01-	घरों की मरम्मत/निर्माण पर व्यय- मूल	0.01		
		1,200.00		1,185.03
	पुनर्वि०	1,199.99		(-)14.97
<p>₹ 14.97 लाख की सारभूत अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,199.99 लाख का आवर्धन प्राकृतिक आपदा से पीड़ित परिवारों को आवास सहायता की मरम्मत/निर्माण पर अधिक व्यय होने के कारण हुआ जोकि अत्याधिक सिद्ध हुआ।</p> <p>₹ 14.97 लाख की सारभूत अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।</p> <p>₹ 1,185.03 लाख में से ₹ 450.00 लाख का व्यय वर्ष 2019-20 की आपत्ति पुस्तिका के उच्चंत के समायोजन के कारण हुआ।</p>				

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

..	..	792.00	(+)	792.00
<p>₹ 792.00 लाख का समस्त व्यय वर्ष 2019-20 की आपत्ति पुस्तिका के उच्चंत के समायोजन के कारण हुआ।</p>				
193-	स्थानीय निकायों तथा गैर सरकारी संस्थाओं को अनुदान-			
01-	स्थानीय निकायों तथा अन्य गैर सरकारी संस्थाओं को सहायता- मूल	0.01		
		4,140.00		5,989.71
	पुनर्वि०	4,139.99		(+)
<p>मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 4,139.99 लाख का आवर्धन प्रभावित व्यक्तियों द्वारा मरम्मत/बहाली के लिए जिलों से मांग की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ।</p>				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-5 (क्रमशः)

₹ 5,989.71 लाख में से ₹ 1,850.00 लाख का व्यय वर्ष 2019-20 की आपत्ति पुस्तिका के उच्चंत के समायोजन के कारण हुआ।

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

(i)	6,480.00	(+)6,480.00
80-	सामान्य-			
102-	आपदा उन्मुख क्षेत्रों के लिए आकस्मिक योजनाओं का प्रबंधन-			
01-	आपदा उन्मुख क्षेत्रों के लिए आकस्मिक योजनाओं पर व्यय-			
(ii)	मूल	0.01		
			300.00	(+)300.00
	पुनर्वि०	(-)0.01		

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 6,780.00 लाख का समस्त व्यय वर्ष 2019-20 की आपत्ति पुस्तिका के उच्चंत के समायोजन के कारण हुआ।

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

पूरक	25.28			
		26.67	84.71	(+)58.04
पुनर्वि०	1.39			

₹ 84.71 लाख में से ₹ 58.04 लाख का व्यय वर्ष 2019-20 की आपत्ति पुस्तिका के उच्चंत के समायोजन के कारण हुआ। जबकि ₹ 19.67 लाख का अनुदान भारत सरकार से प्राप्त हुआ था।

02-	तेरहवें वित्त आयोग के अंतर्गत क्षमता निर्माण पर			
	1,000.00	(+)1,000.00

₹ 1,000.00 लाख का समस्त व्यय वर्ष 2019-20 की आपत्ति पुस्तिका के उच्चंत के समायोजन के कारण हुआ।

05-	क्षमता निर्माण-			
	मूल	0.01		
			2,272.00	3,707.00
	पुनर्वि०	2,271.99		(+)1,435.00

मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2,271.99 लाख का आवर्धन भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार योजना के लिए दस प्रतिशत बजट प्रदान करने के कारण हुआ।

₹ 3,707.00 लाख में से ₹ 1,435.00 लाख का व्यय दर्ज वर्ष 2019-20 की आपत्ति पुस्तिका के उच्चंत के समायोजन के कारण हुआ।

(vi)	उपरोक्त आधिक्य मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई बचत से अंशतः प्रतिसंतुलित हुआ:-			
	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
			(₹ लाखों में)	

2029- भू-राजस्व-

102-	सर्वेक्षण तथा बन्दोबस्त कार्य-
------	--------------------------------

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-5 (क्रमशः)

02-	वन बन्दोबस्त तथा सीमांकन-				
(i)	मूल	746.48			
			747.39	610.30	(-)137.09
	पुनर्वि०	0.91			
03-	बंदोबस्त अधिकारी शिमला-				
(ii)	मूल	1,970.22			
			1,977.52	1,708.32	(-)269.20
	पुनर्वि०	7.30			
	उपरोक्त दो मामलों में ₹ 406.29 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।				
04-	बंदोबस्त अधिकारी कांगड़ा-				
	मूल	1,819.71			
	पूरक	0.01	1,645.02	1,598.29	(-)46.73
	पुनर्वि०	(-)174.70			
	₹ 46.73 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 174.70 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति तथा यात्रा पर कम व्यय के कारण हुई जोकि पटवारियों को वज़ीफे के भुगतान से हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।				
	₹ 46.73 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।				
103-	भू-अभिलेख-				
01-	अधिक्षण-				
(i)	मूल	194.37			
			196.86	175.65	(-)21.21
	पुनर्वि०	2.49			
02-	जिला स्थापना प्रभार-				
(ii)	मूल	11,876.04			
	पूरक	105.50	11,987.54	10,709.93	(-)1,277.61
	पुनर्वि०	6.00			
03-	प्राथमिक तथा सर्वेक्षण भू-अभिलेख अभिकरणों का सदृढीकरण-मुख्यालय कर्मचारी वर्ग-				
(iii)	मूल	528.65	528.65	495.20	(-)33.45
04-	प्राथमिक तथा सर्वेक्षण भू-अभिलेख अभिकरणों का सदृढीकरण-जिला कर्मचारी वर्ग-				
(iv)	मूल	1,966.68	1,966.68	1,739.31	(-)227.37
2030-	स्टाम्प तथा पंजीकरण				
01-	स्टाम्प न्यायिक				
102-	टिकटों की बिक्री पर व्यय-				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-5 (क्रमशः)

01-	स्टाम्प विक्रेताओं के माध्यम से				
	स्टाम्पों की बिक्री पर व्यय-				
(v)	मूल	18.50	18.50	11.27	(-)7.23
	उपरोक्त पांच मामलों में ₹ 1,566.87 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2021)।				
02-	स्टाम्प न्यायिकेतर-				
102-	टिकटों की बिक्री पर व्यय-				
02-	नोटोरियल टिकटों की बिक्री-				
(i)	मूल	15.50			
			25.50	13.88	(-)11.62
	पुनर्वि०	10.00			
03-	राजस्व टिकटों की बिक्री-				
(ii)	मूल	7.50			
			9.50	5.26	(-)4.24
	पुनर्वि०	2.00			
	उपरोक्त दो मामलों में ₹ 15.86 लाख की अंतिम बजट की दृष्टि से मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 12.00 लाख का आवर्धन स्टाम्प विक्रेताओं को छूट/कमीशन पर अधिक व्यय के कारण हुआ जोकि अनावश्यक सिद्ध हुआ।				
	उपरोक्त दो मामलों में ₹ 15.86 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।				
2053-	जिला प्रशासन-				
093-	जिला स्थापनाएं-				
01-	सामान्य स्थापना-				
	मूल	16,305.19			
	पूरक	93.32	16,464.57	13,885.10	(-)2,579.47
	पुनर्वि०	66.06			
	₹ 2,579.47 लाख की बचत की दृष्टि से मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 66.06 लाख का आवर्धन बाह्य स्रोत सेवाओं पर अधिक व्यय, वकीलों के लंबित बिलों के निपटान, पेट्रोल, तेल, स्नेहक प्रभार तथा वाहनों की मरम्मत पर अधिक व्यय के कारण हुआ जोकि अनावश्यक सिद्ध हुआ।				
	₹ 2,579.47 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।				
03-	वक्फ न्याय प्राधिकरण पर व्यय-				
(i)	मूल	34.79			
			40.29	32.26	(-)8.03
	पुनर्वि०	5.50			
094-	अन्य स्थापनाएं-				
01-	उप मण्डल स्थापना-				
(ii)	मूल	2,169.57			
			2,171.49	1,715.06	(-)456.43
	पुनर्वि०	1.92			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-5 (क्रमशः)

04- भू-अर्जन कर्मचारी वर्ग-				
(iii) मूल	140.96			
		141.00	90.69	(-)50.31
पुनर्वि०	0.04			

2245- प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत-

05- राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि-				
101- रिजर्व फंड एवं जमा लेखा के लिए				
स्थानांतरण-राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि				
01- राज्य आपदा राहत कोष को स्थानांतरण-				
(iv) मूल	45,400.00	45,400.00	36,300.00	(-)9,100.00

उपरोक्त चार मामलों में ₹ 9,614.77 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

08- राज्य आपदा शमन कोष-				
101- आपदा न्यूनीकरण-				
01- राज्य आपदा शमन कोष-				
पूरक	0.01			
		9,100.00	..	(-)9,100.00
पुनर्वि०	9,099.99			

₹ 9,100.00 लाख के समस्त प्रावधान के अप्रयुक्त रहने की दृष्टि से मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 9,099.99 लाख का आवर्धन भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार योजना को बीस प्रतिशत निधियां प्रदान करने के कारण हुआ जोकि अनावश्यक तथा अनुचित सिद्ध हुआ।

₹ 9,100.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

80- सामान्य-				
103- राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष				
से राज्यों को सहायता-				
03- राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष-				
मूल	45,399.87			
	
पुनर्वि०	(-)45,399.87			

₹ 45,399.87 लाख का समस्त प्रावधान मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा कम कर दिया गया जिसके कारण सूचित नहीं किये गए (जुलाई 2022)।

2506- भूमि सुधार-

102- चकबन्दी-				
01- मुख्यालय स्थापना-				
(i) मूल	185.57			
पूरक	0.75	186.01	124.39	(-)61.62
पुनर्वि०	(-)0.31			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-5 (क्रमशः)

02-	जिला स्थापना-				
(ii)	मूल	168.42			
			163.67	84.24	(-)79.43
	पुनर्वि०	(-)4.75			
2702-	लघु सिंचाई-				
80-	सामान्य-				
800-	अन्य व्यय-				
07-	सिंचाई आंकड़ों की सुधार योजना-				
(iii)	मूल	45.00			
			286.28	272.66	(-)13.62
	पूरक	241.28			

उपरोक्त तीन मामलों में ₹ 154.67 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे(जुलाई 2022)।

पूंजीगत प्रवर्ग

(vii) दत्तमत अनुदान में आधिक्य मुख्यतः निम्नवत् शीर्ष के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-			
01- कार्यालय भवन-			
051- निर्माण-			
37- कानूनगों/पटवार भवनों का निर्माण-			
मूल	691.00		
		773.97	797.97
			(+)24.00
पूरक	82.97		
₹ 797.97 लाख के कुल व्यय में से ₹ 24.00 लाख का व्यय वर्ष 2019-20 की आपत्ति पुस्तिका के उच्चत के समायोजन के कारण हुआ।			
80- सामान्य-			
051- निर्माण-			
05- अन्य प्रशासनिक सेवाएं-			
मूल	677.00		
		6,942.18	8,942.18
			(+)2,000.00
पूरक	6,265.18		
₹ 2,000.00 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-5 (क्रमशः)

(viii) आपदा राहत निधि

तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक अधिसूचना संख्या न0 रेव (डी.एम.सी.) (एफ) 4-2/2000-VII दिनांक 21/02/2011 के भारत सरकार और हिमाचल प्रदेश सरकार से सहायता लेने के उद्देश्य से राज्य आपदा प्रबंधन निधि एवं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन निधि का संगठन किया जोकि प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, ओलावृष्टि, चक्रवात, आग लगने और सूखा इत्यादि पर राहत दिलवा सके। भारत सरकार और राज्य सरकार से निधि में क्रमशः 90:10 के अनुपात में अंशदान दिया जाना है।

तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों पर केन्द्र सरकार से निधि हेतु अंशदान लोक लेखा में लेखा शीर्ष 8121- सामान्य और अन्य आरक्षित निधि तथा 122- राज्य आपदा प्रबंधन निधि के अंतर्गत राज्य आपदा प्रबंधन निधि के अधीन अन्य प्राप्त घटकों से अलग पहचान बनाने के लिए वर्गीकृत किया गया है। इसलिए यह निधि राज्य सरकार के सामान्य स्रोतों का हिस्सा नहीं है। निधि से किसी भी प्रकार का अप्रयुक्त अग्रिम शेष या अन्य कोई भी प्राधिकार भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट विधि से रखा जाता है। इस निधि का संचालन राज्य स्तरीय समिति के पदेन अध्यक्ष होने के नाते मुख्य सचिव के द्वारा किया जाता है।

समिति प्रत्येक वित्तीय वर्ष में सिफारिश की गई राशि को मुख्य शीर्ष 2245- प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत, 05-राज्य आपदा प्रबंधन निधि, 101-आरक्षित निधि और जमा लेखे का अंतरण राज्य आपदा प्रबंधन निधि से मुख्य शीर्ष 8121-सामान्य और अन्य आरक्षित निधि, 122-राज्य आपदा प्रबंधन निधि और 8235-सामान्य और अन्य आरक्षित निधि, 125-राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन निधि से अंतरण द्वारा इस निधि में 1 अप्रैल 2021 को ₹ 75,279.10 लाख (₹ 23,381.18 लाख राज्य आपदा प्रबंधन निधि और ₹ 51,897.92 लाख राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन निधि) अथ शेष लिया गया। वर्ष 2021-22 के दौरान राज्य आपदा प्रबंधन निधि के रूप में ₹ 36,300.00 लाख की राशि प्राप्त हुई (भारत सरकार से ₹ 32,720.00 लाख तथा ₹ 3,580.00 लाख राज्य सरकार का भाग) और ₹ 0.00 लाख की राशि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन निधि से और इस प्रकार निधि योग बढ़कर ₹ 1,11,579.10 लाख हो गया। वर्ष के दौरान ₹ 1,06,567.85 लाख का व्यय हुआ (₹ 54,702.14 लाख राज्य आपदा प्रबंधन निधि से और ₹ 51,865.71 लाख राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन निधि जिसमें वर्ष 2019-20 के राज्य आपदा प्रबंधन निधि और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन निधि के ₹ 74,732.04 लाख सम्मिलित हैं)। मार्च 2022 के अन्त में निधि में ₹ 5,011.25 लाख जमा रहे (विवरण हिमाचल प्रदेश सरकार के वर्ष 2021-22 के वित्त लेखों की विवरणी संख्या 21 में दर्शाया गया है)।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-6- आबकारी और कराधान

(शीर्ष- 2039-राज्य उत्पाद शुल्क, 2040- विक्रय एवं व्यापार आदि पर कर, 2043- राज्य वस्तु एवं सेवा कर के अन्तर्गत संग्रहण प्रभार, 2045- वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क, 2059- लोक निर्माण-कार्य, 2216- आवास, 2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, 3604- स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन, 4047- अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय, 4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय तथा 4216- आवास पर पूंजीगत परिव्यय)

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजारों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
राजस्व प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	97,35,14			
		1,13,61,66	1,01,29,21	(-)12,32,45
पूरक	16,26,52			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..
पूंजीगत प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	5,00,00			
		5,00,00	5,14,71	(+)14,71
पूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..

टिप्पणियां तथा अभियुक्तियां

- (i) पूंजीगत प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 14,70,829 के आधिक्य का नियमन अपेक्षित है।
- (ii) राजस्व प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 1,232.45 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से फरवरी 2022 में प्राप्त ₹ 1,626.52 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्याधिक सिद्ध हुआ तथा विभाग द्वारा कोई राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

राजस्व प्रवर्ग

- (iii) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
2039- राज्य उत्पाद शुल्क-				
001- निदेशन और प्रशासन-				
01- जिला स्थापना पर व्यय-				
(i) मूल	1,040.81			
पूरक	20.00	1,058.13	803.50	(-)254.63
पुनर्वि0	(-)2.68			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-6 (क्रमशः)

2040- विक्रय एवं व्यापार इत्यादि पर कर-

101- संग्रहण प्रभार-

01- मुख्यालय तथा क्षेत्रीय कर्मचारी-

(ii) मूल 273.63

पूरक 1,048.65 1,322.07 1,298.37 (-)23.70

पुनर्वि० (-)0.21

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 278.33 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

04- 108-एम्बुलेंस सेवाओं के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को सहायता-

मूल 771.29

659.28 659.28

..

पुनर्वि० (-)112.01

मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 112.01 लाख की कमी कोविड-19 के चलते शराब की कम बिक्री के कारण हुई।

2045- वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क-

104- संग्रहण प्रभार माल तथा यात्रियों पर कर-

01- मुख्यालय स्थापना-

मूल 785.13

पूरक 13.50 778.06 729.34 (-)48.72

पुनर्वि० (-)20.57

₹ 48.72 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 20.57 लाख की कमी कार्यों की ई-निविदा/कम्प्यूट्रीकरण होने तथा दैनिक वेतन भोगियों के नियमितीकरण के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 48.72 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

02- जिला स्थापना-

(i) मूल 4,881.59

पूरक 28.55 4,892.42 4,286.16 (-)606.26

पुनर्वि० (-)17.72

3604- स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन-

107- स्थानीय क्षेत्रों में माल आने पर कर-

01- स्थानीय शहरी निकायों को सहायता अनुदान-

(ii) मूल 463.33 463.33 349.12 (-)114.21

02- पंचायतों/ग्रामीण निकायों को सहायता-

(iii) मूल 600.00 600.00 421.85 (-)178.15

उपरोक्त तीन मामलों में ₹ 898.62 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)। जबकि क्रम संख्या (i) पर ₹ 553.76 लाख एवं क्रम संख्या (i) पर ₹ 12,975.00 लाख का अनुदान भारत सरकार से प्राप्त हुआ था।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-6 (समाप्त)

(iv) उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
-------	------------	-----------------------------------	-----------------------

2040- विक्रय एवं व्यापार इत्यादि पर कर-

101- संग्रहण प्रभार-

03- गोवंश रक्षा के लिए पशुपालन विभाग को सहायता-

मूल	771.29			
पूरक	11.96	936.43	936.43	..
पुनर्वि०	153.18			

मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 153.18 लाख का आवर्धन शराब पर उपकर दर ₹ 1.00 से ₹ 1.50 प्रति बोतल में वृद्धि करने के कारण हुआ।

विनियोग लेखे

अनुदान संख्या-7- पुलिस और सम्बद्ध संगठन

(शीर्ष- 2055-पुलिस, 2056-जेल, 2059-लोक निर्माण कार्य, 2062-सतर्कता, 2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं, 2216-आवास, 2250-अन्य सामाजिक सेवाएं, 4055-पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय, 4059-लोक निर्माण-कार्य पर पूंजीगत परिव्यय, 4070- अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय तथा 4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय)

		कुल अनुदान/ विनियोजन	वास्तविक व्यय (₹ हजारों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
राजस्व प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	15,50,82,72			
		15,50,82,85	13,06,08,09	(-)2,44,74,76
पूरक	13			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)				1,63,34,82
प्रभारित				
मूल	..			
		6,89	6,89	..
पूरक	6,89			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..
पूंजीगत प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	67,54,00			
		88,05,87	96,53,32	(+)8,47,45
पूरक	20,51,87			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..

टिप्पणियां तथा अभ्युक्तियां

- राजस्व प्रवर्ग के प्रभारित विनियोजन में ₹ 3 के आधिक्य का नियमन अपेक्षित है।
- पूंजीगत प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 8,47,44,598 के आधिक्य का नियमन अपेक्षित है।
- राजस्व प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 24,474.76 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से ₹ 16,334.82 लाख का अभ्यर्पण अपर्याप्त सिद्ध हुआ।
- पूंजीगत प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 847.45 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से फरवरी 2022 में प्राप्त ₹ 2,051.87 लाख का अनुपूरक अनुदान अपर्याप्त सिद्ध हुआ।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-7- (क्रमशः)

राजस्व प्रवर्ग

(v) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
-------	------------	--------------------------------	-----------------------

2055- पुलिस-

003- शिक्षा तथा प्रशिक्षण-

01- पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र-

मूल 2,015.16

1,776.74

1,741.19

(-)35.55

पुनर्वि० (-)238.42

₹ 35.55 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 238.42 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जोकि नये वाहनों की खरीद, टेलीफोन, पानी, बिजली के बिलों और स्ट्रीट लाईटों पर अधिक व्यय के कारण आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 35.55 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

101- आपराधिक अन्वेषण और सतर्कता-

01- अपराध अन्वेषण-

मूल 5,528.10

पूरक 0.01

5,025.29

4,814.33

(-)210.96

पुनर्वि० (-)502.82

₹ 210.96 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 502.82 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जोकि नये वाहनों की खरीद, तेल, पेट्रोल व स्नेहकों की दरों में वृद्धि तथा वाहनों की मरम्मत पर अधिक व्यय के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसन्तुलित हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 210.96 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

02- राष्ट्रीय आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली-

मूल 91.42

70.48

70.45

(-)0.03

पुनर्वि० (-)20.94

मार्च 2022 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 20.94 लाख की कमी बाह्य सेवाओं पर कम व्यय के कारण हुई।

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

मूल 0.02

37.54

..

(-)37.54

पुनर्वि० 37.52

₹ 37.54 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहने की दृष्टि से मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 37.52 लाख का आवर्धन कार्यालय मदों पर तथा योजना के कार्यान्वयन पर अधिक व्यय के कारण हुआ जोकि अवास्तविक सिद्ध हुआ।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-7- (क्रमशः)

₹ 37.54 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

108- राज्य मुख्यालय पुलिस-

01- राज्य रिजर्व पुलिस-

मूल 9,405.12

10,229.42

8,528.76

(-)1,700.66

पुनर्वि० 824.30

₹ 1,700.66 लाख की सारभूत अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 824.30 लाख का आवर्धन शस्त्र एवं गोला बारूद की खरीद, पुलिस कर्मियों की पदोन्नति, वार्षिक वेतन वृद्धि, बिजली, टेलीफोन और पानी के बिलों पर अधिक व्यय के कारण हुआ जोकि अनावश्यक सिद्ध हुआ।

₹ 1,700.66 लाख की सारभूत अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

02- अन्य सरकारी संस्थाओं के लिए पुलिस-

मूल 3,743.72

3,078.20

3,051.69

(-)26.51

पुनर्वि० (-)665.52

₹ 26.51 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 665.52 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 26.51 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

05- भारतीय रिजर्व वाहिनी-

मूल 31,612.19

29,623.95

25,246.66

(-)4,377.29

पुनर्वि० (-)1,988.24

₹ 4,377.29 लाख की सारभूत अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,988.24 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने तथा दैनिक वेतन भोगियों के नियमितिकरण के कारण हुई जोकि यात्रा, बिजली, टेलीफोन, पानी के बिलों तथा नये वाहनों की खरीद पर अधिक व्यय के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसन्तुलित हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 4,377.29 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

109- जिला पुलिस-

01- जिला कार्यकारिणी फोर्स-

मूल 71,131.43

पूरक 0.01

57,762.97

57,635.06

(-)127.91

पुनर्वि० (-)13,368.47

₹ 127.91 लाख की सारभूत अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 13,368.47 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति के कारण हुई जोकि नये वाहनों की खरीद, पेट्रोल, तेल, स्नेहकों, वाहनों की मरम्मत तथा वर्दी की खरीद पर अधिक व्यय के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसन्तुलित हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-7- (क्रमशः)

₹ 127.91 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

02- पंचायत चौकीदारों/गृह रक्षकों पर व्यय
(समन सेवाओं हेतु)-

मूल 379.50

346.57

343.11

(-)3.46

पुनर्वि० (-)32.93

मार्च 2022 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 32.93 लाख की कमी होम गार्ड तथा पंचायत चौकीदारों को वारंट/समन के लिए कम नियुक्ति के कारण हुई।

03- पुलिस के साथ कानून व्यवस्था हेतु
तैनात गृह रक्षकों पर व्यय-

मूल 6,947.08

7,172.08

5,983.60

(-)1,188.48

पुनर्वि० 225.00

₹ 1,188.48 लाख की सारभूत अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 225.00 लाख का आवर्धन को पुलिस के साथ कानून व्यवस्था बनाने के लिए गृह रक्षक की नियुक्ति तथा यात्रा पर अधिक व्यय के कारण हुआ जोकि अनावश्यक सिद्ध हुई।

₹ 1,188.48 लाख की सारभूत अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

111- रेलवे पुलिस-

01- अपराध पुलिस-

मूल 510.24

419.30

419.29

(-)0.01

पुनर्वि० (-)90.94

मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 90.94 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

03- आदेश पुलिस-

मूल 268.38

242.51

241.65

(-)0.86

पुनर्वि० (-)25.87

मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 25.87 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जोकि टेलीफोन, पानी, बिजली के बिलों और नये वाहनों की खरीद के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।

114- बेतार तथा कम्प्यूटर-

01- पुलिस रेडियो कर्मचारी वर्ग-

मूल 2,744.44

2,318.73

2,250.26

(-)68.47

पुनर्वि० (-)425.71

₹ 68.47 लाख की सारभूत अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 425.71 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने से हुई जोकि टेलीफोन, पानी तथा

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-7- (क्रमशः)

बिजली के बिलों पर अधिक व्यय के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसन्तुलित हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 68.47 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

115- पुलिस बल का आधुनिकीकरण-

01- जिला कार्यकरिणी फोर्स

मूल 3.00

पूरक 0.01

1.65

..

(-)1.65

पुनर्वि० (-)1.36

₹ 1.65 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहने की दृष्टि से मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1.36 लाख की कमी संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 1.65 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

02- सुरक्षा सम्बन्धी व्यय-

मूल 75.00

49.00

49.00

..

पुनर्वि० (-)26.00

मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 26.00 लाख की कमी मानदेय पर कम व्यय के कारण हुई।

116- न्यायालिक विज्ञान-

01- निदेशालय फौरंसिक सेवाएं-

मूल 872.00

745.42

740.96

(-)4.46

पुनर्वि० (-)126.58

मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 126.58 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

2056- जेल-

001- निदेशन तथा प्रशासन-

01- मुख्यालय कर्मचारी वर्ग-

मूल 249.99

214.71

195.99

(-)18.72

पुनर्वि० (-)35.28

मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 35.28 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जोकि वाहनों की खरीद पर हुए आधिक व्यय के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसन्तुलित हुई।

101- जेल-

01- जेलों की स्थापना-

मूल 3,443.10

3,520.48

3,187.59

(-)332.89

पुनर्वि० 77.38

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-7- (क्रमशः)

₹ 332.89 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 77.38 लाख का आवर्धन दवाई की अधिक खरीद, एक्स-रे मशीन की स्थापना और कैदियों के चिकित्सा जाँच पर अधिक व्यय के कारण हुआ जोकि होम गार्ड की कम नियुक्ति तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति के कारण हुई बचत से अंशतः प्रतिसन्तुलित हुआ जोकि अनावश्यक सिद्ध हुआ।

₹ 332.89 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

02- जेलों के प्रशासन का आधुनिकीकरण-

मूल	264.79			
		200.01	217.49	(+)17.48
पुनर्वि०	(-)64.78			

₹ 17.48 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 64.78 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जोकि अत्याधिक सिद्ध हुई।

₹ 17.48 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

2059- लोक निर्माण कार्य-

01- कार्यालय भवन-

053- रख रखाव एवं मरम्मत-

21- गृह विभाग के भवनों के रख रखाव पर व्यय-

मूल	6.76	6.76	4.82	(-)1.94
-----	------	------	------	---------

₹ 1.94 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

2062- सतर्कता-

104- राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों के सतर्कता आयोग-

01- राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो-

मूल	3,385.99			
		2,907.94	2,805.08	(-)102.86
पुनर्वि०	(-)478.05			

₹ 102.86 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 478.05 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, दैनिक वेतन भोगियों के नियमितीकरण तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति के कारण हुई जोकि वाहनों की खरीद तथा बाह्य स्रोतों पर अधिक व्यय के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 102.86 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

2070- अन्य प्रशासनिक सेवाएं-

107- गृह रक्षक-

02- जिला कर्मचारी वर्ग-

मूल	3,885.42			
पूरक	0.01	3,327.84	3,066.10	(-)261.74
पुनर्वि०	(-)557.59			

₹ 261.74 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 557.59 लाख की कमी दैनिक वेतन भोगियों के नियमितीकरण, रिक्त पदों को न

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-7- (क्रमशः)

भरने तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।
₹ 261.74 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

03- प्रशिक्षण केन्द्र-				
मूल	374.91			
		342.51	275.42	(-)67.09
पुनर्वि०	(-)32.40			

₹ 67.09 लाख की सारभूत अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 32.40 लाख की कमी दैनिक वेतन भोगियों के नियमितीकरण और रिक्त पदों को न भरने कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 67.09 लाख की सारभूत अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

(vi) उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-				
शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+)	बचत (-)
		(₹ लाखों में)		

2055- पुलिस-

001- निदेशन और प्रशासन-

01- निदेशालय-

मूल	1,922.67			
		2,172.13	2,156.31	(-)15.82
पुनर्वि०	249.46			

मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 249.46 लाख का आवर्धन नये वाहनों की खरीद, टेलीफोन, पानी, बिजली के बिलों तथा व्यवसायिक सेवाओं पर अधिक व्यय के कारण हुआ जोकि रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई बचत से अंशतः प्रतिसंतुलित हुआ।

115- पुलिस बल का आधुनिकीकरण-

01- जिला कार्यकारिणी बल-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

मूल	27.00			
पूरक	0.01	14.87	44.45	(+)29.58
पुनर्वि०	(-)12.14			

मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 12.14 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण हुई जोकि नये वाहनों की खरीद पर आधिक व्यय के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई। जबकि ₹ 400.00 लाख का अनुदान भारत सरकार से प्राप्त हुआ था।

₹ 29.58 लाख का समस्त व्यय वित्त वर्ष 2019-20 के लिए आपत्ति पुस्तिका के उच्चतम के समायोजन के कारण हुआ।

03- अपराध और मुजरिम ट्रैकिंग नेटवर्क

सिस्टम पर व्यय-

पूरक	0.01			
		374.06	372.44	(-)1.62
पुनर्वि०	374.05			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-7- (क्रमशः)

मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 374.05 लाख का आवर्धन अपराध और अपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम डेटा सेंटर को भुगतान के कारण हुआ।

116- न्यायालिक विज्ञान-

02- महिलाओं और बच्चों पर होने वाले साइबर अपराध की रोकथाम-

पूरक	0.02			
		9.04	7.80	(-)1.24
पुनर्वि०	9.02			

₹ 1.24 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 9.02 लाख का आवर्धन बाह्य सेवाओं और विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजनों पर अधिक व्यय के कारण हुआ जोकि अत्याधिक सिद्ध हुआ।

₹ 1.24 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

03- फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला का सुदृढीकरण-

पूरक	0.02			
		100.94	98.25	(-)2.69
पुनर्वि०	100.92			

₹ 2.69 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 100.92 लाख का आवर्धन फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला के सुदृढीकरण, उपभोग्य वस्तुओं तथा बाह्य सेवाओं पर अधिक व्यय के कारण हुआ जोकि अत्याधिक सिद्ध हुआ।

₹ 2.69 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

2059- लोक निर्माण कार्य-

01- कार्यालय भवन-

053- रखरखाव और मरम्मत-

20- जेल विभाग के भवनों के रख रखाव पर व्यय-

(i) मूल	59.08			
		79.08	79.08	..
पुनर्वि०	20.00			

62- सतर्कता विभाग एवं भ्रष्टाचार निरोधी ब्यूरो के भवनों का रखरखाव-

(ii) मूल	5.06			
		10.06	10.06	..
पुनर्वि०	5.00			

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 25.00 लाख का आवर्धन भवनों की मरम्मत पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

2070- अन्य प्रशासनिक सेवाएं-

108- अग्नि से संरक्षण तथा नियंत्रण-

02- जिला कर्मचारी वर्ग-

मूल	4,660.79			
पूरक	0.01	5,121.96	5,536.42	(+)414.46
पुनर्वि०	461.16			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-7- (क्रमशः)

मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 461.16 लाख का आवर्धन वाहनों की खरीद पर अधिक व्यय करने के कारण हुआ।

₹ 5,536.42 लाख में से ₹ 701.80 लाख का प्रावधान वित्त वर्ष 2020-21 के आपत्ति पुस्तिका के उच्चंत के समायोजना के कारण हुआ।

2216- आवास-

06- पुलिस आवास-

053- मरम्मत एवं रख-रखाव-

02- राज्य फोरेंसिक प्रयोगशाला के

आवासीय भवनों की मरम्मत-

मूल 0.01

4.89

4.88

(-)0.01

पुनर्वि० 4.88

मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 4.88 लाख का आवर्धन भवनों के रख-रखाव पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

पूंजीगत प्रवर्ग

(vii) दत्तमत प्रावधान में आधिक्य मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
-------	------------	--------------------------------	-----------------------

4055- पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय-

211- पुलिस आवास-

03- पुलिस बलों का आधुनिकीकरण-

(i) मूल 3,234.00

3,390.61

3,752.38

(+)361.77

पूरक 156.61

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

(ii) मूल 677.00

2,043.18

2,517.09

(+)473.91

पूरक 1,366.18

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 4,269.47 लाख के कुल व्यय में से ₹ 835.68 लाख का व्यय वर्ष 2019-20 की आपत्ति पुस्तिका के उच्चंत के समायोजन के कारण हुआ। जबकि क्रम संख्या (i) पर ₹ 400.00 लाख का अनुदान भारत सरकार से प्राप्त हुआ था

4216- आवास पर पूंजीगत परिव्यय-

01- सरकारी रिहायशी भवन-

106- साधारण पूल आवास-

18- राज्य फोरेंसिक आयुर्विज्ञान प्रयोगशालाओं के आवासीय भवनों का निर्माण-

मूल 200.00

402.38

402.38

..

पुनर्वि० 202.38

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-7- (समाप्त)

मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 202.38 लाख का आवर्धन आवासीय भवनों के निर्माण के कारण हुआ।

(viii) उपरोक्त आधिक्य मुख्यतः निम्नवत् शीर्ष के अन्तर्गत हुई बचत से अंशतः प्रतिसंतुलित हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
			(₹ लाखों में)

4055- पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय-

211- पुलिस आवास-

05- राज्य फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं
का निर्माण-

मूल 650.00

447.62

447.62

..

पुनर्वि० (-)202.38

मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 202.38 लाख की कमी प्रयोगशाला के निर्माण पर कम व्यय के कारण हुई।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-8 शिक्षा

(शीर्ष- 2059- लोक निर्माण-कार्य, 2202-सामान्य शिक्षा, 2205-कला एवं संस्कृति, 4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय तथा 6202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति के लिए ऋण)

		कुल अनुदान/ विनियोजन	वास्तविक व्यय (₹ हजारों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
राजस्व प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	70,87,45,31			
		70,87,45,40	59,91,02,27	(-)10,96,43,13
पूरक	9			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)				7,17,67,35
प्रभारित				
मूल	..			
		10,37	10,37	..
पूरक	10,37			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..
पूंजीगत प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	91,38,01			
		2,24,68,98	2,39,72,59	(+)15,03,61
पूरक	1,33,30,97			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..
प्रभारित				
मूल	..			
		12,56	12,56	..
पूरक	12,56			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..

टिप्पणियां तथा अभ्युक्तियां

- (i) पूंजीगत प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 15,03,61,271 के आधिक्य का नियमन अपेक्षित है।
- (ii) राजस्व प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 1,09,643.13 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से ₹ 71,767.35 लाख का अभ्यर्पण अपर्याप्त सिद्ध हुआ।
- (iii) पूंजीगत प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 1,503.61 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से फरवरी 2022 में प्राप्त ₹ 13,330.97 लाख का अनुपूरक अनुदान अपर्याप्त सिद्ध हुआ।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-8 (क्रमशः)

राजस्व प्रवर्ग

(iv) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
2059- लोक निर्माण काय-			
01- कार्यालय भवन-			
053- रख-रखाव तथा मरम्मत-			
70- प्राथमिक पाठशालाओं के भवनों का रख-रखाव-			
मूल	1,498.35		
	1,497.46	1,437.05	(-)60.41
पुनर्वि०	(-)0.89		
₹ 60.41 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।			
2202- सामान्य शिक्षा-			
01- प्रारम्भिक शिक्षा-			
001- निदेशन तथा प्रशासन-			
01- निदेशालय-			
मूल	2,622.49		
	1,775.15	1,425.17	(-)349.98
पुनर्वि०	(-)847.34		
₹ 349.98 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 847.34 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, स्कूलों में प्रतियोगिताएं आयोजित न करने, टेलीफोन, पानी, बिजली बिलों तथा कार्यालय मदों की खरीद पर कम व्यय के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।			
₹ 349.98 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।			
101- राजकीय प्राथमिक विद्यालय-			
01- शिक्षा पर व्यय-			
मूल	1,76,131.44		
	1,37,393.54	1,37,213.35	(-)180.19
पुनर्वि०	(-)38,737.90		
₹ 180.19 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 38,737.90 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, दैनिक वेतन भोगियों की कम नियुक्ति, चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति, यात्रा, टेलीफोन, पानी तथा बिजली बिलों पर कम व्यय के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।			
₹ 180.19 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।			
03- माध्यमिक स्कूल-			
मूल	1,42,180.39		
	1,23,334.40	1,22,900.66	(-)433.74
पुनर्वि०	(-)18,845.99		

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-8 (क्रमशः)

₹ 433.74 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 18,845.99 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, बोर्ड परीक्षाओं पर कम व्यय, छात्रों के कम नामांकन, चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति, टेलीफोन, पानी तथा बिजली बिलों पर कम व्यय के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 433.74 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

11- उर्दू तथा पंजाबी अध्यापकों पर व्यय-

मूल	70.00			
		22.78	22.65	(-)0.13
पुनर्वि०	(-)47.22			

मार्च 2022 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 47.22 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

12- अटल वर्दी योजना-

मूल	2,230.00			
		1,869.00	1,807.00	(-)62.00
पुनर्वि०	(-)361.00			

₹ 62.00 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2022 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 361.00 लाख की कमी योजना के अन्तर्गत कम व्यय के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 62.00 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

14- स्वस्थ बचपन-

मूल	220.00			
	
पुनर्वि०	(-)220.00			

मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा ₹ 220.00 लाख का समस्त प्रावधान कोविड-19 के कारण योजना को कार्यन्वित न करने के कारण कम कर दिया गया।

16- डिजिटल शिक्षा-

मूल	1.00			
	
पुनर्वि०	(-)1.00			

मार्च 2022 में ₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण अभ्यर्पण द्वारा कम कर दिया गया।

102- गैर सरकारी प्राथमिक विद्यालयों को सहायता-

03- निजी पाठशालाओं में कमजोर वर्ग के छात्रों की फीस की प्रतिपूर्ति-

मूल	61.00			
		13.81	13.81	..
पुनर्वि०	(-)47.19			

मार्च 2022 में ₹ 47.19 लाख का प्रावधान अभ्यर्पण द्वारा कम कर दिया गया; जिसके कारण सूचित नहीं किए गए (जुलाई 2022)।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-8 (क्रमशः)

104-	निरीक्षण-				
01-	जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी-				
	मूल	2,164.74			
			1,742.71	1,734.22	(-)8.49
	पुनर्वि०	(-)422.03			
	मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 422.03 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, पानी, टेलीफोन तथा बिजली के बिलों पर कम व्यय तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति के कारण हुई।				
02-	खण्ड प्राथमिक शिक्षा अधिकारी-				
	मूल	7,044.21			
			5,858.06	5,840.01	(-)18.05
	पुनर्वि०	(-)1,186.15			
	मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,186.15 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, यात्रा पर कम व्यय तथा संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण हुई जोकि बाह्य स्रोत सेवाओं पर अधिक व्यय करने के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।				
107-	अध्यापक प्रशिक्षण-				
04-	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों पर व्यय-				
	मूल	2,463.83			
			1,974.64	1,971.26	(-)3.38
	पुनर्वि०	(-)489.19			
	मार्च 2022 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 489.19 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।				
109-	छात्रवृत्तियां तथा प्रात्साहन-				
03-	टॉप 100 छात्रवृत्ति योजना-				
	मूल	200.00			
			70.00	70.00	..
	पुनर्वि०	(-)130.00			
	मार्च 2022 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 130.00 लाख की कमी छात्रों के कम नामांकन के कारण हुई।				
111-	सर्व शिक्षा अभियान-				
04-	समग्र शिक्षा अभियान-				
(i)	मूल	2,890.00			
			2,356.82	2,356.82	..
	पुनर्वि०	(-)533.18			
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(ii)	मूल	26,041.00			
			21,211.25	21,211.24	(-)0.01
	पुनर्वि०	(-)4,829.75			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-8 (क्रमशः)

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2022 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 5,362.93 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति के कारण हुई और इसीलिए राज्य का हिस्सा भी कम कर दिया गया।

800-	अन्य व्यय-				
01-	उपाहार माध्याह्न भोजन-				
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
	मूल	6,338.00			
			6,037.49	4,859.03	(-)1,178.46

पुनर्वि० (-)300.51

₹ 1,178.46 लाख की सारभूत अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2022 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 300.51 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई। जबकि ₹ 4,217.14 लाख का अनुदान भारत सरकार से प्राप्त हुआ था।

₹ 1,178.46 लाख की सारभूत अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

05-	प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत अभिभावक				
	शिक्षक संघ को सहायता अनुदान-				
	मूल	500.00			
			417.72	411.85	(-)5.87
	पुनर्वि०	(-)82.28			

मार्च 2022 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 82.28 लाख की कमी योजना के अन्तर्गत अध्यापकों के नियमितीकरण के कारण हुई।

06-	स्कूल प्रबंधन समिति को सहायता अनुदान-				
	मूल	1,627.00			
			1,626.88	1,560.20	(-)66.68
	पुनर्वि०	(-)0.12			

₹ 66.68 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

02-	माध्यमिक शिक्षा-				
001-	निदेशन तथा प्रशासन-				
01-	निदेशालय-				
	मूल	2,262.53			
			2,082.53	1,831.10	(-)251.43
	पुनर्वि०	(-)180.00			

₹ 251.43 लाख की अंतिम सारभूत बचत की दृष्टि से मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 180.00 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 251.43 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

101-	निरीक्षण-				
------	-----------	--	--	--	--

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-8 (क्रमशः)

01-	निरीक्षणालय-				
	मूल	2,093.13			
			2,023.63	1,799.38	(-)224.25
	पुनर्वि०	(-)69.50			
	₹ 224.25 लाख की अंतिम सारभूत बचत की दृष्टि से मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 69.50 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जोकि पेट्रोल, तेल व स्नेहकों पर अधिक व्यय के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसन्तुलित हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।				
	₹ 224.25 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।				
109-	राजकीय माध्यमिक विद्यालय-				
01-	उच्चतर पाठशालाएं-				
	मूल	2,48,666.88			
			2,38,778.37	2,18,329.07	(-)20,449.30
	पुनर्वि०	(-)9,888.51			
	₹ 20,449.30 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 9,888.51 लाख की कमी स्कूल तथा छात्रों से मांग की कम प्राप्ति के कारण हुई जोकि बाह्य स्रोत सेवाओं पर अधिक व्यय, चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की अधिक प्राप्ति, नगरपालिका के कर तथा किराये के भवनों पर अधिक व्यय के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसन्तुलित हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।				
	₹ 20,449.30 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।				
24-	प्रचलित सूचना एवं संचार तकनीकी प्रयागशालाओं और अन्य प्रयोगशाला सुविधाओं का उन्नयन/रख-रखाव-				
(i)	मूल	3,291.00	3,291.00	81.05	(-)3,209.95
27-	मेधा प्रोत्साहन योजना-				
(ii)	मूल	329.00	329.00	197.38	(-)131.62
29-	समग्र शिक्षा अभियान-				
(iii)	मूल	1,362.00	1,362.00	1,006.58	(-)355.42
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(iv)	मूल	12,258.00	12,258.00	9,059.09	(-)3,198.91
	उपरोक्त चार मामलों में ₹ 6,895.90 लाख की सारभूत अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)। जबकि क्रम संख्या (iv) पर भारत सरकार से ₹ 23,583.90 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ।				
30-	खेल से स्वास्थ्य योजना-				
	मूल	132.00	132.00	..	(-)132.00
	₹ 132.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।				
32-	उत्कृष्ट विद्यालय योजना-				
(i)	मूल	1,974.00	1,974.00	1,953.87	(-)20.13

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-8 (क्रमशः)

33-	मुख्य मंत्री डिजीटल डिवाइस योजना-				
(ii)	मूल	1,645.00	1,645.00	190.00	(-)1,455.00
800-	अन्य व्यय-				
01-	उच्चतर शिक्षा के अन्तर्गत अभिभावक/ शिक्षक संघ को सहायता अनुदान-				
(iii)	मूल	40.00	40.00	28.63	(-)11.37
	उपरोक्त तीन मामलों में ₹ 1,486.50 लाख की सारभूत अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।				
02-	निजी संस्थानों के निरीक्षण पर व्यय-				
	मूल	50.00			
			10.00	1.36	(-)8.64
	पुनर्वि०	(-)40.00			
	मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 40.00 लाख की कमी विशेष जांच दल के बंद होने के कारण कम व्यय होने के कारण हुई।				
03-	विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा-				
103-	राजकीय कॉलेज तथा संस्थान-				
01-	राजकीय महाविद्यालय-				
	मूल	35,849.23			
			34,215.72	30,063.82	(-)4,151.90
	पुनर्वि०	(-)1,633.51			
	₹ 4,151.90 लाख की सारभूत अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,633.51 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, मशीनरी तथा उपकरण, विद्युत बिल, पानी, टेलीफोन तथा कार्यालय वस्तुओं की खरीद पर कम व्यय तथा विश्वविद्यालयों से मांग की कम प्राप्ति के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।				
	₹ 4,151.90 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।				
02-	प्रशिक्षण महाविद्यालय-				
	मूल	324.32			
			287.97	256.33	(-)31.64
	पुनर्वि०	(-)36.35			
	₹ 31.64 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 36.35 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।				
	₹ 31.64 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।				
07-	राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान(रूसा)- केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
	मूल	1,244.00	1,244.00	1,212.15	(-)31.85
	₹ 31.85 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)। जबकि भारत सरकार से ₹ 1,212.15 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ।				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-8 (क्रमशः)

09-	खेल से स्वास्थ्य योजना-				
	मूल	33.00	33.00	..	(-)33.00
	₹ 33.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।				
11-	बैचलर ऑफ वोकेशनल प्रोग्राम-				
	मूल	1.00			
	पुनर्वि०	(-)1.00			
	मार्च 2022 में ₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान संहितागत औपचारिकताओं के पूरा न होने के कारण अभ्यर्पण द्वारा कम कर दिया गया।				
104-	गैर सरकारी कॉलेजों तथा संस्थानों को सहायता-				
01-	निजी महाविद्यालयों को सहायता-				
	मूल	1,850.00	1,850.00	1,509.87	(-)340.13
	₹ 340.13 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।				
04-	प्रौढ़ शिक्षा-				
103-	ग्रामीण कार्यात्मक साक्षरता कार्यक्रम-				
05-	साक्षर भारत योजनाएं-				
(i)	मूल	1.00			
	पुनर्वि०	(-)1.00			
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(ii)	मूल	1.00			
	पुनर्वि०	(-)1.00			
	उपरोक्त दो मामलों में ₹ 2.00 लाख का समस्त प्रावधान मार्च 2022 में भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण अभ्यर्पण द्वारा कम कर दिया गया और इसलिए राज्य का हिस्सा भी अप्रयुक्त रहा।				
200-	अन्य प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम-				
03-	पढ़ना लिखना अभियान-				
(i)	मूल	26.00			
	पुनर्वि०	(-)26.00			
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(ii)	मूल	237.00			
	पुनर्वि०	(-)237.00			
	उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2022 में ₹ 263.00 लाख का समस्त प्रावधान संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण अभ्यर्पण द्वारा कम कर दिया गया।				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-8 (क्रमशः)

05- भाषा विकास-				
103- संस्कृत शिक्षा-				
01- संस्कृत पाठशालाओं का आधुनिकीकरण-				
मूल	643.96			
		609.22	542.28	(-)66.94
पुनर्वि०	(-)34.74			

₹ 66.94 लाख की अंतिम सारभूत बचत की दृष्टि से मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 34.74 लाख की कमी गत वर्ष की अप्रयुक्त निधियों की देयता को पूरा करने तथा रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 66.94 लाख की अंतिम सारभूत बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

80- सामान्य-				
107- छात्रवृत्तियां-				
07- अस्वच्छ व्यवसाय में लगे लोगों के बच्चों को छात्रवृत्ति पर व्यय- केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
मूल	1.00			
	
पुनर्वि०	(-)1.00			

मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा ₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया। जबकि ₹ 209.08 लाख का अनुदान भारत सरकार से प्राप्त हुआ था।

08- अन्य पिछड़े वर्ग के छात्रों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना-				
मूल	500.00	500.00	..	(-)500.00

₹ 500.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)। यद्यपि भारत सरकार से ₹ 209.08 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ था।

09- अन्य पिछड़े वर्ग के छात्रों को पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना- केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
मूल	331.00			
	
पुनर्वि०	(-)331.00			

मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 331.00 लाख का समस्त प्रावधान फंडिंग पद्धति को 50:50 में बदलने के कारण कम कर दिया गया।

20- आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य श्रेणी के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति- केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
मूल	245.00	245.00	..	(-)245.00

₹ 245.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-8 (क्रमशः)

22-	स्वर्ण जयंती सुपर 100 योजना-				
(i)	मूल	72.00	72.00	46.07	(-)25.93
800-	अन्य व्यय-				
01-	राष्ट्रीय कैडेट कोर सामान्य स्थापना-				
(ii)	मूल	577.48			
	पुनर्वि०	(-)13.11	5,64.37	503.07	(-)61.30
02-	राष्ट्रीय कैडेट कोर वार्षिक शिविर-				
(iii)	मूल	70.01			
	पुनर्वि०	(-)7.66	62.35	37.99	(-)24.36
17-	राज्य शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, सोलन-				
(iv)	मूल	353.71			
	पुनर्वि०	(-)15.00	338.71	286.99	(-)51.72

उपरोक्त चार मामलों में ₹ 163.31 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

2205- कला एवं संस्कृति-

105-	सार्वजनिक पुस्तकालय-				
01-	राज्य एवं जिला पुस्तकालय-				
	मूल	595.34			
	पुनर्वि०	(-)24.95	570.39	455.44	(-)114.95

₹ 114.95 लाख की सारभूत अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2022 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 24.95 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 114.95 लाख की सारभूत अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

(v) उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्ष के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
-------	------------	--------------------------------	-----------------------

2202- सामान्य शिक्षा-

01-	प्रारंभिक शिक्षा-				
113-	समग्र शिक्षा-				
01-	राज्य को पढ़ाई लिखाई और परिणाम का सशक्तिकरण (स्टार प्रोजेक्ट)				
(i)	मूल	1.00			
	पूरक	0.01	552.19	369.49	(-)182.70
	पुनर्वि०	551.18			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-8 (क्रमशः)

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

(ii) मूल	1.00			
पूरक	0.01	4,969.76	3,325.36	(-)1,644.40
पुनर्वि०	4,968.75			

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 1,827.10 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2022 पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 5,519.93 लाख का आवर्धन भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ तथा राज्य सरकार का समतुल्य भाग भी जारी कर दिया गया जोकि अत्याधिक सिद्ध हुआ। जबकि ₹ 2,645.39 लाख का अनुदान क्रम संख्या (ii) पर भारत सरकार से प्राप्त हुआ था।

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 1,827.10 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

800- अन्य व्यय

01- उपाहारमाध्याहन भोजन

मूल	1,847.00			
पूरक	0.02	3,264.98	3,132.32	(-)132.66
पुनर्वि०	1,417.96			

₹ 132.66 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,417.96 लाख का आवर्धन उपकरणों की खरीद पर अधिक व्यय के कारण हुआ जोकि अत्याधिक सिद्ध हुआ।

₹ 132.66 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

02- माध्यमिक शिक्षा-

109- राजकीय माध्यमिक विद्यालय-

15- श्रीनिवास रामानुजन छात्र डिजिटल योजना-

..	..	1,684.09	(+)1,684.09
----	----	----------	-------------

₹ 1,684.09 लाख का समस्त व्यय वित्त वर्ष 2019-20 की आपत्ति पुस्तिका के उचंत के समायोजन के कारण हुआ।

20- स्कूल प्रबंधन समिति को सहायता अनुदान-

मूल	1,050.00			
		1,230.00	1,165.07	(-)64.93
पुनर्वि०	180.00			

₹ 64.93 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 180.00 लाख का आवर्धन योजना के अन्तर्गत सहायता अनुदान के अधिक भुगतान के कारण हुआ जोकि अत्याधिक सिद्ध हुआ।

₹ 64.93 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

80- सामान्य-

107- छात्रवृत्तियां-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-8 (समाप्त)

09-	अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों को प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति- मूल	1.00			
			413.00	413.00	..
	पुनर्वि०	412.00			
	मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 412.00 लाख का आवर्धन छात्रों से दावों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ।				
18-	कल्पना चावला छात्रवृत्ति योजना-				
(i)	मूल	247.00			
			464.00	464.00	..
	पुनर्वि०	217.00			
19-	मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना-				
(ii)	मूल	55.00			
			147.75	147.75	..
	पुनर्वि०	92.75			
	उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 309.75 लाख का आवर्धन छात्रवृत्ति के लिए अधिक पात्रता के कारण हुआ।				

पूँजीगत प्रवर्ग

(vi)	दत्तमत अनुदान में आधिक्य मुख्यतः से निम्नवत् शीर्ष के अंतर्गत हुआ:-			
	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
4202-	शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय-			
	01- सामान्य शिक्षा-			
203-	विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा-			
	01- भवन-			
	मूल	4,249.00		
			10,898.86	12,473.86
				(+)1,575.00
	पूरक	6,649.86		
	₹ 1,575.00 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।			
(vii)	उपरोक्त आधिक्य मुख्यतः निम्नवत् शीर्ष के अन्तर्गत हुई बचत से अंशतः प्रतिसंतुलित हुआ:-			
	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
4202-	शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय-			
	01- सामान्य शिक्षा-			
201-	प्राथमिक शिक्षा-			
	01- भवन-			
	मूल	1,250.00	1,250.00	1,178.61
				(-)71.39
	₹ 71.39 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।			

विनियोग लेखे

अनुदान संख्या-9- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण

(शीर्ष- 2059-लोक निर्माण-कार्य, 2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 2211-परिवार कल्याण, 2216-आवास, 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण तथा 4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय)

		कुल अनुदान/ विनियोजन	वास्तविक व्यय (₹ हजारों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
राजस्व प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	24,15,88,60			
		25,00,13,12	22,56,27,85	(-)2,43,85,27
पूरक	84,24,52			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..
प्रभारित				
मूल	..			
		6,79,10	6,79,10	..
पूरक	6,79,10			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..
पूंजीगत प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	92,66,00			
		2,11,11,00	2,29,35,51	(+)18,24,51
पूरक	1,18,45,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..

टिप्पणियां तथा अभ्युक्तियां

- (i) पूंजीगत प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 18,24,51,519 के आधिक्य का नियमन अपेक्षित है।
- (ii) राजस्व प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 24,385.27 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से फरवरी 2022 में प्राप्त ₹ 8,424.52 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ जबकि मूल अनुदान भी सारभूत रूप से अप्रयुक्त रहा और वर्ष के दौरान विभाग द्वारा कोई राशि अभ्यर्पित नहीं की गई जोकि अच्छे बजट और व्यय पर बेहतर नियंत्रण की आवश्यकता की ओर इंगित करता है।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-9 (क्रमशः)

(iii) पूंजीगत प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 1,824.51 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से फरवरी 2022 में प्राप्त ₹ 11,845.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अपर्याप्त सिद्ध हुआ।

राजस्व प्रवर्ग

(iv) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
2059- लोक निर्माण कार्य-			
01- कार्यालय भवन-			
053- रख-रखाव और मरम्मत-			
36- चिकित्सा महाविद्यालय के भवनों का रख-रखाव-			
(i) मूल	918.00	918.00	654.99
			(-)263.01
2210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-			
01- शहरी स्वास्थ्य सेवाएं- पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति-			
001- निदेशन तथा प्रशासन-			
01- निदेशालय-			
(ii) मूल	2,210.02	2,208.07	2,110.50
			(-)97.57
पुनर्वि०	(-)1.95		
02- जिला स्थापना-			
(iii) मूल	1,395.01	1,384.99	1,347.52
			(-)37.47
पुनर्वि०	(-)10.02		
04- निदेशालय दन्त स्वास्थ्य सेवाएं-			
(iv) मूल	144.54	144.45	119.67
			(-)24.78
पुनर्वि०	(-)0.09		
उपरोक्त चार मामलों में ₹ 422.83 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई, 2022)।			
110- अस्पताल तथा औषधालय-			
03- शहरी स्वास्थ्य-			
मूल	28,469.63	29,005.76	23,519.00
			(-)5,486.76
पुनर्वि०	536.13		

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-9 (क्रमशः)

₹ 5,486.76 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 536.13 लाख का आवर्धन मशीनरी तथा उपकरणों की खरीद पर अधिक व्यय के कारण हुआ जोकि दैनिक वेतन भोगियों के नियमितीकरण, रखरखाव कार्यों के कम निष्पादन तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति के कारण हुई बचत से अंशतः प्रतिसंतुलित हुआ जोकि अनावश्यक सिद्ध हुआ।

₹ 5,486.76 लाख की अंतिम सारभूत बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

200- अन्य स्वास्थ्य सेवाएं-

01- दन्त क्लीनिक (शहरी)-

मूल 5,374.47

5,411.80

4,571.98

(-)839.82

पुनर्वि० 37.33

₹ 839.82 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 37.33 लाख का आवर्धन मुख्यतः चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ जोकि अनावश्यक सिद्ध हुआ।

₹ 839.82 लाख की अंतिम सारभूत बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

02- शहरी स्वास्थ्य सेवाएं- अन्य चिकित्सा पद्धतियाँ-

001- निदेशन तथा प्रशासन-

01- निदेशालय-

मूल 520.85

पूरक 0.01

473.60

465.54

(-)8.06

पुनर्वि० (-)47.26

मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 47.26 लाख की मुख्यतः कमी रिक्त पदों को न भरने से हुई जोकि अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने तथा सलाहकार फीस देने के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।

02- जिला स्थापना-

मूल 8,040.52

6,773.52

6,745.93

(-)27.59

पुनर्वि० (-)1,267.00

₹ 27.59 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹1,267.00 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने तथा दैनिक वेतन भोगियों के नियमितीकरण के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 27.59 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

101- आयुर्वेद-

01- आयुर्वेदिक चिकित्सालय-

मूल 1,084.68

985.49

978.24

(-)7.25

पुनर्वि० (-)99.19

मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 99.19 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

61
विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-9 (क्रमशः)

03-	आयुर्वेदिक फार्मसी-				
	मूल	539.81			
			445.99	443.83	(-)2.16
	पुनर्वि०	(-)93.82			
	मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 93.82 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, दैनिक वेतन भोगियों के नियमितीकरण और चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति के कारण हुई।				
03-	ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-पाश्चात्य				
	चिकित्सा पद्धति-				
110-	अस्पताल तथा औषधालय-				
01-	ग्रामीण स्वास्थ्य-				
	मूल	50,376.30			
			49,797.56	35,514.40	(-)14,283.16
	पुनर्वि०	(-)578.74			
	₹ 14,283.16 लाख की सारभूत अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 578.74 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, दैनिक वेतन भोगियों और रोगी कल्याण समीति के कार्यकर्ताओं के नियमितीकरण तथा रखरखाव कार्यों के कम निष्पादन के कारण हुई जोकि बाह्य स्रोत सेवाओं पर अधिक व्यय, पेट्रोल, स्नेहकों तथा वाहनो की मरम्मत पर अधिक व्यय के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।				
	₹ 14,283.16 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।				
04-	ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-				
	चिकित्सा की अन्य पद्धतियां-				
101-	आयुर्वेद-				
02-	आयुर्वेदिक औषधालय-				
	मूल	11,408.87			
			9,558.45	9,533.10	(-)25.35
	पुनर्वि०	(-)1,850.42			
	₹ 25.35 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,850.42 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, दैनिक वेतन भोगियों नियमितीकरण और टेलीफोन, पानी व बिजली के बिलों पर कम व्यय के कारण हुई जोकि कोविड से सम्बन्धित आवश्यक मशीनरी तथा उपकरणों की खरीद तथा बाह्य स्रोत सेवाओं पर अधिक व्यय के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।				
	₹ 25.35 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।				
103-	यूनानी चिकित्सा-				
01-	यूनानी औषधालय-				
	मूल	54.48			
			33.69	33.63	(-)0.06
	पुनर्वि०	(-)20.79			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-9 (क्रमशः)

मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 20.79 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

05- चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-				
101- आयुर्वेद-				
01- आयुर्वेदिक महाविद्यालय-				
मूल	1,600.26			
		1,415.64	1,415.41	(-)0.23
पुनर्वि०	(-)184.62			

मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 184.62 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जोकि छात्रवृत्ति के मामलों ककी अधिक प्रापति के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।

05- राष्ट्रीय आयुष मिशन-				
केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
मूल	503.00			
		436.30	436.30	..
पुनर्वि०	(-)66.70			

मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 66.70 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति के कारण हुई। जबकि भारत सरकार से ₹ 436.30 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ था।

105- पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति-				
01- इन्दिरा गांधी चिकित्सा				
महाविद्यालय, शिमला-				
मूल	22,580.65			
		19,014.13	19,410.24	(+)396.11
पुनर्वि०	(-)3,566.52			

मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 3,566.52 लाख की कमी विभिन्न चिकित्सा तथा पैरा मैडीकल स्टॉफ को अन्य संस्थानों में स्थानान्तरित करने, टेलीफोन, बिजली तथा पानी प्रभारों पर कम व्यय, दैनिक वेतन भोगियों तथा रोगी कल्याण समीति के कर्मचारियों के नियमितीकरण, मशीनरी तथा उपकरणों की खरीद पर कम व्यय करने के कारण हुआ जोकि अस्पताल की स्वच्छता, खाने, सम्बद्धता पंजीकरण, आवेदन निरीक्षण शुल्क, वन भूमि के परिवर्तन तथा बाह्य सेवाओं पर अधिक व्यय के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।

₹ 19,410.24 लाख में से ₹ 490.00 लाख का व्यय वर्ष 2019-20 की आपत्ति पुस्तिका की उंचत के समायोजन के कारण हुआ।

03- विभिन्न विषयों पर स्वास्थ्य प्रशिक्षण-				
(i) मूल	439.36			
		439.35	379.86	(-)59.49
पुनर्वि०	(-)0.01			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-9 (क्रमशः)

04-	दन्त चिकित्सा महाविद्यालय-				
(ii)	मूल	2,231.82			
			2,231.81	2,044.71	(-)187.10
	पुनर्वि०	(-)0.01			
05-	निदेशालय चिकित्सा शिक्षा तथा अनुसंधान-				
(iii)	मूल	181.79			
	पूरक	0.01	190.45	154.54	(-)35.91
	पुनर्वि०	8.65			
06-	डॉ० राजेन्द्र प्रसाद चिकित्सा महाविद्यालय टांडा-				
(iv)	मूल	13,907.31			
			13,910.91	12,436.22	(-)1,474.69
	पुनर्वि०	3.60			
	उपरोक्त चार मामलों में ₹ 1,757.19 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।				
07-	सरकारी मेडिकल कॉलेजों का उन्नयन-				
(i)	मूल	4.00			
		
	पुनर्वि०	(-)4.00			
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(ii)	मूल	4.00			
		
	पुनर्वि०	(-)4.00			
09-	कैंसर देखभाल केन्द्र खोलने के लिए अनुदान-				
(iii)	मूल	3.00			
		
	पुनर्वि०	(-)3.00			
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(iv)	मूल	3.00			
		
	पुनर्वि०	(-)3.00			
	उपरोक्त चार मामलों में मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 14.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया तथा राज्य का हिस्सा भी अप्रयुक्त रहा।				
11-	इंटर-म्यूरल अनुसन्धान निधि-				
	मूल	100.00			
			25.39	8.55	(-)16.84
	पुनर्वि०	(-)74.61			
	मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 74.61 लाख की कमी प्रस्तावों की कम प्राप्ति के कारण था।				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-9 (क्रमशः)

12-	डॉ० यंशवत सिंह परमार राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय नाहन-				
	मूल	5,393.60			
	पूरक	0.01	5,558.14	4,639.89	(-)918.25
	पुनर्वि०	(-)164.53			

₹ 918.25 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 164.53 लाख का आवर्धन प्रशिक्षुओं को छात्रवृत्ति के भुगतान पर अधिक व्यय के कारण हुआ जोकि अनावश्यक सिद्ध हुई।

₹ 918.25 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई, 2022)।

14-	पंडित जवाहर लाल नेहरू राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय चम्बा-				
	मूल	4,500.99			
			4,444.87	3,782.83	(-)662.04
	पुनर्वि०	(-)56.12			

₹ 662.04 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 56.12 लाख की कमी रोगी कल्याण समिति अनुबंधित कर्मचारियों के नियमितीकरण के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 662.04 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

16-	राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थित सरकारी अस्पतालों में ट्रॉमा केयर सुविधाएं विकसित करने के लिए क्षमता विकास-				
(i)	मूल	4.00			
		
	पुनर्वि०	(-)4.00			
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(ii)	मूल	2.00			
		
	पुनर्वि०	(-)2.00			

17-	डॉ० राजेन्द्र प्रसाद राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय टांडा में क्षेत्रीय जराचिकित्सा केन्द्र-				
(iii)	मूल	2.00			
		
	पुनर्वि०	(-)2.00			

उपरोक्त तीन मामलों में मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 8.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया और इसलिए राज्य का हिस्सा भी अप्रयुक्त रहा।

06- लोक स्वास्थ्य-

101- रोगों का निवारण तथा नियंत्रण-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-9 (क्रमशः)

02-	क्षय रोग अस्पताल-				
	मूल	1,037.27			
			1,013.23	823.32	(-)189.91
	पुनर्वि०	(-)24.04			
	₹ 189.91 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 24.04 लाख की कमी टेलीफोन, पानी प्रभासों तथा बिजली बिलों पर कम व्यय के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।				
	₹ 189.91 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।				
05-	मानसिक चिकित्सा एवं पुनर्वास चिकित्सालय-				
	मूल	351.99			
			372.51	326.26	(-)46.25
	पुनर्वि०	20.52			
	₹ 46.25 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 20.52 लाख का आवर्धन बाह्य स्रोत सेवाओं, कार्यालय फर्नीचर, कम्प्यूटर, लेखन सामग्री, खाने तथा धोबी की सेवा पर अधिक व्यय के कारण हुआ जोकि रोगी कल्याण समीति के अनुबंधित कर्मचारियों के नियमितीकरण के कारण हुई बचत से अंशतः प्रतिसंतुलित हुआ जोकि अनावश्यक सिद्ध हुआ।				
	₹ 46.25 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।				
07-	कुष्ठ रोग अस्पताल-				
	मूल	314.80			
			309.77	252.20	(-)57.57
	पुनर्वि०	(-)5.03			
	₹ 57.57 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।				
08-	घेंघा का उपचार-				
	मूल	1.74	1.74	..	(-)1.74
	₹ 1.74 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।				
21-	राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम-				
	मूल	1,080.00	1,080.00	978.22	(-)101.78
	₹ 101.78 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।				
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(i)	मूल	1.00			
		
	पुनर्वि०	(-)1.00			
23-	अभिघात केन्द्रों पर व्यय-				
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(ii)	मूल	1.00			
		
	पुनर्वि०	(-)1.00			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-9 (क्रमशः)

06-	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत बुनियादी ढांचे का रखरखाव-				
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(ii)	मूल	5,003.00	5,003.00	2,579.37	(-)2,423.63
003-	प्रशिक्षण-				
01-	सहायक उपचारिका मिडवाइफ/दाई तथा महिला स्वास्थ्य विजिटर पर्यवेक्षक का प्रशिक्षण इत्यादि-				
(iii)	मूल	145.86			
			145.84	124.85	(-)20.99
	पुनर्वि०	(-)0.02			
101-	ग्रामीण परिवार कल्याण सेवाएं-				
01-	ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार कल्याण केन्द्र-				
(iv)	मूल	9,025.57	9,025.57	7,305.36	(-)1,720.21
102-	शहरी परिवार कल्याण सेवाएं-				
01-	शहरी क्षेत्रों में परिवार कल्याण केन्द्र-				
(v)	मूल	963.01	963.01	650.34	(-)312.67
200-	अन्य सेवाएं तथा पूर्तियाँ-				
02-	इन्दिरा गांधी बालिका सुरक्षा योजना-				
(vi)	मूल	80.00	80.000	40.25	(-)39.75
03-	पंचायतों को उत्कृष्ट महिला जन्म दर अनुपात हेतु अतिरिक्त विकास अनुदान-				
(vii)	मूल	50.00	50.00	35.00	(-)15.00
	उपरोक्त सात मामलों में ₹ 4,620.98 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)। जबकि भारत सरकार से क्रमांक (ii) पर ₹ 5,930.36 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ था।				
05-	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत प्रावधान-				
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
	मूल	28,946.00			
			28,859.00	25,811.00	(-)3,048.00
	पुनर्वि०	(-)87.00			
	₹ 3,048.00 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से प्रावधान में मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 87.00 लाख का आवर्धन भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई। जबकि अनुदान भारत सरकार से ₹ 56,797.00 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ था।				
	₹ 3,048.00 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।				
06-	राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना-				
(i)	मूल	1.00			
		
	पुनर्वि०	(-)1.00			

68
विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-9 (क्रमशः)

08-	राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा-				
(ii)	मूल	1.00			
	पुनर्वि०	(-)1.00			
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(iii)	मूल	2.00			
	पुनर्वि०	(-)2.00			
	उपरोक्त तीन मामलों में मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹4.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया तथा इसलिए राज्य का हिस्सा भी अप्रयुक्त रहा।				
2235-	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-				
60-	अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम-				
200-	अन्य कार्यक्रम-				
10-	स्वतन्त्रता सैनानियों को चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति-				
	मूल	15.79			
	पुनर्वि०	(-)5.67	10.12	3.14	(-)6.98
	₹ 6.98 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 5.67 लाख की कमी चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।				
	₹ 6.98 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।				
(v)	उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-				
	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+)	बचत (-)
					(₹ लाखों में)
2059-	लोक निर्माण कार्य-				
01-	कार्यालय भवन-				
053-	रख-रखाव तथा मरम्मत-				
50-	आयुर्वेद विभाग के भवनों का रखरखाव-				
(i)	मूल	0.01			
	पुनर्वि०	105.99	106.00	105.97	(-)0.03
54-	दंत चिकित्सा विभाग के भवनों का रख-रखाव-				
(ii)	मूल	0.01			
	पुनर्वि०	1.00	1.01	0.86	(-)0.15
	उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 106.99 लाख का आवर्धन रख-रखाव कार्यों के अधिक निष्पादन होने के कारण हुआ।				

69
विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-9 (क्रमशः)

2210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-

01- शहरी स्वास्थ्य सेवाएं पाश्चात्य चिकित्सा-

110- अस्पताल तथा औषधालय-

07- जैव चिकित्सा अपशिष्ट-

मूल 50.35

1,202.51

1,002.31

(-)200.20

पुनर्वि० 1,152.16

₹ 200.20 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,152.16 लाख का आवर्धन असैनिक दुलाई/परिवहन तथा मशीनरी एवं सामग्री की खरीद पर अधिक व्यय के कारण हुआ जोकि अत्याधिक सिद्ध हुआ।

₹ 200.20 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

05- चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण और अनुसंधान-

101- आयुर्वेद-

13- डॉ० राधाकृष्णन राजकीय मैडिकल कॉलेज हमीरपुर-

मूल 5,158.22

5,168.20

5,200.64

(+)32.44

पुनर्वि० 9.98

₹ 32.44 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

15- लाल बहादुर शास्त्री राजकीय चिकित्सा

महाविद्यालय एवं अस्पताल नैर चौक-

मूल 7,373.26

पूरक 0.01

8,017.88

7,761.49

(-)256.39

पुनर्वि० 644.61

₹ 256.39 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 644.61 लाख का आवर्धन बिजली के बिलों पर अधिक व्यय, छात्रों को छात्रवृत्ति का भुगतान तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ जोकि रोगी कल्याण समीति के अनुबंधित कर्मचारियों के नियमितीकरण के कारण हुई बचत से अंशतः प्रतिसन्तुलित हुई जोकि अत्याधिक सिद्ध हुई।

₹ 256.39 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

20- सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक/अस्पताल चम्याणा-

पूरक 0.08

342.18

299.89

(-)42.29

पुनर्वि० 342.10

₹ 42.29 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 342.10 लाख का आवर्धन नवनिर्मित संस्थान में नियुक्त कर्मियों के वेतन के भुगतान, कार्यालय मदों की खरीद तथा बाह्य स्रोत सेवाओं पर अधिक व्यय के कारण हुआ जोकि अत्याधिक सिद्ध हुआ।

₹ 42.29 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

70
विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-9 (क्रमशः)

06-	लोक स्वास्थ्य-				
001-	निदेशन तथा प्रशासन-				
01-	स्वास्थ्य सुरक्षा और विनियम-				
	मूल	175.02			
			223.58	213.51	(-)10.07
	पुनर्वि०	48.56			
	मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन के द्वारा प्रावधान में ₹ 48.56 लाख का आवर्धन बाह्य स्रोत सेवाओं पर अधिक व्यय के कारण हुआ।				
101-	रोगों की रोकथाम और नियंत्रण-				
23-	ट्रॉमा केन्द्रों पर व्यय-				
	मूल	1.00			
			422.08	421.08	(-)1.00
	पुनर्वि०	421.08			
	मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 421.08 लाख का आवर्धन स्तर-III के ट्रॉमा केन्द्र की स्थापना के कारण हुआ।				
104-	औषध नियंत्रण-				
02-	राज्य औषधि नियामक प्रणाली का सुदृढीकरण-				
	पूरक	0.01			
			57.00	57.00	..
	पुनर्वि०	56.99			
	मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 56.99 लाख का आवर्धन भारत सरकार से प्राप्त निधियों के अनुपात में राज्य के भाग को जारी करने के कारण हुआ। जबकि ₹ 1,244.00 लाख का अनुदान भारत सरकार से प्राप्त हुआ था।				
200-	अन्य पद्धतियां-				
09-	सहारा योजना-				
	मूल	2,369.00			
			4,531.00	4,380.91	(-)150.09
	पुनर्वि०	2,162.00			
	₹ 150.09 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2,162.00 लाख का आवर्धन सहायता के मामलों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ जोकि अत्याधिक सिद्ध हुआ।				
	₹ 150.09 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।				
12-	सम्मान योजना-				
	पूरक	0.01			
			100.00	1.52	(-)98.48
	पुनर्वि०	99.99			
	₹ 98.48 लाख की सारभूत अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 99.99 लाख का आवर्धन राज्य में नयी योजना के कार्यान्वयन के कारण हुआ जोकि अत्याधिक सिद्ध हुआ।				
	₹ 98.48 लाख की सारभूत अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-9 (क्रमशः)

2211- परिवार कल्याण-

200- अन्य सेवाएं तथा आपूर्तियां-

05- राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत प्रावधान-

मूल 4,982.00

पूरक 241.46

6,143.01

6,143.01

..

पुनर्वि० 919.55

मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 919.55 लाख का आवर्धन केन्द्रीय हिस्सेदारी के अनुपात में राज्य की हिस्सेदारी जारी करने, जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत दरों में वृद्धि तथा विभिन्न गहन देखभाल ईकाइयों के पूरा होने पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

11- राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

पूरक 0.03

87.00

24.00

(-)63.00

पुनर्वि० 86.97

₹ 63.00 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 86.97 लाख का आवर्धन भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ जोकि अत्याधिक सिद्ध हुआ। जबकि भारत सरकार से ₹ 113.00 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ था।

₹ 63.00 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई, 2022)।

12- भारत कोविड-19 आपातकालीन प्रतिक्रिया और

स्वास्थ्य प्रणाली की तैयारी पैकेज-

पूरक 0.01

842.00

842.00

..

पुनर्वि० 841.99

मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 841.99 लाख का आवर्धन भारत सरकार से प्राप्त निधियों के अनुपात में राज्य के हिस्से को जारी करने के कारण हुआ।

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

पूरक 7,578.00

8,156.08

17,352.00

(+)9,195.92

पुनर्वि० 578.08

₹ 9,195.92 लाख के सारभूत अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 578.00 लाख का आवर्धन भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुआ।

₹ 9,195.92 लाख की सारभूत अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

2216- आवास-

05- साधारण पूल आवास-

053- रखरखाव एवं मरम्मत-

01- अन्य रखरखाव व्यय-

मूल 10.68

180.68

180.68

..

पुनर्वि० 170.00

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-9 (क्रमशः)

मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 170.00 लाख का आवर्धन रखरखाव/मरम्मत कार्य के निष्पादन पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

पूँजीगत प्रवर्ग

(v) दत्तमत अनुदान में आधिक्य मुख्यतः निम्नवत् शीर्ष के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
4210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय-			
01- शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-			
110- अस्पताल तथा औषधालय-			
01- शहरी स्वास्थ्य-			
(i) मूल	1,133.12		
		4,882.45	(+)1,652.36
पूरक	3,749.33		
02- ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-			
110- अस्पताल तथा औषधालय-			
01- ग्रामीण स्वास्थ्य-			
(ii) मूल	2,946.88		
		7,132.84	(+)987.08
पूरक	4,185.96		

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 2,639.44 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

(vii) उपरोक्त आधिक्य मुख्यतः निम्नवत् शीर्ष के अन्तर्गत हुई बचत से अंशतः प्रतिसंतुलित हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
4210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय-			
01- शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-			
110- अस्पताल और औषधालय-			
03- दंत स्वास्थ्य सेवाओं के अन्तर्गत विकास कार्य-			
पूरक	50.00	50.00	4.40
			(-)45.60
₹ 45.60 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।			
03- चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-			
105- पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति-			
01- चिकित्सा महाविद्यालय-			
मूल	1,846.00		
पूरक	1,480.76	3,363.76	3,036.10
पुनर्वि०	37.00		(-)327.66

₹ 327.66 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 37.00 लाख का आवर्धन अस्थाई कोविड अस्पतालों को ऑक्सीजन तंत्र तथा ऑक्सीजन सिलेंडर प्रदान करने के कारण हुआ जोकि अनावश्यक सिद्ध हुआ।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-9 (समाप्त)

₹ 327.66 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

मूल 1.00

..

पुनर्वि० (-)1.00

मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया।

02- दन्त चिकित्सा कॉलेज-

(i) मूल 37.00 37.00 17.17 (-)19.83

03- डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद चिकित्सा महाविद्यालय टांडा-

(ii) मूल 1,187.00 2,546.64 2,181.03 (-)365.61

पूरक 1,359.64

05- नाहन में नए मेडिकल कॉलेज का निर्माण-

(iii) मूल 664.00 658.00 605.83 (-)52.17

पुनर्वि० (-)6.00

उपरोक्त तीन मामलों में ₹ 437.61 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

(i) मूल 6.00

..

पूरक (-)6.00

06- हमीरपुर में मेडिकल कॉलेज का निर्माण-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

(ii) मूल 6.00

..

पूरक (-)6.00

07- चंबा में मेडिकल कॉलेज का निर्माण-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

(iii) मूल 6.00

..

पूरक (-)6.00

उपरोक्त तीन मामलों में मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 18.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया।

विनियोग लेखे

अनुदान संख्या-10- लोक निर्माण कार्य- सड़कें, पुल तथा भवन

(शीर्ष- 2059-लोक निर्माण-कार्य, 2216-आवास, 3054-सड़क तथा पुल, 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय, 4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय तथा 5054-सड़कों तथा पुलों पर पूंजीगत परिव्यय)

	कुल अनुदान/ विनियोजन	वास्तविक व्यय (₹ हजारों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
राजस्व प्रवर्ग			
दत्तमत			
मूल	37,33,34,98		
पूरक	..		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)	37,33,34,98	25,38,89,39	(-)11,94,45,59
प्रभारित			
मूल	..		
पूरक	20,16	19,03	(-)1,13
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			..
पूंजीगत प्रवर्ग			
दत्तमत			
मूल	13,11,97,00		
पूरक	1,76,26,42		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	14,88,23,42	14,42,90,70	(-)45,32,72
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			..

टिप्पणियाँ तथा अभ्युक्तियाँ

- राजस्व प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 1,19,445.59 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से 1,02,823.62 लाख का अभ्यर्पण अपर्याप्त सिद्ध हुआ जोकि अच्छे बजट और व्यय पर उचित नियंत्रण की आवश्यकता की ओर इंगित करता है।
- पूंजीगत प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 4,532.72 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से फरवरी 2022 में प्राप्त ₹ 1,7,626.42 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्याधिक सिद्ध हुआ तथा वर्ष के दौरान विभाग द्वारा कोई राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-10 (क्रमशः)

राजस्व प्रवर्ग

(iii) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
2059- लोक निर्माण कार्य-			
80- सामान्य-			
001- निदेशन तथा प्रशासन-			
01- निदेशन-			
मूल	1,741.68		
पुनर्वि०	(-)436.91		
	1,304.77	1,248.75	(-)56.02
₹ 56.02 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 436.91 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।			
₹ 56.02 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।			
03- डिजाईन-			
(i) मूल	514.10		
पुनर्वि०	(-)66.69		
	447.41	444.74	(-)2.67
04- वास्तुकला-			
(ii) मूल	189.40		
पुनर्वि०	(-)32.48		
	156.92	155.31	(-)1.61
उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2022 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 99.17 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।			
052- उपकरण तथा औजार-			
02- मरम्मत तथा कैरिज-			
मूल	48.77	48.77	
		6.35	(-)42.42
₹ 42.42 लाख की सारभूत अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।			
053- रख-रखाव तथा मरम्मत-			
03- निष्पादन-			
मूल	13,512.41		
पुनर्वि०	(-)2,402.05		
	11,110.36	10,731.50	(-)378.86
₹ 378.86 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2022 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 2,402.05 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।			
₹ 378.86 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-10 (क्रमशः)

04-	गैर आवासीय भवनों के रख-रखाव पर व्यय-				
	मूल	3,577.75	3,577.75	3,553.18	(-)24.57
	₹ 24.57 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।				
05-	कार्यभारित कर्मचारियों को नियमित स्थापना में बदलना-				
	मूल	14,498.02			
			7,950.44	7,570.14	(-)380.30
	पुनर्वि०	(-)6,547.58			
	₹ 380.30 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2022 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में				
	₹ 6,547.58 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।				
	₹ 380.30 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।				
06-	वसूलियों के समायोजन के लिए रख-रखाव का प्रावधान-				
	मूल	14,498.02			
			7,950.44	5,352.93	(-)2,597.51
	पुनर्वि०	(-)6,547.58			
	₹ 2,597.51 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2022 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में				
	₹ 6,547.58 लाख की कमी वसूली के समायोजन के लिए रख-रखाव पर कम व्यय होने के				
	कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।				
	₹ 2,597.51 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।				
799-	उचंत-				
01-	स्कंध-				
(i)	मूल	9,900.00	9,900.00	8,371.90	(-)1,528.10
2216-	आवास-				
05-	सामान्य पूल निवास-				
053-	रखरखाव तथा मरम्मत-				
01-	अन्य रखरखाव व्यय-				
(ii)	मूल	1,191.60	1,191.60	1,170.34	(-)21.26
	उपरोक्त दो मामलों में ₹ 1,549.36 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।				
3054-	सड़कें तथा पुल-				
04-	जिला और अन्य सड़कें-				
105-	रख-रखाव तथा मरम्मत-				
05-	लोक निर्माण विभाग कार्यशाला नाहन फाउण्डरी-				
	मूल	3.38			
	पुनर्वि०	(-)3.38			
	मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा ₹ 3.38 लाख का समस्त प्रावधान को चिकित्सा				
	प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति तथा संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण कम				
	कर दिया गया।				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या- 10 (क्रमशः)

06-	वसूलियों के समायोजन हेतु रख-रखाव का प्रावधान- मूल	77,387.61			
			49,980.43	37,327.03	(-)12,653.40
	पुनर्वि०	(-)27,407.18			
	₹ 12,653.40 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2022 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 27,407.18 लाख की कमी रख रखाव पर कम व्यय के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।				
	₹ 12,653.40 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।				
07-	कार्यभारित कर्मचारियों को नियमित स्थापना में बदलना- मूल	77,387.61			
			49,974.66	48,651.78	(-)1,322.88
	पुनर्वि०	(-)27,412.95			
	₹ 1,322.88 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2022 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 27,412.95 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।				
	₹ 1,322.88 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।				
14-	पुल तथा अन्य रख-रखाव पर व्यय-				
(i)	मूल	1,645.33	1,645.33	1,543.20	(-)102.13
18-	पुलों के रखरखाव पर व्यय-				
(ii)	मूल	975.89	975.89	933.64	(-)42.25
	उपरोक्त दो मामलों में ₹ 144.38 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।				
19-	निष्पादन- मूल	16,777.74			
			14,434.73	14,141.94	(-)292.79
	पुनर्वि०	(-)2,343.01			
	₹ 292.79 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 2,343.01 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।				
	₹ 292.79 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।				
20-	वसूलियों के समायोजन हेतु रख-रखाव का प्रावधान- मूल	36,538.83			
			21,902.65	13,853.66	(-)8,048.99
	पुनर्वि०	(-)14,636.18			
	₹ 8,048.99 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2022 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 14,636.18 लाख की कमी वसूली के समायोजन के लिए रख-रखाव पर कम व्यय के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।				
	₹ 8,048.99 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या- 10 (क्रमशः)

21-	कार्यभारित कर्मचारियों को नियमित स्थापना में बदलना-- मशीनरी एवं उपकरण-				
(i)	मूल	10,166.70			
			6,692.69	6,467.72	(-)224.97
	पुनर्वि०	(-)3,474.01			
22-	कार्यभारित कर्मचारियों को नियमित स्थापना में बदलना कामगार सेतु-				
(ii)	मूल	10,490.48			
			6,256.43	6,061.40	(-)195.03
	पुनर्वि०	(-)4,234.05			
23-	कार्यभारित कर्मचारियों को नियमित स्थापना में बदलना कामगार सड़क निर्माण कार्य-				
(iii)	मूल	15,881.65			
			8,878.62	8,547.61	(-)331.01
	पुनर्वि०	(-)7,003.03			
	उपरोक्त तीन मामलों में ₹ 751.01 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2022 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 14,711.09 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।				
	उपरोक्त तीन मामलों में ₹ 751.01 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।				
27-	माननीय मुख्यमंत्री के अधीन स्वतन्त्र गुणवत्ता नियंत्रण जाँच उड़ान दस्ता-				
	मूल	300.01			
			295.00	88.92	(-)206.08
	पुनर्वि०	(-)5.01			
	₹ 206.08 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।				
29-	स्वर्ण जयंती ग्राम सड़क रखरखाव-				
	मूल	1,000.00			
		
	पुनर्वि०	(-)1,000.00			
	मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा ₹ 1,000.00 लाख का समस्त प्रावधान को सड़कों की रख-रखाव पर व्यय न होने के कारण कम कर दिया गया।				
80-	सामान्य-				
001-	निदेशन तथा प्रशासन-				
01-	निदेशन तथा पर्यवेक्षण-				
	मूल	5,368.35			
			4,401.71	4,299.49	(-)102.22
	पुनर्वि०	(-)966.64			
	₹ 102.22 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 966.64 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।				
	₹ 102.22 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या- 10 (क्रमशः)

05-	वास्तुकार-				
	मूल	535.32			
			461.36	461.19	(-)0.17
	पुनर्वि०	(-)73.96			

मार्च 2022 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 73.96 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

(iv) उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसन्तुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
-------	------------	--------------------------------	-----------------------

2059- लोक निर्माण कार्य-

80- सामान्य-

051- निर्माण-

01- सरकारी गैर आवासीय भवन-

मूल	157.50	157.50	174.16	(+)16.66
-----	--------	--------	--------	----------

₹ 16.66 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

03- शिमला/धर्मशाला में विधानसभा भवन-

मूल	10.50			
		50.50	49.77	(-)0.73

पुनर्वि० 40.00

मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 40.00 लाख का आवर्धन हिमाचल प्रदेश विधानसभा भवनों की मरम्मत तथा रख-रखाव पर अधिक व्यय होने के कारण हुआ।

799- उच्चत-

02- स्कन्ध निर्माण-

(i) मूल	4,400.00	4,400.00	4,985.21	(+)585.21
---------	----------	----------	----------	-----------

03- विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम-

(ii) मूल	5,500.00	5,500.00	15,448.57	(+)9,948.57
----------	----------	----------	-----------	-------------

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 10,533.78 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

3054- सड़क तथा पुल-

04- जिला और अन्य सड़कें-

105- मरम्मत तथा रखरखाव-

02- अन्य रखरखाव व्यय सड़क निर्माण कार्य-

मूल	32,524.40			
		32,584.40	33,684.10	(+)1,099.70

पुनर्वि० 60.00

₹ 1,099.70 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 60.00 लाख का आवर्धन दैनिक वेतन भोगियों की अधिक नियुक्ति के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या- 10 (क्रमशः)

₹ 1,099.70 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

09- भारतीय के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से प्राप्त
प्रशासनिक और आकस्मिक शुल्क निधि-

मूल	0.03			
		69.11	63.96	(-)5.15
पुनर्वि०	69.08			

₹ 5.15 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 69.08 लाख का आवर्धन बाह्य स्रोत सेवाओं पर अधिक व्यय के कारण हुआ जोकि अत्याधिक सिद्ध हुआ।

₹ 5.15 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

13- अन्य रखरखाव व्यय-मशीनरी और उपकरण-

मूल	595.74	595.74	611.15	(+)15.41
-----	--------	--------	--------	----------

₹ 15.41 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

15- अन्य रखरखाव व्यय-सड़क निर्माण कार्य-

मूल	4,489.22			
		5,489.22	5,593.26	(+)104.04
पुनर्वि०	1,000.00			

₹ 104.04 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,000.00 लाख का आवर्धन विभिन्न सड़कों के रख-रखाव पर अधिक व्यय के कारण हुआ जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुआ।

₹ 104.04 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

17- सड़कों के रख-रखाव पर व्यय-

मूल	2,537.34	2,537.34	2,675.52	(+)138.18
-----	----------	----------	----------	-----------

₹ 138.18 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

80- सामान्य-

800- अन्य व्यय-

03- आऊटपुट प्रदर्शन आधारित फार्म निष्पादन रखरखाव अनुबंध-

मूल	2,718.87			
		3,318.87	3,342.87	(+)24.00
पुनर्वि०	600.00			

₹ 24.00 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 600.00 लाख का आवर्धन रख-रखाव कार्यों के अधिक निष्पादन के कारण हुआ जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुआ।

₹ 24.00 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

पूंजीगत प्रवर्ग

(v) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
		(₹ लाखों में)	

4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या- 10 (क्रमशः)

01-	कार्यालय भवन-				
051-	निर्माण-				
12-	सामान्य प्रशासन-				
	मूल	150.00			
			200.00	98.97	(-)101.03
	पुनर्वि०	50.00			

₹ 101.03 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 50.00 लाख का आवर्धन कार्यालय में स्थान बनाने के लिए निर्माण पर अधिक व्यय करने के कारण हुआ जोकि अनावश्यक सिद्ध हुआ।

₹ 101.03 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

5054- सड़कों तथा पुलों पर पूंजीगत परिव्यय-

04-	जिला तथा अन्य सड़कें-				
337-	सड़क निर्माण कार्य-				
02-	ग्रामीण सड़कों का निर्माण-				
	मूल	25,337.00			
			26,259.16	24,885.64	(-)1,373.52
	पुनर्वि०	922.16			

₹ 1,373.52 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 922.16 लाख का आवर्धन ग्रामीण सड़कों के निर्माण पर अधिक व्यय होने के कारण हुआ जोकि क्षतिपूर्ति मामलों की कम प्राप्ति से हुई बचत से अशतः प्रतिसंतुलित हुआ जोकि अनावश्यक सिद्ध हुआ।

₹ 1,373.52 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

09-	प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना कार्यों के अन्तर्गत कार्यक्रम एवं प्रशासनिक व्यय निधि-				
	केन्द्रीय प्रयोजित योजना				
	मूल	35,537.00			
	पूरक	99,955.60	46,067.00	43,813.00	(-)2,254.00
	पुनर्वि०	534.40			

₹ 2,254.00 लाख के अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 534.40 लाख का आवर्धन भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ जोकि अनावश्यक सिद्ध हुआ। जबकि ₹ 51,745.00 लाख का अनुदान भारत सरकार से प्राप्त हुआ था।

₹ 2,254.00 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

₹ 43,813.00 लाख के कुल व्यय में से 291.00 लाख का व्यय वर्ष 2019-20 की आपत्ति पुस्तिका के उंचत के समायोजन के कारण हुआ।

19-	राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के अन्तर्गत सड़कों का निर्माण-				
(i)	मूल	34,002.00			
			27,897.38	27,456.19	(-)441.19
	पूरक	(-)6,104.62			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या- 10 (क्रमशः)

20- केन्द्रीय सड़क निधि के अन्तर्गत सड़कों का निर्माण-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना-

(ii) मूल	7,239.00			
पूरक	6,460.79	12,974.79	12,449.24	(-)525.55
पुनर्वि०	(-)725.00			

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 966.74 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 6,829.62 लाख की कमी कार्यों के कम निष्पादन के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 966.74 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

21- विश्व बैंक राज्य सड़के-

(i) मूल	8,200.00			
		7,500.00	7,500.00	..
पुनर्वि०	(-) 700.00			

26- सड़कों और पुलों की डिजाइन/विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन के लिए परामर्श-

(ii) मूल	263.00			
		167.00	165.89	(-)1.11
पुनर्वि०	(-)96.00			

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 796.00 लाख की कमी कार्यों के कम निष्पादन के कारण हुई। जबकि क्रम संख्या (i) पर ₹ 18,800.00 लाख का अनुदान भारत सरकार से प्राप्त हुआ था।

(vi) उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसन्तुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
-------	------------	--------------------------------	-----------------------

4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-

01- कार्यालय भवन-

051- निर्माण-

04- जिला प्रशासन-

मूल	100.00	100.00	183.62	(+)83.62
-----	--------	--------	--------	----------

₹ 83.62 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

07- लोक निर्माण-

मूल	1,160.00			
		1,360.00	1,462.59	(+)102.59
पूरक	200.00			

₹ 102.59 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 200.00 लाख का आवर्धन चल रहे कार्यों पर अधिक व्यय के कारण हुआ जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुआ।

₹ 102.59 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या- 10 (क्रमशः)

15- न्यायपालिका के बुनियादी ढांचे का उन्नयन-

.. .. 1.94 (+)1.94

₹ 1.94 लाख का समस्त व्यय बिना प्रावधान के किया गया जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

08- सामान्य-

051- निर्माण-

03- विश्राम/सर्किट भवनों का निर्माण-

मूल 494.00

1,677.33 2,220.35 (+)543.02

पुनर्वि० 1,183.33

₹ 543.02 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,183.33 लाख का आवर्धन निर्माण कार्यों पर अधिक व्यय के कारण हुआ जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुआ।

₹ 543.02 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022) ।

05- अन्य प्रशासनिक सेवाएं-

(i) पूरक 0.02

266.67 71.91 (-)194.76

पुनर्वि० 266.65

4216- आवास पर पूंजीगत परिव्यय-

01- सरकारी आवासीय भवन-

106- सामान्य पूल आवास-

01- विभिन्न जिलों में आवासीय भवनों का निर्माण-

(ii) मूल 1,108.00

1,336.63 1,223.45 (-)113.18

पुनर्वि० 228.63

5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-

04- जिला तथा अन्य सड़कें-

101- सेतु-

01- पुलों का निर्माण-

(iii) मूल 5,002.00

5,380.01 5,215.57 (-)164.44

पुनर्वि० 378.01

उपरोक्त तीन मामलों में ₹ 472.38 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 873.29 लाख का आवर्धन निर्माण कार्यों पर अधिक व्यय के कारण हुआ जोकि अत्याधिक सिद्ध हुआ।

उपरोक्त तीन मामलों में ₹ 472.38 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

337- सड़क निर्माण कार्य-

06- प्रतिपूरक पौधारोपण (वन भूमि की लागत और

निवल वर्तमान मूल्य का भुगतान-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या- 10 (क्रमशः)

मूल	1,316.00			
		1,816.00	1,680.48	(-)135.52
पुनर्वि०	500.00			
₹ 135.52 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 500.00 लाख का आवर्धन क्षतिपूर्ति मामलों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ जोकि अत्याधिक सिद्ध हुआ।				
₹ 135.52 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।				
09-	प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना कार्यों के अन्तर्गत कार्यक्रम एवं प्रशासनिक व्यय निधि-			
(i)	मूल	3,949.00		
			5,119.00	5,157.89
				(+)38.89
	पूरक	1,170.00		
10-	ब्लैक स्पॉट्स का सुधार- सड़क उपाय और जियोमेट्रिक्स तथा राइडिंग गुणवत्ता में सुधार-			
(ii)	मूल	3,290.00	3,290.00	3,608.66
				(+)318.66
उपरोक्त दो मामलों में ₹ 357.55 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।				
11-	मुख्यमंत्री सड़क योजना-			
	मूल	3,290.00		
			5,790.00	5,443.23
				(-)346.77
	पुनर्वि०	2,500.00		
₹ 346.77 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2,500.00 लाख का आवर्धन सड़क निर्माण कार्यों के अधिक निष्पादन के कारण हुआ जोकि अत्याधिक सिद्ध हुआ।				
₹ 346.77 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।				
15-	विवाचन मामलों के लिए भुगतान (सड़क एवं पुल)-			
	मूल	1.00		
			400.90	415.77
				(+)14.87
	पुनर्वि०	399.90		
मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 399.90 लाख का आवर्धन क्षतिपूर्ति मामलों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ।				
16-	भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से प्राप्त प्रशासनिक और आकस्मिक शुल्क की धनराशी-			
	पूरक	0.01		
			462.55	479.73
				(+)17.18
	पुनर्वि०	462.54		
₹ 17.18 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 462.54 लाख का आवर्धन निर्माण कार्यों पर अधिक व्यय के कारण हुआ जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुआ।				
₹ 17.18 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या- 10 (क्रमशः)

(vii) उच्चंत लेन देन-

इस अनुदान के अंतर्गत लघु-शीर्ष 'उच्चंत' के अंतर्गत लेखांकित किए गए व्यय में ₹ 28,805.68 लाख (₹ 28,805.68 लाख राजस्व प्रवर्ग में तथा पूंजीगत प्रवर्ग में ₹ 0.00 लाख) सम्मिलित है।

यह शीर्ष अंतिम लेखा शीर्ष नहीं है बल्कि यह उन कुछ अंतरिम लेन देनों के समायोजन के लिए है जिनके संबंध में लेनदेन को पूर्ण तथा अंतिम रूप से लेखांकित मानने के पूर्व आगामी अदायगी या मूल्य का समायोजन आवश्यक है। तदनुसार इस शीर्ष के अंतर्गत लेन-देनों को, यदि उन्हें अंतिम लेखा शीर्ष के अंतर्गत समायोजित नहीं किया जाता है तो, उसे वर्षानुवर्ष आगे ले जाया जाता है।

उच्चंत शीर्ष के तीन उप-खंड है:-

- (1) स्कन्ध
- (2) विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम तथा
- (3) कार्यशाला उच्चंत ।

इन प्रत्येक उपखंडों के अंतर्गत लेनदेनों के स्वरूप तथा उनके लेखांकन का वर्णन निम्न प्रकार से है:-

(i) स्कन्ध:-

इस शीर्ष को ऐसी सामग्री के मूल्य को डेबिट किया जाता है जिसे किसी विशेष कार्य हेतु नहीं बल्कि मंडलों के सामान्य उपयोग के लिए प्राप्त किया गया हो। इसमें निर्माण कार्यों की जारी की गई सामग्री अथवा अन्य मंडलों को अंतरित अथवा अन्यथा निपटाई गई सामग्री के मूल्य से क्रेडिट किया जाता है। अतः यह उप शीर्ष स्टॉक में पड़ी सामग्री तथा विनिर्माण से संबंधित असमायोजित प्रभारों, यदि कोई हो, के मूल्य के संदर्भ में डेबिट बकाया दर्शाएगा।

(ii) विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम:-

यह उप-शीर्ष, क्रेडिट पर बेचे गए स्टॉक, निक्षेप-निर्माण कार्यों पर प्राप्त निक्षेपों से अधिक किए गए व्यय, भंडार, जो अभी प्राप्त नहीं हुए हैं, हेतु की गई अदायगी, अपलेखित न किए गए रोकड या भंडारों की क्षति तथा सरकारी कर्मचारियों आदि से वसूल की जाने वाली राशि से संबंधित मूल्य के संदर्भ डेबिटों के समायोजन के लिए है। इस प्रकार डेबिट-शेष, वसूली योग्य राशि को दर्शाता है।

(iii) कार्यशाला उच्चंत:-

इस उप-शीर्ष को, विभागीय कार्यशालाओं में कार्यों या अन्य संचालनों पर किए गए सभी प्रभारों को डेबिट किया जाता है। कार्य की पूर्णता पर, उस कार्य से संबद्ध प्रभारों को जो इस उप-शीर्ष को डेबिट किए गए हों, को वसूली अथवा संबंधित अंतिम शीर्ष को अंतरण द्वारा समाशोधित किया जाता है। इस प्रकार इस शीर्ष के अंतर्गत डेबिट-शेष अपूर्ण कार्यों/संचालनों या कार्यों पर किए गए व्यय आदि से संबद्ध प्रभारों, जो वसूल या समायोजित नहीं किए गए हैं, को दर्शाता है।

विभिन्न उप-शीर्षों के अधीन अथ तथा अन्त शेषों सहित, वर्ष 2021-22 के दौरान इस अनुदान के अन्तर्गत लेखाबद्ध किए गए 'उच्चंत' लेनदेनों का विश्लेषण, निम्नवत् दिया जाता है:-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 10 (समाप्त)

शीर्ष	01 अप्रैल 2021 को प्रारम्भिक शेष डैबिट (+) क्रेडिट (-)	डैबिट (₹ लाखों में)	क्रेडिट	31 मार्च 2022 को अन्त शेष डैबिट (+) क्रेडिट (-)
राजस्व प्रवर्ग				
2059- लोक निर्माण कार्य				
80- सामान्य-				
799- उच्चत-				
01- स्कन्ध-	(-)22,534.84	8,371.90	8,179.43	(-)22,342.37*
02- स्कन्ध विनिर्माण-	(+)3,507.14	4,985.21	3,178.90	(+)5,313.45
03- विविध लोक निर्माण कार्य	(+)55,688.93	15,448.57	12,425.95	(+)58,711.55
अग्रिम-				
04- कार्यशाला उच्चत-	(+)0.07	0.00	0.00	(+)0.07
कुल 2059	(+)36,661.30	28,805.68	23,784.28	(+)41,682.70
कुल राजस्व प्रवर्ग	(+)36,661.30	28,805.68	23,784.28	(+)41,682.70
पूंजीगत प्रवर्ग				
5054- सड़कों तथा पुलों पर पूंजीगत परिव्यय-				
03- राजकीय उच्च मार्ग-				
799- उच्चत-				
01- स्कन्ध-	(-)15.03	0.00	0.00	(-)15.03*
02- स्कन्ध विनिर्माण-	(-)16.87	0.00	0.00	(-)16.87*
03- विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम-	(-)22.98	0.00	0.00	(-)22.98*
04- कार्यशाला उच्चत-	(-)199.52	0.00	0.00	(-)199.52*
कुल 5054	(-)2,54.40	0.00	0.00	(-)254.40*
कुल पूंजीगत प्रवर्ग-	(-)2,54.40	0.00	0.00	(-)254.40*
कुल माँग का जोड़-	(+)36,406.90	28,805.68	23,784.28	(+)41,428.30

* ऋणात्मक शेषों के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-11- कृषि

(शीर्ष- 2059-लोक निर्माण-कार्य, 2216-आवास, 2401- फसल कृषि-कर्म, 2402- मृदा तथा जल संरक्षण, 2403-पशु पालन, 2407-बागान, 2415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा, 2435- अन्य कृषि कार्यक्रम, 2810-नई तथा नवीकरण ऊर्जा, 4401-फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय तथा 4402- मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय)

		कुल अनुदान/ विनियोजन	वास्तविक व्यय (₹ हजारों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
राजस्व प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	3,81,39,41			
		3,90,22,35	3,52,30,33	(-)37,92,02
पूरक	8,82,94			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)				34,94,05
पूंजीगत प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	88,82,95			
		88,82,95	77,58,84	(-)11,24,11
पूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)				11,32,08

टिप्पणियां तथा अभ्यक्तियां

- (i) राजस्व प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 3,792.03 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से फरवरी 2022 में प्राप्त ₹ 882.94 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ जबकि मूल अनुदान भी अप्रयुक्त रहा तथा ₹ 3,494.05 लाख का अभ्यर्पण अपर्याप्त सिद्ध हुआ।
- (ii) पूंजीगत प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 1,124.11 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से ₹ 1,132.08 लाख का अभ्यर्पण अनुचित सिद्ध हुआ।

राजस्व प्रवर्ग

- (iii) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
2401- फसल- कृषि-कर्म-			
001- निदेशन तथा प्रशासन-			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-11- (क्रमशः)

01-	निदेशालय-				
	मूल	2,304.14			
			1,057.07	1,056.61	(-)0.46
	पुनर्वि०	(-)1,247.07			
	मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण के द्वारा प्रावधान में ₹ 1,247.07 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।				
02-	जिला एवं क्षेत्रीय कर्मचारी वर्ग-				
	मूल	1,932.91			
			1,594.55	1,593.13	(-)1.42
	पुनर्वि०	(-)338.36			
	मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 338.36 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने तथा यात्रा पर कम व्यय के कारण हुई।				
105-	खाद तथा उर्वरक-				
04-	भू-विज्ञान तथा रसायन-				
(i)	मूल	424.55			
			285.66	285.64	(-)0.02
	पुनर्वि०	(-)138.89			
07-	गुणवत्ता नियन्त्रक प्राप्तिओं का विकास (उर्वरक नियंत्रण प्रयोगशाला)-				
(ii)	मूल	90.52			
			42.98	39.19	(-)3.79
	पुनर्वि०	(-)47.54			
	उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान ₹ 186.43 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।				
109-	विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण-				
25-	सामान्य कृषि विस्तार/प्रशिक्षण-				
	मूल	2,657.24			
			2,624.22	2,092.95	(-)531.27
	पुनर्वि०	(-)33.02			
	₹ 531.27 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 33.02 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने तथा यात्रा भत्ते पर कम व्यय के कारण हुई जोकि आउटसोर्स चालकों एवं पर्यवेक्षकों पर पेट्रोल प्रभार एवं गाड़ियों के रखरखाव पर अधिक व्यय के कारण अशतः प्रतिसंतुलित हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।				
	₹ 5.31.27 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।				
31-	कृषि मशीनीकरण पर उप मिशन-				
(i)	मूल	140.00			
		
	पुनर्वि०	(-)140.00			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-11- (क्रमशः)

	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(ii)	मूल	1,335.00			
		
	पुनर्वि०	(-)1,335.00			
32-	राष्ट्रीय बम्बू मिशन-				
(iii)	मूल	1.00			
		
	पुनर्वि०	(-)1.00			
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(iv)	मूल	1.00			
		
	पुनर्वि०	(-)1.00			
	मार्च 2022 में ₹ 1,477.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से धनराशी प्राप्त न होने के कारण अभ्यर्पण द्वारा कम किया गया जिसके कारण राज्य का हिस्सा अप्रयुक्त रहा।				
111-	कृषि अर्थव्यवस्था तथा सांख्यिकी-				
01-	कृषि सांख्यिकी अनुभाग (सामयिक प्रतिवेदन योजना)-				
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
	मूल	65.00			
			42.25	42.21	(-)0.04
	पुनर्वि०	(-)22.75			
	मार्च 2022 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 22.75 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति तथा शिविरों व सेमिनारों के कम आयोजन के कारण हुई।				
02-	निदान नमूना सर्वेक्षण एवं अध्ययन (फसल सांख्यिकी में सुधार)-				
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
	मूल	50.00			
			34.11	34.07	(-)0.04
	पुनर्वि०	(-)15.89			
	मार्च 2022 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹15.89 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने तथा भारत सरकार से धन की कम प्राप्ति के कारण हुई।				
113-	कृषि इंजीनियरिंग-				
01-	कृषि उपकरण तथा संयंत्र-				
	मूल	174.84			
			77.98	77.96	(-)0.02
	पुनर्वि०	(-)96.86			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-11- (क्रमशः)

मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 96.86 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

115-	लघु/उपांतक किसानों तथा कृषि श्रम की योजना-				
01-	मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना-				
	मूल	26.00			
			13.10	13.10	..
	पुनर्वि०	(-)12.90			
	मार्च 2022 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 12.90 लाख की कमी किसानों तथा उनके संघों से दावों की कम प्राप्ति के कारण हुई।				
02-	कृषि कोष-				
	मूल	329.00			
			2.90	2.90	..
	पुनर्वि०	(-)326.10			
	मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 326.10 लाख की कमी योजना के कार्यान्वयन न होने तथा लाभार्थियों से मांग की कम प्राप्ति के कारण हुई।				
800-	अन्य व्यय-				
13-	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-				
(i)	मूल	56.00			
			36.22	36.22	..
	पुनर्वि०	(-)19.78			
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(ii)	मूल	503.00			
			326.00	326.00	..
	पुनर्वि०	(-)177.00			
16-	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-				
(iii)	मूल	98.00			
			46.71	46.71	..
	पुनर्वि०	(-)51.29			
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(iv)	मूल	888.00			
			420.37	420.37	..
	पुनर्वि०	(-)467.63			

उपरोक्त चार मामलों में मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 715.70 लाख की कमी भारत सरकार से कम धनराशी प्राप्त होने के कारण हुई इसलिए राज्य का हिस्सेदारी अप्रयुक्त रही। जबकि क्रम संख्या (ii) में ₹ 1,207.50 लाख का अनुदान भारत सरकार से प्राप्त हुआ।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-11- (क्रमशः)

18-	मुख्यमंत्री ग्रीन हाउस नवीकरणीय योजना-				
	मूल	66.00			
			30.80	30.80	..
	पुनर्वि०	(-)35.20			
	मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 35.20 लाख की कमी किसानों से मांग की कम प्राप्ति के कारण हुई।				
19-	मुख्यमंत्री जैविक खेती पुरस्कार योजना-				
	मूल	1.00			
		
	पुनर्वि०	(-)1.00			
	मार्च 2022 में ₹1.00 लाख का समस्त प्रावधान पुरस्कार के लिए प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण अभ्यर्पण द्वारा कम कर दिया गया ।				
25-	मृदा को स्वास्थ्य एवं उर्वरकता हेतु राष्ट्रीय परियोजना-				
(i)	मूल	20.00			
		
	पुनर्वि०	(-)20.00			
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(ii)	मूल	119.00			
		
	पुनर्वि०	(-)119.00			
	उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2022 में ₹139.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से धनराशी प्राप्त न होने के कारण अभ्यर्पण द्वारा कम किया गया इसलिए राज्य का हिस्सा भी अप्रयुक्त रहा।				
2402-	भू तथा जल संरक्षण-				
101-	मृदा सर्वेक्षण तथा परीक्षण-				
01-	कृषि योग्य बंजर भूमि का सर्वेक्षण (कृषि विभाग)-				
	मूल	190.46			
			161.67	160.14	(-)1.53
	पुनर्वि०	(-)28.79			
	मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 28.79 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।				
102-	मृदा संरक्षण -				
01-	कृषि भूमि भू-संरक्षण (कृषि विभाग)-				
	मूल	2,281.45			
			1,934.17	1,897.47	(-)36.70
	पुनर्वि०	(-)347.28			

विनियोग लेखे

अनुदान संख्या-11- (क्रमशः)

₹ 36.70 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2022 अभ्यर्पण द्वारा में प्रावधान में ₹ 347.28 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने तथा दैनिक वेतन भोगियों की कम नियुक्ति के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 36.70 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

04- नदी घाटी परियोजना में भू-संरक्षण
(कृषि विभाग)-

मूल 239.15

107.72

104.30

(-)3.42

पुनर्वि० (-)131.43

मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹131.43 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने तथा लंबित मंहगाई भत्ता जारी करने के कारण हुआ।

800- अन्य व्यय-

03- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-

मूल 38.00

24.24

24.24

..

पुनर्वि० (-)13.76

मार्च 2022 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹13.76 लाख की कमी केन्द्रीय हिस्से के अनुपात में राज्य के हिस्से को कम जारी करने के कारण हुआ।

₹ 24.24 लाख के कुल व्यय में से ₹ 17.10 लाख का व्यय वर्ष 2019-20 के लिए आपत्ति पुस्तिका के उंचत के समायोजन के कारण हुआ।

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

मूल 338.00

218.20

235.30

(+)17.10

पुनर्वि० (-)119.80

₹ 17.10 लाख की अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2022 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 119.80 लाख की कमी भारत सरकार से कम राशी प्राप्त होने के कारण हुई जोकि अनुचित सिद्ध हुई। जबकि भारत सरकार से ₹ 907.00 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ।

₹ 17.10 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

2435- अन्य कृषि कार्यक्रम-

01- विपणन तथा गुणवत्ता नियंत्रण-

190- सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों को सहायता-

01- विपणन बोर्ड को मार्केटिंग बोर्ड के निर्माण हेतु सहायता अनुदान-

मूल 1.00

..

..

..

पुनर्वि० (-)1.00

मार्च 2022 में ₹1.00 लाख का समस्त प्रावधान पुनर्विनियोजन द्वारा समाप्त कर दिया गया; जिसके कारण सूचित नहीं किये गये प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-11- (क्रमशः)

2810- नई एवं नवीकरणीय ऊर्जा-

103- शहरी, औद्योगिक और वाणिज्यिक अनुप्रयोगों के लिए नवीकरणीय ऊर्जा-

01- गोबर गैस संयंत्र की स्थापना-

मूल 574.53

422.57

422.53

(-)0.04

पुनर्वि० (-)151.96

मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 151.96 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

(iv) उपरोक्त बचत निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
-------	------------	-----------------------------------	-----------------------

2401- फसल- कृषि-कर्म-

103- बीज-

01- बीजों का वितरण-

मूल 465.00

1,464.43

1,339.37

(-)125.06

पुनर्वि० 999.43

₹ 125.06 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 999.43 लाख का आवर्धन वेतन की प्रतिबद्ध देनदारियों को पूरा करने के लिए धन की अधिक आवश्यकता, योजना और गैर-योजना मजदूरी के विलय का भुगतान, टेलीफोन, पानी व बिजली के बिलों पर अधिक खर्च तथा निजी आवासों के किराए के भुगतान के कारण हुआ जोकि अत्याधिक सिद्ध हुए।

₹ 125.06 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

105- खाद तथा उर्वरक-

12- प्राकृतिक खेत खुशाल किसान-

मूल 1,762.00

1,768.97

1,974.45

(+205.48

पुनर्वि० 6.97

₹ 1,974.45 लाख के कुल व्यय में से ₹ 200.00 लाख का व्यय वर्ष 2019-20 की आपत्ति पुस्तिका के समायोजन के कारण हुआ।

109- विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण-

27- प्रौद्योगिकी एवं विस्तार पर राष्ट्रीय मिशन-

(i) मूल 60.00

पूरक 16.78

115.16

115.16

..

पुनर्वि० 38.38

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-11- (क्रमशः)

केन्द्रीय प्रायोजित योजना					
(ii)	मूल	580.00			
	पूरक	111.00	1,036.50	1,036.50	..
	पुनर्वि०	345.50			
30-	बीज और उपजाऊ सामग्री पर उपलाभ-				
(iii)	मूल	105.00			
	पूरक	370.18	619.03	619.03	..
	पुनर्वि०	143.85			
उपरोक्त तीन मामलों में मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 527.73 लाख का आवर्धन भारत सरकार से अधिक धनराशी प्राप्त होने तथा राज्य की हिस्सेदारी को जारी करने के कारण हुआ।					
110-	फसल बीमा-				
01-	फसल बीमा योजना-				
	मूल	461.00			
	पूरक	109.00	691.00	691.00	..
	पुनर्वि०	121.00			
मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 121.00 लाख का आवर्धन फसल बीमा की प्रीमियम सब्सिडी के भुगतान के लिए धन की अधिक आवश्यकता के कारण हुआ।					
111-	कृषि अर्थव्यवस्था तथा सांख्यिकी-				
01-	कृषि सांख्यिकी प्रवर्ग(सामयिक रिपोर्टिंग योजना)-				
	मूल	1.00			
	पूरक	0.03	59.73	42.25	(-)17.48
	पुनर्वि०	58.70			
₹ 17.48 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 58.70 लाख का आवर्धन योजना और गैर योजना के विलय के कारण तथा प्रतिबद्ध देनदारियों को पूरा करने के लिए धन की अधिक आवश्यकता के कारण हुआ जोकि अत्याधिक सिद्ध हुआ।					
₹ 17.48 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।					
800-	अन्य व्यय-				
14-	फसल विविधिकरण परियोजना (जापान अंतरराष्ट्रीय सहकारी अभिकरण)-				
		134.24	(+)134.24
₹ 134.24 लाख का समस्त व्यय बिना प्रावधान के हुआ; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।					
2402-	भू तथा जल संरक्षण-				
102-	मृदा संरक्षण-				
10-	कृषि उत्पादन वृद्धि हेतु सीमांत किसानों को सहायता (भूमि विकास योजना कार्य एवं सिंचाई)-				

विनियोग लेखे

अनुदान संख्या-11- (क्रमशः)

(i)	मूल	325.00	325.00	340.40	(+)15.40
800-	अन्य व्यय-				
04-	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(ii)	मूल	592.00			
			621.00	683.91	(+)62.91
	पूरक	29.00			

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 1,024.31 लाख के कुल व्यय में से ₹ 78.31 लाख का व्यय वर्ष 2019-20 के आपत्ति पुस्तिका के उंचत के समायोजन के कारण हुआ।

जबकि क्रम संख्या (ii) में भारत सरकार से ₹ 461.74 लाख अनुदान प्राप्त हुआ।

2403- पशुपालन-

107- चारा और चरागाह विकास-

05- उत्तम चारा उत्पादन योजना-

मूल 369.00

519.00

518.99

(-)0.01

पुनर्वि० 150.00

मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 150.00 लाख की वृद्धि लाभार्थी किसानों को सब्सिडी के भुगतान के लिए धन की अधिक आवश्यकता के कारण हुई।

2407- बागान-

01- चाय-

800- अन्य व्यय-

01- हिमाचल प्रदेश में चाय विकास-

मूल 20.00

116.10

104.61

(-)11.49

पुनर्वि० 96.00

₹ 11.49 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 96.10 लाख का आवर्धन योजना और गैर योजना के विलय के कारण तथा प्रतिबद्ध देनदारियों को पूरा करने के लिए धन की अधिक आवश्यकता के कारण हुआ जोकि अत्याधिक सिद्ध हुआ।

₹ 11.49 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

पूंजीगत प्रवर्ग

(v) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष

कुल अनुदान

वास्तविक

आधिक्य (+)

व्यय

बचत (-)

(₹ लाखों में)

4402- मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय-

102 मृदा संरक्षण-

विनियोग लेखे

अनुदान संख्या-11- (समाप्त)

02-	लघु किसान विकास एजेंसी (ग्रामीण एकीकृत विकास निधि)-				
	मूल	1,448.00			
			1,108.92	1,108.91	(-)0.01
	पुनर्वि०	(-)339.08			
	मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹339.08 लाख की कमी राशी फंडिंग एजेंसी द्वारा परियोजनाओं के अनुमोदन न होने के कारण हुई।				
03-	सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियों के माध्यम से प्रभावी सिंचाई योजना-				
	मूल	2,172.00			
			1,379.00	1,400.15	(+)21.15
	पुनर्वि०	(-)793.00			
	मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 793.00 लाख की कमी कार्यों के कम निष्पादन के कारण हुई। ₹ 1,400.15 लाख के कुल व्यय में से ₹ 26.03 लाख का व्यय वर्ष 2019-20 की आपत्ति पुस्तिका के उंचत के समायोजन के कारण हुआ।				

विनियोग लेखे

अनुदान संख्या- 12 - उद्यान

(शीर्ष- 2059-लोक निर्माण-कार्य, 2216-आवास, 2401-फसल कृषि-कर्म, 2415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा, 4401- फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय, 4402- मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय तथा 6401- फसल कृषि-कर्म के लिए ऋण)

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजारों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
राजस्व प्रवर्ग दत्तमत				
मूल	3,70,46,02			
		4,73,19,56	4,97,36,05	(+)24,16,49
पूरक	1,02,73,54			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)				
				16,52,41
पूंजीगत प्रवर्ग दत्तमत				
मूल	14,68,12			
		14,68,12	1,75,00	(-)12,93,12
पूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)				
				12,93,10

टिप्पणियां तथा अभ्युक्तियां

- (i) राजस्व प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 24,16,48,889 के आधिक्य का नियमन अपेक्षित है।
- (ii) राजस्व प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 2,416.49 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से फरवरी 2022 में प्राप्त ₹ 10,273.54 लाख की अनुपूरक अनुदान अपर्याप्त सिद्ध हुई तथा ₹ 1,652.41 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक सिद्ध हुआ।

राजस्व प्रवर्ग

- (iii) दत्तमत अनुदान में आधिक्य मुख्यतः निम्नवत शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-
- | शीर्ष | कुल अनुदान | वास्तविक
व्यय
(₹ लाखों में) | आधिक्य (+)
बचत (-) |
|-------|------------|-----------------------------------|-----------------------|
|-------|------------|-----------------------------------|-----------------------|

2401- फसल कृषि-कर्म-

119- बागवानी तथा वनस्पति फसलें-

22- विपणन और गुणवत्ता नियंत्रण

मूल 1,084.00

पूरक 607.17

पुनर्वि0 3,401.78

5,092.95

5,090.06

(-)2.89

विनियोग लेखे

अनुदान संख्या - 12 (क्रमशः)

मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 3,401.78 लाख का आवर्धन, लम्बित देनदारियों के निपटान पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

57-	उद्यान विकास परियोजना				
(i)	मूल	6,807.00			
			13,307.00	17,307.00	(+)4,000.00
	पूरक	6,500.00			

77-	हिमाचल उष्णकटिबंधीय बागवानी सिंचाई और मूल्य संवर्धन परियोजना-				
(ii)	मूल	748.00			
			2,748.00	3,148.00	(+)400.00
	पूरक	2,000.00			

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 4,400.00 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

(iv)	उपरोक्त आधिक्य आंशिक रूप से निम्नवत शीर्षों में हुई बचत से अंशतः प्रतिसन्तुलित हुआ:-				
	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+)	बचत (-)
			(₹ लाखों में)		

2401- फसल कृषि-कर्म-

119-	बागवानी तथा वनस्पति फसलें-				
01-	निदेशालय-				
(i)	मूल	1,082.32			
			906.32	879.70	(-)26.62
	पुनर्वि०	(-)176.00			
02-	जिला एवं अधीनस्थ कर्मचारी				
(ii)	मूल	2,760.99			
			2,232.13	2,176.58	(-)55.55
	पुनर्वि०	(-)528.86			

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 82.17 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 704.86 लाख की कमी रिक्त पदों के न भरने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 82.17 लाख के अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

04-	वनस्पति रक्षण स्कीम-				
	मूल	665.00			
			0.09	0.08	(-)0.01
	पुनर्वि०	(-)664.91			

विनियोग लेखे

अनुदान संख्या - 12 (क्रमशः)

मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 664.91 लाख की कमी लाभार्थियों से बिलों/दावों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

05- उद्यान विकास				
मूल	1,766.53	1,766.53	1,733.01	(-)33.52

₹ 33.52 लाख के अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

09- मधुमक्खी पालन योजना-				
मूल	296.75			
		241.10	226.96	(-)14.14

पुनर्वि० (-)55.65

मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 55.65 लाख कमी रिक्त पदों को न भरने और चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

10- पुष्प कृषि विकास-				
मूल	133.43			
		103.43	92.79	(-)10.64

पुनर्वि० (-)30.00

मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 30.00 लाख कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

11- राजकीय उद्यानों तथा पौधशालाओं की स्थापना/रखरखाव-				
मूल	769.89			
		682.89	642.31	(-)40.58

पुनर्वि० (-)87.00

₹ 40.58 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 87.00 लाख कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 40.58 लाख की अंतिम बचत कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

15- खुम्ब की खेती की परियोजना				
मूल	303.68			
		250.03	240.19	(-)9.84

पुनर्वि० (-)53.65

मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 53.65 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति, किराए, दर और करों पर कम व्यय के कारण हुई।

18- कृषक प्रशिक्षण				
मूल	30.00			
		18.00	15.39	(-)2.61

पुनर्वि० (-)12.00

मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 12.00 लाख की कमी प्रशिक्षण कार्यक्रमों के कम आयोजन के कारण हुई।

विनियोग लेखे

अनुदान संख्या - 12 (क्रमशः)

19-	प्रशिक्षण और विस्तार				
(i)	मूल	2,515.36			
			2,074.47	1,989.33	(-)85.14
	पुनर्वि०	(-)440.89			
26-	फल प्रसंस्करण योजनाएं				
(ii)	मूल	704.01			
			574.26	545.49	(-)28.77
	पुनर्वि०	(-)129.75			
	उपरोक्त दो मामलों में ₹ 113.91 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 570.64 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त हुई।				
	उपरोक्त दो मामलों में ₹ 113.91 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।				
35-	अर्थशास्त्र और सांख्यिकी- केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
	मूल	40.00			
			27.00	23.98	(-)3.02
	पुनर्वि०	(-)13.00			
	मार्च 2022 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 13.00 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।				
50-	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना- केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
	मूल	237.00			
			200.07	200.06	(-)0.01
	पुनर्वि०	(-)36.93			
	मार्च 2022 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 36.93 लाख की कमी भारत सरकार से कम धनराशी प्राप्त होने के कारण हुई।				
56-	उद्यान एकीकृत विकास मिशन-				
	मूल	449.00			
			118.78	171.78	(+)53.00
	पुनर्वि०	(-)330.22			
	मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 330.22 लाख की कमी भारत सरकार से कम धन राशी प्राप्त होने के कारण राज्य का भाग अप्रयुक्त रहा।				
	₹ 171.78 लाख के कुल व्यय में से ₹ 53.00 लाख का व्यय वर्ष 2019-20 की आपत्ति पुस्तिका के उद्यंत के समायोजन के कारण हुआ।				
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(i)	मूल	1,186.00			
			781.00	781.00	..
	पुनर्वि०	(-)405.00			

विनियोग लेखे

अनुदान संख्या - 12 (क्रमशः)

62-	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-				
(ii)	मूल	323.00			
			169.82	169.82	..
	पुनर्वि०	(-)153.18			
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(iii)	मूल	592.00			
			250.40	250.40	..
	पुनर्वि०	(-)341.60			
	उपरोक्त तीन मामलों में मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा ₹ 899.78 लाख की कमी भारत सरकार से कम धन राशी प्राप्त होने के कारण तथा राज्य का हिस्सा भी अप्रयुक्त रहने के कारण हुई।				
63-	मुख्यमंत्री किवी प्रोत्साहन योजना-				
	मूल	150.00			
			124.63	123.22	(-)1.41
	पुनर्वि०	(-)25.37			
	मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 25.37 लाख की कमी लाभार्थियों से कम मामलों प्राप्त होने के कारण हुई।				
73-	मुख्यमंत्री मधु विकास योजना-				
	मूल	408.00			
			180.00	127.36	(-)52.64
	पुनर्वि०	(-)228.00			
	₹ 52.64 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 228.00 लाख की कमी लाभार्थियों से कम मामलों की प्राप्ति के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।				
	₹ 52.64 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।				
75-	मुख्यमंत्री खुम्ब विकास योजना-				
	मूल	329.00			
			243.25	238.04	(-)5.21
	पुनर्वि०	(-)85.75			
	मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 85.75 लाख की कमी लाभार्थियों से मामलों की कम प्राप्ति के कारण हुई।				
76-	कृषि मशीनीकरण पर उप-मिशन-				
(i)	मूल	86.00			
		
	पुनर्वि०	(-)86.00			
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(ii)	मूल	646.00			
		
	पुनर्वि०	(-)646.00			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 12 (समाप्त)

76- राष्ट्रीय बाँस मिशन-
(iii) मूल 1.00

पुनर्वि० (-)1.00

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

(iv) मूल 1.00

पुनर्वि० (-)1.00

उपरोक्त चार मामलों में मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा ₹ 734.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियां प्राप्त न होने के कारण तथा राज्य का हिस्सा भी अपर्याप्त रहा।

81- महक योजना-

मूल 1.00

पुनर्वि० (-)1.00

मार्च 2022 में ₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान पुनर्विनियोजन द्वारा योजना के कार्यान्वयन के दिशा निर्देशों का अंतिम रूप न देने के कारण समाप्त कर दिया गया।

82- स्वर्ण जयंती समृद्ध बागवान-

मूल 500.00

पुनर्वि० (-)500.00

मार्च 2022 में ₹ 500.00 लाख का समस्त प्रावधान पुनर्विनियोजन द्वारा लाभार्थियों की कम मांग होने के कारण कम कर दिया गया।

पूंजीगत अनुभाग

(v) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
-------	------------	-----------------------------------	-----------------------

4401- फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय-

119- बागवानी तथा साग भाजी फसलें-

02- पौध संरक्षण औजारों की खरीद-

मूल 1,293.10

पुनर्वि० (-)1,293.10

मार्च 2022 में ₹ 1,293.10 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पण द्वारा योजना को अंतिम रूप न दिये जाने के कारण कम कर दिया गया।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या -13-सिंचाई, जलापूर्ति तथा स्वच्छता

(शीर्ष- 2059-लोक निर्माण-कार्य, 2215-जलापूर्ति तथा सफाई, 2216- आवास, 2700-मुख्य सिंचाई, 2701- मध्यम सिंचाई, 2702-लघु सिंचाई, 2711-बाढ़ नियंत्रण तथा जल निकास, 4215-जलापूर्ति तथा स्वच्छता पर पूंजीगत परिव्यय, 4701-मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, 4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, 4705-कमांड क्षेत्र विकास पर पूंजीगत परिव्यय तथा 4711-बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय)

		कुल अनुदान/ विनियोजन	वास्तविक व्यय (₹ हजारों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
राजस्व प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	26,49,52,57			
		26,49,52,59	25,69,11,63	(-)80,40,96
पूरक	2			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)				2,57,60,25
प्रभारित				
मूल	1			
		1	..	(-)1
पूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)				1
पूंजीगत प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	7,55,24,00			
		8,05,12,78	7,31,66,93	(-)73,45,85
पूरक	49,88,78			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)				1,84,41
प्रभारित				
मूल	..			
		24,83	7,65	(-)17,18
पूरक	24,83			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-13 (क्रमशः)

टिप्पणियां तथा अभ्युक्तियां

- (i) राजस्व प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 8,040.96 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि ₹ 25,760.25 लाख का अभ्यर्पण अत्याधिक और अनुचित सिद्ध हुआ।
- (ii) पूंजीगत प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 7,345.85 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से फरवरी 2022 में प्राप्त ₹ 4,988.78 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ जबकि मूल अनुदान सारभूत रूप से अप्रयुक्त रहा तथा ₹ 184.41 लाख का अभ्यर्पण अपर्याप्त सिद्ध हुआ।
- (iii) पूंजीगत प्रवर्ग के प्रभारित विनियोजन में ₹ 17.18 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से फरवरी 2022 में प्राप्त ₹ 24.83 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्याधिक सिद्ध हुआ तथा वर्ष के दौरान विभाग द्वारा कोई राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

राजस्व प्रवर्ग

- (vi) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
2215- जलापूर्ति एवं स्वच्छता-			
01- जलापूर्ति-			
001- निदेशन तथा प्रशासन-			
01- निदेशन-			
मूल	3,155.56		
		3,085.87	2,873.87
पुनर्वि0	(-)69.69		(-)212.45
₹ 212.45 लाख की सारभूत अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 69.69 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।			
₹ 212.45 लाख की सारभूत अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।			
02- निष्पादन-			
मूल	11,749.05		
		11,600.08	10,390.01
पुनर्वि0	(-)148.97		(-)1,210.07
₹ 1,210.07 लाख की सारभूत अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 148.97 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति तथा यात्रा पर कम व्यय के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।			
₹ 1,210.07 लाख की सारभूत अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-13 (क्रमशः)

07-	हिमाचल प्रदेश में ग्रामीण पेयजल जलापूर्ति के लिए परियोजना प्रबंधन इकाई-				
	मूल	151.37			
	पूरक	0.01	119.93	116.25	(-)3.68
	पुनर्वि०	(-)31.45			
	मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 31.45 लाख की कमी चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति, यात्रा, पेट्रोल, तेल, स्नेहक, वाहनों पर कम व्यय तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन न होने के कारण हुई।				
005-	सर्वेक्षण तथा जांच पड़ताल-				
01-	सर्वेक्षण तथा अन्वेषण इकाई-				
	मूल	433.74			
			394.45	304.30	(-)90.15
	पुनर्वि०	(-)39.30			
	₹ 90.15 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 39.30 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।				
	₹ 90.15 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।				
101-	शहरी जलापूर्ति कार्यक्रम-				
02-	विभिन्न जिलों में शहरी जलापूर्ति योजनाओं का रख-रखाव तथा मरम्मत-				
	मूल	29,690.79			
			26,145.28	24,260.50	(-)1,884.78
	पुनर्वि०	(-)3,545.51			
	₹ 1,884.78 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2022 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 3,545.51 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।				
	₹ 1,884.78 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।				
04-	वसूलियों के समायोजन हेतु रख-रखाव प्रावधान-				
	मूल	13,042.79			
			9,522.03	7,598.45	(-)1,923.58
	पुनर्वि०	(-)3,520.76			
	₹ 1,923.58 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2022 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 3,520.76 लाख की कमी कार्य प्रभारित शीर्षों में वसूलियों के कम समायोजन के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।				
	₹ 1,923.58 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।				
102-	ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम-				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-13 (क्रमशः)

03-	ग्रामीण पेयजल आपूर्ति योजनाओं की मरम्मत एवं रख-रखाव-				
	मूल	66,403.56			
	पूरक	0.01	58,903.33	53,791.00	(-)5,112.33
	पुनर्वि०	(-)7,500.24			

₹ 5,112.33 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 7,500.24 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति और प्रशिक्षण शिविरों के कम आयोजन के कारण हुई जोकि पैरा स्टाफ एवं जल रक्षकों की अधिक नियुक्ति करने के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।
₹ 5,112.33 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

12-	वसूलियों के समायोजन हेतु रख-रखाव में प्रावधान-				
	मूल	42,331.65			
			33,945.54	23,629.64	(-)10,315.90
	पुनर्वि०	(-) 8,386.11			

₹ 10,315.90 लाख की सारभूत अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2022 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 8,386.11 लाख की कमी कार्य प्रभारित शीर्षों में वसूलियों के कम समायोजन के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।
₹ 10,315.90 लाख की सारभूत अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

799-	उच्चंत				
02-	स्कन्ध विनिर्माण-				
(i)	मूल	651.00	651.00	533.18	(-)117.82

2216-	आवास-				
05-	सामान्य पूल आवास				
053-	रखरखाव तथा मरम्मत				
01-	अन्य रख-रखाव व्यय				
(ii)	मूल	6.08	6.08	4.84	(-)1.24

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 119.06 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

2700-	मुख्य सिंचाई-				
01-	शाहनहर परियोजना (गैस-वाणिज्यिक)-				
001-	निदेशन तथा प्रशासन-				
01-	स्थापना पर व्यय-				
	मूल	940.57			
			847.35	749.04	(-)98.31
	पुनर्वि०	(-)93.22			

₹ 98.31 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 93.22 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-13 (क्रमशः)

₹ 98.31 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

799- उच्चंत-

01- स्टॉक-

मूल	358.05	358.05	..	(-)358.05
-----	--------	--------	----	-----------

₹ 358.05 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

02- स्कन्ध विनिर्माण-

मूल	260.40	260.40	7.29	(-)253.11
-----	--------	--------	------	-----------

₹ 253.11 लाख सारभूत की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

03- विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम-

(i) मूल	187.17	187.17	..	(-)187.17
---------	--------	--------	----	-----------

2701- मध्यम सिंचाई-

11- गिरी बाटा परियोजना (गैस-वाणिज्यिक)-

799- उच्चंत-

01- स्कन्ध-

(ii) मूल	4.24	4.24	..	(-)4.24
----------	------	------	----	---------

02- स्कन्ध विनिर्माण-

(iii) मूल	1.41	1.41	..	(-)1.41
-----------	------	------	----	---------

03- विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम-

(iv) मूल	1.41	1.41	..	(-)1.41
----------	------	------	----	---------

उपरोक्त चार मामलों में ₹ 194.23 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

12- बल्ह घाटी परियोजना (गैस-वाणिज्यिक)-

799- उच्चंत-

01- स्कन्ध-

(i) मूल	4.24			
---------	------	--	--	--

	पुनर्वि०	(-)4.24	..	
--	----------	---------	----	--

02- स्कन्ध विनिर्माण-

(ii) मूल	1.41			
----------	------	--	--	--

	पुनर्वि०	(-)1.41	..	
--	----------	---------	----	--

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-13 (क्रमशः)

03-	विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम-				
(iii)	मूल	2.83			
	पुनर्वि०	(-)2.83			
उपरोक्त तीन मामलों में मार्च 2022 में ₹ 8.48 लाख का समस्त प्रावधान सामग्री की खरीद न होने के कारण अभ्यर्पण द्वारा कम कर दिया गया।					
13-	भाबोर साहिब परियोजना (गैर वाणिज्यिक)-				
001-	निदेशन तथा प्रशासन-				
01-	स्थापना पर व्यय-				
	मूल	18.93			
			13.01	10.81	(-)2.20
	पुनर्वि०	(-)5.92			
मार्च 2022 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 5.92 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।					
15-	चंगर क्षेत्र सिंचाई परियोजना (गैर-वाणिज्यिक)-				
799-	उच्चंत-				
01-	स्कंध-				
(i)	मूल	28.30			
	पुनर्वि०	(-)28.30			
02-	स्कन्ध विनिर्माण-				
(ii)	मूल	5.66			
	पुनर्वि०	(-)5.66			
03-	विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम-				
(iii)	मूल	2.13			
	पुनर्वि०	(-)2.13			
16-	बहाव सिंचाई परियोजना सिधाटा (गैर-वाणिज्यिक)-				
799-	उच्चंत-				
01-	स्कन्ध-				
(iv)	मूल	120.29			
	पुनर्वि०	(-)120.29			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-13 (क्रमशः)

02-	स्कन्ध विनिर्माण-				
(v)	मूल	21.23			
	पुनर्वि०	(-)21.23			
03-	विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम-				
(vi)	मूल	49.53			
	पुनर्वि०	(-)49.53			
	उपरोक्त छः मामलों में मार्च 2022 में ₹ 227.14 लाख का समस्त प्रावधान को साम्रगी की कम बुकिंग न होने के कारण अभ्यर्पण द्वारा कम कर दिया।				
20-	फिनासिंह परियोजना (गैर-वाणिज्यिक)-				
799-	उच्चंत-				
02-	स्कन्ध विनिर्माण-				
	मूल	70.76	70.76	16.77	(-)53.99
	₹ 53.99 लाख की सारभूत अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।				
21-	हल्दी सुरंग बटांटा मध्यम सिंचाई परियोजना (गैर-वाणिज्यिक)-				
799-	उच्चंत-				
01-	स्कन्ध-				
(i)	मूल	70.76	70.76	..	(-)70.76
02-	स्कन्ध विनिर्माण-				
(ii)	मूल	14.15	14.15	..	(-)14.15
03-	विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम-				
(iii)	मूल	6.37	6.37	..	(-) 6.37
	उपरोक्त तीन मामलों में मार्च 2022 में ₹ 91.28 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।				
2702-	लघु सिंचाई-				
01-	सतही जल-				
799-	उच्चंत-				
02-	स्कन्ध विनिर्माण-				
(i)	मूल	566.08	566.08	114.00	(-)452.08
03-	रख-रखाव-				
102-	उठाऊ सिंचाई योजनाएं-				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-13 (क्रमशः)

01-	अन्य रखरखाव व्यय-				
(ii)	मूल	6,595.61			
			6,595.60	6,436.37	(-)159.23
	पुनर्वि०	(-)0.01			
	उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2022 में ₹ 611.31 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।				
80-	सामान्य-				
001-	निदेशन तथा प्रशासन-				
01-	स्थापना पर व्यय-				
	मूल	8,341.70			
			7,804.92	6,797.05	(-)1,007.87
	पुनर्वि०	(-)536.78			
	₹ 1,007.87 लाख की सारभूत अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2022 पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 536.78 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, पेट्रोल, तेल, स्नेहकों, वाहनों के रखरखाव व यात्रा पर कम व्यय तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति के कारण हुई जोकि वाहनों की खरीद पर हुए अधिक व्यय के कारण हुए आधिक्य से अशतः प्रतिसंतुलित हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।				
	₹ 1,007.87 लाख की सारभूत अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।				
02-	कार्य प्रभारित कर्मचारियों को नियमित				
	स्थापना में परिवर्तित करने पर व्यय-				
	मूल	25,091.69			
			21,997.13	19,199.54	(-)2,797.59
	पुनर्वि०	(-)3,094.56			
	₹ 2,797.59 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2022 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 3,094.56 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।				
	₹ 2,797.59 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।				
06-	वसूली के समायोजन के लिए रख-रखाव प्रावधान-				
	मूल	25,091.68			
			22,827.80	16,369.42	(-)6,458.38
	पुनर्वि०	(-)2,263.88			
	₹ 6,458.38 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2022 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 2,263.88 लाख की कमी कार्य प्रभारित शीर्षों के प्रति वसूलियों के कम समायोजन के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।				
	₹ 6,458.38 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-13 (क्रमशः)

2711- बाढ़ नियन्त्रण तथा जल निकासी-

01- बाढ़ नियन्त्रण-

001- निदेशन तथा प्रशासन-

01- निदेशन-

मूल 391.67

103.49

88.05

(-)15.44

पुनर्वि० (-)288.18

मार्च 2022 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 288.18 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

799- उच्चत-

02- स्कन्ध विनिर्माण-

मूल 113.93

46.00

63.47

(+)17.47

पुनर्वि० (-)67.93

₹ 17.47 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2022 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 67.93 लाख की कमी सामग्री की बंकिंग न होने के कारण हुई जोकि अत्याधिक सिद्ध हुई।

₹ 17.47 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

03- विविध लोक निर्माण अग्रिम-

मूल 97.65

..

0.75

(+)0.75

पुनर्वि० (-)97.65

मार्च 2022 में ₹ 97.65 लाख के समस्त प्रावधान को अभ्यर्पण द्वारा कम कर दिया गया; जिसके कारण सूचित नहीं किए गए (जुलाई 2022)।

(v) उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अर्न्तगत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-

शीर्ष

कुल अनुदान

वास्तविक

आधिक्य (+)

व्यय

बचत (-)

(₹ लाखों में)

2215- जलापूर्ति तथा स्वच्छता-

01- जलापूर्ति-

101- शहरी जलापूर्ति कार्यक्रम-

05- दैनिक वेतन भोगियों के वेतन तथा सामग्री पर व्यय-

(i) मूल 2,925.09

3,516.34

3,540.56

(+)24.22

पुनर्वि० 591.25

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-13 (क्रमशः)

102- ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम-
13- दैनिक वेतन भोगियों के भत्तों
तथा सामग्री पर व्यय-

(ii) मूल	5,029.79			
		7,990.85	8,478.13	(+)487.28
पुनर्वि०	2,961.06			

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 511.50 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 3,552.31 लाख का आवर्धन जलापूर्ति योजनाओं के रख-रखाव पर अधिक व्यय तथा दैनिक वेतन भोगियों की अधिक नियुक्ति करने के कारण हुआ जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुआ।

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 511.50 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

799- उच्चंत-

01- उच्चंत पर व्यय (स्कन्ध)-

(i) मूल	7,324.00	7,324.00	24,704.41	(+)17,380.41
---------	----------	----------	-----------	--------------

03- विविध लोक निर्माण की कार्य अग्रिम-

(ii) मूल	6,673.06	6,673.06	36,267.08	(+)29,594.02
----------	----------	----------	-----------	--------------

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 46,974.43 लाख के सारभूत अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

2700- मुख्य सिंचाई-

01- शाहनहर परियोजना (गैर-वाणिज्यिक)-

101- रखरखाव तथा मरम्मत-

01- अन्य रख-रखाव व्यय-

मूल	236.26			
		291.35	278.93	(-)12.42
पुनर्वि०	55.09			

मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 55.09 लाख का आवर्धन विभिन्न योजनाओं के रखरखाव पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

2701- मध्यम सिंचाई-

20- फिना सिंह परियोजना (गैर-वाणिज्यिक)-

799- उच्चंत-

01- स्कन्ध-

(i) मूल	283.04	283.04	1,457.05	(+)1,174.01
---------	--------	--------	----------	-------------

03- विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम-

(ii) मूल	45.29	45.29	133.42	(+)88.13
----------	-------	-------	--------	----------

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-13 (क्रमशः)

2702- लघु सिंचाई-

01- सतही जल-

799- उचंत-

01- स्कन्ध-

(iii) मूल	2,122.81	2,122.81	2,280.05	(+157.24)
-----------	----------	----------	----------	-----------

03- विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम-

(iv) मूल	424.56	424.56	547.23	(+122.67)
----------	--------	--------	--------	-----------

उपरोक्त चार मामलों में ₹ 1,542.05 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

80- सामान्य-

001- निदेशन तथा प्रशासन-

07- दैनिक वेतन भोगियों के वेतन तथा सामग्री पर व्यय-

मूल 1,884.15

2,902.74

2,970.29

(+67.55)

पुनर्वि0 1,018.59

₹ 67.55 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2022 पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,018.59 लाख का आवर्धन विभिन्न योजनाओं के रख-रखाव पर अधिक व्यय तथा दैनिक वेतन भोगियों की अधिक नियुक्ति के कारण हुआ जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुआ।

₹ 67.55 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

2711- बाढ़ नियन्त्रण तथा जल निकासी-

01- बाढ़ नियन्त्रण-

799- उचंत-

01- स्कन्ध-

मूल 488.24

35.00

1,477.77

(+1,442.77)

पुनर्वि0 (-)453.24

₹ 1,442.77 लाख की सारभूत अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2022 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 453.24 लाख की कमी सामग्री की बुंकिंग न होने के कारण हुई जोकि अनुचित सिद्ध हुई।

₹ 1,442.77 लाख के सारभूत अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

पूंजीगत प्रवर्ग

(vi) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष

कुल अनुदान

वास्तविक

आधिक्य (+)

व्यय

बचत (-)

(₹ लाखों में)

4215- जलापूर्ति तथा स्वच्छता पर पूंजीगत परिव्यय-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-13 (क्रमशः)

01-	जलापूर्ति-				
101-	शहरी जलापूर्ति-				
01-	विभिन्न जिलों में शहरी पेयजल योजनाएं-				
	मूल	3,366.00			
			3,352.90	3,043.36	(-)309.54
	पुनर्वि०	(-)13.10			
	₹ 309.54 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।				
102-	ग्रामीण जलापूर्ति-				
01	विभिन्न जिलों में ग्रामीण जलापूर्ति योजनाएं-				
	मूल	1,386.00			
	पूरक	422.34	1,903.34	1,765.49	(-)137.85
	पुनर्वि०	95.00			
	₹ 137.85 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 95.00 लाख का आवर्धन चल रही योजनाओं के लिए निधियों की अधिक आवश्यकता के कारण हुआ जोकि अत्याधिक सिद्ध हुआ।				
	₹ 137.85 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।				
23-	जल जीवन मिशन-				
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
	मूल	26,324.00			
			21,078.08	21,078.08	..
	पुनर्वि०	(-)5,245.92			
	मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 5,245.92 लाख की कमी भारत सरकार द्वारा राज्य जल तथा स्वच्छता मिशन के लिए निधियों को सीधे हस्तांतरित करने के कारण हुई।				
25-	बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के अन्तर्गत मल निकासी योजना-				
(i)	मूल	1.00			
		
	पुनर्वि०	(-)1.00			
26-	पुरानी पेयजल आपूर्ति परियोजनाओं का पुनर्निर्माण/नवीनीकरण (बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना)-				
(ii)	मूल	1,316.00			
		
	पुनर्वि०	(-)1,316.00			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-13 (क्रमशः)

28-	विभिन्न जलापूर्ति योजना के लिए ऊर्जा कुशल पंपों का स्थानांतरण-				
(iii)	मूल	150.00			
	पुनर्वि०	(-)150.00			
02-	मल निकासी तथा स्वच्छता-				
102-	ग्रामीण स्वच्छता सेवाएं-				
04-	ग्रामीण क्षेत्रों के लिए मल निकासी योजनाएं-				
(iv)	मूल	1.00			
	पुनर्वि०	(-)1.00			
	उपरोक्त चार मामलों में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा मार्च 2022 में ₹ 1,468.00 लाख का समस्त प्रावधान संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने तथा फंडिंग एजेंसी से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया।				
106-	मल निकासी सेवाएं-				
03-	राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के अन्तर्गत ग्रामीण मल निकासी योजनाएं-				
(i)	मूल	10.00			
	पुनर्वि०	(-)1.50	8.50	2.25	(-)6.25
4701-	मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-				
20-	फिना सिंह परियोजना (गैर-वाणिज्यिक)-				
800-	अन्य व्यय-				
02-	अन्य व्यय-				
(ii)	मूल	1,005.07			
	पुनर्वि०	(-)5.07	1,000.00	900.02	(-)99.98
	उपरोक्त दो मामलों में ₹ 106.23 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।				
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(i)	मूल	5.07			
	पुनर्वि०	(-)5.07			
21-	नादौन क्षेत्र मध्यम सिंचाई परियोजना (गैर वाणिज्यिक)-				
800-	अन्य व्यय-				
01-	नादौन क्षेत्र मध्यम सिंचाई परियोजना-				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-13 (क्रमशः)

केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(ii) मूल	1.48			
पुनर्वि०	(-)1.48			
उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 6.55 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया।				
4702- लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-				
101- सतही जल-				
03- राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के अन्तर्गत विभिन्न जिलों में उठाऊ सिंचाई योजना-				
मूल	5,211.00			
		4,900.38	4,836.47	(-)63.91
पुनर्वि०	(-)310.62			
₹ 63.91 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 310.62 लाख की कमी सिंचाई योजनाओं के कार्यों के कम निष्पादन के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।				
₹ 63.91 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।				
04- राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के अंतर्गत विभिन्न जिलों में प्रवाह सिंचाई योजना-				
मूल	666.00			
		636.00	636.31	(+)0.31
पुनर्वि०	(-)30.00			
मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 30.00 लाख की कमी कार्यों के कम निष्पादन के कारण हुई।				
06- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम)के अन्तर्गत विभिन्न जिलों में उठाऊ सिंचाई योजनाएं-				
(i) मूल	568.00			
पूरक	0.01	582.50	257.43	(-)325.07
पुनर्वि०	14.49			
केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(ii) मूल	4,831.20	4,831.20	2,234.43	(-)2,596.77
उपरोक्त दो मामलों में ₹ 2,921.84 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)। जबकि भारत सरकार से क्रम संख्या (ii) पर ₹ 1,12,016.47 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ था।				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-13 (क्रमशः)

07-	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अन्तर्गत विभिन्न जिलों में जल प्रवाह सिंचाई स्कीम (त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम)-				
(i)	मूल	379.00	379.00	..	(-)379.00
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(ii)	मूल	3,220.80	3,220.80	..	(-)3,220.80
	उपरोक्त दो मामलों में ₹ 3,599.80 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)। जबकि भारत सरकार से क्रम संख्या (ii) पर ₹ 1,12,016.47 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ था।				
09-	राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के अन्तर्गत वर्षा जल संग्रहण-				
	मूल	1,437.00			
			765.57	791.98	(+)26.41
	पुनर्वि०	(-)671.43			
	₹ 26.41 लाख की अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 671.43 लाख की कमी संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने तथा कार्यों के निष्पादन में कमी के कारण हुई जोकि अत्याधिक सिद्ध हुई।				
	₹ 26.41 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।				
4705-	कमान क्षेत्र विकास पर पूंजीगत परिव्यय-				
313-	लघु सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत कमान क्षेत्र का विकास-				
01-	लघु सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत कमान क्षेत्र का विकास-				
	मूल	5,373.00			
			5,372.00	4,797.38	(-)574.62
	पुनर्वि०	(-)1.00			
	₹ 574.62 लाख के अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।				
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
	मूल	1.00			
		
	पुनर्वि०	(-) 1.00			
	मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार निधियों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया।				
4711-	बाढ़ नियन्त्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय-				
01-	बाढ़ नियन्त्रण-				
800-	अन्य व्यय-				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-13 (क्रमशः)

10-	बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्षवाढ़ से मंडी और हमीरपुर के जाहू तक सीर खड्ड का तटीयकरण-			
(i)	मूल	2.67
	पुनर्वि०	(-)2.67
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना			
(ii)	मूल	2.67
	पुनर्वि०	(-)2.67
12-	बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम के अन्तर्गत तृतीय चरण में पंजाब सीमा की तरफ स्वां का तटीयकरण-			
(iii)	मूल	1.13
	पुनर्वि०	(-)1.13
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना			
(iv)	मूल	1.13
	पुनर्वि०	(-)1.13
15-	बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम के अन्तर्गत तहसील इन्दोरा में छोँछा खड्ड में बाढ़ संरक्षण कार्य-			
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना			
(v)	मूल	1.21
	पुनर्वि०	(-)1.21
17-	जिला शिमला में पब्वर नदी का तटीयकरण-			
(vi)	मूल	4.62
	पुनर्वि०	(-)4.62
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना			
(vii)	मूल	4.62
	पुनर्वि०	(-)4.62

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-13 (क्रमशः)

21-	जिला मण्डी में व्यास नदी में बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत सुकेती खड्ड और इसकी सहायक नदियों का तटीयकरण-			
(viii)	मूल	1.21
	पुनर्वि०	(-) 1.21		
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना			
(ix)	मूल	1.21
	पुनर्वि०	(-)1.21		
	उपरोक्त नौ मामलों में मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 20.47 में लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया तथा इसलिए राज्य का हिस्सा भी अप्रयुक्त रहा।			
(vii)	उपरोक्त बचत निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुए आधिक्य से प्रतिसंतुलित हुई:-			
	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
4215-	जलापूर्ति तथा स्वच्छता पर पूंजीगत परिव्यय-			
	01- जलापूर्ति-			
	102- ग्रामीण जलापूर्ति-			
	16- ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास निधि/ राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक-			
	मूल	12,362.00	12,362.00	12,386.15
				(+)24.15
	₹ 24.15 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।			
23-	जल जीवन मिशन-			
	मूल	2,632.00		
			8,736.10	8,736.10
	पुनर्वि०	6,104.10		..
	मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 6,104.10 में लाख का आवर्धन केन्द्रीय हिस्से के अनुपात में राज्य के हिस्से को जारी करने के कारण हुआ।			
24-	मुख्यमंत्री ग्रामीण पेय जल आपूर्ति योजना- बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना (राष्ट्रीय विकास बैंक)-			
	मूल	1.00		
	पूरक	3,619.43	5,001.00	4,998.45
	पुनर्वि०	1,380.57		(-)2.55

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-13 (क्रमशः)

मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,380.57 लाख का आवर्धन विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत निर्माण के कारण हुआ। जबकि भारत सरकार से ₹ 19,311.67 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ था।

4702- लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-

101- सतही जल-

02- विभिन्न जिलों में जल प्रवाह सिंचाई योजना-

(i) मूल 164.00 164.00 257.07 (+)93.07

102- भू-जल-

03- राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के अंतर्गत विभिन्न जिलों में नलकूप योजनाएं-

(ii) मूल 3,384.00 3,84.00 3,419.97 (+)35.97

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 129.04 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

4711- बाढ़ नियन्त्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय-

01- बाढ़ नियन्त्रण-

800- अन्य व्यय-

15- बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम के अन्तर्गत छौंछ खड्ड तहसील इन्दोरा में बाढ़ संरक्षण कार्य-

मूल 1.21

पूरक 395.00 395.00 790.00 (+)395.00

पुनर्वि० (-)1.21

₹ 395.00 लाख के सारभूत अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

(viii) प्रभारित विनियोजन में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्ष के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल विनियोजन	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
-------	--------------	--------------------------------	-----------------------

4711- बाढ़ नियन्त्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय-

01- बाढ़ नियन्त्रण-

800- अन्य व्यय-

13- बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम के अन्तर्गत दौलतपुर से गगरेट ब्रिज और उसकी सहायक नदियों का तटीयकरण-

पूरक 17.17 17.17 .. (-)17.17

फरवरी 2022 में अनुपूरक अनुदान द्वारा प्राप्त ₹ 17.17 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-13 (क्रमशः)

(ix) उच्चंत लेन-देन

- (i) इस अनुदान के अन्तर्गत सम्मिलित व्यय ₹ 67,602.47 लाख में (राजस्व प्रवर्ग के अन्तर्गत ₹ 67,602.47 लाख और पूंजीगत प्रवर्ग के अंतर्गत ₹ 0.00 लाख) 'उच्चंत' लघु शीर्ष के अन्तर्गत लेखाबद्ध किए गये है।
- (ii) उच्चंत लेन-देनों के स्वरूप का वर्णन अनुदान संख्या-10 लोक निर्माण कार्य- सड़कें, पुल तथा भवन के अन्तर्गत पैरा संख्या- (vii) में किया गया है।
- (iii) इस अनुदान के अन्तर्गत वर्ष 2021-22 के दौरान लेखाबद्ध किए गए 'उच्चंत' लेन-देनों का विश्लेषण विभिन्न उप शीर्षों के अन्तर्गत प्रारम्भिक एवं अंतिम शेषों सहित नीचे दिया गया है:-

शीर्ष	01 अप्रैल 2021 को प्रारम्भिक शेष डैबिट (+) क्रेडिट (-)	डैबिट	क्रेडिट	31 मार्च 2022 को अन्त शेष डैबिट (+) क्रेडिट (-)
राजस्व प्रवर्ग				
2215- जलापूर्ति तथा स्वच्छता-				
01- जलापूर्ति-				
799- उच्चंत-				
01- स्कन्ध-	(+)818.07	24,704.41	24,800.90	(+)721.58
02- स्कन्ध विनिर्माण-	(+)2,439.83	533.18	74.40	(+)2,898.61
03- विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम-	(+)46,128.64	36,267.08	23,894.73	(+)58,500.99
कुल योग 2215-	(+)49,386.54	61,504.67	48,770.03	(+)62,121.18
2700-मुख्य सिंचाई-				
01- शाह नहर परियोजना (गैस-वाणिज्यिक)-				
799- उच्चंत-				
01- स्कन्ध-	(+)579.24	0.00	0.00	(+)579.24
02- स्कन्ध- विनिर्माण-	(+)50.94	7.29	0.00	(+)58.23
03- विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम-	(-)30.44	0.00	0.00	(-)30.44*
कुल योग 2700-	(+)599.74	7.29	0.00	(+)607.03

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-13 (क्रमशः)

शीर्ष	01 अप्रैल 2021 को प्रारम्भिक शेष डैबिट (+) क्रेडिट (-)	डैबिट (₹ लाखों में)	क्रेडिट	31 मार्च 2022 को अन्त शेष डैबिट (+) क्रेडिट (-)
2701- मध्यम सिंचाई-				
11- गिरी बाटा परियोजना (गैस-वाणिज्यिक)-				
799- उच्चत-				
01- स्कन्ध -	(-)0.61	0.00	0.00	(-)0.61*
02- स्कन्ध विनिर्माण-	(-)8.41	0.00	0.00	(-)8.41*
03- विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम-	(+)35.11	0.00	0.00	(+)35.11
कुल योग- 2701-11	(+)26.09	0.00	0.00	(+)26.09
15- चंगर क्षेत्र सिंचाई परियोजना (गैस-वाणिज्यिक)-				
799- उच्चत-				
01- स्कन्ध-	(-)0.54	0.00	0.00	(-)0.54*
02- स्कन्ध विनिर्माण-	(-)2.42	0.00	0.00	(-)2.42*
03- विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम-	(+)5.93	0.00	0.00	(+)5.93
कुल- 2701-15-	(+)2.97	0.00	0.00	(+)2.97
16- प्रवाह सिंचाई परियोजना सिधाता (गैस-वाणिज्यिक)-				
799- उच्चत-				
01- स्कन्ध-	(+)2.09	0.00	0.00	(+)2.09
02- स्कन्ध विनिर्माण-	(+)1.75	0.00	0.00	(+)1.75
03- विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम-	(-) 3.93	0.00	0.00	(-)3.93*
कुल-2701-16-	(-) 0.09	0.00	0.00	(-) 0.09*
20- फीना सिंह परियोजना नहर परियोजना (गैस-वाणिज्यिक)-				
799- उच्चत-				
01- स्कन्ध-	(+)513.53	1,457.05	1,491.94	(+)478.64
02- स्कन्ध विनिर्माण-	(+)74.79	16.77	0.00	(+)91.56
03- विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम-	791.94	133.42	19.03	(+)906.33
कुल- 2701-20-	(+)1,380.26	1,607.24	1,510.97	(+)1,476.53

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-13 (क्रमशः)

शीर्ष	01 अप्रैल 2021 को प्रारम्भिक शेष डैबिट (+) क्रेडिट (-)	डैबिट (₹ लाखों में)	क्रेडिट	31 मार्च 2022 को अन्त शेष डैबिट (+) क्रेडिट (-)
21- हल्दी सुनराग बंटान्टा मध्यम सिंचाई परियोजना (गैर-वाणिज्यिक)-				
799- उच्चंत-				
01- स्कन्ध-	(+)0.00	0.00	0.00	(+)0.00
02- स्कन्ध विनिर्माण-	(+)2.01	0.00	0.00	(+)2.01
03- विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम-	(-)0.01	0.00	0.00	(-)0.01*
कुल-2701-21-	(+)2.00	0.00	0.00	(+)2.00
80- सामान्य-				
799- उच्चंत-				
01- स्कन्ध-	(+)185.80	0.00	0.00	(+)185.80
02- स्कन्ध विनिर्माण-	(-)26.20	0.00	0.00	(-)26.20*
03- विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम-	(+)124.24	0.00	0.00	(+)124.24
कुल-2701-80-	(+)283.84	0.00	0.00	(+)283.84
कुल 2701-	(+)1,695.07	1,607.24	1,510.97	(+)1,791.34
2702- लघु सिंचाई-				
01- सतही जल-				
799- उच्चंत-				
01- स्कन्ध-	(-)1,351.60	2,280.05	2,245.70	(-)1,317.25*
02- स्कन्ध विनिर्माण-	(+)236.67	114.00	89.03	(+)261.64
03- विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम-	(-)32.91	547.23	602.34	(-)88.02*
कुल 2702-01-	(-)1,147.84	2,941.28	2,937.07	(-)1,143.63*
80- सामान्य-				
799- उच्चंत-				
01- स्कन्ध-	(-)628.73	0.00	0.00	(-)6,28.73*
02- स्कन्ध विनिर्माण-	(+)553.79	0.00	0.00	(+)553.79
03- विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम-	(+)315.57	0.00	0.00	(+)315.57
कुल 2702-80-	(+)240.63	0.00	0.00	+240.63
कुल 2702-	(-)907.21	2,941.28	2,937.07	(-)903.00*

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-13 (क्रमशः)

शीर्ष	01 अप्रैल 2021 को प्रारम्भिक शेष डैबिट (+) क्रेडिट (-)	डैबिट	क्रेडिट	31 मार्च 2022 को अन्त शेष डैबिट (+) क्रेडिट (-)
		(₹ लाखों में)		
2711-बाढ़ नियंत्रण तथा जल निकास-				
01- बाढ़ नियंत्रण-				
799- उच्चत-				
01- स्कन्ध-	(+)6,636.48	1,477.77	1,371.71	(+)6,742.54
02- स्कन्ध विनिर्माण-	(+)623.98	63.47	34.38	(+)653.07
03- विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम-	(+)3,034.36	0.75	58.68	(+)2,976.43
कुल 2711-	(+)10,294.82	1,541.99	1,464.77	(+)10,372.04
कुल राजस्व प्रवर्ग-	(+)61,068.96	67,602.47	54,682.84	(+)73,988.59

पूँजीगत प्रवर्ग-

4215- जलापूर्ति तथा सफाई पर पूँजीगत परिव्यय-				
01- जलापूर्ति-				
799- उच्चत-				
01- स्कन्ध-	(+)30.71	0.00	0.00	(+)30.71
कुल 4215-	(+)30.71	0.00	0.00	(+)30.71
4700- मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय-				
01- शाहनहर परियोजना (गैर -वाणिज्यिक)-				
799- उच्चत-				
01- स्कन्ध-	(+)38.42	0.00	0.00	(+)38.42
02- स्कन्ध विनिर्माण-	(+)37.54	0.00	0.00	(+)37.54
03- विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम-	(+)96.89	0.00	0.00	(+)96.89
कुल 4700-	(+)172.85	0.00	0.00	(+)172.85
4701- मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय-				
01- मध्यम सिंचाई पर व्यय-				
799- उच्चत-				
01- स्कन्ध-	(-)0.15	0.00	0.00	(-)0.15*
02- स्कन्ध विनिर्माण-	(+)10.82	0.00	0.00	(+)10.82
03- विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम-	(+)13.54	0.00	0.00	(+)13.54
कुल 4701-01-	(+)24.21	0.00	0.00	(+)24.21

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-13 (क्रमशः)

शीर्ष	01 अप्रैल 2021 को प्रारम्भिक शेष डैबिट (+) क्रेडिट (-)	डैबिट (₹ लाखों में)	क्रेडिट	31 मार्च 2022 को अन्त शेष डैबिट (+) क्रेडिट (-)
<i>15- चंगर क्षेत्र परियोजना (गैर वाणिज्यिक)-</i>				
799- उच्चत-				
01- स्कन्ध-	(+)83.49	0.00	0.00	(+)83.49
02- स्कन्ध विनिर्माण-	(+)2.98	0.00	0.00	(+)2.98
03- विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम-	(-)2.72	0.00	0.00	(-)2.72*
कुल-4701-15-	(+)83.75	0.00	0.00	(+)83.75
<i>16- प्रवाह सिंचाई परियोजना सिधाता (गैर-वाणिज्यिक)-</i>				
799- उच्चत-				
01- स्कन्ध	(+)68.54	0.00	0.00	(+)68.54
02- स्कन्ध विनिर्माण-	(-)14.71	0.00	0.00	(-)14.71*
03- विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम-	(+)32.91	0.00	0.00	(+)32.91
कुल-4701-16-	(+)86.74	0.00	0.00	(+)86.74
<i>80- सामान्य-</i>				
799- उच्चत-				
01- स्कन्ध-	(-)132.94	0.00	0.00	(-)132.94*
02- स्कन्ध विनिर्माण-	(-)0.83	0.00	0.00	(-)0.83*
03- विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम-	(+)155.24	0.00	0.00	(+)155.24
कुल-योग 4701-80-	(+)21.47	0.00	0.00	(+)21.47
कुल- 4701-	(+)216.17	0.00	0.00	(+)216.17

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-13 (समाप्त)

शीर्ष	01 अप्रैल 2021 को प्रारम्भिक शेष डैबिट (+) क्रेडिट (-)	डैबिट	क्रेडिट	31 मार्च 2022 को अन्त शेष डैबिट (+) क्रेडिट (-)
		(₹ लाख में)		
4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-				
799- उच्चत-				
01- स्कन्ध-	(-)608.15	0.00	0.00	(-)608.15*
02- स्कन्ध विनिर्माण-	(-)12.72	0.00	0.00	(-)12.72*
03- विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम-	(+564.43	0.00	0.00	(+5,64.43
कुल 4702-	(-)56.44	0.00	0.00	(-)56.44*
4711- बाढ़ नियन्त्रण पर पूंजीगत परिव्यय-				
01- बाढ़ नियन्त्रण-				
799- उच्चत-				
01- स्कन्ध-	(-)8.77	0.00	0.00	(-)8.77*
02- स्कन्ध विनिर्माण-	(+9.98	0.00	0.00	(+9.98
03- विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम-	(+27.88	0.00	0.00	(+27.88
कुल 4711-	(+)29.09	0.00	0.00	(+)29.09
कुल-पूंजीगत प्रवर्ग	(+)392.38	0.00	0.00	(+)392.38
कुल मांग	(+)61,461.34	67,602.47	54,682.84	(+)74,380.97

टिप्पणी: * ऋणात्मक शेषों के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

विनियोग लेखे

अनुदान संख्या- 14-पशुपालन, दुग्ध विकास एवं मत्स्य

(शीर्ष- 2059-लोक निर्माण-कार्य, 2216-आवास, 2403-पशु पालन, 2404-दुग्ध विकास, 2405-मछली पालन, 4403-पशु पालन पर पूंजीगत परिव्यय तथा 4405-मछली पालन पर पूंजीगत परिव्यय)

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजारों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
राजस्व प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	4,00,24,04			
		4,00,24,09	3,64,78,95	(-)35,45,14
पूरक	5			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)				28,71,95
पूंजीगत प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	9,52,09			
		14,52,75	13,66,30	(-)86,45
पूरक	5,00,66			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)				39,44

टिप्पणियां तथा अभ्युक्तियां

- (i) राजस्व प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 3,545.14 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से ₹ 2,871.95 लाख का अभ्यर्पण अपर्याप्त सिद्ध हुआ।
- (ii) पूंजीगत प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 86.45 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से फरवरी 2022 में प्राप्त ₹ 500.66 लाख का अनूपूरक अनुदान अत्याधिक सिद्ध हुआ तथा ₹ 39.44 लाख का अभ्यर्पण अपर्याप्त सिद्ध हुआ।

राजस्व प्रवर्ग

- (iii) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
2403- पशु पालन-			
001- निदेशन तथा प्रशासन-			
01- मुख्यालय स्थापना-			
मूल	571.88		
		520.28	519.26
पुनर्वि0	(-)51.60		(-)1.02

विनियोग लेखे

अनुदान संख्या- 14-(क्रमशः)

मार्च 2022 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 51.60 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

02-	क्षेत्रीय स्थापना-				
	मूल	145.42			
			194.98	145.36	(-)49.62
	पुनर्वि०	49.56			

₹ 49.62 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 49.56 लाख का आवर्धन रिक्त पदों को न भरने के कारण हुआ जोकि अनावश्यक सिद्ध हुआ।

₹ 49.62 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

03-	जिला प्रशासन-				
	मूल	1,482.05			
			1,326.59	1,328.60	(+)2.01
	पुनर्वि०	(-)155.46			

मार्च 2022 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 155.46 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

101-	पशु चिकित्सा सेवाएं तथा पशु स्वास्थ्य-				
01-	अस्पताल तथा औषधालय-				
	मूल	28,558.82			
	पूरक	0.01	25,923.42	25,043.24	(-)880.18
	पुनर्वि०	(-)2,635.41			

₹ 880.18 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 2,635.41 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, दैनिक भोगियों की कम नियुक्ति न होने, पेट्रोल, तेल, स्नेहक, वाहनों की मरम्मत तथा यात्रा पर कम व्यय के कारण हुई जोकि क्षेत्रीय अस्पतालों, पशु चिकित्सा पॉलीक्लीनिकों के उन्नयन, पशु चिकित्सा संस्थानों के परिसरों के किराये के भुगतान तथा पशु चिकित्सा सहायकों को ग्राम पंचायतों की लंबित देनदारियों के भुगतान करने के कारण हुए आधिक्य से अशतः प्रतिसंतुलित हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 880.18 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

₹ 25,043.24 लाख के कुल व्यय में से ₹ 86.20 लाख का व्यय वर्ष 2019-20 की आपत्ति पुस्तिका के उंचत के समायोजन के कारण हुआ।

02-	रोग जांच योजना-				
	मूल	156.16			
			129.92	130.56	(+)0.64
	पुनर्वि०	(-)26.24			

मार्च 2022 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 26.24 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

विनियोग लेखे

अनुदान संख्या- 14-(क्रमशः)

06-	जीरो महामारी उन्मूलन कार्यक्रम पर राष्ट्रीय परियोजना- केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
	मूल	1.00			
	पुनर्वि०	(-)1.00			
	मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा ₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया।				
10-	पशु रोग नियन्त्रण के लिए राज्य को सहायता-				
(i)	मूल	7.26			
			5.19	5.18	(-)0.01
	पुनर्वि०	(-)2.07			
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(ii)	मूल	70.00			
			46.71	46.10	(-)0.61
	पुनर्वि०	(-)23.29			
	उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 25.36 लाख की कमी सामग्री की खरीद पर कम व्यय होने के कारण हुई।				
11-	राष्ट्रीय पशु रोग सूचना प्रणाली- केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
	मूल	1.00			
	पुनर्वि०	(-)1.00			
	मार्च 2022 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया।				
102-	पशु तथा भैंस विकास-				
02-	मवेशी और भैंस विकास-				
	मूल	588.98			
			530.92	477.82	(-)53.10
	पुनर्वि०	(-)58.06			
	₹ 53.10 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 58.06 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।				
	₹ 53.10 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।				
06-	वीर्य प्रयोगशालाओं की स्थापना-				
	मूल	562.11			
			567.96	480.89	(-)87.07
	पुनर्वि०	5.85			
	₹ 87.07 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।				

विनियोग लेखे

अनुदान संख्या- 14-(क्रमशः)

13-	पशुधन जनगणना- केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(i)	मूल	1.00			
	पुनर्वि०	(-)1.00			
16-	गोजातीय नस्ल राष्ट्रीय कार्यक्रम- केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(ii)	मूल	1.00			
	पुनर्वि०	(-)1.00			
	उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2022 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 2.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण से कम कर दिया गया।				
103-	कुक्कुट विकास-				
02-	कुक्कुट विकास पर व्यय-				
(i)	मूल	456.49			
	पुनर्वि०	(-)74.14	382.35	383.26	(+)0.91
104-	भेड तथा ऊज विकास-				
04-	भेड एवं ऊज विकास पर व्यय-				
(ii)	मूल	519.08			
	पुनर्वि०	(-)153.35	365.73	366.24	(+)0.51
	उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2022 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 227.49 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भर नेके कारण हुई।				
11-	हिमाचल प्रदेश ऊजा महासंघ को सहायता अनुदान-				
(i)	मूल	1.00			
	पुनर्वि०	(-)1.00			
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(ii)	मूल	1.00			
	पुनर्वि०	(-)1.00			
	उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2022 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 2.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया तथा इसलिए राज्य का हिस्सा भी अप्रयुक्त रहा।				
106-	अन्य पशुधन स्टॉक विकास-				

विनियोग लेखे

अनुदान संख्या- 14-(क्रमशः)

01-	घोड़ा तथा खच्चर प्रजनन स्कीम-				
	मूल	8.39			
			7.37	4.74	(-).2.63
	पुनर्वि०	(-)1.02			
	₹ 2.63 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।				
08-	गौशालाओं का उन्नयन-				
(i)	मूल	1.00			
		
	पुनर्वि०	(-)1.00			
109-	विस्तार तथा प्रशिक्षण-				
02-	पशु चिकित्सा परिषद को सहायता अनुदान-				
(ii)	मूल	13.00			
		
	पुनर्वि०	(-)13.00			
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(iii)	मूल	13.00			
		
	पुनर्वि०	(-)13.00			
800-	अन्य व्यय-				
01-	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-				
(iv)	मूल	49.00			
			23.33	23.33	..
	पुनर्वि०	(-)25.67			
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(v)	मूल	444.00			
			210.00	210.00	..
	पुनर्वि०	(-)234.00			
2404-	दुग्ध विकास-				
109-	विस्तार तथा प्रशिक्षण-				
02-	डेयरी उद्यमी विकास योजना के अन्तर्गत उपदान-				
(vi)	मूल	1.00			
		
	पुनर्वि०	(-)1.00			
191-	सहकारी समितियों और अन्य निकायों को सहायता-				
03-	एकीकृत दुग्ध विकास परियोजना-				
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(vii)	मूल	1.00			
		
	पुनर्वि०	(-)1.00			

विनियोग लेखे

अनुदान संख्या- 14-(क्रमशः)

उपरोक्त सात मामलों में मार्च 2022 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 288.67 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया तथा इसलिए राज्य का हिस्सा भी अप्रयुक्त रहा।

05-	दुग्ध सहकारी समितियों को माल भाड़ा उपदान-				
	मूल	66.00			
			99.20	64.77	(-)34.43

पुनर्वि० 33.20

₹ 34.43 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 33.20 लाख का आवर्धन किसानों को माल ढुलाई के लिए उपदान जारी करने के कारण हुआ जोकि अनावश्यक सिद्ध हुआ।

₹ 34.43 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

2405- मछली पालन-

001-	निदेशन तथा प्रशासन-				
02-	जिला स्तरीय-				
	मूल	1,205.27			
			1,004.27	994.13	(-)10.14
	पुनर्वि०	(-)201.00			

मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 201.00 लाख की मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

101-	अंतर्देशीय मछली पालन-				
09-	ट्राउट पशुधन बीमा-				
	मूल	10.00			
			2.00	1.99	(-)0.01
	पुनर्वि०	(-)8.00			

मार्च 2022 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 8.00 लाख की कमी ट्राउट किसानों से बीमा के लिए दावों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

10-	प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना-				
(i)	मूल	65.90			
			15.35	15.35	..
	पुनर्वि०	(-)50.55			

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

(ii)	मूल	591.00			
			59.00	58.99	(-)0.01
	पुनर्वि०	(-)532.00			

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2022 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 582.55 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति के कारण हुई और इसलिए राज्य का हिस्सा भी अप्रयुक्त रहा।

800- अन्य व्यय-

विनियोग लेखे

अनुदान संख्या- 14-(क्रमशः)

03-	मछुआरा दुर्घटना बीमा योजना-				
(i)	मूल	1.00			
	पुनर्वि०	(-)1.00			
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(ii)	मूल	8.00			
	पुनर्वि०	(-)8.00			
	उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2022 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 9.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार द्वारा मछुआरों के लिए नई बीमा योजना शुरू करने के कारण कम कर दिया गया।				
(iv)	उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुईः-				
	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+)	बचत (-)
			(₹ लाखों में)		
2403-	पशुपालन-				
101-	पशु चिकित्सा सेवाएं तथा पशु स्वास्थ्य-				
13-	पेस्ट डेस पेटिट्स रूमिनैट्स नियंत्रण कार्यक्रम-				
(i)	मूल	1.32			
	पुनर्वि०	2.61	3.93	3.93	..
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(ii)	मूल	12.00			
	पुनर्वि०	23.40	35.40	35.39	(-)0.01
102-	पशु तथा भैंस विकास-				
16-	गोजातीय प्रजनन पर राष्ट्रीय कार्यक्रम-				
(iii)	मूल	0.01			
	पुनर्वि०	118.31	118.32	118.32	..
	उपरोक्त तीन मामलों में मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 144.32 लाख का आवर्धन भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति के कारण हुआ तथा इसलिए राज्य का हिस्सा भी अप्रयुक्त रहा।				
19-	गौ सेवा आयोग-				
	मूल	501.01			
	पुनर्वि०	199.99	701.00	701.00	..
	मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 199.99 लाख का आवर्धन गौ सेवा आयोग की आवश्यकताओं को पूरा करने के कारण हुआ।				
106-	अन्य पशुधन विकास-				

विनियोग लेखे

अनुदान संख्या- 14-(क्रमशः)

10-	भेड़ और बकरी पालन को प्रोत्साहन-				
	पूरक	0.01			
			100.00	100.00	..
	पुनर्वि०	99.99			
	मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 99.99 लाख का आवर्धन भेड़ और बकरी के विकास के लिए प्रदान किए जाने के कारण हुआ।				
107-	चारा तथा चारागाह विकास-				
01-	चारा विकास एवं भोजन-				
	मूल	26.64			
	पूरक	0.02	325.65	325.23	(-)0.42
	पुनर्वि०	298.99			
	मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 298.99 लाख का आवर्धन लघु कार्यो तथा सामग्री और उपकरण की खरीद पर अधिक व्यय के कारण हुआ।				
800-	अन्य व्यय-				
02-	राष्ट्रीय पशुधन मिशन-				
(i)	मूल	3.00			
			65.84	65.84	..
	पुनर्वि०	62.84			
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(ii)	मूल	625.00			
	पूरक	0.01	1,214.19	1,214.19	..
	पुनर्वि०	589.18			
	उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 652.02 लाख का आवर्धन भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति के कारण हुआ तथा इसलिए राज्य का हिस्सा भी अप्रयुक्त रहा।				
2405-	मछली पालन-				
101-	अंतर्देशीय मछली पालन-				
06-	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-				
(i)	मूल	3.00			
			..	6.23	(+)6.23
	पुनर्वि०	(-)3.00			
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(ii)	मूल	30.00			
			..	61.10	(+)61.10
	पुनर्वि०	(-)30.00			
	उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2022 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 33.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति के कारण कम कर दिया गया तथा इसलिए राज्य की हिस्सेदारी अप्रयुक्त रही।				

विनियोग लेखे

अनुदान संख्या- 14- (क्रमशः)

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 67.33 लाख का समस्त व्यय वर्ष 2019-20 की आपत्ति पुस्तिका के उंचत के समायोजन के कारण हुआ।

07- नील क्रान्ति-एकीकृत मत्स्य पालन प्रबंधन एवं विकास-

(i) 36.47 (+)36.47

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

(ii) 348.31 (+)348.31

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 348.78 लाख का समस्त व्यय वर्ष 2019-20 की आपत्ति पुस्तिका के उंचत के समायोजन के कारण हुआ।

जबकि क्रम संख्या (ii) पर ₹ 85.37 लाख का अनुदान भारत सरकार से प्राप्त हुआ था।

पूंजीगत प्रवर्ग

(v) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
-------	------------	--------------------------------	-----------------------

4403- पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय-

101- पशु चिकित्सा सेवाएं तथा पशु स्वास्थ्य-

01- भवन कार्यक्रम-

(i) मूल 790.00
840.16 798.14 (-)42.02

पूरक 50.16

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

(ii) मूल 1.00
451.50 446.51 (-)4.99

पूरक 450.50

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 47.01 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

4405- मछली पालन पर पूंजीगत परिव्यय-

101- अंतर्देशीय मछली पालन-

05- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत निर्माण कार्य-

(i) मूल 4.00
..

पुनर्वि० (-)4.00

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

(ii) मूल 29.00
..

पुनर्वि० (-)29.00

07- प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना-

विनियोग लेखे

अनुदान संख्या- 14- (समाप्त)

केन्द्रीय प्रायोजित योजना
(iii) मूल 1.00

पुनर्वि० (-)1.00

उपरोक्त तीन मामलों में मार्च 2022 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 34.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति के कारण कम कर दिया गया तथा इसलिए राज्य का हिस्सा भी अप्रयुक्त रहा।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-15 - योजना एवं पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना

(शीर्ष- 2202-सामान्य शिक्षा, 2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 2401-फसल कृषि-कर्म, 2402-मृदा तथा जल संरक्षण, 2403-पशु-पालन, 2406-वानिकी तथा वन्य प्राणी, 2851- ग्रामीण तथा लघु उद्योग, 3451-सचिवालय-आर्थिक सेवायें, 4202-शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय, 4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय, 4215-जलापूर्ति एवं स्वच्छता पर पूंजीगत परिव्यय, 4401- फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय, 4402- मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय, 4403-पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय, 4406- वानिकी तथा वन्य जीवों पर पूंजीगत परिव्यय, 4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, 4851-ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय, 5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय तथा 5475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय)

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजारों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
राजस्व प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	72,11,73			
		72,11,74	54,68,07	(-)17,43,67
पूरक	1			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)				5,41,94
पूंजीगत प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	4,71,14,00			
		4,71,14,00	4,17,50,38	(-)53,63,62
पूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..

टिप्पणियां तथा अभ्युक्तियां

- (i) राजस्व प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 1,743.67 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से ₹ 541.94 लाख का अभ्यर्पण अपर्याप्त सिद्ध हुआ।
- (ii) पूंजीगत प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 5,363.62 लाख की कुल बचत हुई लेकिन वर्ष के दौरान विभाग द्वारा कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-15 (क्रमशः)

राजस्व प्रवर्ग

(iii) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-				
शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)	
2202- सामान्य शिक्षा-				
01- प्रारम्भिक शिक्षा-				
101- राजकीय प्राथमिक विद्यालय-				
01- शिक्षा पर व्यय-				
(i) मूल	154.98			
		84.61	83.56	(-)1.05
पुनर्वि०	(-)70.37			
03- माध्यमिक विद्यालय-				
(ii) मूल	180.96			
		110.17	100.54	(-)9.63
पुनर्वि०	(-)70.79			
उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2022 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 141.16 लाख की कमी मुख्यतः सामग्री पर कम व्यय के कारण हुई।				
12- अटल वर्दी योजना-				
मूल	612.00			
		505.00	478.60	(-)26.40
पुनर्वि०	(-)107.00			
₹ 26.40 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹107.00 लाख की कमी स्कूल बैगों की खरीद न होने तथा वर्दी की खरीद पर कम व्यय के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।				
₹ 26.40 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।				
800- अन्य व्यय-				
01- उपाहारमध्याह्न भोजन योजना-				
मूल	69.00	69.00	45.42	(-)23.58
₹ 23.58 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।				
05- अभिभावक/शिक्षक संघ के अन्तर्गत प्रारम्भिक शिक्षा को सहायता अनुदान-				
मूल	25.00			
		14.57	14.56	(-)0.01
पुनर्वि०	(-)10.43			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-15 (क्रमशः)

मार्च 2022 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 10.43 लाख की कमी योजना के अन्तर्गत नियमितीकरण पर कम व्यय होने के कारण हुई।

2210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-

03- ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-
पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति-

101- स्वास्थ्य उप-केन्द्र-

01- स्वास्थ्य उप-केन्द्र-

(i) मूल 1,339.55

1,339.17

978.51

(-)360.66

पुनर्वि० (-)0.38

103- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र-

01- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र -

(ii) मूल 378.67

378.66

287.18

(-)91.48

पुनर्वि० (-)0.01

104- सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र-

01- सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र-

(iii) मूल 36.43

36.41

22.87

(-)13.54

पुनर्वि० (-)0.02

110- अस्पताल तथा औषधालय-

01- ग्रामीण स्वास्थ्य-

(iv) मूल 3.50

3.50

1.41

(-)2.09

800- अन्य व्यय-

04- तपेदिक दवाओं की खरीद-

(v) मूल 1.61

1.61

0.31

(-)1.30

उपरोक्त पांच मामलों में ₹ 469.07 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

04- ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-अन्य चिकित्सा पद्धतियां-

101- आयुर्वेद-

02- आयुर्वेदिक औषधालय-

मूल 1,378.83

1,136.86

1,132.77

(-)4.09

पुनर्वि० (-)241.97

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-15 (क्रमशः)

मार्च 2022 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 241.97 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति तथा दैनिक वेतन भोगियों के नियमितीकरण के कारण हुई।

06- लोक स्वास्थ्य-					
101- रोगों का निवारण तथा नियन्त्रण-					
01- मलेरिया रोधी संगठन-					
(i)	मूल	4.20	4.20	1.41	(-)2.79
13- बहुउद्देशीय कार्यकर्ता योजना-					
(न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम)-					
(ii)	मूल	134.43	134.43	77.55	(-)56.88
2401- फसल कृषि कर्म-					
119- बागवानी तथा वनस्पति फसलें-					
05- उद्यान विकास-					
(iii)	मूल	6.31	6.31	4.15	(-)2.16

उपरोक्त तीन मामलों में ₹ 61.83 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

2406- वानिकी और वन्य जीवन-					
01- वानिकी-					
102- समाज तथा फार्म वानिकी-					
18- सामाजिक वानिकी कार्यक्रम-					
	मूल	594.59			
			534.59	521.81	(-)12.78
	पुनर्वि०	(-)60.00			

मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 60.00 लाख की कमी संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण हुई।

3451- सचिवालय-आर्थिक सेवाएं-					
101- नीति आयोग-					
01- मुख्यालय-					
(i)	मूल	805.77			
			825.31	544.55	(-)280.76
	पुनर्वि०	19.54			
02- जिले-					
(ii)	मूल	534.66			
	पूरक	0.01	534.66	436.99	(-)97.67
	पुनर्वि०	(-)0.01			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-15 (क्रमशः)

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 378.43 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

20-	राज्य अभिनव निधि-				
(i)	मूल	150.00	150.00	..	(-)150.00
21-	सत्त विकास हेतु लक्ष्य-				
(ii)	मूल	59.57	59.57	..	(-)59.57

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 209.57 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

पूंजीगत प्रवर्ग

(iv) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
-------	------------	--------------------------------	-----------------------

4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-

01- सामान्य शिक्षा-

201- प्रारम्भिक शिक्षा-

07- भवनों का निर्माण-

(i) मूल 939.00

770.83

770.72

(-)0.11

पुनर्वि0 (-)168.17

202- माध्यमिक शिक्षा-

06- भवनों का निर्माण-

(ii) मूल 750.00

647.96

647.08

(-)0.88

पुनर्वि0 (-)102.04

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 270.21 लाख की कमी विभिन्न जिलों में भवनों के निर्माण के प्रस्तावों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

4210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-

02- ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-

103- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र-

01- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (निर्माण कार्य)-

(i) मूल 800.00

303.34

305.84

(+)2.50

पुनर्वि0 (-)496.66

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-15 (क्रमशः)

03- चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-

101- आयुर्वेद-

01- आयुर्वेद (निर्माण कार्य)-

(ii) मूल 80.00

49.47

49.47

..

पुनर्वि० (-)30.53

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 527.19 लाख की कमी विभिन्न जिलों में निर्माण के प्रस्तावों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

4401- फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय-

119- बागवानी तथा साग भाजी फसलें-

03- उद्यान विभाग के भवन-

(i) मूल 85.00

28.14

28.14

..

पुनर्वि० (-)56.86

800- अन्य व्यय-

01- कृषि भवन-

(ii) मूल 55.00

18.21

18.21

..

पुनर्वि० (-)36.79

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 93.65 लाख की कमी विभिन्न जिलों में पानी की टंकियों/भंडार टैंकों और अन्य मदों के निर्माण के प्रस्तावों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

4403- पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय-

101- पशु चिकित्सा सेवाएं और पशु स्वास्थ्य-

01- भवन कार्यक्रम-

(i) मूल 50.00

28.24

28.24

..

पुनर्वि० (-)21.76

4406- वानिकी और वन्य प्राणियों पर पूंजीगत परिव्यय-

01- वानिकी-

800- अन्य व्यय-

02- वानिकी-

(ii) मूल 90.00

54.36

54.36

..

पुनर्वि० (-)35.64

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-15 (क्रमशः)

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 57.40 लाख की कमी विभिन्न जिलों में निर्माण की मांग की कम प्राप्ति के कारण हुई।

4851- ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय-

102- लघु उद्योग-

09- ग्राम तथा लघु उद्योग

मूल 45.00

13.74

13.74

..

पुनर्वि0 (-)31.26

मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 31.26 की कमी सार्वजनिक क्षेत्र में लघु उद्योग भवनों के निर्माण के प्रस्तावों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

5475- अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय-

800- अन्य व्यय-

01- विकेन्द्रीयकृत नियोजन क्षेत्र-

मूल 19,975.00

19,975.00

11,916.55

(-)8,058.45

₹ 8,058.45 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

₹ 11,916.55 लाख के कुल व्यय में से ₹ 2,208.96 लाख का व्यय वर्ष 2019-20 की आपत्ति पुस्तिका के उंचत के समायोजन के कारण हुआ।

05- जिला योजना अधिकारियों/कर्मचारियों

के लिए सरकारी आवास का निर्माण-

मूल 74.00

74.00

..

(-)74.00

₹ 74.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

(v) उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
(₹ लाखों में)			

4215- जलापूर्ति तथा स्वच्छता पर पूंजीगत परिव्यय-

01- जलापूर्ति-

102- ग्रामीण जलापूर्ति-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-15 (क्रमशः)

01- विभिन्न जिलों में ग्रामीणजलापूर्ति योजनाएं-

मूल 1,485.00

1,617.87

1,617.87

..

पुनर्वि० 132.87

मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 132.87 लाख का आवर्धन विभिन्न जिलों में निर्माण के प्रस्तावों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ।

4402- मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय-

800- अन्य व्यय-

01- कृषि-

मूल 50.00

55.61

111.26

(+)55.65

पुनर्वि० 5.61

₹ 111.26 लाख के कुल व्यय में से ₹ 55.65 लाख का व्यय वर्ष 2019-20 की आपत्ति पुस्तिका के उंचत के समायोजन के कारण हुआ।

4702- लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-

101- सतही जल-

01- विभिन्न जिलों में उठाऊ सिंचाई योजनाएं-

मूल 50.00

164.22

164.22

..

पुनर्वि० 114.22

मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 114.22 लाख का आवर्धन विभिन्न जिलों में निर्माण के लिए अधिक प्रस्तावों की प्राप्ति के कारण हुआ।

5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-

04- जिला तथा अन्य सड़कें-

800- अन्य व्यय-

06- पिछड़े क्षेत्रों की सड़कें-

मूल 3,800.00

4,527.01

5,581.36

(+)1,054.35

पुनर्वि० 727.01

मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 727.01 लाख का आवर्धन विभिन्न जिलों में सड़कों तथा पुलों के निर्माण के प्रस्तावों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ।

₹ 5,581.36 लाख के कुल व्यय में से ₹ 1,056.85 लाख का व्यय वर्ष 2019-20 की आपत्ति पुस्तिका के उंचत के समायोजन के कारण हुआ।

5475- अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय-

800- अन्य व्यय-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-15 (समाप्त)

02-	विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास निधि योजना-				
(i)	मूल	13,050.00	13,050.00	14,440.63	(+)1,390.63
03-	स्थानीय जिला नियोजन/विकास में जन सहयोग-				
(ii)	मूल	5,000.00	5,000.00	5,166.63	(+)166.63
04-	मुख्यमंत्री ग्राम पथ योजना-				
(iii)	मूल	736.00	736.00	836.06	(+)100.06

उपरोक्त तीन मामलों में ₹ 20,443.32 लाख के कुल व्यय में से ₹ 3,112.83 लाख का व्यय वर्ष 2019-20 की आपत्ति पुस्तिका के उंचत के समायोजन के कारण हुआ।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-16- वन और वन्य जीवन

(शीर्ष- 2059- लोक निर्माण कार्य, 2402-मृदा तथा जल संरक्षण, 2406-वानिकी एवं वन्य प्राणी, 2415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा, 4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय तथा 4406-वानिकी तथा जंगली पर पूंजीगत परिव्यय)

		कुल अनुदान/ विनियोजन	वास्तविक व्यय (₹ हजारों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
राजस्व प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	7,10,40,62			
		7,68,96,22	6,34,57,51	(-)1,34,38,71
पूरक	58,55,60			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)				82,41,80
प्रभारित				
मूल	..			
		5,67	5,67	..
पूरक	5,67			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..
पूंजीगत प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	11,30,00			
		11,55,50	10,19,64	(-)1,35,86
पूरक	25,50			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)				12,45

टिप्पणियां तथा अभ्युक्तियां

- (i) राजस्व प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 13,438.71 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से फरवरी 2022 में प्राप्त ₹ 5,855.60 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ जबकि मूल अनुदान सारभूत रूप से अप्रयुक्त रहा तथा ₹ 8,241.80 लाख का अभ्यर्पण अपर्याप्त सिद्ध हुआ जोकि जो अच्छे बजट और व्यय पर बेहतर नियंत्रण की आवश्यकता की ओर इंगित करता है।
- (ii) पूंजीगत प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 1,35.86 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से फरवरी 2022 में प्राप्त ₹ 25.50 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ जबकि मूल अनुदान सारभूत रूप से अप्रयुक्त रहा तथा ₹ 12.45 लाख अभ्यर्पण अपर्याप्त सिद्ध हुआ।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-16 (क्रमशः)

राजस्व प्रवर्ग

(iii) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
2402- भू तथा जल संरक्षण-			
109- विस्तार तथा प्रशिक्षण-			
20- भू संरक्षण में प्रशिक्षण (वन विभाग)-			
(i) मूल	14.66		
		14.65	7.56
पुनर्वि०	(-)0.01		(-)7.09
2406- वानिकी तथा वन्य जीवन -			
01- वानिकी-			
001- निदेशन तथा प्रशासन-			
01- निदेशालय-			
(ii) मूल	1,189.40		
		1,186.69	1,080.85
पुनर्वि०	(-)2.71		(-)105.84
उपरोक्त दो मामलों में ₹ 112.93 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।			
02- परिमण्डल/मण्डलीय स्थापना-			
मूल	34,801.25		
पूरक	311.50	29,550.42	29,150.98
पुनर्वि०	(-)5,562.33		(-)399.44
₹ 399.44 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 5,562.33 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति, दैनिक वेतन भोगियों की कम नियुक्ति तथा यात्रा, पेट्रोल, तेल, स्नेहक, सामग्री और आपूर्ति पर कम व्यय के कारण हुई जोकि वाहनों की खरीद, प्रशिक्षण, अन्य प्रभार तथा बाह्य स्रोत प्रभारों पर अधिक व्यय होने के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।			
₹ 399.44 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।			
03- प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन			
प्रशिक्षण विकास समीति को सहायता अनुदान-			
मूल	160.00		
		199.80	153.44
पुनर्वि०	39.80		(-)46.36

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-16 (क्रमशः)

₹ 46.36 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 39.80 लाख का आवर्धन स्वीकृति प्रशिक्षण कैलेंडर के अनुसार हिमाचल प्रदेश सरकार के अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों के पुनश्चर्या पाठयक्रम और वर्तमान ढांचे की मरम्मत/रख-रखाव/उन्नयन/पुनर्निमाण पर अधिक व्यय के कारण हुआ जोकि अनावश्यक सिद्ध हुआ।

₹ 46.36 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

070- संचार तथा भवन-

01- भवनों सडकों तथा रास्तों का रखरखाव -

मूल 1,285.00

1,018.68

1,011.9

(-)6.78

पुनर्वि० (-)266.32

मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 266.32 लाख की कमी सडकों के पथ निर्माण के अनुक्षण कार्यो तथा भवनों की मरम्मत/रखरखाव कार्य के कम निष्पादन के कारण हुई।

101- वन संरक्षण, विकास और संपोषण-

01- वनों की समेकन और सीमांकन -

मूल 148.00

2.80

2.80

..

पुनर्वि० (-)145.20

मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 145.20 लाख की कमी वार्षिक योजना परिव्यय में क्षेत्र पदाधिकारियों से मांग की कम प्राप्ति, सीमांकन प्रक्रिया को पूरा न करने, कांटेदार तार बाड की कम खरीद तथा कार्यशाला और संगोष्ठियों के आयोजन पर कम व्यय होने के कारण हुई।

02- वन पुनोत्पादन-

मूल 39.73

..

..

..

पुनर्वि० (-)39.73

मार्च 2022 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 39.73 लाख का समस्त प्रावधान क्षेत्रिय कार्यालयों से मांग की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया।

03- एकीकृत वन सुरक्षा योजना-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

मूल 298.00

..

..

..

पुनर्वि० (-)298.00

मार्च 2022 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 298.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-16 (क्रमशः)

04-	प्रबन्धादि योजना संस्थान-				
	मूल	75.00			
			20.00	19.97	(-)0.03
	पुनर्वि०	(-)55.00			
	मार्च 2022 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 55.00 लाख की कमी संहितागत औपचारिकताओं तथा प्रबन्धादि योजना की विभिन्न गतिविधियों को पूरा न करने तथा सामाग्री की खरीद पर कम व्यय के कारण हुई।				
08-	हिमाचल प्रदेश वन इको सिस्टम कलाइमेट प्रूफिंग प्राजेक्ट (बाह्य सहायता प्राप्त योजना)-				
(i)	मूल	4,115.00			
	पूरक	250.00	4,356.51	4,272.37	(-)84.14
	पुनर्वि०	(-)8.49			
11-	वन आग प्रबंधन योजना-				
(ii)	मूल	141.00	141.00	119.46	(-)21.54
	उपरोक्त दो मामलों में ₹ 105.68 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।				
102-	समाज तथा फार्म वानिकी-				
34-	राज्य वन विकास अभिक्रम द्वारा वनरोपण कार्यक्रम का क्रियान्वयन				
(i)	मूल	31.00			
		
	पुनर्वि०	(-)31.00			
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(ii)	मूल	299.00			
		
	पुनर्वि०	(-)299.00			
35-	स्थायी कृषि पर राष्ट्रीय मिशन के अन्तर्गत कृषि-वानिकी मिशन-				
(iii)	मूल	7.00			
		
	पुनर्वि०	(-)7.00			
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(iv)	मूल	66.00			
		
	पुनर्वि०	(-)66.00			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-16 (क्रमशः)

उपरोक्त चार मामलों में मार्च 2022 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 403.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया तथा इसलिए राज्य की हिस्सेदारी भी अप्रयुक्त रही।

36-	नगर वन उद्यान योजना-				
	मूल	5.00			
	पुनर्वि०	(-)5.00			
	मार्च 2022 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 5.00 लाख का समस्त प्रावधान क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा मांग की प्राप्ति न होने तथा सामग्री की खरीद न होने के कारण कम कर दिया गया।				
37-	स्त्रोत स्थिरता और जलवायु अनुकूल वर्षा सिंचित कृषि के लिए एकीकृत विकास परियोजना-				
	मूल	4,115.00			
			6,615.00	6,346.84	(-)268.16
	पूरक	2,500.00			
	₹ 268.16 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।				
39-	प्रायोगिक सिल्वि कल्चरल फेलिंग-				
	मूल	441.00			
			363.84	329.33	(-)34.51
	पुनर्वि०	(-)77.16			
	₹ 34.51 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 77.16 लाख की कमी लघु कार्यों के निष्पादन, कार्यशालाओं व संगोष्ठियों के आयोजन, सामग्री की कम खरीद तथा अनुरक्षण गतिविधियों पर कम व्यय के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई। ₹ 34.51 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।				
40-	अतिरिक्त वनवर्धन संचालन-				
	मूल	224.00			
			190.64	189.25	(-)1.39
	पुनर्वि०	(-)33.36			
	मार्च 2022 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 33.36 लाख की कमी सामग्री की खरीद, कार्यशालाओं और संगोष्ठियों के आयोजन, मरम्मत तथा लघु कार्यों के निष्पादन पर कम व्यय के कारण हुई।				
43-	विभागीय राज्य वानिकी कार्यक्रम-				
	मूल	2,858.00			
			2,683.68	2,654.98	(-)28.70
	पुनर्वि०	(-)174.32			
	₹ 28.70 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2022 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 174.32 लाख की कमी अनुरक्षण व लघु कार्यों के निष्पादन तथा सामग्री की खरीद पर कम व्यय के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई। ₹ 28.70 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-16 (क्रमशः)

44-	सामूदायिक राज्य वानिकी कार्यक्रम-				
	मूल	1,050.00			
			543.93	479.96	(-)63.97
	पुनर्वि०	(-)506.07			
	₹ 63.97 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2022 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 506.07 लाख की कमी स्कूलों के बंद होने के कारण लघु गतिविधियों पर कम व्यय, कार्यशालाओं व संगोष्ठियों के कम आयोजन तथा सहायता अनुदान जारी न करने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।				
	₹ 63.97 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।				
105-	वन उत्पाद -				
02-	ग्राहकों द्वारा लकड़ी तथा अन्य पदार्थ ले जाना-				
	मूल	22.48			
			8.37	7.35	(-)1.02
	पुनर्वि०	(-)14.11			
	मार्च 2022 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 14.11 लाख की कमी लकड़ी के गट्टों तथा अन्य वन उपज के अंकन पर कम व्यय होने के कारण हुई।				
03-	प्रवाहित काष्ठ तथा समपृहित वनोत्पादन-				
	मूल	32.53			
			32.50	2.50	(-)30.00
	पुनर्वि०	(-)0.03			
	₹ 30.00 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।				
07-	चीड़ की पत्तियों का जंगलों से सकलन तथा इस पर आधारित उद्योगों में निवेश हेतु उपदान-				
	मूल	187.00			
			8.73	8.73	..
	पुनर्वि०	(-)178.28			
	मार्च 2022 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 178.28 लाख की कमी पात्रता मांनदंड की पूर्ति न होने के कारण लाभार्थियों को कम उपदान जारी करने, संगोष्ठियों और जागरूकता कार्यक्रमों के आयोजनों, सामग्री की खरीद तथा योजना के अन्तर्गत रख-रखाव संबंधी गतिविधियों पर कम व्यय के कारण हुई।				
800-	अन्य व्यय-				
02-	कर्मचारी तथा श्रमिक सुख सुविधाएं-				
	मूल	50.00			
		
	पुनर्वि०	(-)50.00			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-16 (क्रमशः)

मार्च 2022 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 50.00 लाख के समस्त प्रावधान संगोष्ठियों, कार्यशालाओं, खेलकूद एवं कर्तव्य बैठकों के आयोजन पर कम व्यय के कारण कम कर दिया गया।

02- पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव-

110- वन्य जीव परिरक्षण-

01- वन्य जीवन-

मूल 1,316.00

1,309.34

1,280.10

(-)29.24

पुनर्वि० (-)6.66

₹ 29.24 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

10- राष्ट्रीय पार्को एवं अभ्यारण्यों
के विकास हेतु सहायता-

(i) मूल 20.00

5.50

5.50

..

पुनर्वि० (-)14.50

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

(ii) मूल 200.00

49.46

49.46

..

पुनर्वि० (-)150.54

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 165.05 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति के कारण हुई और इसलिए राज्य का हिस्सा केन्द्रीय हिस्सेदारी के अनुपात में जारी कर दिया गया।

111- चिड़ियाघर-

01- हिमालयन प्राणी उपवन का विकास-

मूल 461.00

461.00

349.50

(-)111.50

₹ 111.50 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

04- वनीकरण एवं पारिस्थितिकी विकास-

103- राज्य क्षतिपूरक वनारोपण-

01- प्रतिपूरक वनीकरण-

मूल 1,700.00

पूरक 0.01

1,673.28

1,634.56

(-)38.72

पुनर्वि० (-)26.73

₹ 38.72 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 26.73 लाख की कमी रख-रखाव गतिविधियों, काटेदार तारें व औजारों की खरीद पर कम व्यय के कारण हुई जोकि पौधारोपण के अधिक निष्पादन, नर्सरीयों को बढ़ाने व विकसित पौधारोपण पर हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 38.72 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-16 (क्रमशः)

02- जलग्रहण क्षेत्र उपचार योजना-

(i) मूल	2,500.00			
पूरक	0.02	2,498.60	1,536.71	(-)961.89
पुनर्वि०	(-)1.42			

03- एकीकृत वन्य जीवन प्रबंधन योजना-

(ii) मूल	1,680.00			
पूरक	0.04	1,680.00	1,209.84	(-)470.16
पुनर्वि०	(-)0.04			

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 1,432.05 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

04- वन भूमि का निवल वर्तमान मूल्य-

मूल	5,119.00			
पूरक	2,609.91	7,361.97	5,017.51	(-)2,344.46
पुनर्वि०	(-)366.94			

₹ 2,344.46 लाख की सारभूत अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 366.94 लाख की कमी वानिकी गतिविधियों के कम निष्पादन, पेट्रोल, तेल, स्नेहक, वाहनों की मरम्मत, विज्ञापनों, प्रचारो व वनों के रखरखाव पर कम व्यय के कारण हुई जोकि सहायक/कृत्रिम पुनर्वास के लिए निधियों की अधिक आवश्यकता के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 2,344.46 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

05- व्याज-

मूल	200.00			
पूरक	0.02	190.00	78.13	(-)111.87
पुनर्वि०	(-)10.02			

₹ 111.87 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

(iv) उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्ष के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
			(₹ लाखों में)

2402- भू तथा जल संरक्षण-

102- मृदा संरक्षण-

12- सुरक्षात्मक वनीकरण मृदा संरक्षण और प्रदर्शन (वन विभाग)-
योजना

मूल	1,189.00			
		1,308.03	1,286.57	(-)21.46
पुनर्वि०	119.03			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-16 (क्रमशः)

₹ 21.46 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 119.03 लाख का आवर्धन वेतनमानों में संशोधन के कारण हुआ जोकि अनुसूचना गतिविधियों के कम निष्पादन, कार्यशालाओं व संगोष्ठियों के आयोजनों पर कम व्यय के कारण हुई बचत से अंशतः प्रतिसंतुलित हुआ जोकि अत्याधिक सिद्ध हुआ।

₹ 21.46 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

पूंजीगत प्रवर्ग

(v) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्ष के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
-------	------------	--------------------------------	-----------------------

4406- वानिकी तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय-

01- वानिकी-

070- संचार तथा भवन-

01- सड़कें तथा पुल-

मूल 150.00

175.50

147.04

(-)28.46

पूरक 25.50

₹ 28.46 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

02- भवन-

मूल 610.00

588.05

531.94

(-)56.11

पुनर्वि0 (-)21.95

₹ 56.11 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 21.95 लाख की कमी कार्यों का निष्पादन निविदाओं द्वारा करने तथा संहितागत औपचारकताओं को पूरा न करने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 56.11 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

02- पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीवन-

110- वन्य जीवन-

03- वन्य जीवन-

मूल 10.00

25.00

5.00

(-)20.00

पुनर्वि0 15.00

₹ 20.00 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 15.00 लाख का आवर्धन मुख्य कार्यों के निष्पादन पर अधिक व्यय के कारण हुआ जोकि अत्याधिक सिद्ध हुआ।

₹ 20.00 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-16 (समाप्त)

(vi) **राज्य प्रतिपूरक वनीकरण कोष (SCAF)**

प्रतिपूरक वरोपण निधि अधिनियम 2016 (2016 का 38) की धारा 4 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल हिमाचल प्रदेश इस अधिनियम के प्रायोजनों के लिए विशेष निधि जो प्रतिपूरक वन रोपण निधि (SCAF) कहलायेगा, की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। यह निधि राज्य सरकार नियन्त्रण में होगा एवं राज्य प्राधिकरण द्वारा प्रबन्धित किया जायेगा। राज्य प्रतिपूरक वन रोपण निधि प्रबन्धन एवं योजना प्राधिकरण का गठन दिनांक 2 जुलाई 2009 के दिशा निर्देशों के अनुपालन करते हुए किया जायेगा। दस प्रतिशत राशि प्रयोक्ता एजेंसियों से प्राप्त की जायेगी जो एक वर्ष में सीधे राज्य निधि में जमा की जायेगी तत्पश्चात जैसा कि क्षतिपूर्ति वनीकरण अधिनियम 2016 की धारा 3(4) के प्रावधान अनुसार राष्ट्रीय निधि में हस्तान्तरित की जायेगी।

राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश प्रतिपूरक वनीकरण अधिनियम 2016 के अनुसार राज्य प्रतिपूरक वनीकरण निधि की राज्य के लोक लेखा के अर्न्तत मुख्या शीर्ष 8121-सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधि के अन्तर्गत स्थापना की गई है। भारत सरकार ने ₹ 1,660.72 करोड़ की राशि राष्ट्रीय कोष में माह 8/2019 से 3/2021 तक हस्तान्तरित की गई।

वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 के शेष पर कुल ब्याज क्रमशः ₹ 53.28 करोड़ एवं ₹ 54.21 करोड़ था जिसे मुख्य शीर्ष 8121-सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधि, 129- राज्य प्रतिपूरक वनीकरण कोष (SCAF) में जमा की गई है। वर्ष 2019-20 में प्रतिपूरक वनीकरण की विभिन्न गतिविधियों पर शून्य व्यय किया गया तथा वर्ष 2020-21 में इस पर ₹ 119.49 करोड़ व्यय किये गये। 31 मार्च 2021 के अन्त तक राज्य प्रतिपूरक वनीकरण निधि में ₹ 1,648.73 करोड़ शेष थे।

राज्य सरकार ने वर्ष 2021-22 के दौरान ₹ 2.03 करोड़ रूपये मुख्य शीर्ष 8121-सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधि, 129-राज्य प्रतिपूरक वनीकरण कोष में प्राप्त किये। वर्ष 2021-22 के दौरान ₹ 94.77 करोड़ प्रतिपूरक वनीकरण की विभिन्न गतिविधियों पर व्यय किये गये। 31 मार्च 2022 के अन्त तक ₹ 52.13 करोड़ रूपये ब्याज के रूप में इकट्ठे हुये। 31 मार्च 2022 तक राज्य प्रतिपूरक वनीकरण निधि में कुल शेष ₹ 1,608.11 करोड़ थे। (राज्य प्रतिपूरक वनीकरण निधि के लेन देन को विस्तार से देखने के लिए वर्ष 2021-22 के वित्त लेखे की विवरणी संख्या 21 में मुख्य शीर्ष 8121-129 के अन्तर्गत देखा जा सकता है)।

विनियोग लेखे

अनुदान संख्या - 17- निर्वाचन

(शीर्ष- 2015-निर्वाचन, 2059-लोक निर्माण कार्य, 2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं और 4059-लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय)

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजारों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
राजस्व प्रवर्ग दत्तमत				
मूल	31,52,49			
		62,67,74	62,39,11	(-)28,63
पूरक	31,15,25			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि राशि (31 मार्च 2022)				1,67,00
पूंजीगत प्रवर्ग दत्तमत				
मूल	75,00			
		20,05,00	39,35,00	(+)19,30,00
पूरक	19,30,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..

टिप्पणियां तथा अभ्युक्तियां

- (i) पूंजीगत प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 19,30,00,000 के आधिक्य का नियमन अपेक्षित है।
- (ii) राजस्व प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 28.63 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से ₹ 167.00 लाख का अभ्यर्पण अत्यधिक सिद्ध हुआ।
- (iii) पूंजीगत प्रवर्ग में दत्तमत प्रावधान में ₹ 1,930.00 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से फरवरी 2022 में प्राप्त ₹ ₹ 1,930.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अपर्याप्त सिद्ध हुआ।

राजस्व प्रवर्ग

- (iv) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्ष के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
-------	------------	-----------------------------------	-----------------------

2015- निर्वाचन -

101- निर्वाचन आयोग-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-17 (क्रमशः)

01-	राज्य निर्वाचन आयोग-				
	मूल	170.77			
			170.73	140.87	(-)29.86
	पुनर्वि०	(-)0.04			
	₹ 29.86 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।				

102-	निर्वाचन अधिकारी-				
01-	मुख्य निर्वाचन अधिकारी तथा इसके कर्मचारी-				
	मूल	1,978.74			
			1,782.51	1,770.56	(-)11.95
	पुनर्वि०	(-)196.23			

मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 196.23 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जोकि कार्यालय में कार्य केन्द्र की स्थापना और कार्यालय वस्तुओं, बिजली और टेलीफोन बिलों पर अधिक व्यय के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।

106-	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के विधानमंडल के चुनाव कराने के लिए प्रभार-				
01-	विधानसभा चुनाव-				
	मूल	0.08			
	पूरक	408.55	356.00	355.43	(-)0.57
	पुनर्वि०	(-)52.63			

मार्च 2022 में अभ्यर्पण के द्वारा प्रावधान में ₹ 52.63 लाख की कमी बाह्य सत्रात वाहनों पर और वाहनों का मरम्मत पर कम व्यय के कारण हुई।

108-	मतदाताओं को फोटोयुक्त पहचान पत्र जारी करना-				
01-	मतदाताओं को फोटो युक्त पहचान पत्र जारी करना-				
	मूल	39.96			
			27.40	27.40	..
	पुनर्वि०	(-)12.56			

मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 12.56 लाख की कमी सामग्री की खरीद पर कम व्यय के कारण हुई।

(v)	उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्ष के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-			
	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
			(₹ लाखों में)	

2015- निर्वाचन -

103- मतदाता सूचियों का निर्माण और मुद्रण-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-17 (समाप्त)

01-	विधानसभा -				
	मूल	687.67			
	पूरक	217.09	1,001.73	997.75	(-)3.98
	पुनर्वि०	96.97			

मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 96.97 लाख का आवर्धन विज्ञापन और प्रचार पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

105-	संसद के चुनाव कराने के लिए प्रभास-				
01-	संसदीय-				
	मूल	0.11			
	पूरक	1,564.32	1,562.03	1,744.36	(+)182.33
	पुनर्वि०	(-)2.40			

₹ 182.33 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

पूंजीगत प्रवर्ग

(vi) दत्तमत अनुदान में आधिक्य मुख्यतः निम्नवत् शीर्ष के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-			
01- कार्यालय भवन-			
051- निर्माण -			
40- इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशानों एवं वीवी पीएटी के भण्डार के लिए गोदामों का निर्माण-			
मूल	75.00		
		2,005.00	3,935.00
			(+)1,930.00
पूरक	1,930.00		

₹ 1,930.00 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

विनियोग लेखे

अनुदान संख्या - 18- उद्योग, खनिज, आपूर्ति एवं सूचना प्रौद्योगिकी

(शीर्ष- 2057-आपूर्ति तथा निपटान, 2059-लोक निर्माण कार्य, 2216-आवास, 2851- ग्रामीण तथा लघु उद्योग, 2852-उद्योग, 2853-अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग, 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय, 4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय, 4851-ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय तथा 6885- उद्योग तथा खनिज के लिए अन्य ऋण)

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजारों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
राजस्व प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	1,74,21,07			
		1,76,33,99	1,57,08,36	(-)19,25,63
पूरक	2,12,92			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)				68,50
पूंजीगत प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	31,84,01			
		37,21,57	1,11,88,45	(+)74,66,88
पूरक	5,37,56			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..

टिप्पणियां तथा अभ्युक्तियां

- (i) पूंजीगत प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 74,66,87.810 के आधिक्य का नियमन अपेक्षित है।
- (ii) राजस्व प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 1,925.63 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से फरवरी 2022 में प्राप्त ₹ 212.92 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ जबकि मूल अनुदान भी सारभूत रूप से अप्रयुक्त रहा तथा ₹ 68.50 लाख का अभ्यर्पण अपर्याप्त सिद्ध हुआ जोकि बेहतर बजट तथा व्यय पर बेहतर नियंत्रण की आवश्यकता की ओर इंगित करता है।
- (iii) पूंजीगत प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 7,466.88 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से फरवरी 2022 में प्राप्त ₹ 537.56 लाख का अनुपूरक अनुदान अपर्याप्त सिद्ध हुआ।

राजस्व प्रवर्ग

- (iv) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
2851- ग्रामीण तथा लघु उद्योग-			

विनियोजन लेखे
अनुदान संख्या-18 (क्रमशः)

102-	लघु उद्योग-				
10-	औद्योगिक विकास एवं प्रशिक्षण-				
	मूल	50.00			
			20.89	10.89	(-)10.00
	पुनर्वि०	(-)29.11			
	मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 29.11 लाख की कमी प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर कम व्यय के कारण हुई।				
13-	जिला उद्योग केन्द्र-				
	मूल	1,909.40			
			1,846.95	1,650.20	(-)196.75
	पुनर्वि०	(-)62.45			
	₹ 196.75 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 62.45 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जोकि बाह्य सेवाओं पर अधिक व्यय, चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की अधिक प्राप्ति तथा कार्यालय भवनों के किराये पर अधिक व्यय के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।				
	₹ 196.75 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।				
19-	सूचना एवं प्रौद्योगिकी और ई-गवर्नेंस-				
(i)	मूल	1,300.00			
	पूरक	0.01	1,300.00	1,235.02	(-)64.98
	पुनर्वि०	(-)0.01			
29-	मुख्यमंत्री स्टार्ट-अप योजना के अन्तर्गत प्रोत्साहन-				
(ii)	मूल	269.00	269.00	217.10	(-)51.90
	उपरोक्त दो मामलों में ₹ 116.88 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।				
30-	राष्ट्रीय बाँस मिशन-				
(i)	मूल	1.00	1.00	..	(-)1.00
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(ii)	मूल	1.00	1.00	..	(-)1.00
	उपरोक्त दो मामलों में ₹ 2.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।				
32-	कुटीर खाद्य प्रसंस्करण उद्यम की स्थापना-				
	आत्मनिर्भर भारत-				
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना-				
	मूल	178.00			
	पूरक	158.65	442.98	178.00	(-)264.98
	पुनर्वि०	106.33			

विनियोजन लेखे

अनुदान संख्या-18 (क्रमशः)

₹ 264.98 लाख की सारभूत अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 106.33 लाख का आवर्धन भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ जोकि अनावश्यक सिद्ध हुआ। जबकि भारत सरकार से ₹ 353.95 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ था।

₹ 264.98 लाख की सारभूत अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

103- हथकरघा उद्योग-

22- हथकरघा तथा हस्तकला के लिए एकीकृत योजना-

(i) मूल	10.00	10.00	..	(-)10.00
---------	-------	-------	----	----------

25- राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम-

(ii) मूल	1.00	1.00	..	(-)1.00
----------	------	------	----	---------

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 11.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

मूल	1.00			
-----	------	--	--	--

..

पुनर्वि०	(-)1.00			
----------	---------	--	--	--

मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार द्वारा निधियों को सीधे लाभार्थियों के खाते में हस्तांतरित करने के कारण कम कर दिया गया।

27- हथकरघा एवं हस्तशिल्प का सामुहिक विकास -

मूल	1.00	1.00	..	(-)1.00
-----	------	------	----	---------

₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

मूल	1.00			
-----	------	--	--	--

..

पुनर्वि०	(-)1.00			
----------	---------	--	--	--

मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार द्वारा निधियों को सीधे लाभार्थियों के खाते में हस्तांतरित करने के कारण कम कर दिया गया।

107- रेशम उत्पादन उद्योग-

01- रेशम उद्योग का विकास-

मूल	794.00			
		798.65	666.23	(-)132.42

पुनर्वि०	4.65			
----------	------	--	--	--

₹ 132.42 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

02- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-

(i) मूल	7.00			
---------	------	--	--	--

		4.48	4.47	(-)0.01
--	--	------	------	---------

पुनर्वि०	(-)2.52			
----------	---------	--	--	--

विनियोजन लेखे
अनुदान संख्या-18 (क्रमशः)

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

(ii) मूल 59.00

40.25

40.25

..

पुनर्वि० (-)18.75

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 21.27 लाख की कमी लाभार्थियों से मांग की कम प्राप्ति के कारण हुई।

800- अन्य व्यय-

10- मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना-

मूल 7,265.00

7,265.00

5,597.22

(-)1,667.78

₹ 1,667.78 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

2852- उद्योग-

80- सामान्य-

001- निदेशन तथा प्रशासन-

01- निदेशालय-

मूल 401.82

381.64

353.87

(-)27.77

पुनर्वि० (-)20.18

₹ 27.77 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 20.18 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जोकि परामर्श शुल्क के भुगतान पर अधिक व्यय के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 27.77 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

800- अन्य व्यय-

06- हिमाचल प्रदेश निवेश प्रोत्साहन एजेंसी

मूल 100.00

..

..

..

पुनर्वि० (-)100.00

मार्च 2022 में ₹ 100.00 लाख का समस्त प्रावधान प्रस्तावों को अंतिम रूप नहीं देने के कारण पुनर्विनियोज/अभ्यर्पण द्वारा कम कर दिया गया।

2853- अलौह खनन तथा धातु उद्योग-

02- खानों का विनियमन तथा विकास-

102- खनिज खोज-

01- खनिज अन्वेषण कर्मचारी वर्ग और अन्य कार्य-

मूल 1,183.49

1,177.95

1,029.54

(-)148.41

पुनर्वि० (-)5.54

₹ 148.41 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

विनियोजन लेखे

अनुदान संख्या-18 (क्रमशः)

(v) उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अंतर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुईः-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
-------	------------	---------------	-----------------------

(₹ लाखों में)

2851- ग्रामीण तथा लघु उद्योग-

102- लघु उद्योग-

24- खाद्य विधायन हेतु राज्य मिशन

मूल	461.00	461.00	1,228.57	(+)767.57
-----	--------	--------	----------	-----------

₹ 1,228.57 लाख के कुल व्यय में से ₹ 767.57 लाख का व्यय वर्ष 2019-20 की आपत्ति पुस्तिका के उचंत के समायोजन के कारण हुआ।

32- कुटीर खाद्य प्रसंस्करण उद्यमी की स्थापना आत्मनिर्भर भारत-

मूल 20.00

		49.44	49.44	..
--	--	-------	-------	----

पुनर्वि० 29.44

मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 29.44 लाख का आवर्धन केन्द्रीय हिस्सेदारी के अनुपात में राज्य की हिस्सेदारी जारी करने के कारण हुआ।

103- हथकरघा उद्योग-

01 हथकरघा तथा हस्तशिल्प उद्योग का विकास-

मूल 0.03

		24.09	24.06	(-)0.03
--	--	-------	-------	---------

पुनर्वि० 24.06

मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 24.06 लाख का आवर्धन हिमाचल प्रदेश हथकरघा तथा हस्तशिल्प निगम से मांग की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ।

2852- उद्योग-

80- सामान्य-

800- अन्य व्यय-

02- निवेश स्कीम को बढ़ावा-

मूल 75.00

पूरक 54.26

155.00

154.78

(-)0.22

पुनर्वि० 25.74

मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 25.74 लाख का आवर्धन दूसरे ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह के आयोजन के कारण हुआ।

पूंजीगत प्रवर्ग

(vi) दत्तमत अनुदान में आधिक्य मुख्यतः निम्नवत् शर्ष के अंतर्गत हुआः-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
-------	------------	---------------	-----------------------

(₹ लाखों में)

4851- ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय-

विनियोजन लेखे
अनुदान संख्या-18 (समाप्त)

800-	अन्य व्यय-				
01-	औद्योगिक क्षेत्र के भवनों का निर्माण-				
	मूल	2,989.00			
			3,412.00	10,907.40	(+)7,495.00
	पूरक	423.40			

₹ 7,495.00 लाख के सारभूत अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

(vii)	उपरोक्त आधिक्य मुख्यतः निम्नवत् शीर्ष के अंतर्गत हुई बचत से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-			
	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
			(₹ लाखों में)	

4851-	ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय-			
107-	रेशम उत्पादन उद्योग का विकास-			
01-	रेशम उत्पादन उद्योग का विकास-			
	मूल	100.00	100.00	71.89
				(-)28.11

₹ 28.11 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

विनियोग लेखे

अनुदान संख्या - 19- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता

(शीर्ष- 2059-लोक निर्माण-कार्य, 2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों एवं अल्पसंख्यकों का कल्याण, 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, 2236-पोषण, 4225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों एवं अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय, 4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय तथा 6235-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों एवं अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए ऋण)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजारों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
राजस्व प्रवर्ग			
दत्तमत			
मूल	12,33,62,94		
		12,48,97,04	(-)46,37,97
पूरक	15,34,10		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)			24,80,61
पूंजीगत प्रवर्ग			
दत्तमत			
मूल	8,36,00		
		8,36,00	(-)3,75,99
पूरक	..		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)			1,87,20

टिप्पणियां तथा अभ्युक्तियां

- राजस्व प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 4,637.97 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से फरवरी 2022 में प्राप्त ₹ 1,534.10 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ जबकि मूल अनुदान भी अप्रयुक्त रहा तथा ₹ 2,480.61 लाख का अभ्यर्पण अपर्याप्त सिद्ध हुआ।
- पूंजीगत प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 375.99 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से ₹ 187.20 लाख का अभ्यर्पण अपर्याप्त सिद्ध हुआ।

राजस्व प्रवर्ग

- दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
2059- लोक निर्माण-कार्य-			
01- कार्यालय भवन-			
053- रखरखाव तथा मुरम्मत-			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 19-(क्रमशः)

67-	सरकारी आंगनबाड़ी केन्द्रों की मरम्मत-				
(i)	मूल	2.00			
	पुनर्वि०	(-)2.00			
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(ii)	मूल	33.00			
	पुनर्वि०	(-)33.00			
	उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2022 में ₹ 35.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण अभ्यर्पण द्वारा कम कर दिया गया तथा इसलिए राज्य का हिस्सा भी अप्रयुक्त रहा।				
2225-	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण-				
01-	अनुसूचित जातियों का कल्याण-				
001-	निदेशन तथा प्रशासन-				
01-	निदेशालय-				
(i)	मूल	541.46			
			538.16	421.68	(-)116.48
	पुनर्वि०	(-)3.30			
02-	जिला कर्मचारी वर्ग-				
(ii)	मूल	371.01			
	पूरक	17.19	1,384.59	1,255.47	(-)129.12
	पुनर्वि०	3.61			
03-	पिछड़े वर्गों का कल्याण-				
102-	आर्थिक विकास-				
02-	गुज्जर, लबाना, गद्दी जातियों के कल्याण हेतु गठित बोर्ड-				
(iii)	मूल	20.00	20.00	6.44	(-)13.56
	उपरोक्त तीन मामलों में ₹ 259.16 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।				
04-	कंप्यूटर अनुप्रयोग प्रशिक्षण-				
	मूल	136.00			
			75.75	59.61	(-)16.14
	पुनर्वि०	(-)60.25			
	मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 60.25 लाख की कमी दिसंबर 2021 के महीने के दौरान नया पाठ्यक्रम शुरू करने के कारण हुई।				
80-	सामान्य-				
190-	सार्वजनिक क्षेत्र के अन्य उपक्रमों को सहायता-				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 19-(क्रमशः)

01-	अल्पसंख्यक विकास निगम को सहायता अनुदान-				
	मूल	1.00	1.00	..	(-)1.00
	₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।				
800-	अन्य व्यय-				
01-	सिविल सेवा प्रशिक्षण के लिए सहायता				
	मूल	5.00			
			3.00	3.00	..
	पुनर्वि०	(-)2.00			
	मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 2.00 लाख की कमी सिविल सेवाओं के लिए प्रशिक्षण के अन्तर्गत मामलों की कम प्राप्ति के कारण हुई।				
2235-	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-				
01-	पुनर्वास				
202-	अन्य पुनर्वास योजनाएं-				
02-	कुष्ठ रोगियों का पुनर्वास-				
	मूल	187.00			
			130.34	130.33	(-)0.01
	पुनर्वि०	(-)56.66			
	मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 56.66 लाख की कमी सामाजिक सुरक्षा पेंशन के मामलों की कम प्राप्ति के कारण हुई।				
06-	मानसिक रोगी उपचारित हेतु पुनर्वास-				
	मूल	110.00			
			135.00	67.11	(-)67.89
	पूरक	25.00			
	₹ 67.89 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।				
01-	सामाजिक कल्याण-				
101-	विकलांगों का कल्याण-				
03-	विकलांगों का उत्थान -				
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
	मूल	1.00			
		
	पुनर्वि०	(-)1.00			
	मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया।				
06-	विकलांगों के लिए प्रचलित योजनाओं में समन्वय तथा अतिरिक्त सहायता-				
	मूल	51.55			
			31.11	30.53	(-)0.58
	पुनर्वि०	(-)20.44			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 19-(क्रमशः)

मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 20.44 लाख की कमी योजना के अन्तर्गत आवेदनों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

102- बाल कल्याण-

03- शिशु गृह-

मूल 300.62

277.85

237.69

(-)40.16

पुनर्वि० (-)22.77

₹ 40.16 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 22.77 लाख की कमी सामग्री की खरीद तथा बाह्य सेवाओं पर कम व्यय के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 40.16 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

05- एकीकृत शिशु कल्याण सेवाएं-

मूल 3,080.00

2,613.11

2,347.98

(-)265.13

पुनर्वि० (-)466.89

₹ 265.13 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 466.89 लाख की कमी आंगनबाडी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं के रिक्त पदों को न भरने से मानदेय, किराये पर कम व्यय तथा प्रशिक्षण के कम आयोजन के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 265.13 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

मूल 16,913.00

16,268.47

15,601.11

(-)667.36

पुनर्वि० (-)644.53

₹ 667.36 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 644.53 लाख की कमी आंगनबाडी कार्यकर्ताओं के रिक्त पदों को न भरने से मानदेय पर कम व्यय, प्रशिक्षण के कम आयोजन, किराया, दर एवं करों पर कम व्यय के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 667.36 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)। जबकि भारत सरकार से ₹ 23,570.23 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ था।

13- बेटे है अनमोल-

मूल 915.00

722.74

700.96

(-)21.78

पुनर्वि० (-)192.26

₹ 21.78 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 192.26 लाख की कमी प्रस्तावों की कम प्राप्ति के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 21.78 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 19-(क्रमशः)

15-	एकीकृत शिशु संरक्षण योजना के अन्तर्गत गैर सरकारी संगठनों द्वारा संचालित शहरी तथा अर्द्ध शहरी क्षेत्रों में संचालित शिशु गृह-				
	मूल	124.00			
	पुनर्वि०	(-)53.74	70.26	59.64	(-)10.62
	मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 53.74 लाख की कमी केन्द्रीय हिस्से के अनुपात में राज्य का हिस्सा जारी करने, बाल देखभाल संस्थानों में कम दाखिले तथा रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।				
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
	मूल	1,244.00			
	पुनर्वि०	(-)565.05	678.95	620.54	(-)58.41
	₹ 58.41 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 565.05 लाख की कमी बाल देखभाल संस्थानों में कम प्रवेश के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।				
	₹ 58.41 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।				
21-	राजीव गांधी राष्ट्रीय शिशु सदन योजना-				
(i)	मूल	14.00			
	पुनर्वि०	(-)14.00
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(ii)	मूल	106.00			
	पुनर्वि०	(-)106.00
	उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा ₹ 120.00 लाख का समस्त प्रावधान कोविड-19 के कारण बंद किए गए शिशु गृहों पर कम व्यय होने के कारण कम कर दिया गया।				
24-	लडकियों को विवाह अनुदान-				
	मूल	2,000.00			
	पुनर्वि०	(-)342.50	1,657.50	1,645.48	(-)12.02
	मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 342.50 लाख की कमी शगुन योजना के अन्तर्गत आवेदनों की कम प्राप्ति के कारण हुई।				
103-	महिला कल्याण-				
05-	राज्य महिला आयोग-				
	मूल	110.42	110.42	68.46	(-)41.96
	₹ 41.96 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 19-(क्रमशः)

19- प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

मूल	889.00			
पूरक	0.06	221.44	207.34	(-)14.10
पुनर्वि०	(-)667.62			

मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 667.62 लाख की कमी केन्द्रीय हिस्से के अनुपात में राज्य के हिस्से को जारी करने के कारण हुई जोकि बाह्य सेवाओं, बिजली, पानी के शुल्क तथा वाहनों को किराए पर लेने पर अधिक व्यय के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।

21- महिला शक्ति केन्द्र-

मूल	5.00			
		13.00	5.00	(-)8.00
पुनर्वि०	8.00			

₹ 8.00 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 8.00 लाख का आवर्धन बाह्य सेवाओं पर अधिक व्यय के कारण हुआ जोकि अनावश्यक सिद्ध हुआ।

₹ 8.00 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

मूल	55.00			
		42.00	42.00	..
पुनर्वि०	(-)13.00			

मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 13.00 लाख की कमी जागरूकता संबंधी गतिविधियों के आयोजन तथा स्वचालित कार्यों के भुगतान पर कम व्यय के कारण हुई।

22- पोषण अभियान-

मूल	651.00			
पूरक	0.01	582.36	579.72	(-)2.64
पुनर्वि०	(-)68.65			

मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 68.65 लाख की कमी बाह्य सेवाओं तथा क्षेत्रीय कार्यालयों के स्वचालन पर कम व्यय के कारण हुई।

22- वो दिन-

मूल	200.00			
		99.69	64.64	(-)35.05
पुनर्वि०	(-)100.31			

₹ 35.05 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 100.31 लाख की कमी विज्ञापन तथा प्रचार बिलों की कम प्राप्ति के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 35.05 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 19-(क्रमशः)

107-	स्वैच्छिक संगठनों को सहायता-				
02-	परिवार सहायता-				
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
	मूल	400.00			
			286.88	286.87	(-)0.01
	पुनर्वि०	(-)113.12			
	मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 113.12 लाख की कमी लाभार्थियों से मांग की कम प्राप्ति के कारण हुई।				
09-	वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना-				
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
	मूल	1.00			
		
	पुनर्वि०	(-)1.00			
	मार्च 2022 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया।				
200-	अन्य कार्यक्रम-				
01-	दक्षता को बढ़ावा देकर रोजगार, बाह्य स्रोत द्वारा रोजगार प्रतिभूति-				
	मूल	1.00			
		
	पुनर्वि०	(-)1.00			
	मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान प्रस्तावों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया।				
60-	अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम-				
102-	सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अन्तर्गत पेंशन-				
01-	सामाजिक सुरक्षा योजना के अन्तर्गत वृद्धावस्था पेंशन-				
	मूल	44,262.00			
			43,926.77	43,906.58	(-)20.19
	पुनर्वि०	(-)335.23			
	₹ 20.19 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 335.23 लाख की कमी डाक विभाग से बजट मांग की कम प्राप्ति होने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।				
	₹ 20.19 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।				
02-	सामाजिक सुरक्षा योजना के अन्तर्गत विधवा पेंशन-				
(i)	मूल	12,328.00			
			11,417.06	11,417.06	..
	पुनर्वि०	(-)910.94			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 19-(क्रमशः)

04-	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना-				
(ii)	मूल	7,115.00			
			6,565.49	6,565.48	(-)0.01
	पुनर्वि०	(-)549.51			
	उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2022 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,460.45 लाख की कमी मृत्यु के कारण डाक विभाग द्वारा पेंशन राशि वापिस लेने से विभाग द्वारा कम आहरण के कारण हुई।				
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
	मूल	51.00			
			33.58	33.58	..
	पुनर्वि०	(-)17.42			
	मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 17.42 लाख की कमी योजना के अन्तर्गत सक्रिय पेंशन भोगियों की संख्या कम होने के कारण हुई।				
06-	सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अन्तर्गत ट्रांसजेंडर्स को पेंशन-				
	मूल	2.00			
			0.76	0.75	(-)0.01
	पुनर्वि०	(-)1.24			
	मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1.24 लाख की कमी योजना के अन्तर्गत आवेदनों की कम प्राप्ति के कारण हुई।				
104-	निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना-				
	सरकारी भविष्य निधि-				
01-	जमा से जुड़ी बीमा योजना के अन्तर्गत देय राशि-				
	मूल	220.00	220.00	159.86	(-)60.14
	₹ 60.14 लाख की अंतिम बचत अपेक्षा से कम मामलों की प्राप्ति होने के कारण हुई।				
200-	अन्य कार्यक्रम-				
12-	सरकारी कर्मचारियों के परिवारों को अनुग्रहित भुगतान-				
	मूल	600.00			
			550.00	479.66	(-)70.34
	पुनर्वि०	(-)50.00			
	₹ 70.34 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2022 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 50.00 लाख की कमी योजना के अन्तर्गत मामलों की कम प्राप्ति के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।				
	₹ 70.34 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।				
15-	निर्दाष मोटर दुर्घटना की प्रतिपूर्ति अदायगी-				
	मूल	100.00	100.00	44.32	(-)55.68

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 19-(क्रमशः)

₹ 55.68 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

800-	अन्य व्यय-				
06-	वित्त विभाग के पास आरक्षित निधि के पेंशनर-				
	मूल	5,761.00			
			6.25	..	(-)6.25
	पुनर्वि0	(-)5,754.75			

मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 5,754.75 लाख की कमी विभिन्न विभागों को आरक्षित निधि के संवितरण के कारण हुई।

77-	निदेशालय ऊर्जा के पेंशनर-				
	मूल	1.74	1.74	..	(-)1.74

₹ 1.74 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

82-	शहरी विकास विभाग के पेंशनर-				
(i)	मूल	4.20	4.20	2.10	(-)2.10

90-	स्वास्थ्य सुरक्षा एवं विनियमन के पेंशनर-				
(ii)	मूल	7.56	7.56	5.25	(-)2.31

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 4.41 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

92-	हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक प्राधिकरण के पेंशनभोगी-				
	मूल	1.50	1.50	..	(-)1.50

₹ 1.50 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

2236- पोषण-

02- पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण-

101- विशेष पोषण कार्यक्रम-

05- पोषाहार स्कीम-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

मूल	4,679.00	4,679.00	4,541.93	(-)137.07
-----	----------	----------	----------	-----------

₹ 137.07 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

₹ 4,541.93 लाख के कुल व्यय में से ₹ 763.71 लाख का व्यय वर्ष 2019-20 की आपत्ति पुस्तिका के उंचत के समायोजन के कारण हुआ।

(iv) उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्ष के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसन्तुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
		(₹ लाखों में)	

2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-

02- सामाजिक कल्याण-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 19-(क्रमशः)

101-	विकलांगों का कल्याण-				
03-	विकलांगों का उत्थान-				
	मूल	307.00			
	पूरक	0.20	636.08	587.33	(-)48.75
	पुनर्वि०	328.88			

₹ 48.75 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 328.88 लाख का आवर्धन रिक्त पदों को भरने, छात्रवृत्ति, लंबित देनदारियों के भुगतान तथा कार्यालय मदों की खरीद पर अधिक व्यय, दैनिक वेतन भोगियों की अधिक नियुक्ति तथा दैनिक वेतन में वृद्धि के कारण हुआ जोकि अत्याधिक सिद्ध हुआ।

₹ 48.75 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

102-	बाल कल्याण-				
11-	आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं/सहायकों को मानदेय-				
	मूल	4,309.00			
	पूरक	663.69	6,996.52	6,829.35	(-)167.17
	पुनर्वि०	2,023.83			

₹ 167.17 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2,023.83 लाख का आवर्धन आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, एवं आंगनवाड़ी सहायिकाओं के मानदेय में संशोधन के कारण हुआ जोकि अत्याधिक सिद्ध हुआ।

₹ 167.17 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

18-	बाल संरक्षण राज्य आयोग-				
	मूल	34.80			
			38.00	72.80	(+)34.80
	पूरक	3.20			

₹ 72.80 लाख के कुल व्यय में से ₹ 34.80 लाख का व्यय वर्ष 2019-20 की आपत्ति पुस्तिका के उचंत के समायोजन के कारण हुआ।

103-	महिला कल्याण-				
15-	मदर टेरेसा मातृ आश्रय संबल योजना-				
(i)	मूल	546.00			
	पूरक	400.64	1,001.14	997.96	(-)3.18
	पुनर्वि०	54.50			

17-	मुख्यमंत्री कन्यादान योजना-				
(ii)	मूल	526.00			
	पूरक	248.88	1,324.88	1,324.60	(-)0.28
	पुनर्वि०	550.00			

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 604.50 लाख का आवर्धन लंबित आवेदनों/प्रस्तावों के समाशोधन के कारण हुआ।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 19-(क्रमशः)

19-	प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना-				
	मूल	99.00			
			129.38	129.38	..
	पुनर्वि०	30.38			
	मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 30.38 लाख का आवर्धन केन्द्रीय हिस्से के अनुपात में राज्य के हिस्से को जारी करने के कारण हुआ।				
107-	स्वैच्छिक संगठनों को सहायता-				
02-	अन्य ऐच्छिक संस्थाओं को अनुदान-				
	मूल	302.00			
			253.63	329.62	(+)75.99
	पुनर्वि०	(-)48.37			
	मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 48.37 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।				
	₹ 329.62 लाख के कुल व्यय में से ₹ 80.49 लाख का व्यय वर्ष 2019-20 की आपत्ति पुस्तिका के उचंत के समायोजन के कारण हुआ।				
60-	अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम-				
105-	सरकारी कर्मचारी बीमा योजना-				
02-	सरकारी कर्मचारियों के लिए सूचक समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना-				
	मूल	190.00			
			296.00	411.00	(+)115.00
	पूरक	106.00			
	₹ 115.00 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।				
800-	अन्य व्यय-				
03-	सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग के पेंशनर-				
(i)	मूल	305.81			
			745.81	731.60	(-)14.21
	पुनर्वि०	440.00			
04-	आर्थिक और सांख्यिकी विभाग के पेंशनर-				
(ii)	मूल	17.47			
			30.97	30.97	..
	पुनर्वि०	13.50			
05-	कोष एवं लेखा विभाग के पेंशनर-				
(iii)	मूल	43.67			
			78.67	78.66	(-)0.01
	पुनर्वि०	35.00			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 19-(क्रमशः)

07- मत्स्य विभाग के पेंशनर-				
(iv) मूल	8.73			
		30.73	30.55	(-)0.18
पुनर्वि०	22.00			
09- सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता के पेंशनर-				
(v) मूल	14.86			
		23.68	23.65	(-)0.03
पुनर्वि०	8.82			
10- नगर एवं ग्राम योजना विभाग के पेंशनर-				
(vi) मूल	6.11			
		10.11	9.80	(-)0.31
पुनर्वि०	4.00			
11- तकनीकी शिक्षा विभाग के पेंशनर-				
(vii) मूल	38.45			
		86.51	85.84	(-)0.67
पुनर्वि०	48.06			
12- कृषि विभाग के पेंशनर-				
(viii) मूल	104.84			
		239.84	239.69	(-)0.15
पुनर्वि०	135.00			
13- मुद्रण एवं स्टेशनरी विभाग के पेंशनर-				
(ix) मूल	12.22			
		24.72	24.72	..
पुनर्वि०	12.50			
14- उद्यानप विभाग के पेंशनर-				
(x) मूल	31.46			
		181.46	180.61	(-)0.85
पुनर्वि०	150.00			
15- पशुपालन विभाग के पेंशनर-				
(xi) मूल	104.84			
		224.84	224.72	(-)0.12
पुनर्वि०	120.00			
16- उद्योग विभाग के पेंशनर-				
(xii) मूल	27.95			
		102.95	101.67	(-)1.28
पुनर्वि०	75.00			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 19-(क्रमशः)

17-	खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के पेंशनर-				
(xiii)	मूल	31.46			
			62.62	62.61	(-)0.01
	पुनर्वि०	31.16			
18-	परिवहन विभाग के पेंशनर-				
(xiv)	मूल	61.15			
			79.15	77.67	(-)1.48
	पुनर्वि०	18.00			
19-	उपभोक्ता फोरम के पेंशनर-				
(xv)	मूल	0.18			
			3.68	3.66	(-)0.02
	पुनर्वि०	3.50			
20-	कारागार विभाग के पेंशनर-				
(xvi)	मूल	10.49			
			20.49	20.49	..
	पुनर्वि०	10.00			
21-	गृह रक्षा विभाग के पेंशनर-				
(xvii)	मूल	13.98			
			50.98	50.65	(-)0.33
	पुनर्वि०	37.00			
23-	लोक संपर्क विभाग के पेंशनर-				
(xviii)	मूल	26.21			
			50.21	50.21	..
	पुनर्वि०	24.00			
24-	हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान के पेंशनर-				
(xix)	मूल	1.74			
			6.69	6.44	(-)0.25
	पुनर्वि०	4.95			
26-	ग्रामीण विकास विभाग के पेंशनर-				
(xx)	मूल	78.63			
			133.63	124.15	(-)9.48
	पुनर्वि०	55.00			
27-	सचिवालय प्रशासन विभाग के पेंशनर-				
(xxi)	मूल	174.75			
			299.75	299.75	..
	पुनर्वि०	125.00			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 19-(क्रमशः)

28-	हिमाचल प्रदेश आवासीय आयुक्त, नई दिल्ली के पेंशनर-				
(xxii)	मूल	2.61			
			8.11	7.73	(-)0.38
	पुनर्वि०	5.50			
29-	पंचायती राज विभाग के पेंशनर-				
(xxiii)	मूल	34.94			
			65.54	63.16	(-)2.38
	पुनर्वि०	30.60			
30-	भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग के पेंशनर-				
(xxiv)	मूल	2.78			
			9.78	9.78	..
	पुनर्वि०	7.00			
31-	पुलिस विभाग के पेंशनर-				
(xxv)	मूल	262.13			
			672.13	672.09	(-)0.04
	पुनर्वि०	410.00			
32-	विधानसभा के पेंशनर-				
(xxvi)	मूल	89.25			
			116.25	116.25	..
	पुनर्वि०	27.00			
	उपरोक्त छब्बीस मामलों में मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,852.59 लाख का आवर्धन चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ।				
33-	माध्यमिक उच्चतर शिक्षा विभाग के पेंशनर-				
	मूल	655.35			
			1,410.91	1,311.38	(-)99.53
	पुनर्वि०	755.56			
	₹ 99.53 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 755.56 लाख का आवर्धन चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ जोकि अत्याधिक सिद्ध हुआ।				
	₹ 99.53 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।				
34-	आयुर्वेद विभाग के पेंशनर-				
(i)	मूल	34.94			
			134.94	133.88	(-)1.06
	पुनर्वि०	100.00			
35-	स्वास्थ्य विभाग के पेंशनर-				
(ii)	मूल	306.99			
			606.99	606.97	(-)0.02
	पुनर्वि०	300.00			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 19-(क्रमशः)

36-	निर्वाचन विभाग के पेंशनर-				
(iii)	मूल	5.76			
			12.26	12.12	(-)0.14
	पुनर्वि०	6.50			
37-	राज्यपाल सचिवालय के पेंशनर-				
(iv)	मूल	6.11			
			7.91	7.91	..
	पुनर्वि०	1.80			
38-	उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालयों के पेंशनर-				
(v)	मूल	78.63			
			183.63	183.63	..
	पुनर्वि०	105.00			
39-	लोक सेवा आयोग के पेंशनर-				
(vi)	मूल	6.97			
			29.97	29.96	(-)0.01
	पुनर्वि०	23.00			
40-	भू-अभिलेख विभाग के पेंशनर-				
(vii)	मूल	62.02			
			86.35	85.38	(-)0.97
	पुनर्वि०	24.33			
42-	श्रम एवं रोजगार विभाग के पेंशनर-				
(viii)	मूल	22.70			
			27.70	27.70	..
	पुनर्वि०	5.00			
43-	स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग के पेंशनर-				
(ix)	मूल	1.74			
			4.24	4.24	..
	पुनर्वि०	2.50			
46-	बंदोबस्त अधिकारी, धर्मशाला के पेंशनर-				
(x)	मूल	8.74			
			20.10	20.06	(-)0.04
	पुनर्वि०	11.36			
47-	अग्निशमन विभाग के पेंशनर-				
(xi)	मूल	5.23			
			42.23	42.20	(-)0.03
	पुनर्वि०	37.00			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 19-(क्रमशः)

48- अभियोजन विभाग के पेंशनर-					
(xii) मूल	19.22				
		50.72	50.72		..
पुनर्वि०	31.50				
49- आबकारी एवं कराधान विभाग के पेंशनर-					
(xiii) मूल	34.94				
		57.11	56.28		(-)0.83
पुनर्वि०	22.17				
50- सहाकारिता विभाग के पेंशनर-					
(xiv) मूल	61.15				
		86.15	86.15		..
पुनर्वि०	25.00				
51- चिकित्सा शिक्षा विभाग के पेंशनर-					
(xv) मूल	54.16				
		128.19	126.81		(-)1.38
पुनर्वि०	74.03				
59- लोकायुक्त के पेंशनर-					
(xvi) मूल	0.87				
		2.17	2.17		..
पुनर्वि०	1.30				
60- महाधिवक्ता के पेंशनर-					
(xvii) मूल	1.74				
		8.24	8.24		..
पुनर्वि०	6.50				
61- पर्वतारोहण संस्थान मनाली के पेंशनर-					
(xviii) मूल	0.35				
		1.66	1.66		..
पुनर्वि०	1.31				
62- खेल एवं युवा सेवाओं के पेंशनर-					
(xix) मूल	1.41				
		5.91	5.88		(-)0.03
पुनर्वि०	4.50				
63- जनजातीय विकास के पेंशनर-					
(xx) मूल	0.35				
		2.55	2.55		..
पुनर्वि०	2.20				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 19-(क्रमशः)

64- राहत एवं पुनर्वास विभाग के पेंशनर-				
(xxi) मूल	0.18			
		1.18	1.06	(-)0.12
पुनर्वि०	1.00			
65- बंदोबस्त अधिकारी, शिमला के पेंशनर-				
(xxii) मूल	8.74			
		27.37	27.36	(-)0.01
पुनर्वि०	18.63			
66- लघु बचत संगठन के पेंशनर-				
(xxiii) मूल	0.87			
		3.02	3.02	..
पुनर्वि०	2.15			
67- योजना विभाग के पेंशनर-				
(xxiv) मूल	1.74			
		16.74	16.44	(-)0.30
पुनर्वि०	15.00			
69- सतर्कता एवं भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो के पेंशनर-				
(xxv) मूल	20.97			
		29.97	29.96	(-)0.01
पुनर्वि०	9.00			
70- राज्य निर्वाचन आयोग के पेंशनर-				
(xxvi) मूल	0.54			
		3.54	2.92	(-)0.62
पुनर्वि०	3.00			
71- वन विभाग के पेंशनर-				
(xxvii) मूल	262.13			
		467.89	460.81	(-)7.08
पुनर्वि०	205.76			

उपरोक्त सताईस मामलों में मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,039.54 लाख का आवर्धन चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ।

73- प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के पेंशनर-

(i) मूल	576.68			
		1,746.77	1,703.69	(-)43.08
पुनर्वि०	1,170.09			

₹ 43.08 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,170.09 लाख का आवर्धन चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ जोकि अत्याधिक सिद्ध हुआ।

₹ 43.08 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 19-(क्रमशः)

78-	लोक निर्माण विभाग के पेंशनर-				
(i)	मूल	314.56			
			1,104.56	1,084.69	(-)19.87
	पुनर्वि०	790.00			
81-	न्यायिक अकादमी के पेंशनर-				
(ii)	मूल	0.87			
			3.12	3.12	..
	पुनर्वि०	2.25			
83-	राजस्व विभाग-				
(iii)	मूल	111.50			
			218.40	216.00	(-)2.40
	पुनर्वि०	106.90			
86-	महिला एवं बाल विकास विभाग के पेंशनर-				
(iv)	मूल	8.74			
			40.06	38.49	(-)1.57
	पुनर्वि०	31.32			
87-	विज्ञान, तकनीकी एवं पर्यावरण विभाग के पेंशनर-				
(v)	मूल	0.50			
			3.31	3.31	..
	पुनर्वि०	2.81			

उपरोक्त पाँच मामलों में मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 933.28 लाख का आर्वधन चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ।

पूंजीगत प्रवर्ग

(v)	दतमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई :-			
	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
			(₹ लाखों में)	

4225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों एवं अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-

03- पिछड़े वर्गों का कल्याण-

190- सार्वजनिक क्षेत्रों तथा अन्य उपक्रमों में निवेश-

01- हिमाचल पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों एवं महिला पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम में निवेश-

मूल	250.00	250.00	125.00	(-)125.00
-----	--------	--------	--------	-----------

₹ 125.00 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

80- सामान्य-

800- अन्य व्यय-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 19-(क्रमशः)

01-	भवनों का निर्माण-				
	मूल	63.00	63.00	..	(-)63.00
					₹ 63.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।
03-	पिछड़ी जाति के छात्र/छात्राओं के छात्रावास का निर्माण-				
	मूल	1.00	
	पुनर्वि०	(-)1.00	
					मार्च 2022 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान प्रस्तावों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया।
4235-	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-				
	02- सामाजिक कल्याण-				
	190- सार्वजनिक क्षेत्रों तथा अन्य उपक्रमों में निवेश-				
	02- महिला विकास निगम-				
	मूल	99.00	40.00	39.28	(-)0.72
	पुनर्वि०	(-)59.00			
					मार्च 2022 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 59.00 लाख की कमी अधिकृत शेयर पूंजी में बढ़ोतरी न होने के कारण हुई।
800-	अन्य व्यय-				
	01- भवनों का निर्माण-				
	मूल	121.00	20.80	20.79	(-)0.01
	पुनर्वि०	(-)100.20			
					मार्च 2022 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 100.20 लाख की कमी कार्यों के कम निष्पादन तथा भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण हुई।
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(i)	मूल	51.00			
	पुनर्वि०	(-)51.00			
6225-	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए ऋण-				
	03- अनुसूचित जातियों का कल्याण-				
	190- सार्वजनिक क्षेत्रों तथा अन्य उपक्रमों को ऋण-				
	01- एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम परिवारों के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए ब्याज मुक्त ऋण-				
(ii)	मूल	1.00			
	पुनर्वि०	(-)1.00			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 19-(समाप्त)

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 52.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया।

(vi) उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्ष के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
शीर्ष	(₹ लाखों में)		

**4235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण
पर पूंजीगत परिव्यय-**

02- सामाजिक कल्याण-

102- बाल कल्याण-

03- मानसिक रूप से अक्षम बच्चों के लिए आवासीय संस्थान-

मूल	1.00			
		26.00	25.93	(-)0.07
पुनर्वि०	25.00			

मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 25.00 लाख का आवर्धन योजना के अन्तर्गत विद्यालय एवं छात्रावास के निर्माण पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 20 - ग्रामीण विकास

(शीर्ष 2216-आवास, 2230- श्रम, रोजगार तथा कौशल विकास, 2501- ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम, 2505- ग्रामीण रोजगार, 2515- अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम तथा 4515- अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय)

		कुल अनुदान/ विनियोजन	वास्तविक व्यय (₹ हजारों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
राजस्व प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	11,03,60,38			
		12,29,11,22	10,95,01,14	(-)1,34,10,08
पूरक	1,25,50,84			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				
प्रभारित				
मूल	..			
		7,17	7,17	..
पूरक	7,17			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				
पूंजीगत प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	59,00			
		14,01,27	18,85,27	(+)4,84,00
पूरक	13,42,27			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				

टिप्पणियां तथा अभ्युक्तियां

- (i) पूंजीगत प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 4,84,00,000 के आधिक्य का नियमन अपेक्षित है।
- (ii) राजस्व प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 13,410.08 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से फरवरी 2022 में प्राप्त ₹ 12,550.84 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ जबकि मूल अनुदान अप्रयुक्त रहा तथा वर्ष के दौरान विभाग द्वारा कोई राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (iii) पूंजीगत प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 484.00 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से फरवरी 2022 में प्राप्त ₹ 1,342.27 लाख का अनुपूरक अनुदान अपर्याप्त सिद्ध हुआ।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 20 (क्रमशः)

राजस्व प्रवर्ग

(iv) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुईः-	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
---	------------	--------------------------------	-----------------------

2501- ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम-

06- स्वरोजगार कार्यक्रम-

101- स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना-

05- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन-

मूल 197.00

186.48

139.86

(-)46.62

पुनर्वि० (-)10.52

₹ 46.62 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

मूल 1,777.00

1,678.28

1,509.50

(-)168.78

पुनर्वि० (-)98.72

₹ 168.78 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 98.72 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 168.78 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)। जबकि भारत सरकार से ₹ 2,275.65 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ था।

₹ 1,509.50 लाख के कुल व्यय में से ₹ 250.79 लाख का व्यय वर्ष 2019-20 के लिए आपत्ति पुस्तिका के उचंत के समायोजन के कारण हुआ था।

07- दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना-

मूल 506.00

..

..

..

पुनर्वि० (-)506.00

मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा में ₹ 506.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति के कारण कम कर दिया गया और इसलिए राज्य का हिस्सा अप्रयुक्त रहा।

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

मूल 4,552.00

150.00

37.12

(-)112.88

पुनर्वि० (-)4,402.00

₹ 112.88 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 4,402.00 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई। जबकि भारत सरकार से ₹ 562.61 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ था।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 20 (क्रमशः)

₹ 112.88 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

08-	श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन-			
(i)	मूल	263.00
	पुनर्वि०	(-)263.00
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना			
(ii)	मूल	1,599.00
	पुनर्वि०	(-)1,599.00
12-	राष्ट्रीय बांस मिशन-			
(iii)	मूल	1.00
	पुनर्वि०	(-)1.00
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना			
(iv)	मूल	1.00
	पुनर्वि०	(-)1.00
	उपरोक्त चार मामलों में मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा ₹ 1,864.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया और इसलिए राज्य का हिस्सा भी अप्रयुक्त रहा।			
800-	अन्य व्यय-			
06-	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-			
	मूल	164.00
	पुनर्वि०	(-)164.00
	मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा ₹ 164.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया और इसलिए राज्य का हिस्सा भी अप्रयुक्त रहा।			
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना			
	मूल	1,480.00	..	461.74
	पुनर्वि०	(-) 1,480.00	..	(+)461.74
	₹ 461.74 लाख के बिना प्रावधान के व्यय की दृष्टि से मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,480.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया जोकि अनुचित सिद्ध हुआ।			
	₹ 461.74 लाख का व्यय बिना प्रावधान के किया गया; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 20 (क्रमशः)

2515-	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम-				
003-	प्रशिक्षण-				
01-	पंचायती राज प्रशिक्षण केन्द्र-				
(i)	मूल	297.54			
			299.54	263.15	(-)36.39
	पुनर्वि०	2.00			
101-	पंचायती राज-				
01-	पंचायती राज विभाग-				
(ii)	मूल	2,896.20			
			2,910.12	2,363.84	(-)546.28
	पुनर्वि०	13.92			
	उपरोक्त दो मामलों में ₹ 582.67 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।				
16-	राष्ट्रीय बांस मिशन-				
(i)	मूल	1.00	1.00	..	(-)1.00
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(ii)	मूल	1.00	1.00	..	(-)1.00
	उपरोक्त दो मामलों में ₹ 2.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।				
102-	सामुदायिक विकास-				
01-	ग्रामीण विकास विभाग-				
	मूल	9,686.21			
			9,639.16	7,811.33	(-)1,827.83
	पुनर्वि०	(-)47.05			
	₹ 1,827.83 लाख की सारभूत अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 47.05 लाख की कमी विभाग द्वारा जनमंच कार्यक्रमों के कम संचालन, संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने और यात्रा पर कम व्यय के कारण हुआ जोकि किराए, दर, करों, और वाहनों की खरीद पर अधिक व्यय के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।				
	₹ 1,827.83 लाख की सारभूत अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।				
18-	महिला मंडलों को प्रोत्साहन हेतु अनुदान-				
	मूल	44.00			
		
	पुनर्वि०	(-)44.00			
	मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 44.00 लाख का समस्त प्रावधान संहितागत औपचारिकताओं को पूरा नहीं करने के कारण कम कर दिया गया।				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 20 (क्रमशः)

196-	जिला परिषदों को सहायता-				
06-	केन्द्रीय वित्त आयोग के अन्तर्गत				
	जिला परिषदों को मूलभूत अनुदान-				
	मूल	2,247.62			
			1,797.32	898.66	(-)898.66
	पुनर्वि०	(-)450.30			
	₹ 898.66 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 450.30 लाख की कमी केन्द्रीय वित्त आयोग के अन्तर्गत जिला परिषदों को राशि के वितरण पद्धति में बदलाव के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।				
	₹ 898.66 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।				
107-	केन्द्रीय वित्त आयोग के अन्तर्गत जिला परिषदों को बंधित अनुदान-				
	मूल	2,247.62			
			2,695.99	1,347.99	(-)1,348.00
	पुनर्वि०	(-)448.37			
	₹ 1,348.00 लाख की सारभूत अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 448.37 लाख का आवर्धन पन्द्रहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत राशि के बंटवारे की वितरण पद्धति में बदलाव के कारण हुआ जोकि अनावश्यक सिद्ध हुआ।				
	₹ 1,348.00 लाख की सारभूत अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।				
197-	पंचायत समितियों को सहायता-				
06-	केन्द्रीय वित्त आयोग के अन्तर्गत				
	पंचायत समितियों को मूलभूत अनुदान-				
	मूल	2,186.16			
	पूरक	42.31	1,808.93	883.31	(-)925.62
	पुनर्वि०	(-)419.54			
	₹ 925.62 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 419.54 लाख की कमी केन्द्रीय वित्त आयोग के अन्तर्गत पंचायत समितियों को राशि के बंटवारे की वितरण पद्धति में बदलाव के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।				
	₹ 925.62 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।				
107-	केन्द्रीय वित्त आयोग के अन्तर्गत पंचायत समितियों को बंधित अनुदान-				
	मूल	2,186.16			
			2,607.63	1,324.97	(-)1,282.66
	पुनर्वि०	421.47			
	₹ 1,282.66 लाख की सारभूत अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 421.47 लाख का आवर्धन पन्द्रहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत राशि के वितरण के बंटवारे की वितरण पद्धति में बदलाव के कारण हुआ जोकि अनावश्यक सिद्ध हुआ।				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 20 (क्रमशः)

₹ 1,282.66 लाख की सारभूत अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

198-	ग्राम पंचायतों को सहायता-				
04-	पांचवे राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों को अनुदान-				
	मूल	12,465.00	12,465.00	12,439.38	(-)25.62

₹ 25.62 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

₹ 12,439.38 लाख के कुल व्यय में से ₹ 314.92 लाख का व्यय वर्ष 2019-20 की आपत्ति पुस्तिका के उचंत के समायोजन के कारण हुआ जबकि भारत सरकार से ₹ 9,247.23 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ था।

05-	केन्द्रीय वित्त आयोग के अन्तर्गत				
	ग्राम पंचायतों को मूलभूत अनुदान-				
	मूल	10,202.12			
			8,244.26	4,122.13	(-)4,122.13
	पुनर्वि०	(-)1,957.86			

₹ 4,122.13 लाख की सारभूत अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,957.86 लाख की कमी पंद्रहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों को राशि के बंटवारे की वितरण पद्धति में बदलाव के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 4,122.13 लाख की सारभूत अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

06-	केन्द्रीय वित्त आयोग के अन्तर्गत				
	ग्राम पंचायतों को निष्पादन अनुदान -				
	मूल	10,202.12			
	पूरक	283.44	12,443.42	6,183.19	(-)6,260.23
	पुनर्वि०	1,957.86			

₹ 6,260.23 लाख की सारभूत अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,957.86 लाख का आवर्धन पंद्रहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों को राशि के बंटवारे की वितरण पद्धति में बदलाव के कारण हुआ जोकि अनावश्यक सिद्ध हुआ।

₹ 6,260.23 लाख की सारभूत अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

(v)	उपरोक्त बचत मुख्यत निम्नवत शीर्षों के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसन्तुलित हुई:-			
	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
			(₹ लाखों में)	

2216- आवास-

- 03- ग्रामीण आवास-
- 102- भूमिहीनों के लिए आवास स्थल की व्यवस्था-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 20 (क्रमशः)

04-	मुख्यमंत्री आवास योजना-				
	मूल	1,378.00			
			1,377.40	2,414.30	(+)1,036.90
	पुनर्वि०	(-)0.60			

₹ 2,414.30 लाख के कुल व्यय में से ₹ 1,037.50 लाख का व्यय वर्ष 2019-20 की आपत्ति पुस्तिका के उचंत के समायोजन के कारण हुआ।

05-	गरीबी रेखा से नीचे सामान्य श्रेणी के लिए मुख्यमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत आवास मरम्मत योजना-				
	पूरक	0.01			
			63.93	177.85	(+)113.92
	पुनर्वि०	63.92			

मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 63.92 लाख का आवर्धन लंबित देनदारियों के भुगतान कारण हुआ।

₹ 177.85 लाख के कुल व्यय में से ₹ 113.93 लाख का व्यय वर्ष 2019-20 की आपत्ति पुस्तिका के उचंत के समायोजन के कारण हुआ।

07-	प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)-				
	मूल	329.00			
	पूरक	0.01	966.33	966.33	..
	पुनर्वि०	637.32			

मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 637.32 लाख का आवर्धन केन्द्रीय हिस्सेदारी के अनुपात में निधियों को जारी करने के कारण हुआ।

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

	मूल	712.00			
			1,715.81	2,381.98	(+)666.17
	पुनर्वि०	1,003.81			

₹ 666.17 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान ₹ 1,003.81 लाख का आवर्धन भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुआ।

₹ 666.17 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)। जबकि भारत सरकार से ₹ 2,381.97 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ था।

2501- ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम-

06- स्वरोजगार योजना-

101- स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 20 (क्रमशः)

03- जिला ग्रामीण विकास अभिकरण-

(i) मूल	570.00			
पूरक	0.01	552.23	601.11	(+)48.88
पुनर्वि०	(-)17.78			

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

(ii) मूल	397.00	397.00	756.64	(+)359.64
----------	--------	--------	--------	-----------

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 408.52 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)। उपरोक्त दो मामलों में ₹ 1,357.75 लाख के कुल व्यय में से ₹ 228.82 लाख का व्यय वर्ष 2019-20 की आपत्ति पुस्तिका के उचंत के समायोजन के कारण हुआ।

2505- ग्रामीण रोजगार-

02- ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना-

101- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना-

01- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा)-

मूल	17,769.00	17,769.00	17,969.00	(+)200.00
-----	-----------	-----------	-----------	-----------

₹ 200.00 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)। जबकि भारत सरकार से ₹ 24,189.96 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ था।

04- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत सामाजिक लेखापरीक्षा ईकाई का संचालन-
पूरक

0.01		143.20	143.20	..
------	--	--------	--------	----

पुनर्वि० 143.19

मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 143.19 लाख का आवर्धन भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ।

2515- अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम-

101- पंचायती राज-

15- राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान-

(i) मूल	141.00			
		242.11	215.78	(-)26.33

पुनर्वि० 101.11

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

(ii) मूल	1,271.00			
		2,220.00	1,942.00	(-)278.00

पुनर्वि० 949.00

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 304.33 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,050.11 लाख का आवर्धन भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ और इसलिए राज्य का हिस्सा भी अप्रयुक्त रहा, जोकि अत्याधिक सिद्ध हुआ।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 20 (क्रमशः)

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 304.33 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)। जबकि भारत सरकार से ₹ 1,942.00 लाख का अनुदान क्रम संख्या (ii) पर प्राप्त हुआ था।

102- सामुदायिक विकास-

16- कार्यालय भवन/भण्डार निर्माण-

मूल	658.00	658.00	832.81	(+174.81
-----	--------	--------	--------	----------

₹ 832.81 लाख के कुल व्यय में से ₹ 175.22 लाख का व्यय वर्ष 2019-20 की आपत्ति पुस्तिका के उचंत के समायोजन के कारण हुआ।

20- स्वच्छता योजना के अन्तर्गत राज्य प्रोत्साहन योजना-

मूल	44.00			
		127.15	101.36	(-)25.79

पुनर्वि० 83.15

₹ 25.79 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 83.15 लाख का आवर्धन योजना के अन्तर्गत अधिक व्यय के कारण हुआ जोकि अत्याधिक सिद्ध हुआ।

₹ 25.79 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

23- स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)-

मूल	12.00			
		184.17	184.17	..

पुनर्वि० 172.17

मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 172.17 लाख का आवर्धन केंद्रीय हिस्से के अनुपात में राज्य का हिस्सा जारी करने के कारण हुआ।

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

मूल	107.00			
		2,564.38	3,097.99	(+533.61

पुनर्वि० 2,457.38

मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2,457.38 लाख का आवर्धन भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ। जबकि भारत सरकार से ₹ 2,564.38 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ था।

₹ 3,097.99 लाख के कुल व्यय में से ₹ 533.61 लाख का व्यय वर्ष 2019-20 की आपत्ति पुस्तिका के उचंत के समायोजन के कारण हुआ था।

196- जिला परिषदों को सहायता-

04- पांचवे राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत

जिला परिषदों को अनुदान-

मूल	11,567.00			
पूरक	2,706.41	17,295.35	17,287.13	(-)8.22

पुनर्वि० 3,021.94

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 20 (समाप्त)

मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 3,021.94 लाख का आवर्धन पंचायती राज संस्थानों के चुने हुए प्रतिनिधियों के मानदेय में वृद्धि तथा विभिन्न वर्गों के नियमितीकरण/उन्नयन के कारण हुआ। ₹ 17,287.13 लाख के कुल व्यय में से ₹ 175.84 लाख का व्यय आपत्ति पुस्तिका के उचंत के समायोजन के कारण हुआ।

197-	पंचायत समितियों को सहायता-				
04-	पांचवे राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत				
	पंचायत समितियों को अनुदान-				
	मूल	823.00			
			1,094.65	1,134.90	(+)40.25
	पूरक	271.65			

₹ 1,134.90 लाख के कुल व्यय में से ₹ 56.74 लाख का व्यय वर्ष 2019-20 की आपत्ति पुस्तिका के उचंत के समायोजन के कारण हुआ।

05-	पंचायत समितियों को सहायता अनुदान-				
		905.49	(+)905.49

₹ 905.49 लाख का समस्त व्यय वर्ष 2019-20 की आपत्ति पुस्तिका के उचंत के समायोजन के कारण हुआ।

पूंजीगत प्रवर्ग

(vi) दत्तमत अनुदान में आधिक्य मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
4216- आवास पर पूंजीगत परिव्यय-			
03- ग्रामीण आवास-			
800- अन्य व्यय-			
01- पंचायत निरीक्षक/उप निरीक्षकों के आवास का निर्माण-			
	115.00
			(+)115.00

₹ 115.00 लाख का समस्त व्यय वर्ष 2019-20 की आपत्ति पुस्तिका के उचंत के समायोजन के कारण हुआ।

4515- अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय-

103-	ग्रामीण विकास-				
02-	मुख्यमंत्री लोक भवन-				
	मूल	59.00	59.00	414.00	(+)355.00

₹ 414.00 लाख के कुल व्यय में से ₹ 369.00 लाख का व्यय वर्ष 2019-20 की आपत्ति पुस्तिका के उचंत के समायोजन के कारण हुआ।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-21- सहकारिता

(शीर्ष- 2059-लोक निर्माण-कार्य, 2425-सहकारिता, 4425-सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय तथा 6425-सहकारिता हेतु ऋण)

		कुल अनुदान/ विनियोजन	वास्तविक व्यय (₹ हजारों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
राजस्व प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	34,93,42			
		35,62,14	33,89,45	(-)1,72,69
पूरक	68,72			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..
प्रभारित				
मूल	..			
		2,70	2,70	..
पूरक	2,70			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..
पूंजीगत प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	2,00			
		4,08,80	4,07,80	(-)1,00
पूरक	4,06,80			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..

टिप्पणियां तथा अभ्युक्तियां

- (i) राजस्व प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 172.69 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से फरवरी 2022 में प्राप्त ₹ 68.72 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ जबकि मूल अनुदान भी अप्रयुक्त रहा और वर्ष के दौरान विभाग द्वारा कोई राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-21 (क्रमशः)

राजस्व प्रवर्ग

(ii) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
2425- सहकारिता-			
001- निदेशन तथा प्रशासन-			
01- निदेशालय-			
मूल	381.80		
		390.52	(-)31.62
पुनर्वि०	8.72		
₹ 31.62 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।			
02- जिला कर्मचारी वर्ग-			
मूल	2,029.79		
		1,841.87	(-)113.89
पुनर्वि०	(-)187.92		
₹ 113.89 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 187.92 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, यात्रा पर कम व्यय, चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति तथा दैनिक वेतन भोगियों की कम नियुक्ति के कारण हुई जोकि सम्पत्ति कर के लंबित बिलों के निपटान तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन पर अधिक व्यय होने के कारण हुए आधिक्य से अशतः प्रतिसंतुलित हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।			
₹ 113.89 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।			
101- सहकारी समितियों की लेखा परीक्षा-			
01- अंकेक्षण कर्मचारी वर्ग-			
मूल	950.82		
		966.14	(-)26.18
पुनर्वि०	15.32		
₹ 26.18 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।			
108- सहकारी समितियों को सहायता-			
01- विपणन सभाओं को प्रबन्धकीय उपदान			
मूल	1.00	1.00	
		..	(-)1.00
₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-21 (समाप्त)

(iii) उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
2059- लोक निर्माण कार्य-			
01- कार्यालय भवन			
053- मरम्मत और रखरखाव-			
06- कार्यालय भवनों का रखरखाव-			
मूल	0.01		
		68.72	68.72
पुनर्वि०	68.71		..

मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 68.71 लाख का आवर्धन कार्यालय भवनों के रख रखाव व मरम्मत के कारण हुआ।

2425- सहकारिता-

109- कृषि उधार स्थिरिकरण निधि-			
01- एकीकृत सहकारी विकास परियोजनाओं पर व्यय- केन्द्रीय प्रायोजित योजना			
मूल	1.00		
पूरक	68.72	164.89	164.89
पुनर्वि०	95.17		..

मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 95.17 लाख का आवर्धन एकीकृत सहकारी विकास परियोजनाओं के कार्यन्वयन हेतु केन्द्रीय हिस्सेदारी की प्राप्ति के कारण हुआ।

पूँजीगत प्रवर्ग

(iv) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
6425- सहकारिता के लिए ऋण-			
108- अन्य सहकारिता को ऋण-			
05- विपणन सहकारिताओं को ऋण-			
मूल	1.00	1.00	..
			(-)1.00

₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-22- खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति

(शीर्ष- 2059-लोक निर्माण-कार्य,2236-पोषण, 2408- खाद्यान भंडारण तथा भांडागार, 3456-नागरिक आपूर्ति, 3475- अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं, 4408- खाद्यान भंडारण तथा भांडागार पर पूंजीगत परिव्यय तथा 5475- अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय)

		कुल अनुदान/ विनियोजन	वास्तविक व्यय (₹ हजारों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
राजस्व प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	1,86,17,13			
		2,85,50,53	2,82,13,16	(-)3,37,37
पूरक	99,33,40			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				
				..
पूंजीगत प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	1,58,00			
		1,58,00	44,93	(-)1,13,07
पूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				
				..

टिप्पणियां तथा अभ्युक्तियां

- (i) राजस्व प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 337.37 लाख की कुल बचत हुई जबकि वर्ष के दौरान विभाग द्वारा कोई भी राशी अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (ii) पूंजीगत प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में 113.07 लाख की कुल बचत हुई जबकि वर्ष के दौरान विभाग द्वारा कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

राजस्व प्रवर्ग

- (iii) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
2236- पोषण-			
02- पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण-			
101- विशेष पोषण कार्यक्रम-			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-22 (क्रमशः)

06-	अन्नपूर्णा योजना-				
	मूल	1.00	1.00	..	(-)1.00

₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

2408- खाद्यान भंडारण और भांडागार-

01- खाद्यान-

001- निदेशन तथा प्रशासन-

02- जिला फोरम का कर्मचारी वर्ग-

	मूल	602.83			
			568.81	518.58	(-)50.23
	पुनर्वि०	(-)34.02			

₹ 50.23 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 34.02 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, पानी, विद्युत तथा दूरभाष, पेट्रोल, तेल, स्नेहक, वाहनों की मरम्मत तथा यात्राओं पर कम व्यय होने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 50.23 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

03- राज्य खाद्य आयोग-

	मूल	94.48			
			53.88	37.72	(-)16.16
	पुनर्वि०	(-)40.60			

मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में 40.60 लाख कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

102- खाद्य सहायता-

12- चीनी की खरीद

	मूल	5,265.00			
			3,265.00	3,265.00	..
	पुनर्वि०	(-)2,000.00			

मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2,000.00 लाख की कमी सब्सिडी दावों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

13- गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को गेहूं

और चावल पर उपदान-

	मूल	1,283.00			
	पूरक	713.38	2,071.00	1,973.80	(-)97.20
	पुनर्वि०	74.62			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-22 (क्रमशः)

₹ 97.20 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 74.62 लाख का आवर्धन राज्य स्तरीय प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के आयोजन के कारण हुआ जोकि अत्याधिक सिद्ध हुआ।

₹ 97.20 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई, 2022)।

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

मूल	1.00	1.00	..	(-)1.00
-----	------	------	----	---------

₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

3456- नागरिक आपूर्ति-

001- निदेशन और प्रशासन-

02- जिला कार्यालय-

मूल	1,095.15			
		1,016.73	917.89	(-)98.84

पुनर्वि० (-)78.42

₹ 98.84 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 78.42 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति, यात्राओं पर कम व्यय, दैनिक वेतन भोगियों की नियमितीकरण के कारण हुई जोकि पेट्रोल, तेल, स्नेहकों तथा वाहनों की मरम्मत पर अधिक व्यय के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 98.84 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई, 2022)।

06- कीमत अनुश्रवण का सुदृढीकरण-

मूल	1.00	1.00	..	(-)1.00
-----	------	------	----	---------

₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

3475- अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं-

106- भार और माप का विनियमन-

01- भार तथा माप संगठन-

मूल	301.47			
		266.77	250.20	(-) 16.57

पुनर्वि० (-)34.70

मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 34.70 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति, पेट्रोल, तेल, स्नेहकों तथा वाहनों के रख रखाव मरम्मत पर कम व्यय के कारण हुई जोकि आउटसोसिंग, किराया, दर व करों पर अधिक व्यय तथा यात्रा व्यय की लंबित देनादारियों के समाशोधन से हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-22 (क्रमशः)

(iv) उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई आधिक्य से अंशतः प्रतिसन्तुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
2408- खाद्यान भंडारण और भांडागार-			
01- खाद्यान-			
102- खाद्यान सहायता-			
11- उपदान पर दालें, गेहूँ, चावल, तेल और आयोडीन युक्त नमक की खरीद			
मूल	8,884.00		
पूरक	8,500.00	19,394.00	19,384.00
पुनर्वि०	2,000.00		..

मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में 2000.00 लाख का आवर्धन लंबित देनदारियों के निपटान के कारण हुआ।

3456- नागरिक आपूर्ति-

001- निदेशन और प्रशासन-			
01- निदेशालय			
मूल	394.57		
पूरक	3.88	474.42	430.72
पुनर्वि०	75.97		(-)43.70

₹ 43.70 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 75.97 लाख का आवर्धन वेतनमानों में संशोधन, ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल के विकास, दैनिक वेतन भोगियों की अधिक नियुक्तियां तथा पेट्रोल, तेल, स्नेहकों तथा वाहनों के रखरखाव पर अधिक व्यय करने के कारण हुआ जोकि अत्याधिक सिद्ध हुआ।

₹ 43.70 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

04- उपभोक्ता जागरूकता-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

मूल	13.00		
		31.30	21.62
पुनर्वि०	18.30		(-)9.68

₹ 9.68 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 18.30 लाख का आवर्धन भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ जोकि अत्याधिक सिद्ध हुआ।

₹ 9.68 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-22 (क्रमशः)

05- लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कम्प्यूटरीकरण-
मूल 26.15

45.00 45.00 ..

पुनर्वि० 18.85

मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 18.85 लाख का आवर्धन ई-गवर्नेंस योजना के लिए लगाए लोगों पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

मूल 1.00 1.00 .. (-)1.00

₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

पूंजीगत प्रवर्ग

(v) दत्तमत्त अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्ष के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
(₹ लाखों में)			

4408- खाद्यान भंडारण और भांडागार पर पूंजीगत परिव्यय-

01- खाद्यान-

101- खरीद तथा आपूर्ति

01- गेहू की खरीद-

(i) मूल 150.00 150.00 .. (-)150.00

02- भंडारण और भांडागार-

101- ग्रामीण गोदाम कार्यक्रम-

03- गोदामों का निर्माण-

(ii) मूल 1.00 1.00 .. (-)1.00

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 151.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

(vi) उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्ष के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसन्तुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
(₹ लाखों में)			

4408- खाद्यान भंडारण और भांडागार पर पूंजीगत परिव्यय-

02- भंडारण और भांडागार-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-22 (समाप्त)

101- ग्रामीण गोदाम कार्यक्रम-			
02- हिमाचल प्रदेश राज्य उपभोक्ता निवारण फोरम			
..	..	37.94	(+)37.94

₹ 37.94 लाख का समस्त व्यय बिना प्रावधान के हुआ; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

विनियोग लेखे

अनुदान संख्या-23- विद्युत विकास

(शीर्ष 2045-वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क, 2059-लोक निर्माण-कार्य, 2501-ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम, 2801-विद्युत, 4801- विद्युत परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय तथा 6801-विद्युत परियोजनाओं के लिए ऋण)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजारों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
राजस्व प्रवर्ग			
दत्तमत			
मूल	2,69,98,92		
		4,53,96,35	(+)10,36,97,88
पूरक	1,83,97,43		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			..
पूंजीगत प्रवर्ग			
दत्तमत			
मूल	2,65,11,000		
		2,65,11,00	(+)74,91,79
पूरक	..		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)			37,35,00

टिप्पणियां तथा अभ्युक्तियां

- राजस्व प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 10,36,97,87,955 के आधिक्य का नियमितीकरण अपेक्षित है।
- पूंजीगत प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 74,91,79,000 के आधिक्य का नियमितीकरण अपेक्षित है।
- राजस्व प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 1,03,697.88 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से फरवरी 2022 में प्राप्त ₹ 18,397.43 लाख का अनुपूरक अनुदान अपर्याप्त सिद्ध हुआ।
- पूंजीगत प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 7,491.79 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से ₹ 3,735.00 लाख का अभ्यर्पण अनुचित सिद्ध हुआ।

राजस्व प्रवर्ग

- दत्तमत अनुदान में आधिक्य मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
-------	------------	--------------------------------	-----------------------

2801- विद्युत-

विनियोग लेखे

अनुदान संख्या-23 (क्रमशः)

80-	सामान्य-				
800-	अन्य व्यय-				
07-	रेणुकाजी बांध विस्थापितो को मुआवजा केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
	पूरक	1,061.23	1,061.23	1,04,853.69	(+)1,03,792.46
₹ 1,03,792.46 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।					

(vi) उपरोक्त आधिक्य मुख्यतः निम्नवत् शीर्ष के अन्तर्गत हुई बचत से अंशतः प्रतिसन्तुलित हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
2801- विद्युत-			
80-	सामान्य-		
800-	अन्य व्यय-		
03-	आरबीट्रेडिंग मध्यस्थता फीस की अदायगी पर व्यय-		
	मूल	5.00	
		89.00	19.65
	पुनर्वि0	84.00	(-)69.35
₹ 69.35 लाख के अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।			

पूँजीगत प्रवर्ग

(vii) दत्तमत अनुदान में आधिक्य मुख्यतः निम्नवत् शीर्ष के अन्तर्गत हुआ :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
-------	------------	--------------------------------	-----------------------

6801- विद्युत परियोजनाओं के लिए ऋण-			
190-	सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को ऋण-		
02-	हिमाचल प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन निगम लिमिटेड को ऋण-		
	मूल	15,796.00	15,796.00
			27,022.79
			11,226.79
₹ 11,226.79 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।			

(viii) उपरोक्त आधिक्य मुख्यतः निम्नवत् शीर्ष के अन्तर्गत हुई बचत से अंशतः प्रतिसन्तुलित हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
-------	------------	--------------------------------	-----------------------

4801- विद्युत परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय-

विनियोग लेखे

अनुदान संख्या-23 (समाप्त)

05-	संचरण तथा वितरण-				
190-	सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों को ऋण-				
01-	हिमाचल हाइड्रो पावर एवं नवीकरणीय विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत स्मार्ट ग्रीड वितरण (बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना)				
(i)	मूल	1.00			
	पुनर्वि०	(-)1.00
6801-	विद्युत परियोजनाओं के लिए ऋण-				
190-	सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों को ऋण-				
01-	हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम लिमिटेड को ऋण-				
(ii)	मूल	3,734.00			
	पुनर्वि०	(-)3,734.00

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2022 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 3,734.00 लाख का समस्त प्रावधान संहितागत औपचारिकताएं पूरी न करने के कारण कम कर दिया गया।

विनियोग लेखे

अनुदान संख्या-24- मुद्रण और लेखन सामग्री

(शीर्ष- 2058-लेखन सामग्री तथा मुद्रण, 2059-लोक निर्माण-कार्य, 2216-आवास, 4058-लेखन सामग्री तथा मुद्रण पर पूंजीगत परिव्यय)

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजारों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
राजस्व प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	25,75,87			
		30,53,33	28,47,55	(-)2,05,78
पूरक	4,77,46			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)				1,97,22
पूंजीगत प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	30,00			
		30,00	30,00	..
पूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..

टिप्पणियां तथा अभ्युक्तियां

- (i) राजस्व प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 205.78 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से फरवरी 2022 में प्राप्त ₹ 477.46 लाख का अनूपुरक अनुदान अत्याधिक तथा ₹ 197.22 लाख का अभ्यर्पण अपर्याप्त सिद्ध हुआ।

राजस्व प्रवर्ग

- (ii) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
2058- लेखन सामग्री तथा मुद्रण-				
001- निदेशन तथा प्रशासन-				
01- निदेशालय-				
(i) मूल	131.18			
		107.12	106.59	(-)0.53
पुनर्वि0	(-)24.06			

विनियोजन लेखे
अनुदान संख्या-24 (समाप्त)

102-	फॉर्मों का मुद्रण, भंडारण तथा वितरण-				
01-	फार्मों की आपूर्ति				
(ii)	मूल	30.65			
			21.07	20.87	(-)0.20
	पुनर्वि०	(-)9.58			
103-	सरकारी मुद्रणालय-				
01-	हिमाचली प्रदेश सरकारी मुद्रणालय				
(iii)	मूल	1,597.76			
	पूरक	318.84	1,755.15	1,755.41	(+)0.26
	पुनर्वि०	(-)161.45			
104-	अन्य साधनों से मुद्रण की लागत-				
01-	निजि मुद्रणालय				
(iv)	मूल	12.30			
			8.60	8.40	(-)0.20
	पुनर्वि०	(-)3.70			
उपरोक्त चार मामलों में मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 198.79 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।					
02-	अन्य सरकारी मुद्रणालय-				
	मूल	11.03			
			9.57	1.89	(-)7.68
	पुनर्वि०	(-)1.46			
₹ 7.68 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।					

विनियोग लेखे

अनुदान संख्या-25- सड़क और जल परिवहन

(शीर्ष- 2041-वाहनों पर कर, 2059-लोक निर्माण-कार्य, 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, 3055-सड़क परिवहन, 3056-अंतर्देशीय जल परिवहन, 3075-अन्य परिवहन सेवाएं, 5002-भारतीय रेल-वाणिज्यिक लाइनों पर पूंजीगत परिव्यय, 5055-सड़क परिवहन पर पूंजीगत तथा 5056 अन्तर्देशीय जल परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय तथा 5075-अन्य परिवहन सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय)

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजारों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
राजस्व प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	2,48,74,14			
		3,84,35,78	3,77,90,61	(-)6,45,17
पूरक	1,35,61,64			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				
				..
पूंजीगत प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	1,10,55,00			
		3,05,41,22	3,19,23,35	(+)13,82,13
पूरक	1,94,86,22			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				
				..

टिप्पणियां तथा अभ्युक्तियां

- (i) पूंजीगत प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 13,82,12,643 के आधिक्य का नियमितीकरण अपेक्षित है।
- (ii) राजस्व प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 1,382.13 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से फरवरी 2022 में प्राप्त ₹ 19,486.22 लाख का अनुपूरक अनुदान अपर्याप्त सिद्ध हुआ।

राजस्व प्रवर्ग

- (iii) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
2041- वाहनों पर कर-			
001- निदेशन तथा प्रशासन-			
01- मुख्यालय तथा क्षेत्रीय कर्मचारी वर्ग-			

210
विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-25- (क्रमशः)

(i)	मूल	1,367.19			
			1,367.16	1,263.72	(-)103.44
	पुनर्वि०	(-)0.03			
2235-	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-				
	60- अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम-				
	101- गरीब परिवारों के लिए व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना-				
	04- यात्रियों को अनुग्रह अनुदान अदायगी-				
(ii)	मूल	68.00	68.00	17.00	(-)51.00
3055-	सड़क परिवहन-				
	001- निदेशन तथा प्रशासन-				
	01- निदेशालय-				
(iii)	मूल	1,290.02			
	पूरक	5.98	1,303.75	1,115.55	(-)188.20
	पुनर्वि०	7.75			
	उपरोक्त तीन मामलों में ₹ 342.64 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।				
3056-	अंतर्देशीय जल परिवहन-				
	001- निदेशन तथा प्रशासन-				
	01- अंतर्देशीय जल परिवहन हेतु कर्मचारी वर्ग की व्यवस्था-				
	मूल	7.91			
			0.21	0.21	..
	पुनर्वि०	(-) 7.70			
	मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 7.70 लाख की सारभूत कमी संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण हुई।				
3075-	अन्य परिवहन सेवाएं-				
	60- अन्य-				
	190- सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों की सहायता-				
	01- रोपवे और रेपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड को सहायता				
	मूल	775.00	775.00	472.50	(-)302.50
	₹ 302.50 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।				
पूंजीगत प्रवर्ग					
(iv)	दत्तमत अनुदान में आधिक्य मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-				
	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)	
			(₹ लाखों में)		
5055-	सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय-				

211
विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-25- (क्रमशः)

050- भूमि तथा भवन-

01- बस स्टैंड का निर्माण-

मूल	1,154.00	1,154.00	2,707.00	(+1,553.00
-----	----------	----------	----------	------------

₹ 2,707.00 लाख के कुल व्यय में से ₹ 1,553.00 लाख का व्यय वर्ष 2019-20 के लिए आपत्ति पुस्तिका के उचंत के समायोजन के कारण हुआ।

(v) उपरोक्त आधिक्य मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुए बचत से अंशतः प्रतिसंतुलित हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
-------	------------	--------------------------------	-----------------------

5002- भारतीय रेल वाणिज्यक पर पूंजीगत परिव्यय-

01- पूंजी का लाभांश दायित्व-

120- नई लाईन निर्माण-

01- नई लाईन का निर्माण

मूल	3,000.00	17,209.23	17,209.23	..
-----	----------	-----------	-----------	----

पूरक 14,209.23

उप मुख्यशीर्ष 01-पूंजी का लाभांश दायित्व को 01-04-2019 से बन्द कर दिया गया है।

5055- सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय-

050- भूमि तथा भवन-

03- क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों के भवनों का निर्माण-

मूल	150.00	146.86	41.99	(-)104.87
-----	--------	--------	-------	-----------

पुनर्वि० (-)3.14

₹ 104.87 लाख की सारभूत अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

₹ 41.99 लाख के कुल व्यय में से ₹ 35.07 लाख का व्यय वर्ष 2019-20 की आपत्ति पुस्तिका के उचंत के समायोजन के कारण हुआ।

07- परिवहन नगर-

(i) मूल	1,00
पुनर्वि०	(-)1.00			

08- आदर्श निरीक्षण और प्रमाणन केन्द्र-

(ii) मूल	1,00
पुनर्वि०	(-)1.00			

09- प्रशिक्षण संस्थान-

(iii) मूल	1.00
पुनर्वि०	(-)1.00			

विनियोग लेखे

अनुदान संख्या-25- (समाप्त)

उपरोक्त तीन मामलों में मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3.00 लाख का समस्त प्रावधान संहितागत औपचारिकताओं के पूरा न करने के कारण समाप्त कर दिया गया।

5056- अन्तर्देशीय जल परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय-

101- भूमिगत सुविधाएं-

01- जैटिंग अन्तर्देशीय जल परिवहन-

मूल	66.00	66.00	..	(-)66.00
-----	-------	-------	----	----------

₹ 66.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई, 2022)।

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

मूल	1,00			
-----	------	--	--	--

पुनर्वि०	(-)1.00			
----------	---------	--	--	--

मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण समाप्त कर दिया गया।

विनियोग लेखे

अनुदान संख्या-26- पर्यटन और नागर विमानन

(शीर्ष 2059-लोक निर्माण-कार्य, 3053-नागर विमानन, 3452-पर्यटन, 5053-नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय तथा 5452- पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजारों में)	आधिक्य (+) बचत(-)
राजस्व प्रवर्ग			
दत्तमत			
मूल	1,17,53,34		
		1,42,47,89	(-)48,44,70
पूरक	24,94,55		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)			1,03,05,08
पूंजीगत प्रवर्ग			
दत्तमत			
मूल	5,78,39,01		
		5,78,39,02	(-)4,96,20,99
पूरक	1		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)			5,19,17,07

टिप्पणियां तथा अभ्युक्तियां

- (i) राजस्व प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 4,844.70 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से फरवरी 2022 में प्राप्त ₹ 12,494.55 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ। जबकि मूल अनुदान भी सारभूत रूप से अप्रयुक्त रहा तथा ₹10,305.08 लाख का अभ्यर्पण अत्याधिक और अनुचित सिद्ध हुआ।
- (ii) पूंजीगत प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 49,620.99 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से ₹ 51,917.07 लाख का अभ्यर्पण अत्याधिक और अनुचित सिद्ध हुआ।

राजस्व प्रवर्ग

- (iii) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
3053- नागर विमानन-			
02- हवाई अड्डे-			
102- विमान पट्टियां-			
01- क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़े देश का आम नागरिक-			
मूल	750.00		
		218.00	
		213.25	(-)4.75
पुनर्वि0	(-)532.00		

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-26 (क्रमशः)

मार्च 2022 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 532.00 लाख की कमी केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के स्थान पर राज्य होमगार्ड की तैनाती के कारण हुई।

02-	पुनर्वास और एयरपोर्ट्स/हेलीपोर्ट्स का रखरखाव-				
	मूल	10,000.00			
			238.33	238.33	..
	पुनर्वि०	(-)9,761.67			

मार्च 2022 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 9,761.67 लाख की कमी प्रस्तावों को अंतिम रूप न देने/अनुपलब्धता के कारण हुई।

3452- पर्यटन-

80- सामान्य-

001- निदेशन और प्रशासन-

02- क्षेत्रीय कर्मचारी वर्ग-

	मूल	523.65			
	मूल	5.15	530.73	475.79	(-)54.94
	पुनर्वि०	1.93			

₹ 54.94 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई, 2022)।

800- अन्य व्यय-

08- पर्यटन संरचना के लिए प्रोत्साहन-

	मूल	10.01			
			7.11	6.36	(-)0.75
	पुनर्वि०	(-)2.90			

मार्च 2022 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 2.90 लाख की कमी बैठकों के कम आयोजन के कारण हुई।

(iv) उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्ष के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
			(₹ लाखों में)

3452- पर्यटन-

80- सामान्य-

001- निदेशन और प्रशासन-

03- पर्यटन के लिए बुनियादी ढांचा विकास निवेश कार्यक्रम-

	मूल	1,00			
			0.01	5,537.00	(+)5,536.99
	पुनर्वि०	(-)0.99			

₹ 5,536.99 लाख का समस्त व्यय वर्ष 2019-20 की आपत्ति पुस्तिका के उंचत के समायोजन के कारण हुआ।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-26 (समाप्त)

पूजीगत प्रवर्ग

(v) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
5053- नागरिक विमानन पर पूजीगत परिव्यय-			
02- हवाई अड्डे-			
102- पट्टिया-			
02- हवाई अड्डे/हेलीपोर्टों का विकास-			
मूल	54,035.00		
		917.94	878.35
			(-)39.59
पुनर्वि०	(-)53,117.06		

₹ 39.59 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 53,117.06 लाख की कमी संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 39.59 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

(vi) उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्ष के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
5452- पर्यटन पर पूजीगत परिव्यय-			
01- पर्यटन अवसंरचना-			
190- सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों में निवेश-			
01- पर्यटन निगम में निवेश-			
मूल	0.01		
		1,200.00	1,200.00
			..
पुनर्वि०	1,199.99		

मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹1,199.99 लाख का आवर्धन हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम में निवेश के कारण हुआ।

800- अन्य व्यय-

01- विभिन्न भवनों का निर्माण-

(i) मूल 0.01 0.01 369.52 (+)369.51

03- नई राहें नई मंजिलें-

(ii) मूल 3,291.00 3,291.00 5,257.17 (+)1,966.17

क्रम संख्या (i) पर ₹ 369.52 लाख का समस्त व्यय तथा क्रम संख्या (ii) पर ₹ 5,257.17 लाख के कुल व्यय में से ₹ 1,966.17 लाख का व्यय वर्ष 2019-20 की आपत्ति पुस्तिका के उंचत के समायोजन के कारण हुआ।

विनियोग लेखे

अनुदान संख्या - 27 - श्रम, रोजगार और प्रशिक्षण

(शीर्ष- 2059- लोक निर्माण-कार्य, 2203- तकनीकी शिक्षा, 2216-आवास, 2225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण, 2230- श्रम, रोजगार और कौशल विकास 4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय तथा 4250- अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय)

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजारों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
राजस्व प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	3,06,11,11			
		3,06,11,13	2,80,02,29	(-)26,08,84
पूरक	2			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)				
				8,49,05
पूंजीगत प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	83,35,00			
		95,46,60	98,86,60	(+)3,40,00
पूरक	12,11,60			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				
				..

टिप्पणियां तथा अभ्युक्तियां

- पूंजीगत प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 3,40,00,000 के आधिक्य का नियमितीकरण अपेक्षित है।
- राजस्व प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 2,608.84 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से ₹ 849.05 लाख का अभ्यर्पण अपर्याप्त सिद्ध हुआ।
- पूंजीगत प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 340.00 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से, फरवरी 2022 में प्राप्त ₹ 1,211.60 लाख का अनुपूरक अनुदान अपर्याप्त सिद्ध हुआ।

राजस्व प्रवर्ग

- दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
-------	------------	--------------------------------	-----------------------

2203- तकनीकी शिक्षा-

001- निदेशन तथा प्रशासन-

01- निदेशालय-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 27 -(क्रमशः)

	मूल	345.10	345.10	274.03	(-71.07
	₹ 71.07 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।				
105-	बहुतकनीकी -				
01-	राजकीय बहुतकनीकी-				
	मूल	5,519.94			
			5,493.67	4,907.15	(-586.52
	पुनर्वि०	(-26.27			
	₹ 586.52 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 26.27 की कमी दैनिक वेतन भोगियों की कम नियुक्ति तथा छात्रवृत्ति के लिए आवेदनों की कम प्राप्ति के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।				
	₹ 586.52 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।				
112-	इंजीनियरिंग/तकनीकी महाविद्यालय तथा संस्थान-				
01-	राजकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय/तकनीकी महाविद्यालय तथा मूल संस्थान-				
	मूल	2,236.71			
			2,221.56	1,941.72	(-279.84
	पुनर्वि०	(-15.15			
	₹ 279.84 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।				
03-	निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को सहायता अनुदान-				
	मूल	10.00			
		
	पुनर्वि०	(-10.00			
	मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 10.00 लाख का समस्त प्रावधान अनुदान सहायता के लिए निजी आद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों से आवेदनों की प्राप्ति न होने के कारण समाप्त कर दिया गया।				
2225-	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण-				
03-	पिछड़े वर्गों का कल्याण-				
277-	शिक्षा-				
04-	तकनीकी छात्रवृत्ति-				
	मूल	12.00			
			33.42	..	(-33.42
	पुनर्वि०	21.42			
	₹ 33.42 लाख के समस्त प्रावधान के अप्रयुक्त रहने की दृष्टि से, मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 21.42 लाख का आवर्धन छात्रवृत्ति के लिए आवेदनों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ जोकि अनुचित सिद्ध हुआ।				
	₹ 33.42 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 27 -(क्रमशः)

2230- श्रम रोजगार एवं कौशल विकास-

01- श्रम-

001- निदेशन और प्रशासन-

01- मुख्यालय कर्मचारी वर्ग-

मूल 136.39

पूरक 0.01

115.85

106.70

(-)9.15

पुनर्वि० (-)20.55

मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 20.55 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

101- औद्योगिक सम्बन्ध-

01- श्रम नियमों को लागू करना-

मूल 518.24

454.54

437.32

(-)17.22

पुनर्वि० (-)63.70

मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 63.70 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जोकि बाह्य सेवाओं पर अधिक व्यय के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।

02- विवादों का निपटारा-

(i) मूल 152.13

111.66

111.14

(-)0.52

पुनर्वि० (-)40.47

02- रोजगार सेवाएं-

004- अनुसंधान, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी-

01- रोजगार बाजार की जानकारी का संग्रह-

(ii) मूल 59.18

46.02

45.48

(-)0.54

पुनर्वि० (-)13.16

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 53.63 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

101- रोजगार सेवाएं-

01- रोजगार सेवाओं का आवरण विस्तार -

मूल 1,056.28

946.63

933.73

(-)12.90

पुनर्वि० (-)109.65

मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 109.65 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने और वेतनमानों में संशोधन के कारण हुई जोकि बाह्य सेवाओं पर अधिक व्यय तथा लंबित देनदारियों के समाशोधन के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 27 -(क्रमशः)

02-	व्यवसायिक सुझाव तथा रोजगार मंत्रणा-				
	मूल	48.77			
			45.89	35.95	(-)9.94
	पुनर्वि०	(-)2.88			

₹ 9.94 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

03-	प्रशिक्षण-				
003-	शिल्पकार तथा पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षण-				
05-	शिल्पकार तथा पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षण-				
	मूल	8,658.62			
			8,862.62	8,368.29	(-)494.33
	पुनर्वि०	204.00			

₹ 494.33 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से, मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 204.00 लाख का आवर्धन दैनिक वेतन भोगियों की अधिक नियुक्ति के कारण हुआ जोकि अनावश्यक सिद्ध हुआ।

₹ 494.33 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

09-	कौशल विकास भत्ता-				
	मूल	5,607.00			
			2,092.50	2,066.40	(-)26.10
	पुनर्वि०	(-)3,514.50			

₹ 26.10 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 3,514.50 लाख की कमी कोविड-19 में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बंद होने से कौशल विकास भत्ते के लिए आवेदनों की कम प्राप्ति के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 26.10 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई, 2022)।

10-	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का मॉडल औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के रूप में उन्नयन-				
(i)	मूल	1.00	1.00	..	(-)1.00
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(ii)	मूल	16.00	16.00	..	(-)16.00

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 17.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

102-	प्रशिक्षु प्रशिक्षण-				
01-	प्रशिक्षण-				
	मूल	14.70	14.70	10.87	(-)3.83

₹ 3.83 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 27 -(क्रमशः)

800-	अन्य व्यय-				
01-	हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम-				
	मूल	4,237.00			
			3,118.16	3,118.16	..
	पुनर्वि०	(-)1,118.84			

मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,118.84 लाख की कमी पूंजीगत कार्यों के कम निष्पादन तथा वेतनमानों में संशोधन करने के कारण हुई।

(v)	उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-			
	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
			(₹ लाखों में)	

2203- तकनीकी शिक्षा-

105-	बहुशिल्प विद्यालय-			
05-	केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत (बहुतकनीक के माध्यम से सामुदायिक विकास योजना) राजकीय बहुतकनीकी संस्थान-			
	पूरक	0.01		
			20.00	20.00
	पुनर्वि०	19.99		..

मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में 19.99 लाख का आवर्धन भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ।

2230- श्रम, रोजगार एवं कौशल विकास-

02-	रोजगार सेवाएं-			
800-	अन्य व्यय-			
01-	बेरोजगारी भत्ता-			
	मूल	1,567.00		
			4,916.80	4,693.78
	पुनर्वि०	3,349.80		(-)223.02

₹ 223.02 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 3,349.80 लाख का आवर्धन लंबित देनदारियों के समाशोधन के कारण हुआ जोकि अत्याधिक सिद्ध हुआ।

₹ 223.02 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

03-	प्रशिक्षण-			
001-	निदेशन और प्रशासन-			
01-	तकनीकी शिक्षा, व्यवसायिक और औद्योगिक प्रशिक्षण निदेशालय-			
	मूल	9.95	9.95	36.60
				(+)26.65

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 27 -(समाप्त)

₹ 26.65 लाख के सारभूत अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

003- दस्तकारों तथा पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण-

11- विश्व बैंक सहायता प्राप्त औद्योगिक कौशल
उपयोगिता सवर्धन/सशक्तिकरण परियोजना-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना-

मूल 4.00

517.61

517.61

..

पुनर्वि० 513.61

मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 513.61 लाख का आवर्धन संगोष्ठियों/कार्यशालाओं के आयोजन पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

पूंजीगत प्रवर्ग

(vi) दत्तमत अनुदान में आधिक्य मुख्यतः निम्नवत् शीर्ष के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
-------	------------	-----------------------------------	-----------------------

4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-

02- तकनीकी शिक्षा-

105- इंजीनियरिंग/तकनीकी कॉलेज तथा संस्थान-

01- भवन-

मूल 2,981.00

पूरक 211.60

3,530.96

3,530.96

..

पुनर्वि० 338.36

मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 338.36 लाख का आवर्धन निर्माण कार्यों के अधिक निष्पादन के कारण हुआ।

03- औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के भवनों का निर्माण-

मूल 2,400.00

पूरक 1,000.00

3,066.67

3,406.67

(+)340.00

पुनर्वि० (-)333.33

₹ 340.00 लाख की अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 333.33 लाख की कमी कार्यों के कम निष्पादन होने के कारण हुई जोकि अनुचित सिद्ध हुई।

₹ 340.00 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

विनियोग लेखे

अनुदान संख्या - 28- शहरी विकास, नगर और ग्राम योजना तथा आवास

(शीर्ष 2059- लोक निर्माण-कार्य, 2215- जलापूर्ति तथा स्वच्छता, 2216-आवास, 2217- शहरी विकास, 4215- जलापूर्ति तथा स्वच्छता पर पूंजीगत परिव्यय तथा 4217- शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय)

		कुल अनुदान/ विनियोजन	वास्तविक व्यय (₹ हजारों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
राजस्व प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	6,32,84,40			
		7,56,81,67	7,50,77,98	(-)6,03,69
पूरक	1,23,97,27			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				
..				
पूंजीगत प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	1,81,82,000			
		1,84,06,31	85,01,85	(-)99,04,46
पूरक	2,24,31			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)				
95,99,99				
प्रभारित				
मूल	..			
		5,40,00	5,40,00	..
पूरक	5,40,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				
..				

टिप्पणियां तथा अभ्युक्तियां

(i) पूंजीगत प्रवर्ग के प्रभारित विनियोजन में ₹ 68 के आधिक्य का नियमन अपेक्षित है।

राजस्व प्रवर्ग

(ii) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्ष के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत(-)
-------	------------	-----------------------------------	----------------------

2217- शहरी विकास-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-28 (क्रमशः)

80-	सामान्य-				
001-	निदेशन और प्रशासन-				
01-	स्थानीय निकायों का निदेशालय-				
	मूल	294.52			
			248.69	249.83	(+)1.14
	पुनर्वि०	(-)45.83			
	मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹45.83 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जोकि प्रशिक्षण पर अधिक व्यय के कारण हुए आधिक्य से अशतः प्रतिसंतुलित हुई।				
02-	नगर एवं ग्राम योजना संगठन का निदेशालय-				
	मूल	1,530.88			
	पूरक	0.01	1,387.82	1,315.30	(-)72.52
	पुनर्वि०	(-)143.07			
	₹ 72.52 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹143.07 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।				
	₹ 72.52 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।				
191-	स्थानीय निकाय निगम, शहरी विकास प्राधिकरणों, जिला सुधार बोर्ड, अन्य को सहायता-				
04-	दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन-				
	मूल	3.00			
		
	पुनर्वि०	(-)3.00			
	मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3.00 लाख के समस्त प्रावधान को केन्द्रीय हिस्सेदारी की प्राप्ति न होने से राज्य की हिस्सेदारी जारी नहीं किये जा सकने के कारण समाप्त कर दिया गया।				
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
	मूल	30.00			
		
	पुनर्वि०	(-)30.00			
	मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा 3.00 लाख के समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण समाप्त कर दिया गया।				
45-	केन्द्रीय वित्तयोग आवार्ड-				
	मूल	6,583.13	6,583.13	5,553.55	(-)1,029.58
	₹ 1,029.58 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।				
51-	पार्किंग का निर्माण-				
	मूल	249.00			
		
	पुनर्वि०	(-)249.00			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-28 (क्रमशः)

	मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 249.00 लाख का समस्त प्रावधान पार्किंग के निर्माण कार्यो के निष्पादन न होने के कारण समाप्त कर दिया गया।			
53-	लाल बहादूर शास्त्री कामगार एवं शहरी आजीविका योजना-			
	मूल	1.00
	पुनर्वि०	(-)1.00
	मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1.00 लाख के समस्त प्रावधान के कार्यो को समाप्त करने की समय अवधि पूरी होने के कारण योजना को कार्यान्वयन न करने के कारण समाप्त कर दिया गया।			
55-	कूड़ा संवर्धन संयंत्र की स्थापना और भूमि भरण स्थल का विकास-			
	मूल	1.00
	पुनर्वि०	(-)1.00
	मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1.00 लाख के समस्त प्रावधान संयंत्र को सार्वजनिक निजी भागीदारी प्रणाली द्वारा पहले से ही स्थापित करने से निधियां जारी नहीं करने के कारण समाप्त कर दिया गया ।			
56-	विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित ग्रेटर शिमला जल आपूर्ति स्कीम-			
	मूल	13,120.00	11,120.00	11,120.00
	पुनर्वि०	(-)2,000.00
	मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में 2,000.00 लाख की कमी ऊर्जा प्रभारों पर कम व्यय करने के कारण हुई।			
59-	नगर निगम की विकास योजना तैयार करना-			
	मूल	1.00
	पुनर्वि०	(-)1.00
	मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1.00 लाख के समस्त प्रावधान को विभाग द्वारा विकास योजना तैयार नहीं करने के कारण समाप्त कर दिया गया।			
192-	नगर पालिकाओं/नगर परिषदों के सहायक-			
14-	केंद्रीय वित्तयोग का अवार्ड-			
	मूल	6,495.70	6,495.70	5,431.63
				(-)1,064.07
	₹ 1,064.07 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।			
20-	लाल बहादूर शास्त्री कामगार एवं शहरी आजीविका-			
	मूल	1.00
	पुनर्वि०	(-)1.00

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-28 (क्रमशः)

	मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1.00 लाख के समस्त प्रावधान के कार्यों को समाप्त करने की समय अवधि पूरी होने के कारण योजना को कार्यान्वयन न करने के कारण समाप्त कर दिया गया।			
22-	नगर पालिकाओं की विकास योजना तैयार करना-			
	मूल	100.00
	पुनर्वि०	(-)100.00
	मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 100.00 लाख के समस्त प्रावधान को संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण समाप्त कर दिया गया।			
23-	निजी सार्वजनिक भागीदारी आधारित परियोजनाओं पर परामर्श-			
	मूल	9.00
	पुनर्वि०	(-)9.00
	मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 9.00 लाख के समस्त प्रावधान को प्रस्तावों की प्राप्ति न होने के कारण समाप्त कर दिया गया।			
25-	विलय क्षेत्र की विशिष्ट योजनाओं के लिए नगरपालिकाओं को अनुदान-			
	मूल	1.00
	पुनर्वि०	(-)1.00
	मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1.00 लाख के समस्त प्रावधान को नए क्षेत्र का विलय न होने के कारण समाप्त कर दिया गया।			
193-	नगर पंचायतों/अधिसूचित क्षेत्र समितियों या उनके समतुल्य को सहायता-			
13-	केन्द्रीय वित्तियोग का अवार्ड-			
	मूल	1,950.66	1,950.66	1,543.01
				(-)407.65
	₹ 407.65 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।			
18-	लाल बहादूर शास्त्री कामगार एवं शहरी आजीविका-			
	मूल	1.00
	पुनर्वि०	(-)1.00
	मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1.00 लाख के समस्त प्रावधान के कार्यों को समाप्त करने की समय अवधि पूरी होने के कारण योजना को कार्यान्वयन न करने के कारण समाप्त कर दिया गया।			
20-	केन्द्रीय वित्त आयोग के अन्तर्गत छावनी बोर्डों की सहायता-			
	मूल	570.51	570.51	455.92
				(-)114.59
	₹ 114.59 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-28 (क्रमशः)

21-	नगर पंचायतों/अधिसूचित क्षेत्र समिति की विकास योजना तैयार करना-			
	मूल	49.00
	पुनर्वि०	(-)49.00
	मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 49.00 लाख के समस्त प्रावधान को संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण समाप्त कर दिया गया।			
22-	निजी सार्वजनिक भागीदारी आधारित परियोजनाओं पर परामर्श-			
	मूल	1.00
	पुनर्वि०	(-)1.00
	मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1.00 लाख के समस्त प्रावधान को प्रस्तावों की प्राप्ति न होने के कारण समाप्त कर दिया गया।			
24-	विलय क्षेत्र की विशिष्ट योजनाओं के लिए नगर पंचायतों/अधिसूचित क्षेत्र समिति को अनुदान-			
	मूल	24.00
	पुनर्वि०	(-)24.00
	मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 24.00 लाख के समस्त प्रावधान को नए क्षेत्र का विलय न होने के कारण समाप्त कर दिया गया।			
25-	पूंजी परिसम्पत्तियों के लिए नगर पंचायतों/अधिसूचित क्षेत्र समिति-			
	मूल	25.00
	पुनर्वि०	(-)25.00
	मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 25.00 लाख के समस्त प्रावधान को प्रस्तावों की प्राप्ति न होने के कारण समाप्त कर दिया गया।			
(iii)	उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्ष के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसन्तुलित हुई:-			
	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)

(₹ लाखों में)

2217- शहरी विकास-

80- सामान्य-

191- स्थानीय निकाय निगम, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों को सहायता-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-28 (क्रमशः)

47-	स्वच्छ भारत मिशन के लिए सहायता अनुदान- केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
	मूल	70.00	70.00	340.22	(+)270.22
	₹ 270.22 लाख की अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)। जबकि भारत सरकार से ₹ 1,603.11 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ था।				
48-	अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन- केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
	मूल	1,556.00			
	पूरक	1,770.81	5,777.67	6,045.67	(+)268.00
	पुनर्वि०	2,450.86			
	₹ 268.00 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से, मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2,450.86 लाख का आवर्धन भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुआ। जबकि भारत सरकार से 7,401.80 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ था।				
	₹ 268.00 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतिक्षित थे (जुलाई 2022)। जबकि ₹ 6,045.67 लाख के कुल व्यय में से 208.00 लाख का व्यय वर्ष 2019-20 की आपत्ति पुस्तिका के उंचत के समायोजन के कारण हुआ।				
50-	प्रधानमंत्री आवास योजना-सभी के लिए आवास (शहरी)- केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(i)	मूल	424.00	424.00	450.87	(+)26.87
57-	अटल श्रेष्ठ शहर योजना				
(ii)	मूल	300.00	300.00	500.00	(+)200.00
	उपरोक्त दो मामलों में ₹ 950.87 लाख के कुल व्यय में से ₹ 356.29 का व्यय वर्ष 2019-20 की आपत्ति पुस्तिका के उंचत के समायोजन के कारण हुआ। जबकि भारत सरकार से क्रम संख्या (i) पर ₹ 2,235.58 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ था।				
192-	नगर पालिकाओं- नगर परिषदों को सहायता-				
04-	दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन-				
(i)	मूल	8.00			
			26.40	68.70	(+)42.30
	पूरक	18.40			
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(ii)	मूल	74.00			
			233.63	614.36	(+)380.73
	पूरक	159.63			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-28 (क्रमशः)

16-	स्वच्छ भारत मिशन के लिए सहायता अनुदान-				
(iii)	मूल	22.00			
			56.00	96.56	(+)40.56
	पूरक	34.00			
	उपरोक्त तीन मामलों में ₹ 4,63.59 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)। जबकि भारत सरकार से क्रम संख्या (ii) पर ₹746.73 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ था।				
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
	मूल	200.00			
	पूरक	303.00	788.97	869.00	(+)80.03
	पुनर्वि०	285.97			
	₹80.03 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से, मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹285.97 लाख का आवर्धन भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुआ।				
	₹ 80.03 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई, 2022)।				
17-	कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन-				
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
	मूल	620.00	620.00	1,260.00	(+)640.00
	₹ 640.00 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)। जबकि भारत सरकार से ₹ 7,401.80 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ था।				
24-	मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना-				
	मूल	150.00			
			114.31	150.00	(+)35.69
	पूरक	(-)35.69			
	₹ 35.69 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से, मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 35.69 लाख की कमी प्रस्तावों की कम प्राप्ति के कारण हुई जोकि अनुचित सिद्ध हुई।				
	₹ 35.69 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।				
193-	नगर पंचायतों/अधिसूचित क्षेत्र की				
	समितियों या इसके समतुल्य को सहायता-				
17-	बाल पार्को का विकास-				
		100.00	(+)100.00
	₹100.00 लाख का समस्त व्यय वर्ष 2019-20 की आपत्ति पुस्तिका के उंचत के समायोजन के कारण हुआ।				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-28 (समाप्त)

पूंजीगत प्रवर्ग

(iv) दत्तमत्त अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
4215- जलापूर्ति तथा स्वच्छता पर पूंजीगत परिव्यय-			
02- मल/निकासी तथा स्वच्छता-			
106- मलनिकासी सेवाएं-			
02- विभिन्न जिलों में जलोस्तर व्यवस्था योजना-			
मूल	13,466.00		
पूरक	224.31	4,120.32	3,865.23
पूरक	(-)9,569.99		(-)255.09

₹ 255.09 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से, मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में 9,569.99 लाख की कमी योजना को फ्रांसीसी विकास एजेंसी के अन्तर्गत प्रस्तुत करने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 255.09 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

4217- शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय-

03- छोटे और मध्यम शहरों का समेकित विकास-

051- निर्माण-

05- प्रारूप विकास योजना विस्तार-

मूल
 227.00 | | || | | 197.00 | 147.62 |
| पुनर्वि0 | (-)30.00 | | (-)49.38 |

₹ 49.38 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 30.00 लाख की कमी कोविड-19 महामारी में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के पूरा होने में देश के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 49.38 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या- 29 -वित्त

(शीर्ष- 2047- अन्य वित्तीय सेवाएं, 2048- कर्ज से बचने के लिए विनियोग, 2049- ब्याज अदायगी, 2054- खजाना तथा लेखा प्रशासन, 2059- लोक निर्माण कार्य, 2070- अन्य प्रशासनिक सेवाएं, 2071- पेंशन तथा अन्य सेवा निवृत्ति लाभ, 2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, 3451- सचिवालय आर्थिक सेवायें, 3454- जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय, 6003- राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण, 6004- केन्द्रीय सरकार से ऋण तथा अग्रिम तथा 7610- सरकारी कर्मचारी आदि को ऋण)

		कुल अनुदान/ विनियोजन	वास्तविक व्यय (₹ हजारों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
राजस्व प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	72,03,57,69			
		72,03,57,70	64,95,10,87	(-)7,08,46,83
पूरक	1			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)				5,62,51,70
प्रभारित				
मूल	50,17,56,66			
		50,17,56,69	46,40,78,59	(-)3,76,78,10
पूरक	3			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)				2,12,75,60
पूंजीगत प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	19,77,51			
		19,77,52	13,92,20	(-)5,85,32
पूरक	1			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)				5,70,47
प्रभारित				
मूल	53,33,51,13			
		53,33,51,20	43,87,28,50	(-)9,46,22,70
पूरक	7			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)				9,46,41,45

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 29 (क्रमशः)
टिप्पणियां तथा अभ्युक्तियां

- (i) राजस्व प्रवर्ग के दत्तमत अनुदान में ₹ 70,846.83 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से ₹ 56,251.70 लाख का अभ्यर्पण अपर्याप्त सिद्ध हुआ।
- (ii) राजस्व प्रवर्ग के प्रभारित विनियोजन में ₹ 37,678.10 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से ₹ 21,275.60 लाख का अभ्यर्पण अपर्याप्त सिद्ध हुआ।
- (iii) पूंजीगत प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 585.32 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से ₹ 570.47 लाख का अभ्यर्पण अपर्याप्त सिद्ध हुआ।
- (iv) पूंजीगत प्रवर्ग के प्रभारित विनियोजन में ₹ 94,622.70 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से ₹ 94,641.45 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक सिद्ध हुआ।

राजस्व प्रवर्ग

- (v) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
2047- अन्य राजकोषीय सेवाएं-			
103- लघु बचत को बढ़ावा देना-			
02- जिला स्थापना-			
मूल	46.70	46.70	37.34
			(-)9.36
₹ 9.36 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।			

2048- कर्ज से बचने के लिए विनियोग-

101- ऋण चुकाने की निधि-				
01- ऋण चुकाने की निधि में स्थानान्तरण-				
(i) मूल	1.00			
	
पुनर्वि०	(-)1.00			
200- अन्य विनियोग-				
01- गारंटी फंड में स्थानांतरण-				
(ii) मूल	1.00			
	
पुनर्वि०	(-)1.00			

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2.00 लाख का समस्त प्रावधान योजना बंद होने के कारण समाप्त कर दिया गया।

2054- खजाना तथा लेखा प्रशासन-

- 095- निदेशालय-
- 01- मुख्यालय संगठन-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 29 (क्रमशः)

(i)	मूल	926.24			
			929.49	711.51	(-)217.98
	पुनर्वि०	(-)3.25			
097-	खजाना स्थापना-				
01-	जिला कोषागार एवं उप कोषागार-				
(ii)	मूल	3,834.77			
			3,846.77	3,029.45	(-)817.32
	पुनर्वि०	12.00			
	उपरोक्त दो मामलों में ₹ 1,035.30 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।				
098-	स्थानीय लेखा परीक्षा निधि -				
01-	स्थानीय लेखा परीक्षा निधि संगठन-				
	मूल	1,048.55			
			976.02	790.09	(-)185.93
	पुनर्वि०	(-)72.53			
	₹ 185.93 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 72.53 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।				
	₹ 185.93 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।				
2070-	अन्य प्रशासनिक सेवाएं-				
105-	विशेष जांच आयोग-				
02-	राज्य वित्त आयोग-				
	मूल	68.18			
	पूरक	0.01	71.87	50.84	(-)21.03
	पुनर्वि०	3.68			
	₹ 21.03 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।				
2071-	पेंशन तथा अन्य सेवानिवृति लाभ-				
01-	सिविल-				
101-	सेवानिवृति तथा सेवानिवृति भत्ते-				
03-	1.11.1966 से सेवानिवृति-				
(i)	मूल	3,94,653.31			
			3,52,783.13	3,52,568.65	(-)214.48
	पुनर्वि०	(-)41,870.18			
102-	पेंशन का सारांशीकृत मूल्य-				
02-	1.11.1966 से भुगतान-				
(ii)	मूल	30,338.97			
			27,110.92	26,926.40	(-)184.52
	पुनर्वि०	(-)3,228.05			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 29 (क्रमशः)

104- उपदान-

02- 1.11.1966 ग्रेच्युटी से भुगतान-

(iii) मूल 63,268.40

62,774.52

60,592.72

(-)2,281.80

पुनर्वि० (-)493.88

उपरोक्त तीन मामलों में मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 45,592.11 लाख की कमी नए वेतनमान के अन्तर्गत पेंशन मामलो में संशोधन नहीं होने के कारण हुई।

उपरोक्त तीन मामलों में ₹ 2,680.80 लाख की अंतिम बचत नए वेतनमानों के अन्तर्गत पेंशन मामलो में संशोधन न करने के कारण हुई।

105- पारिवारिक पेंशन-

01- 1.11.1966 से पहले भुगतान-

मूल 980.88

980.88

..

(-)980.88

₹ 980.88 लाख की अंतिम बचत पारिवारिक पेंशनभोगियों की अनुपलब्धता के कारण हुई।

02- 1.11.1966 के बाद भुगतान-

मूल 99,530.30

90,044.02

87,238.88

(-)2,805.14

पुनर्वि० (-)9,486.28

मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 9,486.28 लाख की कमी नए वेतनमानों के अन्तर्गत पेंशन मामलो में संशोधन न करने के कारण हुई।

₹ 2,805.14 लाख की अंतिम बचत नए वेतनमान के अन्तर्गत पेंशन मामलों में संशोधन न करने के कारण हुई।

111- विधायकों को पेंशन-

01- राज्य के विधायक-

मूल 2,903.75

2,903.75

2,268.05

(-)635.70

₹ 635.70 लाख की अंतिम बचत अपेक्षा से कम मामले प्राप्त होने के कारण हुई।

115- अवकाश नकदीकरण हितलाभ-

01- अवकाश भुगतान-

मूल 51,311.04

46,984.39

44,174.51

(-)2,809.88

पुनर्वि० (-)4,326.66

₹ 2,809.88 लाख के अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2022 पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 4,326.66 लाख की कमी अपेक्षा से कम मामलों की कम प्राप्ति के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 2,809.88 लाख के अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

117- परिभाषित सरकारी पेंशन योजना के लिए योगदान-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 29 (क्रमशः)

01-	अंशदायी पेंशन योजना-				
(i)	मूल	65,110.77	65,110.77	64,938.69	(-)172.08
2235-	सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण-				
60-	अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम-				
102-	सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अन्तर्गत पेंशन-				
05-	स्वालम्बन योजना के अन्तर्गत पेंशन हेतु योगदान-				
(ii)	मूल	1,500.00	1,500.00	932.62	(-)567.38
3451-	सचिवालय-आर्थिक सेवाएं-				
091-	सम्बद्ध कार्यालय-				
01-	वित्त और सार्वजनिक उद्यम संस्थागत निदेशालय-				
(iii)	मूल	2,000.00	2,000.00	174.14	(-)1,825.86
3454-	जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी-				
02-	सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी-				
111-	जन्म-मृत्यु सांख्यिकी-				
01-	मुख्यालय तथा जिला कर्मचारी वर्ग-				
(iv)	मूल	1,136.82			
			1,138.98	829.82	(-)309.16
	पुनर्वि०	(-)2.16			
02-	यांत्रिक सारणीकरण इकाइयों की स्थापना-				
(v)	मूल	15.99	15.99	11.43	(-)4.56
03-	राज्य आय अनुमान ईकाइयों में सुधार की स्थापना-				
(vi)	मूल	10.63	10.63	8.30	(-)2.33
	उपरोक्त छः मामलों में ₹ 2,881.37 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।				
(vi)	उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसन्तुलित हुई:-				
	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)	
			(₹ लाखों में)		
2054-	खजाना तथा लेखा प्रशासन-				
095-	लेखा तथा खजाना निदेशालय -				
04-	विश्व बैंक की सहायता से एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना)-				
	मूल	1,369.00			
			3,369.00	2,860.79	(-)508.21
	पुनर्वि०	2,000.00			
	₹ 508.21 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2,000.00 लाख का आवर्धन पुरानी लंबित देनदारियों के समायोजन के कारण हुआ जोकि अत्याधिक सिद्ध हुआ।				

विनियोग लेखे

अनुदान संख्या - 29 (क्रमशः)

₹ 508.21 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

2059- लोक निर्माण कार्य-

01- कार्यालय भवनों-

053- रखरखाव और मरम्मत-

05- कोषागार एवं लेखा विभाग के रखरखाव पर व्यय-

मूल 0.01

9.65

9.63

(-)0.02

पुनर्वि० 9.64

मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 9.64 लाख का आवर्धन कार्यालय भवनों की मरम्मत एवं नवीनीकरण कार्यों पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

2071- पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभ-

01- सिविल-

104- उपदान-

03- विभिन्न उपदान अधिनियमों के अन्तर्गत उपदान-

मूल 102.58

1,307.62

1,282.78

(-)24.84

पुनर्वि० 1,205.04

मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,205.04 लाख का आवर्धन केन्द्रीय सिविल सेवाओं (पेंशन नियम 1971) के अलावा अन्य ग्रेच्युटी के भुगतान के कारण हुआ।

₹ 24.84 लाख की अंतिम बचत अपेक्षा से कम मामले प्राप्त होने के कारण हुई (जुलाई 2022)।

(vii) प्रभारित विनियोजन में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्ष के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष

कुल विनियोजन

वास्तविक

व्यय

(₹ लाखों में)

आधिक्य (+)

बचत (-)

2049- ब्याज अदायगी-

01- आंतरिक ऋण पर ब्याज-

101- बाजार ऋणों पर ब्याज-

89- हिमाचल प्रदेश राज्य विकास ऋण का प्रतिशत (नए ऋण)-

मूल 12,000.00

..

..

..

पुनर्वि० (-)12,000.00

मार्च 2022 में ₹ 12,000.00 लाख के समस्त विनियोजन को पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा अनुसूची के अनुसार ऋणों पर ब्याज के भुगतान के लिए निधियों की कम आवश्यकता तथा कम नए ऋण जुटाए जाने के कारण कम कर दिया गया। इस तरह का विनियोजन वर्ष 2010-11 से किया जा रहा है।

200- अन्य आंतरिक ऋणों पर ब्याज-

07- राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक- (नाबार्ड)

मूल 16,000.00

14,000.00

12,523.52

(-)1,476.48

पुनर्वि० (-)2,000

विनियोग लेखे

अनुदान संख्या - 29 (क्रमशः)

₹ 1,476.48 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा विनियोजन में ₹ 2,000.00 लाख की कमी अनुसूची के अनुसार ऋणों पर ब्याज के भुगतान के लिए निधियों की कम आवश्यकता के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 1,476.48 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

305-	ऋण का प्रबन्ध-				
01-	ऋण का प्रबन्ध-				
	मूल	750.00			
			775.00	583.81	(-)191.19
	पुनर्वि०	25.00			

₹ 191.19 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा विनियोजन में ₹ 25.00 लाख का आर्बधन निधियों की अनुसूची के अनुसार अधिक आवश्यकता के कारण ऋण पर ब्याज के भुगतान के लिए हुआ जोकि अनावश्यक साबित हुआ।

₹ 191.19 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

03-	लघु बचत, भविष्य निधियों आदि पर ब्याज-				
104-	राज्य भविष्य निधियों पर ब्याज-				
01-	सामान्य भविष्य निधि-				
	मूल	1,35,000.00			
			1,28,800.00	1,14,055.22	(-)14,744.78
	पुनर्वि०	(-)6,200.00			

मार्च 2022 में अभ्यर्पण द्वारा विनियोजन में ₹ 6,200.00 लाख की कमी अनुसूची के अनुसार ब्याज के भुगतान की कम आवश्यकता के कारण हुई।

₹ 14,744.78 लाख की अंतिम बचत सामान्य भविष्य निधि पर ब्याज दर में वृद्धि न करने के कारण हुई।

03-	अखिल भारतीय सेवाएं भविष्य निधि-				
	मूल	718.48			
			420.00	414.15	(-)5.85
	पुनर्वि०	(-)298.48			

मार्च 2022 में अभ्यर्पण द्वारा विनियोजन में ₹ 298.48 लाख की कमी ब्याज के भुगतान के लिए निधियों की कम आवश्यकता के कारण हुई।

108-	बीमा और पेंशन निधि पर ब्याज-				
01-	हिमाचल प्रदेश सरकारी कर्मचारी बीमा योजना-				
	मूल	2,535.00			
			2,185.00	2,158.34	(-)26.66
	पुनर्वि०	(-) 350.00			

मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा विनियोजन में ₹ 350.00 लाख की कमी ब्याज के भुगतान के लिए निधियों की कम आवश्यकता के कारण हुई।

₹ 26.66 लाख की अंतिम बचत के अपेक्षा से कम मामलों की प्राप्ति के कारण हुई।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 29 (क्रमशः)

05-	आरक्षित निधि पर ब्याज-				
105-	सामान्य और अन्य आरक्षित निधियों पर ब्याज-				
02-	कैम्पा फंड पर ब्याज-				
	पूरक	10,000.00			
			5,500.00	5,212.55	(-)287.45
	पुनर्वि०	4,500.00			
	₹ 287.45 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा विनियोजन में ₹ 4,500.00 लाख की कमी अनुसूची के अनुसार ब्याज के कम भुगतान के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।				
	₹ 287.45 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।				
2071-	पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभ-				
01-	सिविल-				
104-	उपदान-				
03-	विभिन्न ग्रेच्युटी अधिनियमों के अन्तर्गत ग्रेच्युटी-				
	पूरक	0.01			
			20.08	..	(-)20.08
	पुनर्वि०	20.07			
	मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा विनियोजन में ₹ 20.07 लाख का आवर्धन न्यायालय के आदेशों की अनुपालना करने के कारण हुआ।				
(viii)	उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसन्तुलित हुई:-				
	शीर्ष	कुल विनियोजन	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+)	बचत (-)
			(₹ लाखों में)		
2049-	ब्याज अदायगी-				
01-	आंतरिक ऋण पर ब्याज-				
101-	बाजार ऋणों पर ब्याज-				
20-	6.93 प्रतिशत हिमाचल प्रदेश राज्य विकास ऋण 2031-				
(i)	पूरक	0.01			
			1,732.50	1,732.50	..
	पुनर्वि०	1,732.49			
24-	6.98 प्रतिशत हिमाचल प्रदेश राज्य विकास ऋण 2032-				
(ii)	पूरक	0.01			
			1,745.00	1,745.00	..
	पुनर्वि०	1,744.99			
115-	भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम पर ब्याज-				
01-	भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम प्रभार पर ब्याज-				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 29 (क्रमशः)

(iii) मूल	0.01			
		25.00	24.57	(-)0.43
पुनर्वि०	24.99			

उपरोक्त तीन मामलों में मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा विनियोजन में ₹ 3,502.47 लाख का आर्वधन अनुसूची के अनुसार ब्याज के भुगतान के लिए निधियों की अधिक आवश्यकता के कारण हुआ।

116- 14 दिन के ट्रेजरी बिल पर ब्याज-				
01- 14 दिन के ट्रेजरी बिल पर ब्याज -				
मूल	400.00	400.00	682.07	(+)282.07

₹ 282.07 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

04- केन्द्रीय सरकार से ऋणों तथा अग्रिमों पर ब्याज-				
101- राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में योजनागत योजनाओं के लिए ऋणों पर ब्याज-				
01- ब्लॉक ऋणों पर ब्याज-				
मूल	6,478.77			
		7,007.08	7,075.42	(+)68.34
पुनर्वि०	528.31			

₹ 68.34 लाख की अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा विनियोजन में ₹ 528.31 लाख का आर्वधन अनुसूची के अनुसार ब्याज के लिए भुगतान के लिए निधियों की अधिक आवश्यकता के कारण हुआ जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुआ।

₹ 68.34 लाख की अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

पूंजीगत प्रवर्ग

(ix) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्ष के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
(₹ लाखों में)			
7610- सरकारी कर्मचारी आदि को ऋण -			
201- गृह निर्माण अग्रिम-			
01- सरकारी कर्मचारियों को मकान के लिए अग्रिम-			
मूल	600.00		
		116.54	22.37
पुनर्वि०	(-)483.46		(-)94.17

₹ 94.17 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 483.46 लाख की कमी आवेदनों की कम प्राप्ति के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 94.17 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

विनियोग लेखे

अनुदान संख्या - 29 (क्रमशः)

02- मंत्रियों/उप मंत्रियों और राज्य विधायकों तथा पीठासीन अध्यक्षों को अग्रिम-

(i) मूल	50.00	50.00	36.00	(-)14.00
---------	-------	-------	-------	----------

03- उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों/लोकायुक्तों/ प्रशासनिक न्यायाधिकरण के सदस्यों और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष/सदस्यों को अग्रिम-

(ii) मूल	7.50	7.50	2.25	(-)5.25
----------	------	------	------	---------

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 19.25 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

202- मोटर वाहन की खरीद के लिए अग्रिम-

03- मोटर कारों की खरीद के लिए मंत्रियों, उप मंत्रियों, पीठासीन अध्यक्षों को ऋण -

मूल	20.00	20.00	..	(-)20.00
-----	-------	-------	----	----------

₹ 20.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

800- अन्य अग्रिम-

04- शिक्षा ऋण-

मूल	300.00			
		13.00	2.25	(-)10.75

पुनर्वि० (-)287.00

मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 287.00 लाख की कमी लाभार्थियों से मामलों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

(x) उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्ष के अर्न्तगत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसन्तुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
-------	------------	---------------	-----------------------

(₹ लाखों में)

4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-

01- कार्यालय भवन-

051- निर्माण-

08- कोषागार संस्था-

पूरक	0.01			
		200.00	329.32	(+)129.32

पुनर्वि० 199.99

मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 199.99 लाख का आवर्धन हिमाचल प्रदेश आवास और शहरी विकास प्राधिकरण में की खरीद के लिए निधियों की अधिक आवश्यकता के कारण हुआ।

₹ 329.32 लाख के व्यय में से ₹ 129.50 लाख का व्यय वर्ष 2019-20 की आपति पुस्तिका के उचंत के समायोजन के कारण हुआ।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 29 (क्रमशः)

(xi)	प्रभारित विनियोजन में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्ष के अर्न्तगत हुईः--			
शीर्ष	कुल विनियोजन	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+)	बचत (-)
		(₹ लाखों में)		
6003- राज्य सरकार का आंतरिक ऋण-				
110- भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम-				
01- भारतीय रिजर्व बैंक से साधारण अर्थोपाय अग्रिम-				
पूरक	2,00,000.00			
		83,285.00	83,285.00	..
पुनर्वि०	(-)1,16,715.00			
	मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा विनियोजन में ₹ 1,16,715.00 लाख का आवर्धन अर्थोपाय अग्रिमों के पुर्नभुगतान के लिए निधियों की कम आवश्यकता के कारण हुआ।			
6004- केन्द्रीय सरकार से ऋण तथा अग्रिम-				
08- केन्द्रीय प्रायोजित योजना-				
201- भवन निर्माण अग्रिम-				
01- भवन निर्माण अग्रिम-				
पूरक	0.01			
		1.31	..	(-)1.31
पुनर्वि०	1.30			
	₹ 1.31 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा विनियोजन में ₹ 1.30 लाख का आवर्धन ऋणों के पुर्नभुगतान के लिए निधियों की अधिक आवश्यकता के कारण हुआ जोकि अनावश्यक तथा अन्यायपूर्ण हुआ।			
	₹ 1.31 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।			
(xii)	उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्ष के अर्न्तगत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसन्तुलित हुईः-			
शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+)	बचत (-)
		(₹ लाखों में)		
6003- राज्य सरकार का आंतरिक ऋण-				
108- राष्ट्रीय सरकारी विकास निगम से ऋण-				
02- राष्ट्रीय सरकारी विकास निगम से ऋण-				
मूल	1,500.00			
		2,362.07	2,362.07	..
पुनर्वि०	862.07			
	मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा विनियोजन में ₹ 862.07 लाख का आवर्धन ऋणों के पुर्नभुगतान के कारण हुआ।			
110- भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम-				
02- भारतीय रिजर्व बैंके से विशेष आहरण सुविधा-				
पूरक	0.01			
		21,064.00	21,064.00	..
पुनर्वि०	21,063.99			

विनियोग लेखे

अनुदान संख्या - 29 (समाप्त)

मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा विनियोजन में ₹ 21,063.99 लाख का आवर्धन ऋण एवं अर्थोपाय अग्रिम की देनदारियों के लिए अधिक निधि की आवश्यकता के कारण हुआ।

6004- केन्द्रीय सरकार से ऋण तथा अग्रिम-

01- योजनेतर कर्ज-

201- भवन निर्माण अग्रिम-

01- ए0आई0एस0 अधिकारियों के लिए मकान बनाने हेतु अग्रिम-

पूरक 3.78

3.23

4.53

(+)1.30

पुनर्वि० (-)0.55

₹ 1.30 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

02- राज्य संघ/संघ राज्य क्षेत्र की योजनागत स्कीमों के लिए कजग्-

101- एक मुश्त कर्ज-

01- साधारण ऋण-

मूल 5,024.81

5,107.17

5,171.57

(+)64.40

पुनर्वि० 82.36

₹ 64.40 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा विनियोजन में ₹ 82.36 लाख का आवर्धन ऋणों की अदायगी के लिए निधि की अधिक आवश्यकता के कारण हुआ जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुआ।

₹ 64.40 लाख की अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

09- राज्यों/विधानमंडल मुक्त केन्द्र शासित प्रदेश के लिए अन्य ऋण-

101- ब्लॉक ऋण-

01- ब्लॉक ऋण- सामान्य/सामान्य ऋण-

पूरक 0.01

64.40

18.98

(-)45.42

पुनर्वि० (-)64.39

₹ 45.42 लाख के अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा विनियोजन में ₹ 64.39 लाख का आवर्धन ऋणों के पुर्नभुगतान के कारण हुआ जोकि अत्याधिक सिद्ध हुआ।

₹ 45.42 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-30- विविध सामान्य सेवाएं

(शीर्ष- 2059-लोक निर्माण-कार्य, 2070- अन्य प्रशासनिक सेवाएं, 2202- सामान्य शिक्षा, 2204- खेलकूद तथा युवा सेवाएं, 2205- कला एवं संस्कृति, 2220- सूचना तथा प्रचार, 2235- सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण 2250- अन्य सामाजिक सेवाएं, 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय, 4202- शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय तथा 4220- सूचना तथा प्रचार पर पूंजीगत परिव्यय)

		कुल अनुदान/ व्यय (₹ हजारों में)	वास्तविक व्यय (₹ हजारों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
राजस्व प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	93,68,13			
		1,07,11,08	1,01,22,50	(-)5,88,58
पूरक	13,42,95			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)				
				20,57
पूंजीगत प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	16,67,00			
		47,75,72	48,73,25	(+)97,53
पूरक	31,08,72			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				
				..

टिप्पणियां तथा अभ्युक्तियां

- (i) पूंजीगत प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 97,53,080 लाख के आधिक्य का नियमितीकरण अपेक्षित है।
- (ii) राजस्व प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 588.58 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2022 में प्राप्त ₹ 1,342.95 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्याधिक सिद्ध हुआ तथा ₹ 20.57 लाख का अभ्यर्पण अपर्याप्त सिद्ध हुआ।
- (iii) पूंजीगत प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 97.53 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि फ्रवरी 2022 प्राप्त ₹ 3,108.72 लाख का अनुपूरक अनुदान अपर्याप्त सिद्ध हुआ।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-30 (क्रमशः)

राजस्व प्रवर्ग

(iv) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
2070- अन्य प्रशासनिक सेवाएं-			
003- प्रशिक्षण-			
03- हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासनिक संस्थान -			
मूल	436.84		
		344.13	
पुनर्वि०	(-)92.71		(-)14.34
मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 92.71 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, बाह्य सेवाओं पर कम व्यय और दैनिक वेतनभोगियों के नियमितीकरण के कारण हुई।			
04- ग्रामीण विकास में प्रशिक्षण एवं अनुसंधान -			
(i) मूल	8.00	8.00	
		4.03	(-)3.97
केन्द्रीय प्रायोजित योजना			
(ii) मूल	111.00		
पूरक	0.01	111.06	
पुनर्वि०	0.05		(-)28.88
उपरोक्त दो मामलों में ₹ 32.85 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।			
118- नागरिकता अधिनियम का प्रशासन-			
01- राज्य सूचना आयोग पर व्यय-			
मूल	242.41		
		207.39	
पुनर्वि०	(-)35.02		(-)5.25
मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 35.02 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।			
2202- सामान्य शिक्षा-			
05- भाषा विकास-			
001- निदेशन और प्रशासन-			
01- निदेशालय-			
(i) मूल	353.32		
पूरक	5.74	359.51	
पुनर्वि०	0.45		(-)54.07
2204- खेलकूद तथा युवा सेवाएं-			
001- निदेशन और प्रशासन-			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-30 (क्रमशः)

01-	निदेशालय-				
(ii)	मूल	1,369.55			
			1,598.39	1,323.21	(-)275.18
	पुनर्वि०	(-)228.84			
101-	शारीरिक शिक्षा-				
01-	शारीरिक शिक्षा-				
(iii)	मूल	64.46	64.46	43.47	(-)20.99
104-	खेलकूद-				
01-	पर्वतारोहण संस्थान तथा सम्बन्धित खेलकूद, मनाली-				
(iv)	मूल	388.80	388.80	350.73	(-)38.07
	उपरोक्त चार मामलों में ₹ 388.31 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।				
800-	अन्य व्यय-				
04-	हिमाचल खेल परिषद-				
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
	मूल	1.00	1.00	..	(-)1.00
	₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।				
2205-	कला एवं संस्कृति-				
102-	कला तथा संस्कृति की तरक्की-				
04-	कला केन्द्र-				
(i)	मूल	33.66			
			34.16	23.27	(-)10.89
	पुनर्वि०	(-)0.50			
05-	अन्य संस्थानों को सहायता-				
(ii)	मूल	10.00			
			256.70	254.50	(-)2.20
	पुनर्वि०	(-)246.70			
	उपरोक्त दो मामलों में ₹ 13.09 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।				
08-	आज पुरानी राहों से-				
(i)	मूल	1.00	1.00	..	(-)1.00
09-	देव भूमि दर्शन योजना-				
(ii)	मूल	1.00	1.00	..	(-)1.00
	उपरोक्त दो मामलों में ₹ 2.00 लाख समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।				
103-	पुरातत्व विज्ञान-				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-30 (क्रमशः)

01-	प्राचीन कला और भू-निधि अधिनियम 1972 के क्रियान्वयन पर व्यय- केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
	मूल	30.00	30.00	12.58	(-)17.42
	₹ 17.42 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।				
104-	अभिलेखागार-				
01-	राजकीय अभिलेखागार की स्थापना-				
(i)	मूल	79.49	79.49	56.28	(-)23.21
107-	संग्रहालय-				
01-	हिमाचल राजकीय संग्रहालय-				
(ii)	मूल	265.00	265.00	204.00	(-)60.34
	उपरोक्त दो मामलों में ₹ 83.55 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।				
2220-	सूचना तथा प्रचार-				
01-	चलचित्र-				
001-	निदेशन और प्रशासन-				
01-	निदेशालय-				
	मूल	661.25			
			597.12	582.58	(-)14.54
	पुनर्वि०	(-)64.13			
	मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 64.13 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, यात्रा व्यय दावों की कम प्राप्ति, चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन न होने के कारण हुई।				
02-	जिला स्थापना-				
	मूल	913.67			
			749.13	712.85	(-)36.28
	पुनर्वि०	(-)164.75			
	₹ 36.28 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 164.75 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, किराए, दर एवं करों पर कम व्यय, चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति एवं यात्रा पर कम व्यय के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।				
	₹ 36.28 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।				
2250-	अन्य सामाजिक सेवाएं-				
103-	पवित्र स्थानों, मंदिरों आदि का रखरखाव-				
01-	मंदिरों का प्रबन्ध-				
	मूल	64.28			
			63.83	32.11	(-)31.72
	पुनर्वि०	(-)0.45			
	₹ 31.72 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-30 (क्रमशः)

(v) उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसन्तुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
2059- लोक निर्माण कार्य-			
01- कार्यालय भवन-			
053- रख-रखाव तथा मरम्मत-			
23- लोक सम्पर्क विभाग के भवनों के रखरखाव पर व्यय-			
मूल	2.10		
		10.48	
पुनर्वि०	8.38		..
मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 8.38 लाख का आवर्धन कार्यालय भवनों की मरम्मत/रखरखाव कार्य के निष्पादन पर अधिक व्यय के कारण हुआ।			
2205- कला एवं संस्कृति-			
103- पुरातत्व विज्ञान-			
01- प्राचीन कला और कला भू-निधि अधिनियम 1972 के क्रियान्वयन पर व्यय-			
मूल	150.00		
		350.00	
पुनर्वि०	200.00		(+113.62)
₹ 113.62 लाख की अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।			
₹ 463.62 लाख में से ₹ 170.15 लाख का व्यय वर्ष 2019-20 की आपति पुस्तिका के उचंचत के समायोजन के कारण हुआ।			
2220- सूचना एवं प्रचार-			
60- अन्य-			
101- विज्ञापन और दृश्य प्रचार-			
01- विज्ञापन और दृश्य प्रचार पर व्यय-			
मूल	2,635.25		
पूरक	585.15	3,432.94	
पुनर्वि०	212.54		(-)6.33
		3,426.61	
मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 212.54 लाख का आवर्धन राज्य सरकार के चार वर्ष पूरे होने पर विशेष प्रचार अभियान, विधानसभा सत्र के दौरान प्रेस कर्मियों के आतिथ्य और प्रेस कॉन्फ्रेंस पर अधिक व्यय के कारण हुआ।			
107- गीत तथा नाटक सेवाएं-			
01- गीत तथा नाटक सेवाओं पर व्यय-			
(i) मूल	150.60		
		257.72	
पुनर्वि०	(-)107.12		(-)4.73
		252.99	

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-30 (समाप्त)

110-	प्रकाशन-				
01-	प्रकाशन योजना पर व्यय-				
	मूल	188.13			
			207.79	201.58	(-)6.21
	पुनर्वि०	(-)19.66			

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 126.78 लाख का आवर्धन चार वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर राज्य सरकार के कार्यक्रम एवं नीतियों पर साहित्य के प्रकाशन के कारण हुआ जोकि यात्रा पर कम व्यय तथा रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई बचत से अंशतः प्रतिसंतुलित हुआ।

पूंजीगत प्रवर्ग

(vi)	दत्तमत अनुदान में आधिक्य मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-			
	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)

4059-	लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-			
80-	सामान्य-			
051-	निर्माण-			
06-	हिमाचल लोक प्रशासन संस्थान भवनों का निर्माण-			
	मूल	..	161.20	(+)161.20
		..		

₹ 161.20 लाख का समस्त आधिक्य वर्ष 2019-20 के लिए आपति पुस्तिका उचंत के समायोजन के कारण हुआ।

(vii)	उपरोक्त आधिक्य मुख्यतः निम्नवत् शीर्ष के अन्तर्गत हुई बचत से अंशतः प्रतिसंतुलित हुआ:-			
	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)

4202-	शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-			
03-	खेलकूद तथा युवा सेवाएं-			
102-	खेल स्थल-			
05-	मुख्यमंत्री युवा खेल प्रोत्साहन योजना-			
	मूल	735.00	671.90	(-)63.10
		735.00		

₹ 63.10 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31-जनजातीय विकास

(शीर्ष -2014 - न्याय प्रशासन, 2015- निर्वाचन, 2029- भू-राजस्व, 2030- स्टॉम्प तथा पंजीकरण, 2045- वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क, 2047- अन्य राजकोषीय सेवाएं, 2053- जिला प्रशासन, 2054-खजाना तथा लेखा प्रशासन, 2055- पुलिस, 2056- जेल, 2059-लोक निर्माण-कार्य, 2062-सतर्कता, 2070- अन्य प्रशासनिक सेवाएं, 2202- सामान्य शिक्षा, 2203- तकनीकी शिक्षा, 2204-खेलकूद तथा युवा सेवाएं, 2205- कला एवं संस्कृति, 2210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 2211- परिवार कल्याण, 2215- जलापूर्ति तथा सफाई, 2216- आवास, 2217- शहरी विकास, 2220- सूचना तथा प्रचार, 2225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण, 2230- श्रम रोजगार और कौशल विकास, 2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, 2236- पोषण, 2251- सचिवालय सामाजिक सेवाएं, 2401- फसल कृषि- कर्म, 2402- भू तथा जल संरक्षण, 2403- पशु पालन, 2404- दुग्ध विकास, 2405- मत्स्य पालन, 2406- वानिकी तथा वन्य जीवन, 2408- खाद्य भण्डारण तथा भाण्डागार, 2415- कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा, 2425- सहकारिता, 2435- अन्य कृषि कार्यक्रम, 2501- ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम, 2505- ग्राम रोजगार, 2506- भूमि-सुधार, 2515- अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम, 2702- लघु सिंचाई, 2801 विद्युत, 2851- ग्रामीण तथा लघु उद्योग, 2852- उद्योग, 2853- अलौह खनन तथा धातु उद्योग, 3054- सड़कों तथा सेतु, 3055 सड़क परिवहन, 3452- पर्यटन, 3454- जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, 3456- नागरिक आपूर्ति, 3475- अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं, 4055- पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय, 4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय, 4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय, 4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय, 4210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय, 4215-जलापूर्ति तथा स्वच्छता पर पूंजीगत परिव्यय, 4216- आवास पर पूंजीगत परिव्यय, 4225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय, 4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत व्यय, 4401- फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय, 4402- मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय, 4403- पशु पालन पर पूंजीगत परिव्यय, 4405-मत्स्य पालन पर पूंजीगत परिव्यय, 4406- वानिकी तथा वन्य प्राणियों पर पूंजीगत परिव्यय, 4408-खाद्य, भण्डारण तथा भाण्डागार पर पूंजीगत परिव्यय, 4425-सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय, 4702- लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, 4705-कमान क्षेत्र विकास पर पूंजीगत परिव्यय, 4711-बाढ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय, 4801-बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय, 4851-ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय, 5053- नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय, 5054- सड़कों तथा पुलों पर पूंजीगत परिव्यय, 5055- सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय, 5056- अंतर्देशीय जल परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय 5075-अन्य परिवहन सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय 5452- पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय तथा 6801- बिजली परियोजनाओं के लिए ऋण)

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

	कुल अनुदान/विनियोजन	वास्तविक व्यय (₹ हजारों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
राजस्व प्रवर्ग			
दत्तमत			
मूल	16,64,21,30		
		16,64,21,46	(-)4,03,42,47
पूरक	16		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)			1,12,92,04
प्रभारित			
मूल	..		
		7,89	(-)5,00
पूरक		2,89	
पूंजीगत प्रवर्ग			
दत्तमत			
मूल	5,74,14,00		
		5,74,14,04	(-)1,30,10,46
पूरक	4		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)			2,41,60

टिप्पणियां तथा अभ्युक्तियां

- (i) राजस्व प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 40,342.47 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से ₹ 11,292.04 लाख का अभ्यर्पण अपर्याप्त सिद्ध हुआ।
- (ii) राजस्व प्रवर्ग के प्रभारित विनियोजन में ₹ 5.00 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से फरवरी 2022 में प्राप्त ₹ 7.89 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्याधिक सिद्ध हुआ तथा वर्ष के दौरान विभाग द्वारा कोई राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (iii) पूंजीगत प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 13,010.46 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से ₹ 241.60 लाख का अभ्यर्पण अपर्याप्त सिद्ध हुआ।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

राजस्व प्रवर्ग

(iv) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
---	------------	--------------------------------	-----------------------

2014- न्याय प्रशासन-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- सिविल एवं सत्र न्यायालयों पर व्यय-

मूल 271.15

248.03

224.47

(-)23.56

पुनर्वि० (-)23.12

₹ 23.56 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 23.12 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, यात्रा, बिजली, टेलीफोन और पानी के बिलों पर कम व्यय के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 23.56 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

02- गवाहों की यात्रा तथा भोजन की राशि पर व्यय-

मूल 2.00

0.90

0.85

(-)0.05

पुनर्वि० (-)1.10

मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1.10 लाख की कमी योजना के अन्तर्गत कम व्यय होने के कारण हुई।

2029- भू-राजस्व-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- जिला स्थापना पर व्यय-

(i) मूल 571.92

571.92

441.55

(-)130.37

03- प्राथमिक तथा पर्यवेक्षण भू-अभिलेख संस्थानों का सुदृढीकरण (जिला प्रभार)-

(ii) मूल 110.63

110.63

68.44

(-)42.19

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 172.56 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

2030- स्टाम्प तथा पंजीकरण-

02- स्टाम्प न्यायिकेतर-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- गैर-न्यायिक स्टाम्पों के विक्रय पर व्यय-

मूल 1.04

1.04

..

(-)1.04

₹ 1.04 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

2047- अन्य राजकोषीय सेवाएं-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- लघु बचत संस्थाओं पर व्यय-

मूल 14.58

9.58

6.65

(-)2.93

पुनर्वि० 5.00

₹ 2.93 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 5.00 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 2.93 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

2053- जिला प्रशासन-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- जिला स्थापना पर व्यय-

मूल 1,175.31

1,224.01

996.98

(-)227.03

पुनर्वि० 48.70

₹ 227.03 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 48.70 लाख का आवर्धन दैनिक वेतन भोगियों की अधिक नियुक्ति, वाहनों की खरीद, बाह्य वाहनों, पेट्रोल, तेल, स्नेहक और वाहनों की मरम्मत पर अधिक व्यय के कारण हुआ जोकि अनावश्यक सिद्ध हुआ।

₹ 227.03 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

02- उपमण्डलों की स्थापना पर व्यय-

(i) मूल 229.18

229.48

158.80

(-)70.68

पुनर्वि० 0.30

03- अनुसूचित क्षेत्रों में एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना कार्यालय-

(ii) मूल 275.68

256.58

227.22

(-)29.36

पुनर्वि० (-)19.10

05- आवासीय आयुक्त पांगी कार्यालय पर व्यय-

(iii) मूल 56.48

57.39

45.68

(-)11.71

पुनर्वि० (-)0.91

उपरोक्त तीन मामलों में ₹ 111.75 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

10- सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम-

मूल 278.00

244.62

31.01

(-)213.61

पुनर्वि० (-)33.38

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

₹ 213.61 लाख की सारभूत अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 33.38 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण हुई और इसलिए राज्य की हिस्सेदारी भी अप्रयुक्त रही जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 213.61 लाख की सारभूत अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

मूल	2,500.00	2,500.00	279.09	(-)2,220.91
-----	----------	----------	--------	-------------

₹ 2,220.91 लाख की सारभूत अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

2054- खजाना तथा लेखा प्रशासन-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- जिला कोषागार एवं उप-कोषागार स्थापना पर व्यय-

मूल	415.34			
		424.84	334.52	(-)90.32

पुनर्वि० 9.50

₹ 90.32 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

02- विश्व बैंक सहायता प्राप्त एकीकृत वित्तीय

प्रबंधन प्रणाली (बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना)-

मूल	324.00	324.00	..	(-)324.00
-----	--------	--------	----	-----------

₹ 324.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसक प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

2055- पुलिस-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- पुलिस संगठनों पर व्यय-

मूल	5,648.60			
		5,715.03	4,679.8	(-)1,035.23

पुनर्वि० 66.43

₹ 1,035.23 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 66.43 लाख का आवर्धन टेलीफोन, पानी और बिजली के बिलों, हिमाचल सडक परिवहन निगम की बसों/निजी वाहनों के किराए के भुगतान पेट्रोल, तेल, स्नेहक और वाहनों की मरम्मत पर अधिक व्यय और चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ जोकि अनावश्यक सिद्ध हुआ।

₹ 1,035.23 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

03- जिला कार्यकारिणी बल फोर्स पर व्यय (जिला लाहौल स्पीति)-

(i) मूल	256.18			
		255.16	207.39	(-)47.77

पुनर्वि० (-)1.02

04- पुलिस रेडियो कर्मचारी वर्ग पर व्यय-

(ii) मूल	881.23			
		885.35	727.86	(-)157.49

पुनर्वि० (-)4.12

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 205.26 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

08-	कानून व्यवस्था के लिए पुलिस विभाग में तैनात गृह रक्षक कर्मचारी वर्ग पर व्यय-				
	मूल	620.90			
			590.15	528.56	(-)61.59
	पुनर्वि०	(-)30.75			

₹ 61.59 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 30.75 लाख की कमी गृहरक्षकों तैनाती पर कम व्यय के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 61.59 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

2059- लोक निर्माण-कार्य-

01-	कार्यालय भवन-				
796-	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-				
01-	सरकारी अन्य प्रशासनिक भवनों के रखरखाव तथा मरम्मत पर व्यय-				
(i)	मूल	89.59	89.59	71.12	(-)18.47
02-	सरकारी जिला राजस्व भवनों के रख-रखाव एवं मरम्मत पर व्यय-				
(ii)	मूल	5.97	5.97	3.22	(-)2.75
05-	नए औजारों तथा सयंत्रों की आपूर्ति के लिए व्यय-				
(iii)	मूल	19.38	19.38	8.84	(-)10.54
07-	उच्चत के अन्तर्गत व्यय (स्कन्ध)-				
(iv)	मूल	1,000.00	1,000.00	911.45	(-)88.55
08-	उच्चत के अन्तर्गत व्यय (स्कन्ध निर्माण)-				
(v)	मूल	500.00	500.00	270.22	(-)229.78
11-	वसूली के समायोजन के लिए रखरखाव का प्रावधान-				
(vi)	मूल	1,081.18	1,081.18	24.14	(-)1,057.04
16-	चिकित्सा महाविद्यालयों का रख-रखाव-				
(vii)	मूल	164.00	164.00	132.17	(-)31.83

उपरोक्त सात मामलों में ₹ 1,438.96 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

80- सामान्य-

796-	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-				
01-	भवन निर्माण कार्यक्रम सम्बन्धित स्थापना पर व्यय-				
	मूल	487.36			
			411.72	374.61	(-)37.11
	पुनर्वि०	(-)75.64			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

₹ 37.11 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 75.64 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 37.11 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

05-	प्राथमिक/माध्यमिक विद्यालयों का रखरखाव-				
	मूल	204.75			
			75.00	73.59	(-) 1.41
	पुनर्वि०	(-)129.75			

मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 129.75 लाख की कमी प्राथमिक/माध्यमिक विद्यालय भवनों के रख-रखाव पर कम व्यय के कारण हुई।

2062- सतर्कता-

796-	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-				
01-	राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो-				
	मूल	189.09			
			168.54	157.48	(-)11.06
	पुनर्वि०	(-)20.55			

मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 20.55 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

2202- सामान्य शिक्षा-

01-	प्रारंभिक शिक्षा-				
796-	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-				
03-	प्राथमिक पाठशालाओं पर व्यय-				
	मूल	10,280.39			
			8,438.35	7,828.70	(-)609.65
	पुनर्वि०	(-)1,842.04			

₹ 609.65 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,842.04 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, सामग्री की खरीद एवं यात्रा पर कम व्यय तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 609.65 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

09-	प्राथमिक शिक्षा पर व्यय-				
	मूल	3.60	3.60	1.97	(-)1.63

₹ 1.63 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

10-	प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत				
	अभिभावक शिक्षक संघ को सहायता अनुदान-				
	मूल	200.00			
			26.53	17.92	(-) 8.61
	पुनर्वि०	(-)173.47			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 173.47 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने तथा अभिभावक एवं शिक्षक संघ के अन्तर्गत नियुक्त अध्यापकों के नियमितीकरण के कारण हुई।

11- गर्म पकाया हुआ भोजन-मध्याह्न भोजन-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना

मूल	867.00			
पूरक	0.01	891.66	402.57	(-)489.09
पुनर्वि०	24.65			

₹ 489.09 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 24.65 लाख का आवर्धन भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ जोकि अनावश्यक सिद्ध हुआ। जबकि भारत सरकार से ₹ 346.61 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ था।

₹ 489.09 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

17- स्कूल प्रबंधन समिति को सहायता अनुदान-

मूल	450.00			
		421.30	407.29	(-)14.01
पुनर्वि०	(-)28.70			

मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 28.70 लाख की कमी स्कूल प्रबंधन समिति को कम अनुदान जारी करने के कारण हुई।

18- निजी विद्यालयों के कमजोर वर्ग के छात्रों के शुल्क की प्रतिपूर्ति कक्षा (1 से 8)-

मूल	5.40	5.40	..	(-)5.40
-----	------	------	----	---------

₹ 5.40 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

21- समग्र शिक्षा अभियान-

(i) मूल	395.00	395.00	259.45	(-)135.55
---------	--------	--------	--------	-----------

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

(ii) मूल	3,561.00	3,561.00	2,334.96	(-)1,226.04
----------	----------	----------	----------	-------------

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 1,361.59 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

22- स्वस्थ बचपन-

मूल	10.00			
		2.75	..	(-)2.75
पुनर्वि०	(-)7.25			

₹ 2.75 लाख के समस्त प्रावधान के अप्रयुक्त रहने की दृष्टि से मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 7.25 लाख की कमी सामग्रियों/वस्तुओं की खरीद पर कम व्यय के कारण हुई जोकि अनुचित सिद्ध हुई।

₹ 2.75 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

25-	डिजीटल शिक्षा-				
	मूल	1.00	1.00	..	(-)1.00
		₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।			
02-	माध्यमिक शिक्षा-				
796-	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-				
01-	जिला शिक्षा अधिकारी एवं कर्मचारियों पर व्यय-				
	मूल	194.11			
			198.81	170.13	(-)28.68
	पुनर्वि०	4.70			
		₹ 28.68 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।			
02-	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत				
	माध्यमिक विद्यालयों पर व्यय-				
	मूल	5,988.03			
			5,300.51	4,985.87	(-)314.64
	पुनर्वि०	(-)687.52			
		₹ 314.64 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 687.52 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, प्रोत्साहनों एवं यात्रा पर कम व्यय तथा दैनिक वेतन भोगियों की कम नियुक्ति के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।			
		₹ 314.64 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।			
		₹ 4,985.87 लाख में से ₹ 19.36 लाख का व्यय वर्ष 2019-20 की आपति पुस्तिका के उचंचत के समायोजन के कारण हुआ।			
03-	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत				
	उच्चतर विद्यालयों पर व्यय-				
	मूल	7,245.68			
			6,923.14	5,938.55	(-)984.59
	पुनर्वि०	(-)322.54			
		₹ 984.59 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 322.54 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, बिजली, टेलीफोन और पानी के बिलों पर कम व्यय तथा छात्रवृत्ति के लिए छात्रों की कम पात्रता के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।			
		₹ 984.59 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।			
06-	छात्राओं के शौचालय निर्माण पर व्यय-				
	मूल	2.00	2.00	..	(-)2.00
		₹ 2.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।			
18-	अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए पूर्व-मैट्रिक छात्रवृत्ति-				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

केन्द्रीय प्रायोजित योजना					
मूल	139.00	139.00	91.87	(-)47.13	
₹ 47.13 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।					
21-	जनजातीय क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए निःशुल्क छात्रावास-				
मूल	108.00				
		74.70	45.10	(-)29.60	
पुनर्वि०	(-)33.30				
₹ 29.60 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 33.30 लाख की कमी सामग्री की खरीद टेलीफोन, बिजला और पानी के बिलों पर कम व्यय तथा दैनिक वेतन भोगियों की कम नियुक्ति के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।					
₹ 29.60 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।					
25-	समग्र शिक्षा अभियान-				
(i)	मूल	186.00	186.00	96.44	(-)89.56
केन्द्रीय प्रायोजित योजना					
(ii)	मूल	1,676.00	1,676.00	867.94	(-)808.06
उपरोक्त दो मामलों में ₹ 897.62 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)। जबकि भारत सरकार से क्रम संख्या पर (ii) ₹ 2,864.26 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ था।					
26-	वर्तमान सूचना एवं संचार तकनीकी प्रयोगशालाओं और अन्य प्रयोगशाला सुविधाओं का उन्नयन/रख-रखाव-				
मूल	450.00	450.00	..	(-)450.00	
₹ 450.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।					
30-	मेधा प्रोत्साहन योजना-				
मूल	45.00	45.00	30.00	(-)15.00	
₹ 15.00 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।					
03-	विश्व विद्यालय और उच्चतर शिक्षा-				
796-	जनजातिय क्षेत्र उप योजना-				
02-	स्नातक महाविद्यालयों पर व्यय-				
केन्द्रीय प्रायोजित योजना					
मूल	790.68				
		750.79	670.36	(-)80.43	
पुनर्वि०	(-)39.89				
₹ 80.43 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 39.89 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जोकि चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की अधिक प्राप्ति के कारण हुए आधिक्य से अशंतः प्रतिसंतुलित हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।					
₹ 80.43 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।					

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

08-	राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान-				
(i)	मूल	19.00	19.00	14.85	(-)4.15
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(ii)	मूल	170.00	170.00	133.66	(-)36.34
	उपरोक्त दो मामलों में ₹ 40.49 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)। जबकि भारत सरकार से क्रम संख्या (ii) पर ₹ 133.66 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ था।				
10-	बैचलर ऑफ वेकेशनल प्रोग्राम कार्यक्रम-				
	मूल	1.00			
	पुनर्वि०	(-)1.00
	मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान सामग्री और वस्तुओं की खरीद पर कम व्यय के कारण समाप्त कर दिया गया।				
11-	खेल से स्वास्थ्य योजना				
	मूल	5.00	5.00	..	(-)5.00
	₹ 5.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।				
12-	अनुसूचित जनजाति के छात्रों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति-				
(i)	मूल	134.00			
	पुनर्वि०	(-)134.00
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(ii)	मूल	1,215.00			
	पुनर्वि०	(-)1,215.00
04-	प्रौढ शिक्षा-				
796-	जनजातीय क्षेत्र उप योजना-				
03-	पढ़ना लिखना अभियान-				
(iii)	मूल	4.00			
	पुनर्वि०	(-)4.00
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(iv)	मूल	32.00			
	पुनर्वि०	(-)32.00

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

उपरोक्त चार मामलों में मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा ₹ 1,385.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण समाप्त कर दिया गया और इसलिए राज्य का हिस्सा भी अप्रयुक्त रहा।

05-	भाषा विकास				
796-	जनजातीय क्षेत्र उप योजना-				
01-	हिन्दी के विकास पर व्यय-				
(i)	मूल	22.02	22.02	11.34	(-)10.68
80-	सामान्य-				
796-	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-				
02-	स्वर्ण जयंती सुपर 100 योजना-				
(ii)	मूल	10.00	10.00	6.30	(-)3.70
03-	कल्पना चावला छात्रवृत्ति योजना-				
	मूल	34.00			
			66.94	34.00	(-)32.94
	पुनर्वि०	32.94			

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 14.38 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

₹ 32.94 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 32.94 लाख का आवर्धन योजना के अन्तर्गत छात्रवृत्ति पर अधिक व्यय के कारण हुआ जोकि अनावश्यक सिद्ध हुआ।

₹ 32.94 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

2203- तकनीकी शिक्षा-

796-	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-				
04-	राजकीय बहुतकनीकी सस्थान-				
(i)	मूल	2.24	2.24	..	(-)2.24

2204- खेलकूद तथा युवा सेवाएं-

796-	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-				
04-	युवा एवं किशोर विकास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम-				
(ii)	मूल	1.00	1.00	..	(-)1.00

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 3.24 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

2205- कला एवं संस्कृति-

796-	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-				
01-	पुस्तकालयों पर व्यय-				
(i)	मूल	18.72			
			18.41	14.61	(-)3.80
	पुनर्वि०	(-)0.31			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

03-	आर्ट गैलरी तथा आरकाइवज पर व्यय-				
(ii)	मूल	15.17	15.17	8.97	(-)6.20
2210-	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-				
03-	ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति-				
796-	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-				
01-	जिला स्थापना पर व्यय-				
(iii)	मूल	277.18	277.18	215.34	(-)61.84
	उपरोक्त तीन मामलों में ₹ 71.84 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।				
02-	एलोपैथिक कार्यक्रम पर व्यय-				
	मूल	1,689.78			
			1,723.32	1,583.99	(-)139.33
	पुनर्वि०	33.54			
	₹ 139.33 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में 33.54 लाख का आवर्धन बाह्य स्रोत सेवाओं पर अधिक व्यय के कारण हुआ जोकि अनावश्यक सिद्ध हुआ।				
	₹ 139.33 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।				
03-	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम पर व्यय (प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र)-				
(i)	मूल	2,066.88	2,066.88	1,675.17	(-)391.71
04-	क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम पर व्यय-				
(ii)	मूल	20.00	20.00	8.60	(-)11.40
	उपरोक्त दो मामलों में ₹ 403.11 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।				
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
	मूल	1.00			
		
	पुनर्वि०	(-)1.00			
	मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण समाप्त कर दिया गया।				
08-	जनजातीय क्षेत्र के लिए टेलीमेडिसिन सेवा- केन्द्रगत योजना				
	मूल	1.00			
		
	पुनर्वि०	(-)1.00			
	मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण समाप्त कर दिया गया।				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

04- ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं- अन्य चिकित्सा पद्धतियां-					
796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-					
04- आयुर्वेदिक कार्यक्रम पर व्यय-					
(i)	मूल	1,251.14	1,251.14	983.64	(-)267.50
05- चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-					
796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-					
01- स्नातकोत्तर छात्रों और प्रशिक्षु चिकित्सकों को छात्रवृत्ति (दन्त चिकित्सा महाविद्यालय)-					
(ii)	मूल	27.00	27.00	19.29	(-)7.71
04- डॉ यशवंत सिंह परमार सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय, नाहन-					
(iii)	मूल	68.00	68.00	35.00	(-)33.00
05- डॉ राधाकृष्णन सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय, हमीरपुर-					
(iv)	मूल	90.00	90.00	55.36	(-)34.64
06- पंडित जवाहर लाल नेहरू सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय चंबा-					
(v)	मूल	87.00	87.00	53.00	(-)34.00
06- लोक स्वास्थ्य-					
796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-					
01- कर्मचारी वर्ग पर व्यय-					
(vi)	मूल	46.64	46.64	36.87	(-)9.77
03- क्षय रोग सर्वेक्षण तथा आवासीय परिचर्चा पर व्यय-					
(vii)	मूल	14.58	14.58	5.88	(-)8.70
04- यौन संक्रामक रोगों के नियंत्रण कार्यक्रम पर व्यय-					
(viii)	मूल	47.36	47.36	26.80	(-)20.56
09- न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत बहुउद्देशीय कार्य योजना पर व्यय-					
(ix)	मूल	388.13	388.13	235.94	(-)152.19
11- दृष्टिविहीनता के रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम पर व्यय-					
(x)	मूल	25.58	25.58	12.25	(-)13.33
13- दृष्टिविहीनता नियंत्रण तथा बचाव कार्यक्रम तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर व्यय-					
केन्द्रीय प्रायोजित योजना					
(xi)	मूल	16.00	16.00	5.87	(-)10.13
उपरोक्त ग्यारह मामलों में ₹ 591.53 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।					
14- एड्स नियंत्रण समिति-					

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

केन्द्रीय प्रायोजित योजना					
मूल	1.00				
पुनर्वि०	(-)1.00				
मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण समाप्त कर दिया गया।					
15-	अभीघात केन्द्र-				
(i)	मूल	1.00			
	पुनर्वि०	(-)1.00			
केन्द्रीय प्रायोजित योजना					
(ii)	मूल	1.00			
	पुनर्वि०	(-)1.00			
उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण समाप्त कर दिया गया तथा इसलिए राज्य की हिस्सेदारी भी अप्रयुक्त रही।					
16-	सहारा योजना-				
(i)	मूल	324.00			
			206.28	42.29	(-)163.99
	पुनर्वि०	(-)117.72			
18-	सम्पूर्ण स्वास्थ्य योजना-				
(ii)	मूल	45.00			
			23.40		(-)23.40
	पुनर्वि०	(-)21.60			
उपरोक्त दो मामलों में ₹ 187.39 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 139.32 लाख की कमी प्रस्तावों की कम प्राप्ति के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।					
उपरोक्त दो मामलों में ₹ 187.39 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।					
19-	मुख्यमंत्री क्षय रोग निवारण योजना-				
	मूल	18.00	18.00	6.60	(-)11.40
₹ 11.40 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।					
20-	मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना-				
	मूल	135.00			
			86.70	13.40.	(-)73.30
	पुनर्वि०	(-)48.30			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

₹ 73.30 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 48.30 लाख की कमी प्रस्तावों की कम प्राप्ति के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 73.30 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

2211- परिवार कल्याण-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- परिवार नियोजन कार्यक्रम पर व्यय-

(i) मूल	55.67	55.67	31.49	(-)24.18
---------	-------	-------	-------	----------

03- परिवार कल्याण कार्यक्रम पर व्यय-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना

(ii) मूल	700.00	700.00	478.58	(-)221.42
----------	--------	--------	--------	-----------

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 245.60 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

04- दुग्ध आपूर्ति योजनाओं पर व्यय-

मूल 9.00

	2.97	2.97	..
--	------	------	----

पुनर्वि० (-)6.03

मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 6.03 लाख की कमी आपूर्ति केन्द्रों से दूध की खरीद पर कम व्यय के कारण हुई।

05- इंदिरा गांधी बालिका सुरक्षा योजना-

मूल 7.00

	2.50	0.50	(-)2.00
--	------	------	---------

पुनर्वि० (-)4.50

₹ 2.00 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 4.50 लाख की कमी योजना के अन्तर्गत कम व्यय होने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 2.00 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

07- कन्या भ्रूण हत्या के सूचकों को प्रोत्साहन-

मूल	1.00	1.00	..	(-)1.00
-----	------	------	----	---------

₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

08- राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

मूल 3,958.00

	3,940.00	2,454.00	(-)1,486.00
--	----------	----------	-------------

पुनर्वि० (-)18.00

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

₹ 1,486.00 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)। जबकि भारत सरकार से ₹ 2,347.00 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ था।

09- राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना पर व्यय-

मूल 1.00

..

पुनर्वि० (-) 1.00

मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा ₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान केन्द्रीय हिस्से के अनुपात में राज्य के हिस्से जारी किए जाने के कारण समाप्त कर दिया गया।

10- राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा-

मूल 16.50 16.50 .. (-)16.50

₹ 16.50 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

मूल 1.00

..

पुनर्वि० (-) 1.00

मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण समाप्त कर दिया गया।

2015- जलापूर्ति तथा स्वच्छता-

01- जलापूर्ति-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

02- स्थाई स्थापना में परिवर्तित कार्य प्रभारित कर्मचारियों पर व्यय-

(i) मूल 2,611.41 2,611.41 2,129.14 (-)482.27

05- स्कन्ध विनिर्माण-

(ii) मूल 100.00 100.00 5.98 (-)94.02

06- विविध लोक निर्माण अग्रिम-

(iii) मूल 150.00 150.00 37.56 (-)112.44

उपरोक्त तीन मामलों में ₹ 688.73 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

08- ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं के लिए विद्युत प्रभार-

मूल 2.63 2.63 .. (-)2.63

₹ 2.63 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

09- वसूली के समायोजन के लिए रखरखाव प्रावधान-

मूल 2,611.41 2,611.41 1,366.26 (-)1,245.15

₹ 1,245.15 लाख की सारभूत अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

2216- आवास-

03- ग्रामीण आवास-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- गांधी कुटीर योजना/इंदिरा आवास योजना/प्रधानमंत्री आवास
योजना के अन्तर्गत बेघर गरीबों के लिए टेनमेंट का निर्माण-
मूल 45.00

24.18 19.62 (-)4.56

पुनर्वि० (-)20.82

मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 20.82 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति के कारण हुई और इसलिए केंद्रीय हिस्से के अनुपात में राज्य का हिस्सा भी जारी कर दिया गया।

05- सामान्य पूल आवास-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- सामान्य प्रशासनिक विभाग के सामान्य पूल आवास
का रख-रखाव-

(i) मूल 28.35 28.35 8.33 (-)20.02

2225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्ग एवं अल्पसंख्यकों का कल्याण-

02- अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-

796- जन-जातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- जिला कर्मचारी वर्ग-

(ii) मूल 158.61 156.91 114.82 (-)42.09

पुनर्वि० (-)1.70

09- बाल बालिका आश्रम (विभाग द्वारा संचालित)-

(iii) मूल 27.00 27.00 20.98 (-)6.02

उपरोक्त तीन मामलों में ₹ 68.13 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

11- मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम योजना-

मूल 1.00

..

पुनर्वि० (-)1.00

मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान योजना के अन्तर्गत दिशा-निर्देशों के संशोधन को अंतिम रूप नहीं देने के कारण समाप्त कर दिया गया।

12- कंप्यूटर अनुप्रयोग प्रशिक्षण-

मूल 78.00

18.16 18.13 (-)0.03

पुनर्वि० (-)59.84

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 59.84 लाख की कमी प्रस्तावों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

13-	अल्पसंख्यकों के लिए बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम-				
(i)	मूल	1.00	1.00	..	(-)1.00
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(ii)	मूल	1.00	1.00	..	(-)1.00
	उपरोक्त दो मामलों में ₹ 2.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।				
14-	अनुवर्ती कार्यक्रम-				
(i)	मूल	12.00			
			1.46	1.45	(-)0.01
	पुनर्वि०	(-)10.54			
15-	प्रचार अभियान-				
(ii)	मूल	4.00			
			2.37	1.87	(-)0.50
	पुनर्वि०	(-)1.63			
16-	नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम-				
(iii)	मूल	4.00			
			1.00	1.00	..
	पुनर्वि०	(-)3.00			
	उपरोक्त तीन मामलों में मार्च पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा ₹ 15.17 लाख की कमी प्रस्तावों की कम प्राप्ति के कारण हुई।				
17-	अत्याचार पीड़ित लोगों को मुआवजा-				
	मूल	7.00			
			2.00	..	(-)2.00
	पुनर्वि०	(-)5.00			
	₹ 2.00 लाख के समस्त प्रावधान के अप्रयुक्त रहने की दृष्टि से मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 5.00 लाख की कमी प्रस्तावों की कम प्राप्ति के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।				
	₹ 2.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।				
18-	अन्तर्जातीय विवाह-				
(i)	मूल	5.00			
			1.00	1.00	..
	पुनर्वि०	(-)4.00			
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(ii)	मूल	5.00			
			1.50	1.50	..
	पुनर्वि०	(-)3.50			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 7.50 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण हुई और इसलिए राज्य का हिस्सा भी अप्रयुक्त रहा।

2230- श्रम, रोजगार तथा कौशल विकास-

02- रोजगार सेवाएं-

796- जन-जातीय क्षेत्र उप-योजना-

02- बेरोजगारी भत्ता-

(i) मूल	351.00	351.00	80.93	(-)270.07
---------	--------	--------	-------	-----------

03- प्रशिक्षण-

796- जन-जातीय क्षेत्र उप-योजना-

02- हिमाचल प्रदेश में सिलाई केन्द्र-

(ii) मूल	7.18	7.18	5.50	(-)1.68
----------	------	------	------	---------

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 271.75 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2022)।

04- हिमाचल प्रदेश में ग्रामीण औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान-

मूल 243.40

		259.40	209.99	(-)49.41
--	--	--------	--------	----------

पुनर्वि० 16.00

₹ 49.41 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 16.00 लाख का आवर्धन मशीनरी और उपकरणों पर अधिक व्यय के कारण हुआ जोकि अनावश्यक सिद्ध हुआ।

₹ 49.41 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

06- कौशल विकास भत्ता-

(i) मूल	630.00	630.00	32.26	(-) 597.74
---------	--------	--------	-------	------------

2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-

02- सामाजिक कल्याण-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

03- आंगनवाड़ी सेवा योजना-

(ii) मूल	541.00			
		522.11	397.95	(-)124.16

पुनर्वि० (-)18.89

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 721.90 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

मूल 2,313.00

		978.41	731.31	(-)247.10
--	--	--------	--------	-----------

पुनर्वि० (-)1,334.59

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

<p>₹ 247.10 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,334.59 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, पानी, टेलीफोन बिजली बिलों पर कम व्यय तथा शिविरों का आयोजन न होने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।</p> <p>₹ 247.10 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।</p>				
05-	मुख्यमंत्री कन्यादान योजना-			
	मूल	72.00		
			14.60	14.79
				(+)0.19
	पुनर्वि०	(-)57.40		
<p>मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 57.40 लाख की कमी प्रस्तावों की कम प्राप्ति के कारण हुई।</p>				
06-	बाल/बालिका आश्रम के निवासियों को पुनर्वास अनुदान-			
	मूल	1.00		
		
				..
	पुनर्वि०	(-)1.00		
<p>मार्च 2022 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान प्रस्तावों की प्राप्ति न होने के कारण समाप्त कर दिया गया।</p>				
07-	मदर टेरेसा असहाय मातृ संबल योजना-			
	मूल	75.00		
			32.97	31.01
				(-)1.96
	पुनर्वि०	(-)42.03		
<p>मार्च 2022 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 42.03 लाख की कमी प्रस्तावों की कम प्राप्ति के कारण हुई।</p>				
08-	विधवा पुनर्विवाह पर व्यय-			
	मूल	6.00		
			2.75	..
				(-)2.75
	पुनर्वि०	(-)3.25		
<p>₹ 2.75 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 3.25 लाख की कमी प्रस्तावों की कम प्राप्ति के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।</p> <p>₹ 2.75 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।</p>				
10-	विशेष महिला उत्थान योजना-			
	मूल	4.00	4.00	..
				(-)4.00
<p>₹ 4.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा, जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।</p>				
19-	एकीकृत बाल सुरक्षा योजना-			
(i)	मूल	17.00		
			9.05	6.50
				(-)2.55
	पुनर्वि०	(-)7.95		

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

केन्द्रीय प्रायोजित योजना					
(ii)	मूल	170.00			
			89.15	84.85	(-)4.30
	पुनर्वि०	(-)80.85			
उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 88.80 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण हुई और इसलिए राज्य का हिस्सा भी अप्रयुक्त रहा। जबकि भारत सरकार से क्रम संख्या (ii) पर ₹ 48.56 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ था।					
20-	प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना-				
	मूल	14.00	14.00	6.88	(-)7.12
₹ 7.12 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।					
केन्द्रीय प्रायोजित योजना					
	मूल	121.00			
		
	पुनर्वि०	(-)121.00			
मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 121.00 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति होने के कारण हुई।					
21-	पोषण अभियान-				
	मूल	1.00	1.00	..	(-)1.00
₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा, जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।					
केन्द्रीय प्रायोजित योजना					
	मूल	89.00	89.00	7.54	(-)81.46
₹ 81.46 लाख की सारभूत अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।					
22-	विकलांगों का उत्थान-				
केन्द्रीय प्रायोजित योजना					
	मूल	1.00	1.00	..	(-)1.00
₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।					
23-	बलात्कार, बाल शोषण और ऑब्जेक्टिफिकेशन पृष्ठभूमि की नाबलिंग पीड़ितों के पुनर्वास के लिए योजना-				
	मूल	13.00	13.00	10.36	(-)2.64
₹ 2.64 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।					
24-	राष्ट्रीय शिशु गृह योजना-				
	मूल	2.00	2.00	..	(-) 2.00
₹ 2.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।					

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
मूल	15.00			
		4.10	..	(-)4.10
पुनर्वि०	(-)10.90			
₹ 4.10 लाख का समस्त प्रावधान के अप्रयुक्त रहने की दृष्टि से मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 10.90 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।				
₹ 4.10 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।				
26-	सशक्त महिला योजना-			
(i)	मूल	9.00		
		7.50	4.36	(-)3.14
	पुनर्वि०	(-)1.50		
27-	वो दिन-			
(ii)	मूल	41.00	41.00	3.00
				(-)38.00
28-	सरकारी स्वामित्व वाले विभागीय भवनों का रखरखाव-			
केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(iii)	मूल	5.00		
		4.50	..	(-)4.50
	पुनर्वि०	(-)0.50		
उपरोक्त तीन मामलों में ₹ 45.64 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।				
60-	अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम-			
796-	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-			
01-	सामाजिक कल्याण कार्यक्रम एवं वृद्धास्था पेंशन पर व्यय-			
(i)	मूल	1,548.00		
		1,387.51	1,387.49	(-)0.02
	पुनर्वि०	(-)160.49		
02-	विधवा पेंशन समाजिक कल्याण योजना के अन्तर्गत			
(ii)	मूल	569.00		
		462.52	462.52	(-)0.02
	पुनर्वि०	(-)106.48		
उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 266.97 लाख की कमी प्रस्तावों की कम प्राप्ति के कारण हुई।				
05-	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना-			
	मूल	4.00		
		1.90	1.90	..
	पुनर्वि०	(-)2.10		

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2.10 लाख की कमी केन्द्रीय हिस्सेदारी के अनुपात में राज्य की हिस्सेदारी जारी करने के कारण हुई।

06-	समाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत विकलांगता राहत भत्ता-				
	मूल	220.00			
			197.11	197.09	(-)0.02

पुनर्वि० (-)22.89

मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 22.89 लाख की कमी प्रस्तावों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

2236- पोषण-

02- पौष्टिक भोजन और सुपेय का वितरण-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- पोषण कार्यक्रम पर व्यय-

(i)	मूल	71.00	71.00	52.39	(-)18.61
-----	-----	-------	-------	-------	----------

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

(ii)	मूल	640.00	640.00	469.45	(-)170.55
------	-----	--------	--------	--------	-----------

2251- सचिवालय-सामाजिक सेवाएं-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- सचिवालय कर्मचारी वर्ग पर व्यय-

(iii)	मूल	100.06	100.06	73.22	(-)26.84
-------	-----	--------	--------	-------	----------

उपरोक्त तीन मामलों में ₹ 216.00 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

उपरोक्त क्रम संख्या (ii) पर ₹ 469.45 लाख में से ₹ 469.16 लाख और क्रम संख्या (i) पर ₹ 52.39 लाख का समस्त व्यय वर्ष 2019-20 के लिए आपत्ति पुस्तिका के उचंत के समायोजन के कारण हुआ।

02- अनुसूचित जाति/जनजातीय विकास आयुक्त कार्यालय पर व्यय-

मूल 249.73

			207.34	188.30	(-)19.04
--	--	--	--------	--------	----------

पुनर्वि० (-)42.39

मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 42.39 लाख की कमी संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने, बाह्य वाहनों, पेट्रोल, तेल, स्नेहक, वाहनों की मरम्मत, बिजली, टेलीफोन और पानी के शुल्कों पर कम व्यय के कारण हुई जोकि नए वाहनों की खरीद पर अधिक व्यय के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।

03- बुनियादी/सुविधाओं पर व्यय-

मूल 1,375.00

..

पुनर्वि० (-)1,375.00

मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा ₹ 1,375.00 लाख का समस्त प्रावधान संहितागत औपचारिकताओं के पूरा न होने के कारण समाप्त कर दिया गया।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

04-	जनजातीय क्षेत्रों के लिए हेलीकाप्टर सुविधा-				
	मूल	800.00			
			0.93	..	(-)0.93
	पुनर्वि०	(-)799.07			
	मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 799.07 लाख की कमी योजना के अन्तर्गत कम व्यय होने के कारण हुई।				
07-	जनजातीय अनुसंधान संस्थान-				
	मूल	50.00			
			21.00	21.00	..
	पुनर्वि०	(-)29.00			
	मार्च 2022 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 29.00 लाख की कमी संहितागत औपचारिकताओं के पूरा न होने तथा प्रस्तावों की कम प्राप्ति के कारण हुई।				
08-	जनजातीय उप योजनाओं को विशेष केन्द्रीय सहायता- केन्द्रगत योजना				
	मूल	1,476.00			
			578.50	578.50	..
	पुनर्वि०	(-)897.50			
	मार्च 2022 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 897.50 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति के कारण हुई। जबकि भारत सरकार से ₹ 377.03 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ था।				
09-	संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के अन्तर्गत अनुदान- केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
	मूल	1,491.98			
		
	पुनर्वि०	(-)1,491.98			
	मार्च 2022 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,491.98 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण समाप्त कर दिया गया।				
2401-	फसल कृषि-कर्म-				
796-	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-				
02-	कृषि योजनाओं पर व्यय (सामान्य कृषि विस्तार एवं प्रशिक्षण के अतिरिक्त)-				
	मूल	276.53			
			163.00	110.66	(-)52.34
	पुनर्वि०	(-)113.53			
	₹ 52.34 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 113.53 लाख की कमी प्रस्तावों की कम प्राप्ति, रिक्त पदों को न भरने, सामग्री व मदों की खरीद तथा भवन निर्माण पर कम व्यय के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।				
	₹ 52.34 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

03-	कृषि योजनाओं पर व्यय (सामान्य कृषि विस्तार एवं प्रशिक्षण)-				
	मूल	92.56			
			72.31	49.96	(-)22.35
	पुनर्वि०	(-)20.25			
	₹ 22.35 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2022 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 20.25 लाख की कमी भवनों के निर्माण पर कम व्यय, प्रस्तावों की कम प्राप्ति तथा विज्ञापन एवं प्रचार पर कम व्यय के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।				
	₹ 22.35 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।				
05-	उद्यान योजनाओं पर व्यय-				
	मूल	815.35			
			735.35	615.84	(-)119.51
	पुनर्वि०	(-)80.00			
	₹ 119.51 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 80.00 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।				
	₹ 119.51 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।				
06-	विशेष केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत कृषि योजनाओं पर व्यय- केन्द्रगत योजना				
	मूल	1.00	1.00	..	(-)1.00
	₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।				
08-	जनजातिय पाकेटस के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता पर व्यय- केन्द्रगत योजना				
	मूल	1.00			
		
	पुनर्वि०	(-)1.00			
	मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा ₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान प्रस्तावों की प्राप्ति न होने के कारण समाप्त कर दिया गया।				
09-	विशेष केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत उद्यान विभाग की योजनाओं पर व्यय- केन्द्रगत योजना				
	मूल	2.00			
			0.51	..	(-)0.51
	पुनर्वि०	(-)1.49			
	मार्च 2022 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1.49 लाख की कमी किसानों की ओर से मांग की कम प्राप्ति के कारण हुई।				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

12-	एप्पल स्कैब पर व्यय उपदान-				
	मूल	10.00			
			2.00	1.98	(-)0.02
	पुनर्वि०	(-)8.00			
	मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 8.00 लाख की कमी उपकरणों की खरीद पर कम व्यय के कारण हुई।				
17-	उद्यान योजना पर व्यय-				
	मूल	147.22	147.22	121.98	(-)25.24
	₹ 25.24 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।				
21-	जनजातीय क्षेत्र के बाहर रहने वाले अनुसूचित जनजातियों के लिए कृषि योजनाओं पर व्यय- केन्द्रगत योजना				
	मूल	1.00			
		
	पुनर्वि०	(-) 1.00			
	मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा ₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण समाप्त कर दिया गया।				
22-	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (कृषि)-				
(i)	मूल	8.00	8.00	2.11	(-)5.89
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(ii)	मूल	69.00	69.00	19.00	(-)50.00
	उपरोक्त दो मामलों में ₹ 55.89 लाख की सारभूत अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)। जबकि भारत सरकार से क्रम संख्या (ii) पर ₹ 48.00 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ था।				
23-	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (उद्यान)-				
	मूल	4.00			
			1.50	0.66	(-)0.84
	पुनर्वि०	(-)2.50			
	मार्च 2022 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 2.50 लाख की कमी केन्द्रीय हिस्से के अनुपात में राज्य की हिस्सेदारी जारी करने के कारण हुई।				
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
	मूल	32.00			
			15.00	6.00	(-)9.00
	पुनर्वि०	(-)17.00			
	₹ 9.00 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2022 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 17.00 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई। जबकि भारत सरकार से ₹ 48.00 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ था।				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

	₹ 9.00 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।				
28-	राजकीय उद्यानों तथा पौधशालाओं की स्थापना तथा रख-रखाव-				
(i)	मूल	14.85	14.85	10.80	(-)4.05
29-	वनस्पति पोषण कार्यक्रम-				
(ii)	मूल	4.00	4.00	2.49	(-)1.51
	उपरोक्त दो मामलों में ₹ 5.56 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।				
30-	उपकरणों और मशीनरी के वितरण पर व्यय-				
	केन्द्रगत योजना				
	मूल	1.00			
		
	पुनर्वि०	(-)1.00			
	मार्च 2022 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण समाप्त कर दिया गया।				
31-	पौध संरक्षण पर व्यय-				
	मूल	91.00			
			8.50	..	(-)8.50
	पुनर्वि०	(-)82.50			
	मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 82.50 लाख की कमी योजना के अन्तर्गत प्रस्तावों की कम प्राप्ति के कारण हुई।				
40-	पौध संरक्षण (संशोधित क्षेत्र विकास दृष्टिकोण)-				
	केन्द्रगत योजना				
	मूल	1.00			
		
	पुनर्वि०	(-)1.00			
	मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा ₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान योजना के अन्तर्गत प्रस्तावों की प्राप्ति न होने के कारण समाप्त कर दिया गया।				
46-	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-				
(i)	मूल	14.00	14.00	1.72	(-)2.28
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(ii)	मूल	122.00	122.00	15.44	(-)106.56
	उपरोक्त दो मामलों में ₹ 118.84 लाख की सारभूत अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।				
48-	उद्यान एकीकृत विकास मिशन-				
	मूल	148.00			
			9.89	4.89	(-)5.00
	पुनर्वि०	(-)138.11			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

मार्च 2022 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 138.11 लाख की कमी योजना के अन्तर्गत प्रस्तावों की कमी कम प्राप्ति के कारण हुई।

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

मूल	162.00			
		88.00	44.00	(-)44.00

पुनर्वि० (-)74.00

₹ 44.00 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2022 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 74.00 लाख की कमी प्रस्तावों की कम प्राप्ति के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 44.00 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

54- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-

(i) मूल	42.00			
		14.73	14.73	..

पुनर्वि० (-)27.27

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

(ii) मूल	81.00			
		28.80	28.80	..

पुनर्वि० (-) 52.20

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2022 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 79.47 लाख की कमी योजना के अन्तर्गत प्रस्तावों की कम प्राप्ति के कारण हुई। जबकि भारत सरकार से क्रम संख्या (ii) पर ₹ 105.00 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ था।

56- मुख्यमंत्री कृषि सिंचाई योजना-

मूल	360.00			
		405.00	360.00	(-)45.00

पुनर्वि० 45.00

₹ 45.00 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2022 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 45.00 लाख का आवर्धन किसानों से मांग की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ जोकि अनावश्यक सिद्ध हुआ।

₹ 45.00 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

57- मुख्यमंत्री किसान एवं खेतिहार मजदूर जीवन सुरक्षा योजना-

(i) मूल	4.00			
		4.00	0.30	(-)3.70

58- परम्परागत कृषि विकास योजना-

(ii) मूल	10.00			
		10.00	6.21	(-)3.79

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

(iii) मूल	90.00			
		90.00	55.93	(-)34.07

उपरोक्त तीन मामलों में ₹ 41.56 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

59-	मृदा स्वास्थ्य और उर्वरता पर राष्ट्रीय परियोजना-				
	मूल	2.00	2.00	..	(-)2.00
	₹ 2.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा, जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।				
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
	मूल	19.00	19.00	1.51	(-)17.49
	₹ 17.49 लाख की सारभूत अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।				
61-	कृषि मशीनीकरण पर उप-मिशन				
(i)	मूल	19.00	19.00	..	(-)19.00
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(ii)	मूल	166.00	166.00	..	(-)166.00
	उपरोक्त दो मामलों में ₹ 185.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।				
63-	कृषि मशीनीकरण पर उप-मिशन-				
(i)	मूल	12.00			
		
	पुनर्वि०	(-)12.00			
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(ii)	मूल	88.00			
		
	पुनर्वि०	(-)88.00			
	उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2022 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 100.00 लाख का समस्त प्रावधान योजना के अन्तर्गत प्रस्तावों की प्राप्ति न होने के कारण समाप्त कर दिया गया ।				
65-	राज्य कृषि यंत्रीकरण योजना				
	मूल	135.00			
			125.35	103.00	(-)22.02
	पुनर्वि०	(-)9.65			
	₹ 22.02 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।				
66-	कृषि कोष-				
	मूल	45.00			
		
	पुनर्वि०	(-)45.00			
	मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 45.00 लाख का समस्त प्रावधान संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण समाप्त कर दिया गया।				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

67-	कृषि उत्पादन संरक्षण योजना (एंटी हेल नेट स्ट्रक्चर)				
	मूल	90.00			
			38.60	23.30	(-)15.30
	पुनर्वि०	(-)51.40			
	मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 51.40 लाख की कमी किसानों से मांग की कम प्राप्ति के कारण हुई।				
69-	मुख्यमंत्री ग्रीन हाउस नवीनीकरण योजना-				
	मूल	9.00			
			3.93	..	(-)3.93
	पुनर्वि०	(-)5.07			
	₹ 3.93 लाख के समस्त प्रावधान के अप्रयुक्त रहने की दृष्टि से, मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 5.07 लाख की कमी किसानों से मांग की कम प्राप्ति के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।				
	₹ 3.93 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा, जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।				
71-	उर्वरक वितरण-				
	मूल	15.00			
			18.93	11.87	(-)7.06
	पुनर्वि०	3.93			
	₹ 7.06 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से, मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 3.93 लाख का आवर्धन किसानों से मांग की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ जोकि अनावश्यक सिद्ध हुआ ।				
	₹ 7.06 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।				
72-	मृदा और रसायन विज्ञान-				
(i)	मूल	2.00	2.00	1.00	(-)1.00
73-	पौध संरक्षण (कृषि)-				
(ii)	मूल	3.00	3.00	1.97	(-)1.03
74-	सामान्य विस्तार गतिविधियाँ-				
(iii)	मूल	31.00	31.00	13.79	(-)17.21
	उपरोक्त तीन मामलों में ₹ 19.24 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।				
76-	हिमाचल पुष्प क्रांति योजना (राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक)।				
	मूल	99.00			
		
	पुनर्वि०	(-)99.00			
	मार्च 2022 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 99.00 लाख का समस्त प्रावधान प्रस्तावों की प्राप्ति न होने के कारण समाप्त कर दिया गया।				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

78-	मुख्यमंत्री मधु विकास योजना-				
	मूल	56.00	56.00	30.00	(-)26.00
	₹ 26.00 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।				
79-	मुख्यमंत्री खुम्ब विकास योजना-				
	मूल	45.00			
			35.00	23.00	(-)12.00
	पुनर्वि०	(-)10.00			
	₹ 12.00 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से, मार्च 2022 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 10.00 लाख की कमी प्रस्तावों की कम प्राप्ति के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।				
	₹ 12.00 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।				
2402-	भू तथा जल संरक्षण-				
796-	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-				
01-	कृषि योग्य भूमि भू-संरक्षण परव्यय-				
	मूल	126.75	126.75	84.73	(-)42.02
	₹ 42.02 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।				
06-	लघु एवं सीमान्त किसानों को कृषि उत्पादन बढ़ाने हेतु सहायता- केन्द्रगत योजना				
(i)	मूल	1.00	1.00	..	(-)1.00
08-	जनजातीय क्षेत्र से बाहर रह रहे जनजातीय लोगों के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता के अंतर्गत भू-संरक्षण पर व्यय (कृषि)- केन्द्रगत योजना				
(ii)	मूल	1.00	1.00	..	(-)1.00
	उपरोक्त दो मामलों में ₹ 2.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा, जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।				
10-	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना पर व्यय-				
(i)	मूल	5.00	5.00	1.08	(-)3.92
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(ii)	मूल	46.00	46.00	9.80	(-)36.20
11-	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-				
(iii)	मूल	9.00	9.00	6.00	(-)3.00
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(iv)	मूल	81.00	81.00	54.00	(-)27.00

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

उपरोक्त चार मामलों में ₹ 70.12 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)। जबकि क्रम संख्या (ii) पर ₹ 48.00 लाख और क्रम संख्या (iv) पर ₹ 105.00 लाख का अनुदान भारत सरकार से प्राप्त हुआ था।

12-	सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियों द्वारा प्रभावी सिंचाई-				
	मूल	297.00			
			195.47	155.02	(-)40.45

पुनर्वि० (-)101.53

₹ 40.45 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 101.53 लाख की कमी लघु कार्यों के कम निष्पादन के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई। ₹ 40.45 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

15-	जल से कृषि को बल-				
	मूल	225.00			
			195.50	130.22	(-)65.28

पुनर्वि० (-)29.50

₹ 65.28 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 29.50 लाख की कमी किसानों से मांग की कम प्राप्ति के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई। ₹ 65.28 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

17-	सामुदायिक आधार पर मिट्टी और जल संरक्षण और अन्य क्षेत्रों में मौजूदा योजनाओं का रख-रखाव-				
	मूल	53.00			
		

पुनर्वि० (-)53.00

मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा ₹ 53.00 लाख का समस्त प्रावधान किसानों से मांग की प्राप्ति न होने के कारण समाप्त कर दिया गया।

2403- पशु पालन-

796-	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-				
01-	क्षेत्रीय स्थापना-				
(i)	मूल	248.42			
			246.93	201.06	(-)45.87

पुनर्वि० (-)1.49

02-	अस्पताल और औषधालय-				
(ii)	मूल	2,626.70			
			2,630.29	2,060.99	(-)569.30

पुनर्वि० 3.59

04-	भेड़ एवं ऊन विकास पर व्यय-				
(iii)	मूल	143.85			
			143.83	123.73	(-)20.10

पुनर्वि० (-)0.02

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

उपरोक्त तीन मामलों में ₹ 635.27 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

07-	जनजातीय क्षेत्र से बाहर रहने वाले अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत पशु पालन कार्यक्रम पर व्यय- केन्द्रगत योजना	मूल	1.00
-----	--	-----	------	----	----	----

पुनर्वि० (-)1.00

मार्च 2022 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान लाभार्थियों से मांग की प्राप्ति न होने के कारण समाप्त कर दिया गया।

08-	आदिवासी पॉकेट चंबा एवं भटियात के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत पशु पालन कार्यक्रम पर व्यय- केन्द्रगत योजना	मूल	1.00	1.00	..	(-)1.00
-----	---	-----	------	------	----	---------

₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा, जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

10-	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-					
(i)	मूल	7.00	7.00	1.22		(-)5.78
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना					
(ii)	मूल	61.00	61.00	11.00		(-)50.00

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 55.78 लाख की सारभूत अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)। जबकि भारत सरकार से क्रम संख्या (ii) पर ₹ 48.00 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ था।

18-	उत्तम चारा उत्पादन योजना-	मूल	50.00	40.00	47.87	(+)7.87
	पुनर्वि०					(-)10.00

मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 10.00 लाख की कमी किसानों से मांग की कम प्राप्ति के कारण हुई।

19-	पशुधन जनगणना- केन्द्रीय प्रायोजित योजना					
(i)	मूल	1.00	1.00	..		(-)1.00
20-	पशु चिकित्सा परिषद को अनुदान-					
(ii)	मूल	2.00	2.00	..		(-)2.00
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना					
(iii)	मूल	2.00	2.00	..		(-)2.00

उपरोक्त तीन मामलों में ₹ 5.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

2404- दुग्ध विकास-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

04- डेरी उद्यमी विकास योजना के अन्तर्गत उपदान-

मूल 1.00

..

पुनर्वि० (-)1.00

मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान किसानों से मांग की प्राप्ति न होने के कारण समाप्त कर दिया गया।

2405- मत्स्य पालन-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

02- मत्स्य योजनाओं पर व्यय-

मूल 91.11

69.54 64.08 (-)5.46

पुनर्वि० (-)21.57

मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 21.57 लाख की कमी सामग्री व मदों की खरीद पर कम व्यय के कारण हुई जोकि चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की अधिक प्राप्ति के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।

03- चंबा और भट्टियात पौकेट्स में विशेष

केन्द्रीय सहायता पर व्यय-

केन्द्रगत योजना

मूल 1.00

..

पुनर्वि० (-)1.00

मार्च 2022 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान लाभार्थियों से मांग की प्राप्ति न होने के कारण समाप्त कर दिया गया।

04- विशेष केन्द्रीय सहायता के अंतर्गत

मत्स्य पालन पर व्यय-

केन्द्रगत योजना

मूल 1.00

1.00 .. (-)1.00

₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

05- जनजातीय क्षेत्र से बाहार रह रहे लोगों के लिए

विशेष केन्द्रीय सहायता के अंतर्गत मत्स्य पालन पर व्यय-

केन्द्रगत योजना

मूल 1.00

..

पुनर्वि० (-)1.00

मार्च 2022 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान योजना के अन्तर्गत प्रस्तावों की प्राप्ति न होने के कारण समाप्त कर दिया गया।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

06-	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना- केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
	मूल	8.00	8.00	4.87	(-)3.13
	₹ 3.13 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)। जबकि भारत सरकार से ₹ 48.00 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ था।				
	₹ 4.87 लाख का समस्त व्यय वर्ष 2019-20 की आपत्ति पुस्तिका के उचंत के समायोजन के कारण हुआ।				
08-	प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अन्तर्गत मछुआरों का बीमा-				
(i)	मूल	1.00			
		
	पुनर्वि०	(-)1.00			
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(ii)	मूल	1.00			
		
	पुनर्वि०	(-)1.00			
	उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2022 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 2.00 लाख का समस्त प्रावधान योजना के अन्तर्गत प्रस्तावों की प्राप्ति न होने के कारण समाप्त कर दिया गया।				
09-	ट्राउट पशुधन बीमा-				
	मूल	2.00			
			0.25	0.25	..
	पुनर्वि०	(-)1.75			
	मार्च 2022 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1.75 लाख की कमी योजना के अन्तर्गत उपदान प्रस्तावों की कम प्राप्ति के कारण हुई।				
10-	प्रधानमंत्री मत्सय संपदा योजना-				
(i)	मूल	9.00			
			7.85	0.88	(-)6.97
	पुनर्वि०	(-)1.15			
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(ii)	मूल	81.00			
			80.39	3.38	(-)77.01
	पुनर्वि०	(-)0.61			
	उपरोक्त दो मामलों में ₹ 83.98 लाख की सारभूत अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।				
2406-	वानिकी तथा वन्य प्राणी-				
01-	वानिकी-				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

796-	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-				
01-	कर्मचारी वर्ग पर व्यय-				
(i)	मूल	1,472.82	1,472.82	1,142.83	(-)329.99
02-	वानिकी कार्यक्रम-				
(ii)	मूल	473.77	473.77	347.40	(-)126.37
	उपरोक्त दो मामलों में ₹ 456.36 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।				
22-	एकीकृत वन संरक्षण योजना-				
(i)	मूल	4.00	4.00	..	(-)4.00
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(ii)	मूल	36.00	36.00	..	(-)36.00
23-	राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम-				
(iii)	मूल	4.00	4.00	..	(-)4.00
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(iv)	मूल	41.00	41.00	..	(-)41.00
26-	सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन के अन्तर्गत कृषि वानिकी पर मिशन-				
(v)	मूल	1.00	1.00	..	(-)1.00
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(vi)	मूल	9.00	9.00	..	(-)9.00
	उपरोक्त छः मामलों में ₹ 95.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा, जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।				
29-	हिमाचल प्रदेश वन पारिस्थितिकीय तंत्र प्रबंधन और जीव विज्ञान सुधार परियोजना-				
	मूल	405.00			
			250.00	250.00	..
	पुनर्वि०	(-)155.00			
	मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 155.00 लाख की कमी योजना के अन्तर्गत प्रस्तावों की कम प्राप्ति के कारण हुई।				
36-	वन अग्नि प्रबंधन योजना-				
	मूल	19.00			
			26.85	18.42	(-)8.43
	पुनर्वि०	7.85			
	₹ 8.43 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 7.85 लाख का आवर्धन भवनों के निर्माण, अनुसंधान कार्यो तथा सामग्री एवं आपूर्ति पर अधिक व्यय के कारण हुआ जोकि अनावश्यक सिद्ध हुआ।				
	₹ 8.43 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

37-	एक बूटा बेटा के नाम-				
	मूल	59.00			
			33.34	0.94	(-)32.44
	पुनर्वि०	(-)25.66			
	₹ 32.44 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 25.66 लाख की कमी सामग्री व मदों की खरीद, विज्ञापन, प्रचार और बुनियादी ढांचे के निर्माण पर कम व्यय के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।				
	₹ 32.44 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।				
38-	हरित भारत के लिए राष्ट्रीय मिशन				
(i)	मूल	17.00	17.00	..	(-)17.00
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(ii)	मूल	154.00	154.00	..	(-)154.00
	उपरोक्त दो मामलों में ₹ 171.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।				
39-	समुदाय आधारित राज्य वानिकी कार्यक्रम-				
	मूल	241.00			
			237.66	133.27	(-)104.39
	पुनर्वि०	(-)3.34			
	₹ 104.39 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।				
41-	वनों चकबन्दी और सीमांकन				
	मूल	20.00			
		
	पुनर्वि०	(-)20.00			
	मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 20.00 लाख का समस्त प्रावधान लघु कार्यों के निष्पादन पर व्यय न होने के कारण समाप्त कर दिया गया।				
42-	वानिकी कार्यक्रम				
	मूल	545.00			
			689.96	459.81	(-)230.15
	पुनर्वि०	144.96			
	₹ 230.15 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 144.96 लाख का आवर्धन भवनों के अनुसूक्षण एवं लघु कार्यों के निष्पादन पर अधिक व्यय के कारण हुआ जोकि अनावश्यक सिद्ध हुआ।				
	₹ 230.15 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।				
02-	पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव-				
796-	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

02-	वन्य जीव अभ्यारण्यों के सुधार एवं विकास पर व्यय- केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(i)	मूल	22.01	22.01	15.32	(-)6.69
03-	वन्य जीव अभ्यारण्यों के गहन प्रबंधन पर व्यय- केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(ii)	मूल	60.00	60.00	16.64	(-)43.36
04-	पिन घाटी राष्ट्रीय पार्क के विकास पर व्यय-				
(iii)	मूल	2.50	2.50	0.33	(-)2.17
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(iv)	मूल	10.00	10.00	2.99	(-)7.01
	उपरोक्त चार मामलों में ₹ 59.23 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।				
07-	ठंडा रेगिस्तान बायोस्फियर रिजर्व के लिए प्रबंधन कार्य योजना पर व्यय- केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
	मूल	5.00	5.00	..	(-)5.00
	₹ 5.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।				
08-	सुरक्षित हिमालय- केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(i)	मूल	200.00	200.00	148.74	(-)51.26
09-	वन्य जीवन-				
(ii)	मूल	177.50	158.70	123.09	(-)35.61
	पुनर्वि०	(-)18.80			
10-	हिमालयन प्राणी उपवन विकास-				
(iii)	मूल	63.00	63.00	44.75	(-)18.25
	उपरोक्त तीन मामलों में ₹ 105.12 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।				
2408-	खाद्य भण्डार तथा भाण्डागार-				
01-	खाद्य-				
796-	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-				
07-	गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को गेहूँ और चावल पर उपदान- केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
	मूल	1.00	1.00	..	(-)1.00
	₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।				
2425-	सहकारिता-				
796-	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

01- सहकारिता योजनाओं पर व्यय-

मूल	211.82			
पूरक	0.01	189.73	179.23	(-)10.50
पुनर्वि०	(-)22.10			

मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 22.10 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, बाह्य वाहनों, पेट्रोल, तेल स्नेहक, वाहनों की मरम्मत, बिजली, टेलीफोन और पानी के शुल्क पर कम व्यय के कारण हुई।

2435- अन्य कृषि कार्यक्रम-

01- विपणन और गुणवत्ता नियंत्रण-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

02- विपणन बोर्ड को मार्केटिंग यार्ड के निर्माण हेतु सहायता अनुदान-

मूल	1.00	1.00	..	(-)1.00
-----	------	------	----	---------

₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

2501- ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम-

06- स्वरोजगार योजना -

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

05- जिला ग्रामीण विकास अभिकरण प्रशासन-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

मूल	54.00			
	
पुनर्वि०	(-)54.00			

मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 54.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण समाप्त कर दिया गया।

06- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-

(i) मूल	23.00			
		5.40	5.40	..
पुनर्वि०	(-)17.60			

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

(ii) मूल	203.00			
		48.56	48.56	..
पुनर्वि०	(-)154.44			

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 172.04 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण हुई तथा इसलिए राज्य का हिस्सा भी अप्रयुक्त रहा।

07- दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

मूल	622.00			
		63.00	15.58	(-)47.42
पुनर्वि०	(-)559.00			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

₹ 47.42 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 559.00 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई। जबकि भारत सरकार से ₹ 47.47 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ था।

₹ 47.42 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

08- राष्ट्रीय ग्रामीण शहरी मिशन-

(i) मूल 36.00

..

पुनर्वि० (-)36.00

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

(ii) मूल 219.00

..

पुनर्वि० (-)219.00

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 255.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण समाप्त कर दिया गया और इसलिए राज्य का हिस्सा भी अप्रयुक्त रहा।

09- मातृ शक्ति बीमा योजना

मूल 27.00

22.00 14.00 (-)8.00

पुनर्वि० (-)5.00

₹ 8.00 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

2505- ग्राम रोजगार-

01- राष्ट्रीय कार्यक्रम-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

07- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

मूल 2,430.00

2,000.00 2,000.00 ..

पुनर्वि० (-)430.00

मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 430.00 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण हुई।

2506- भूमि सूधार-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- जिला कर्मचारियों पर व्यय-

मूल 21.80

17.04 17.98 (+)0.94

पुनर्वि० (-)4.76

मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 4.76 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

2515- अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- पंचायती योजनाओं पर व्यय-

मूल 1,463.81

1,468.61

1,310.02

(-)158.59

पुनर्वि० 4.80

₹ 158.59 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

02- सामुदायिक विकास कार्यक्रम पर व्यय-

मूल 634.35

पूरक 0.01

655.48

550.84

(-)104.64

पुनर्वि० 21.12

₹ 104.64 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 21.12 लाख का आवर्धन वाहनों की खरीद पर अधिक व्यय के कारण हुआ जोकि अनावश्यक सिद्ध हुआ।

₹ 104.64 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

₹ 550.84 लाख में से ₹ 50.28 लाख का व्यय वर्ष 2019-20 के लिए आपत्ति पुस्तिका के उचंचत के समयोजन के कारण हुआ।

15- स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत

राज्य पुरस्कार योजना-

मूल 1.00

1.00

..

(-)1.00

₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

17- कार्यालय भवन/भण्डार के निर्माण/नवीनीकरण-

मूल 90.00

90.00

52.24

(-)37.76

₹ 37.76 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

18- महिला मंडल प्रोत्साहन योजना-

मूल 1.00

..

..

..

पुनर्वि० (-)1.00

मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा ₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान योजना के अन्तर्गत प्रस्तावों की प्राप्ति न होने के कारण समाप्त कर दिया गया।

20- केन्द्रीय वित्त आयोग के अन्तर्गत जिला परिषदों

को आधारभूत अनुदान-

मूल 129.88

104.67

52.34

(-)52.33

पुनर्वि० (-)25.21

₹ 52.33 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 25.21 लाख की कमी योजना के अन्तर्गत राशि के वितरण के लिए बंटवारे की पद्धति में बदलाव के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

	₹ 52.33 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।			
21-	केन्द्रीय वित्त आयोग के अन्तर्गत जिला परिषदों को बंधा अनुदान-			
	मूल	129.88		
			157.01	78.51
				(-)78.50
	पुनर्वि०	27.13		
	₹ 78.50 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 27.13 लाख का आवर्धन योजना के अन्तर्गत राशि के वितरण के लिए बंटवारे की पद्धति में बदलाव के कारण हुआ जोकि अनावश्यक सिद्ध हुआ।			
	₹ 78.50 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।			
22-	केन्द्रीय वित्त आयोग के अन्तर्गत पंचायत समितियों को आधारभूत अनुदान-			
	मूल	191.33		
			135.37	67.69
				(-)67.68
	पुनर्वि०	(-)55.96		
	₹ 67.68 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 55.96 लाख की कमी योजना के अन्तर्गत राशि के वितरण के लिए बंटवारे की पद्धति में बदलाव के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।			
	₹ 67.68 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।			
23-	केन्द्रीय वित्त आयोग के अन्तर्गत पंचायत समितियों को बंधित अनुदान-			
	मूल	191.33		
			203.06	101.53
				(-)101.53
	पुनर्वि०	11.73		
	₹ 101.53 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।			
24-	केन्द्रीय वित्त आयोग के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों को आधारभूत अनुदान-			
	मूल	892.89		
			631.74	315.87
				(-)315.87
	पुनर्वि०	(-)261.15		
	₹ 315.87 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 261.15 लाख की कमी योजना के अन्तर्गत राशि के वितरण के लिए बंटवारे की पद्धति में बदलाव के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।			
	₹ 315.87 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।			
25-	केन्द्रीय वित्त आयोग के अन्तर्गत पंचायतों को प्रदर्शन आधारित अनुदान-			
	मूल	892.89		
			947.61	473.81
				(-)473.80
	पुनर्वि०	54.72		

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

₹ 473.80 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 54.72 लाख का आवर्धन योजना के अन्तर्गत राशि के वितरण के लिए बंटवारे की पद्धति में बदलाव के कारण हुआ जोकि अनावश्यक सिद्ध हुआ।

₹ 473.80 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

2702- लघु सिंचाई-

80- सामान्य-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

06- स्थाई स्थापना में परिवर्तित कार्य प्रभारित कर्मचारी वर्ग-

(i)	मूल	731.11	731.11	524.25	(-)206.86
-----	-----	--------	--------	--------	-----------

07- स्थापना पर व्यय-

(ii)	मूल	424.35	424.35	388.51	(-)35.84
------	-----	--------	--------	--------	----------

09- उचंत पर व्यय (सकन्ध विनिर्माण)-

(iii)	मूल	75.00	75.00	22.32	(-)52.68
-------	-----	-------	-------	-------	----------

10- उचंत पर व्यय (विविध लोक निर्माण अग्रिम)

(iv)	मूल	150.00	150.00	79.17	(-)70.83
------	-----	--------	--------	-------	----------

11- वसूली के समायोजन के लिए रख-रखाव का प्रावधान-

(v)	मूल	731.11	731.11	189.56	(-)541.55
-----	-----	--------	--------	--------	-----------

उपरोक्त पाँच मामलों में ₹ 907.76 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

2851- ग्रामीण तथा लघु उद्योग-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- लघु उद्योगों हेतु उपदान-

मूल 2.00

पुनर्वि० (-)2.00

मार्च 2022 में अभ्यर्पण ₹ 2.00 लाख का समस्त प्रावधान योजना के अन्तर्गत प्रस्तावों की प्राप्ति न होने के कारण समाप्त कर दिया गया।

08- हथकरघा और हस्तकला के लिए

एकीकृत योजना-

(i)	मूल	5.00	5.00	..	(-)5.00
-----	-----	------	------	----	---------

16- विशेष केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत

खादी एवं ग्रामोद्योग पर व्यय-

(ii)	मूल	1.00	1.00	..	(-)1.00
------	-----	------	------	----	---------

उपरोक्त दो मामलों ₹ 6.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

17-	हथकरघा और हस्तशिल्प उद्योग के विकास- केन्द्रगत योजना				
	मूल	1.00			
	पुनर्वि०	(-)1.00			
	मार्च 2022 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान योजना के अन्तर्गत प्रस्तावों की प्राप्ति न होने के कारण समाप्त कर दिया गया।				
21-	खाद्य विद्यायन हेतु राज्य मिशन-				
	मूल	63.00	63.00	..	(-)63.00
	₹ 63.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।				
26-	ग्रामीण इंजीनियरिंग आधारित उद्योग केन्द्र-				
	मूल	15.00	15.00	11.27	(-)3.23
	₹ 3.23 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।				
27-	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना- केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
	मूल	8.00			
	पुनर्वि०	(-)5.40	2.60	2.59	(-)0.01
	मार्च 2022 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 5.40 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति के कारण हुई। जबकि भारत सरकार से ₹ 48.00 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ था।				
28-	मुख्यमंत्री दस्तकार सहायता योजना-				
	मूल	18.00			
	पुनर्वि०	(-)8.00	10.00	7.65	(-)2.35
	मार्च 2022 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 8.00 लाख की कमी योजना के अन्तर्गत प्रस्तावों की कम प्राप्ति के कारण हुई।				
29-	सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम- आत्मनिर्भर भारत-				
	मूल	3.00			
	पुनर्वि०	(-)1.23	1.77	1.47	(-)0.30
	मार्च 2022 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1.23 लाख की कमी योजना के अन्तर्गत कम व्यय होने के कारण हुई।				
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
	मूल	24.00	24.00	13.25	(-)10.75
	₹ 10.75 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)। जबकि भारत सरकार से ₹ 3.29 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ था।				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

30-	मुख्यमंत्री स्वालम्बन योजना- मूल	720.00			
			312.93	303.63	(-)9.30
	पुनर्वि०	(-)407.07			
	मार्च 2022 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 407.07 लाख की कमी योजना के अन्तर्गत प्रस्तावों की कम प्राप्ति के कारण हुई।				
2852-	उद्योग-				
	80- सामान्य-				
796-	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-				
01-	उत्पादन तथा कला प्रदर्शनी-				
	मूल	3.00			
			1.00	0.27	(-)0.73
	पुनर्वि०	(-)2.00			
	मार्च 2022 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 2.00 लाख की कमी विज्ञापन बिलों की कम प्राप्ति के कारण हुई।				
2853-	अलौह खनन तथा धातु उद्योग-				
	02- खानों का विनियमन तथा विकास-				
796-	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-				
01-	खनिज अन्वेषण स्टॉफ और अन्य कार्य-				
	मूल	69.50			
			66.76	47.05	(-)19.71
	पुनर्वि०	(-)2.74			
	₹ 19.71 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।				
3054-	सड़कें तथा पुल-				
	04- जिला तथा अन्य सड़कें-				
796-	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-				
01-	ग्रामीण सड़क एवं पुल कार्यक्रम के अन्तर्गत स्थापना पर व्यय-				
	मूल	1,433.09			
			1,268.39	1,134.38	(-)134.01
	पुनर्वि०	(-)164.70			
	₹ 134.01 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2022 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 164.70 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने तथा दैनिक वेतन भोगियों के नियमितीकरण के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।				
	₹ 134.01 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।				
04-	बाहरवें वित्तायोग के अन्तर्गत जिला एवं अन्य सड़कों का रखरखाव-				
	मूल	1,935.09	1,935.09	1,684.49	(-)250.60

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

05-	वसूली के समायोजन हेतु रखरखाव प्रावधान-				
	मूल	9,421.87			
			8,315.98	80.64	(-)8,235.34

पुनर्वि० (-)1,105.89

₹ 8,235.34 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2022 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,105.89 लाख की कमी योजना के अन्तर्गत रख-रखाव पर कम व्यय के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 8,235.34 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

3452- पर्यटन-

80- सामान्य-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- जनजातीय क्षेत्रों में पर्यटन मेले, उत्सव और प्रचार का विकास-

	मूल	470.00			
			95.38	81.66	(-)13.72

पुनर्वि० (-)374.62

मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 374.62 लाख की कमी जनजातीय क्षेत्र में मेले और त्योहारों पर कम व्यय के कारण हुई जोकि विविध मदों पर अधिक व्यय के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।

3456- नागरिक आपूर्ति-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

04- उपभोक्ता जागरूकता-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

	मूल	2.00	2.00	..	(-)2.00
--	-----	------	------	----	---------

₹ 2.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

(v) उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
			(₹ लाखों में)

2015- निर्वाचन-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

02- मतदाता सूचियों के निर्माण तथा मुद्रण पर व्यय-विधान सभा-

	मूल	4.67			
			35.13	32.88	(-)2.25

पुनर्वि० 30.46

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

₹ 2.25 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 30.46 लाख का आवर्धन बूथ स्तर के अधिकारियों को मानदेय के भुगतान, राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाने तथा टेलीफोन, पानी और बिजली के बिलों पर अधिक व्यय के कारण हुआ जोकि अत्याधिक सिद्ध हुआ।

₹ 2.25 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

05-	संसद के चुनाव पर व्यय				
	मूल	0.08			
			194.84	190.67	(-)4.17
	पुनर्वि०	194.76			

₹ 4.17 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 194.76 लाख का आवर्धन संसदीय चुनाव के लंबित बिलों के भुगतान, बाह्य वाहनों, पेट्रोल, तेल, स्नेहक, मरम्मत, कार्यों, बिजली, टेलीफोन, पानी के बिलों, यात्रा तथा मदों की खरीद पर अधिक व्यय के कारण हुआ जोकि अत्याधिक सिद्ध हुआ।

₹ 4.17 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

06-	पंचायत/स्थानीय संस्थाओं के चुनाव प्रभार -				
	मूल	1.84			
	पूरक	0.01	62.82	59.45	(-)3.37
	पुनर्वि०	(-)60.97			

₹ 3.37 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 60.97 लाख का आवर्धन मदों की खरीद, बाह्य वाहनों, पेट्रोल, तेल, स्नेहक, वाहनों की मरम्मत, यात्रा, टेलीफोन, बिजली व पानी के बिलों पर अधिक व्यय के कारण हुआ जोकि अत्याधिक सिद्ध हुआ।

₹ 3.37 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

2053- जिला प्रशासन-

796-	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-				
08-	नाभिक बजट पर व्यय-				
	मूल	90.00			
			180.00	180.00	..
	पुनर्वि०	90.00			

मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 90.00 लाख का आवर्धन लघु कार्यों के निष्पादन पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

2055- पुलिस-

796-	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-				
07-	सुरक्षा संबंधी व्यय-				
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
	मूल	38.00			
			78.04	67.25	(-)10.79
	पुनर्वि०	40.04			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

₹ 10.79 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 40.04 लाख का आवर्धन मानदेय के भुगतान पर अधिक व्यय के कारण हुआ जोकि अत्याधिक सिद्ध हुआ।

₹ 10.79 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

2059- लोक निर्माण कार्य-

01- कार्यालय भवनों-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

09- उचंत के अन्तर्गत व्यय (विविध लोक निर्माण विभाग)

मूल	500.00	500.00	1,367.22	(+)	867.22
-----	--------	--------	----------	-----	--------

₹ 867.22 लाख के सारभूत अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

80- सामान्य-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

02- स्थाई स्थापना में परिवर्तित कार्य प्रभारित कर्मचारी वर्ग पर व्यय

मूल	1,081.18				
		858.07	1,503.30	(+)	645.23

पुनर्वि० (-)223.11

₹ 645.23 लाख के सारभूत अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 223.11 की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जोकि अनावश्यक एवं अनुचित सिद्ध हुई।

₹ 645.23 लाख के सारभूत अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

2202- सामान्य शिक्षा-

01- प्रारम्भिक शिक्षा-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

11- गर्म पका हुआ भोजन मध्याह्न भोजन-

मूल	140.00				
पूरक	0.03	240.00	199.84	(-)	40.16
पुनर्वि०	99.97				

₹ 40.16 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 99.97 का आवर्धन मानदेय, बिजली, टेलीफोन एवं पानी के बिलों के भुगतान पर अधिक व्यय तथा केन्द्रीय हिस्से के अनुपात में राज्य के हिस्से को जारी करने के कारण हुआ जोकि अत्याधिक सिद्ध हुआ।

₹ 40.16 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

16- अटल वर्दी योजना-

मूल	305.00				
		240.00	504.46	(+)	264.46

पुनर्वि० (-)65.00

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 65.00 लाख की कमी सामग्री और वस्तुओं की खरीद पर कम व्यय के कारण हुई।

₹ 504.46 लाख में से ₹ 271.33 लाख का व्यय वर्ष 2019-20 की आपत्ति पुस्तिका के उचंचत के समयोजन के कारण हुआ।

23- राज्यों के लिए शिक्षण और परिणामों को सुदृढ़ बनाना (स्टार्स परियोजना)-

(i)	मूल	1.00			
			71.60	32.08	(-)39.52
	पुनर्वि०	(-)70.60			

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

(ii)	मूल	1.00			
			644.36	288.65	(-)355.71
	पुनर्वि०	(-)643.36			

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 395.23 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 713.96 का आवर्धन भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति होने तथा राज्य की समतुल्य हिस्सेदारी करने के कारण हुई जोकि अत्याधिक सिद्ध हुई। जबकि क्रम संख्या (ii) पर ₹ 230.95 लाख का अनुदान भारत सरकार से प्राप्त हुआ था।

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 395.23 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

02- माध्यमिक शिक्षा-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

13- श्रीनिवास रामानुजन छात्र डिजिटल योजना-

	मूल	225.00			
			529.14	529.14	..
	पुनर्वि०	304.14			

मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 304.14 लाख का आवर्धन लैपटॉप की खरीद पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

14- स्कूल प्रबंधन समिति को सहायता अनुदान-

	मूल	330.00			
			490.00	472.19	(-)17.81
	पुनर्वि०	160.00			

मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 160.00 लाख का आवर्धन योजना के अन्तर्गत अधिक व्यय होने के कारण हुआ।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

18-	अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए पूर्व-मैट्रिक छात्रवृत्ति- मूल	1.00			
			10.21	10.21	..
	पुनर्वि०	9.21			
	मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 9.21 लाख का आवर्धन पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए छात्रों की अधिक पात्रता के कारण हुआ।				
27-	खेल से स्वास्थ्य योजना- मूल	18.00			
			134.70	124.35	(-)10.35
	पुनर्वि०	116.70			
	₹ 10.35 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 116.70 लाख का आवर्धन सामग्री की खरीद पर अधिक व्यय के कारण हुआ जोकि अत्याधिक सिद्ध हुआ।				
	₹ 10.35 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।				
2205-	कला एवं संस्कृति-				
796-	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-				
02-	पुरातत्व प्रकोष्ठ पर व्यय- मूल	290.00			
			330.00	304.33	(-)25.67
	पुनर्वि०	40.00			
	₹ 25.67 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 40.00 लाख का आवर्धन योजना के अन्तर्गत अधिक व्यय होने के कारण हुआ जोकि अत्याधिक सिद्ध हुआ।				
	₹ 25.67 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।				
2210-	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-				
04-	ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं/ चिकित्सा की अन्य पद्धतियां-				
796-	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-				
06-	आयुष				
(i)	मूल	8.00			
			30.17	30.16	(-)0.01
	पुनर्वि०	22.17			
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(ii)	मूल	69.00			
			271.48	271.48	..
	पुनर्वि०	202.48			
	उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 224.65 लाख का आवर्धन भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति होने के कारण हुआ तथा इसलिए राज्य का हिस्सा भी केन्द्रीय हिस्से के अनुपात में जारी कर दिया गया। जबकि भारत सरकार से क्रम संख्या पर (ii) ₹ 271.48 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ था।				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

06	लोक स्वास्थ्य-				
796-	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-				
21-	मुफ्त दवा-				
	मूल	135.00			
			195.00	195.31	(-)1.69
	पुनर्वि०	60.00			
	मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 60.00 लाख का आवर्धन मुफ्त दवा उपलब्ध कराने पर अधिक व्यय होने के कारण हुआ।				
23-	राज्य औषधि नियामक प्रणाली का सुदृढीकरण-				
(i)	पूरक	0.01			
			9.00	9.00	..
	पुनर्वि०	8.99			
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(ii)	पूरक	0.01			
			81.00	81.00	..
	पुनर्वि०	80.99			
	उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 89.98 लाख का आवर्धन भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ तथा इसलिए राज्य का हिस्सा भी केन्द्रीय हिस्से के अनुपात में जारी कर दिया गया। जबकि भारत सरकार से क्रम संख्या (ii) पर ₹ 103.00 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ था।				
2211-	परिवार कल्याण-				
796-	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-				
12-	राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन-				
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
	पूरक	0.02			
			18.00	2.00	(-)16.00
	पुनर्वि०	17.98			
	₹ 16.00 लाख की सारभूत अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 17.98 लाख का आवर्धन भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ जोकि अत्याधिक सिद्ध हुआ। जबकि भारत सरकार से ₹ 14.00 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ था।				
	₹ 16.00 लाख की सारभूत अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।				
2215-	जलापूर्ति तथा स्वच्छता-				
01-	जलापूर्ति-				
796-	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

01- ग्रामीण जलापूर्ति योजना पर व्यय- मूल	613.38			
		664.88	810.88	(+146.00)

पुनर्वि० 51.50

₹ 146.00 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 51.50 लाख का आवर्धन दैनिक वेतन भोगियों की अधिक नियुक्ति तथा दैनिक भत्तो में वृद्धि के कारण हुआ जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुआ।

₹ 146.00 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

04- स्कन्ध- मूल	275.00	275.00	362.29	(+87.29)
--------------------	--------	--------	--------	----------

₹ 87.29 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

2216- आवास-

03- ग्रामीण आवास-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- गांधी कुटीर योजना/इंदिरा आवास योजना/प्रधानमंत्री आवास योजना

के अन्तर्गत बेघर गरीबों के लिए गांधी कुटीर योजना-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

मूल 97.00

285.36

285.36

..

पुनर्वि० 188.36

मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 188.36 लाख का आवर्धन भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ। जबकि भारत सरकार से ₹ 285.36 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ।

08- मुख्यमंत्री आवास योजना-

मूल 188.00

187.75

220.13

(+32.38)

पुनर्वि० (-)0.25

₹ 220.13 लाख में से ₹ 32.38 लाख का व्यय वर्ष 2019-20 की आपत्ति पुस्तिका के उचंत के समायोजन के कारण हुआ था।

05- सामान्य पूल आवास-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- रखरखाव तथा मरम्मत पर व्यय-

मूल 52.40

52.40

69.77

(+17.37)

₹ 17.37 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

2217- शहरी विकास-

03- छोटे तथा मध्यम शहरों का समेकित विकास-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

03- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन

दीन दयाल अन्तयोदय योजना-

मूल 3.00

7.37

7.37

..

पुनर्वि० 4.37

मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 4.37 लाख का आवर्धन केन्द्रीय हिस्से के अनुपात में राज्य के हिस्से को जारी करने के कारण हुआ। जबकि भारत सरकार से ₹ 43.85 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ था।

04- प्रधानमंत्री आवास योजना-

मूल 2.00

26.40

26.40

(-)2.00

पुनर्वि० 24.40

₹ 2.00 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 24.40 लाख का आवर्धन केन्द्रीय हिस्से के अनुपात में राज्य का हिस्सा जारी करने के कारण हुआ जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुआ। जबकि भारत सरकार से ₹ 76.80 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ था।

₹ 2.00 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

मूल 20.00

113.60

250.20

(+)136.60

पुनर्वि० 93.60

मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 93.60 लाख का आवर्धन भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ।

₹ 250.20 लाख में से ₹ 156.60 लाख का व्यय वर्ष 2019-20 की आपत्ति पुस्तिका के उचंचत के समायोजन के कारण हुआ।

2225- अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यकों का कल्याण-

02- अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

10- स्वर्ण जयंती आश्रम योजना-

मूल 333.00

509.32

509.32

..

पुनर्वि० 176.32

मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 176.32 लाख का आवर्धन लंबित देनदारियों के भुगतान के कारण हुआ।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

2230- श्रम, रोजगार और कौशल विकास-

03- प्रशिक्षण-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

10- औद्योगिक मूल्य संवर्धन के लिए

कौशल सुदृढीकरण-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

मूल 1.00

42.77

42.77

..

पुनर्वि० 41.77

मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 41.77 लाख का आवर्धन भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ।

2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-

02- सामाजिक कल्याण-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

04- बेटा है अनमोल योजना पर व्यय-

मूल 7.00

21.00

20.92

(-)0.08

पुनर्वि० 14.00

मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 14.00 लाख का आवर्धन लंबित देनदारियों के भुगतान के कारण हुआ।

2251- सचिवालय-सामाजिक सेवाए-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

07- जनजातीय अनुसंधान संस्थान-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

मूल 0.02

114.11

114.10

(-)0.01

पुनर्वि० 114.09

मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 114.09 लाख का आवर्धन भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ। जबकि भारत सरकार से ₹ 114.10 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ था।

2401- फसल कृषि कर्म-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

09- विशेष केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत उद्यान विभाग की

योजनाओं पर व्यय-

मूल 81.50

136.50

136.44

(-)0.06

पुनर्वि० 55.00

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 55.00 लाख का आवर्धन किसानों से मांग की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ।

27- फल डिब्बाबंदी इकाई पर व्यय-

मूल	4.50				
		7.50	7.50		..

पुनर्वि० 3.00

मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 3.00 लाख का आवर्धन पैकेजिंग सामग्री की खरीद बिजली, पानी तथा टेलीफोन बिलों पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

60- बीज और उपजाऊ सामग्री पर उपलाभ-

मूल	3.00				
		6.11	6.11		..

पुनर्वि० 3.11

मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 3.11 लाख का आवर्धन केन्द्रीय हिस्से के अनुपात में राज्य के हिस्से को जारी करने के कारण हुआ।

70- बीजों का वितरण-

मूल	90.00				
		190.20	181.23		(-)8.97

पुनर्वि० 100.20

मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 100.20 लाख का आवर्धन किसानों से मांग की अधिक प्राप्ति तथा भण्डार गृहों के निर्माण पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

80- बाजार हस्तक्षेप योजना

पूरक	0.01				
		50.00	50.00		..

पुनर्वि० 49.99

मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 49.99 लाख का आवर्धन परिवहन के उपदान पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

2402- भू तथा जल संरक्षण-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

14- बहाव सिंचाई योजना (कृषि)-

मूल	135.00				
		197.00	184.00		(-)13.00

पुनर्वि० 62.00

मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 62.00 लाख का आवर्धन लघु कार्यो के निष्पादन पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

16- सौर सिंचाई योजना -

मूल	45.00				
		238.30	222.09		(-)16.21

पुनर्वि० 193.30

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

₹ 16.21 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 193.30 लाख का आवर्धन किसानों से मांग की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ जोकि अत्याधिक सिद्ध हुआ।

₹ 16.21 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

2403- पशु पालन-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

07- जनजातीय क्षेत्र से बाहर रहने वाले अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत पशु चिकित्सा कार्यक्रम-

मूल	25.00			
		66.25	65.25	(-)1.00
पुनर्वि०	41.25			

मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 41.25 लाख का आवर्धन किसानों से मांग की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ।

12- पशु रोगों के नियंत्रण के लिए राज्य को सहायता-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना

मूल	3.91			
		6.03	5.62	(-)0.41
पुनर्वि०	2.12			

मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2.12 लाख का आवर्धन भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ।

16- पेस्ट डेस पेटिटस रूमिनेटस नियंत्रण कार्यक्रम-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना

मूल	1.59			
		7.58	7.60	(+)0.02
पुनर्वि०	5.99			

मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 5.99 लाख का आवर्धन सामग्री, वस्तुओं, मशीनरी तथा उपकरणों की खरीद पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

17- राष्ट्रीय पशुधन मिशन

मूल	1.00			
पूरक	0.01	10.41	9.41	(-)1.00
पुनर्वि०	9.40			

₹ 1.00 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 9.40 लाख का आवर्धन केन्द्रीय हिस्से के अनुपात में राज्य का हिस्सा जारी करने के कारण हुआ जोकि अत्यधिक सिद्ध हुआ।

₹ 1.00 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
मूल	1.00			
		169.29	169.29	..
पुनर्वि०	168.29			
मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 168.29 लाख का आवर्धन भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ।				
2405-	मत्स्य पालन			
796-	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-			
07-	नीली क्रांति-			
केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
मूल	1.79	(+)1.79
₹ 1.79 लाख का समस्त व्यय वर्ष 2019-20 के लिए आपत्ति पुस्तिका के उचंत के समायोजन के कारण हुआ। जबकि भारत सरकार से ₹ 155.87 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ था।				
2406-	वानिकी तथा वन्य जीवन-			
01-	वानिकी-			
796-	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-			
40-	वृक्षारोपण और नर्सरी का रखरखाव-			
मूल	19.00			
पूरक	0.01	50.58	50.58	..
पुनर्वि०	31.57			
मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 31.57 लाख का आवर्धन अनुसूक्षण कार्यो पर अधिक व्यय के कारण हुआ।				
2408-	खाद्य भण्डारण तथा भण्डार गृह-			
01-	खाद्य-			
796-	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-			
03-	विशेष केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत समितियों उपदान पर व्यय-			
मूल	5.00			
		6.00	6.00	..
पुनर्वि०	1.00			
मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1.00 लाख का आवर्धन प्रस्तावों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ।				
2501-	ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम-			
06-	स्वरोजगार कार्यक्रम-			
796-	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-			
03-	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजना पर व्यय-			
मूल	27.00			
		133.28	79.97	(-)53.31
पुनर्वि०	106.28			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

₹ 53.31 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 106.28 का आवर्धन केन्द्रीय हिस्से के अनुपात में राज्य का हिस्सा जारी करने के कारण हुआ जोकि अत्याधिक सिद्ध हुआ। जबकि भारत सरकार से ₹ 975.19 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ था।

₹ 53.31 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

₹ 79.97 लाख में से ₹ 42.83 लाख का व्यय वर्ष 2019-20 की आपत्ति पुस्तिका के उचंत के समायोजन के कारण हुआ।

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

मूल	243.00			
		719.70	762.53	(+)42.83
पुनर्वि०	476.70			

₹ 42.83 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 476.70 लाख का आवर्धन भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुआ।

₹ 42.83 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

2515- अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

10- सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान

(i) मूल	2.00			
		3.30	3.30	..
पुनर्वि०	1.30			

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

(ii) मूल	15.00			
		191.65	191.65	..
पुनर्वि०	176.65			

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 177.95 लाख का अवर्धन भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति के कारण तथा इसलिए राज्य का हिस्सा भी केन्द्रीय हिस्से के अनुपात में जारी करने के कारण हुआ।

16- राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान-

(i) मूल	19.00			
		28.12	22.22	(-)5.90
पुनर्वि०	9.12			

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

(ii) मूल	174.00			
		264.00	200.00	(-)64.00
पुनर्वि०	90.00			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 69.90 लाख के अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 99.12 लाख का आवर्धन भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति और राज्य की आनुपातिक हिस्सेदारी जारी करने के कारण हुआ जोकि अत्याधिक सिद्ध हुआ। जबकि भारत सरकार से क्रम संख्या (ii) पर ₹ 200.00 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ था।

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 69.90 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

2702- लघु सिंचाई-

80- सामान्य-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

03- अन्य लघु सिंचाई कार्यों के रखरखाव एवं मरम्मत पर व्यय (विशेष मरम्मत)-

(i)	मूल	269.21	269.21	305.12	(+)	35.91
-----	-----	--------	--------	--------	-----	-------

04- अन्य लघु सिंचाई कार्यों के रख-रखाव एवं मरम्मत पर व्यय-

(ii)	मूल	310.05	310.05	386.94	(+)	76.89
------	-----	--------	--------	--------	-----	-------

08- उचंत (स्टॉक) पर व्यय-

(iii)	मूल	300.00	300.00	599.73	(+)	299.73
-------	-----	--------	--------	--------	-----	--------

उपरोक्त तीन मामलों में ₹ 412.53 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

3054- सड़क और पूल-

04- जिला और अन्य सड़कों-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

02- अस्थाई स्थापना को स्थाई बनाने पर व्यय-

मूल 9,421.87

		8,298.09	9,755.58	(+)	1,457.49
--	--	----------	----------	-----	----------

पुनर्वि0 (-)1,123.78

₹ 1,457.49 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,123.78 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जोकि अनावश्यक एवं अनुचित सिद्ध हुई।

₹ 1,457.49 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

03- जिला सड़कों के रख-रखाव एवं मरम्मत पर व्यय-

	मूल	2,639.45	2,639.45	3,192.47	(+)	553.02
--	-----	----------	----------	----------	-----	--------

₹ 553.02 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

3055- सड़क परिवहन-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

01- परिवहन सेवाओं के लिए सहायता-
मूल 2,765.00

4,965.72 4,965.72 ..

पुनर्वि० 2,200.72

मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2,200.72 लाख का आवर्धन लंबित देनदारियों के भुगतान के कारण हुआ।

(vi) प्रभारित विनियोजन में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्ष के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल विनियोजन	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
-------	--------------	-----------------------------------	-----------------------

3054- सड़क और पुल-

04- जिला और अन्य सड़कें-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

04- तेरहवें वित्तायोग के अन्तर्गत जिला एवं अन्य सड़कों का रखरखाव-

पूरक	5.00	5.00	..	(-)5.00
------	------	------	----	---------

फरवरी 2022 में अनुपूरक अनुदान द्वारा प्राप्त ₹ 5.00 लाख का समस्त विनियोजन अप्रयुक्त रहा जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

पूंजीगत प्रवर्ग

(vii) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
-------	------------	-----------------------------------	-----------------------

4055- पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- पुलिस बल का आधुनिकीकरण-

(i) मूल	11.00	11.00	4.00	(-)7.00
---------	-------	-------	------	---------

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

(ii) मूल	97.00	97.00	32.00	(-)65.00
----------	-------	-------	-------	----------

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 72.00 लाख की सारभूत अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

02- पुलिस विभाग के आवासीय भवनों का निर्माण-

मूल 432.00

पूरक 0.01

476.73 431.73 (-)45.00

पुनर्वि० 44.72

₹ 45.00 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 44.72 लाख का आवर्धन मशीनरी तथा उपकरणों पर अधिक व्यय के कारण हुआ जोकि अनावश्यक सिद्ध हुआ।

₹ 45.00 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-

01- कार्यालय भवन-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

02- अन्य प्रशासन पर व्यय-

केन्द्रगत योजना

मूल 1.00

..

पुनर्वि० (-)1.00

मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण समाप्त कर दिया गया।

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

मूल 1.00

20.00 .. (-)20.00

पुनर्वि० 19.00

₹ 20.00 लाख के समस्त प्रावधान के अप्रयुक्त रहने की दृष्टि से मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 19.00 लाख का आवर्धन भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ जोकि अनावश्यक सिद्ध हुआ।

₹ 20.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

05- न्यायपालिका पर व्यय-

(i) मूल 1.00

..

पुनर्वि० (-)1.00

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

(ii) मूल 1.00

..

पुनर्वि० (-)1.00

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण समाप्त कर दिया गया तथा इसलिए राज्य का हिस्सा भी अप्रयुक्त रहा।

14- वैकल्पिक विवाद समाधान केन्द्र-

(i) मूल 2.00

..

पुनर्वि० (-)2.00

4070 अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

01-	अग्निशमन विभाग के भवनों का निर्माण-				
(ii)	मूल	1.00			
		
	पुनर्वि०	(-)1.00			
	उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3.00 लाख का समस्त प्रावधान कार्यों का निष्पादन न होने के कारण समाप्त कर दिया गया।				
4202-	शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-				
01-	सामान्य शिक्षा-				
796-	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-				
01-	भवन-				
	केन्द्रगत योजना				
	मूल	1.00			
		
	पुनर्वि०	(-)1.00			
	मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण समाप्त कर दिया गया।				
02-	तकनीकी शिक्षा-				
796-	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-				
01-	क्षेत्रीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के छात्रावास भवनों का निर्माण-				
	मूल	174.00			
			129.10	129.10	..
	पुनर्वि०	(-)44.90			
	मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 44.90 लाख की कमी योजना के अन्तर्गत चल रहे कार्यों के निष्पादन न होने तथा निर्माण पर कम व्यय के कारण हुई।				
02-	बहुतकनीकी संस्थानों का उन्नयन/स्थापना				
	मूल	178.00			
		
	पुनर्वि०	(-)178.00			
	मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा ₹ 178.00 लाख का समस्त प्रावधान भवन निर्माण कार्यों का निष्पादन न होने के कारण समाप्त कर दिया गया।				
03-	खेल तथा युवा सेवाएं-				
796-	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-				
01-	भवन-				
	केन्द्रगत योजना				
	मूल	1.00			
		
	पुनर्वि०	(-)1.00			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण समाप्त कर दिया गया।

04- मुख्यमंत्री युवा खेल प्रोत्साहन योजना-
मूल 45.00 45.00 30.00 (-)15.00

₹ 15.00 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

4210- चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य पर
पूँजीगत परिव्यय-

02- ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- भवन-

मूल 1,315.50
1,269.88 1,269.87 (-)0.01

पुनर्वि० (-)45.62

मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 45.62 लाख की कमी भवन निर्माण कार्यों के निष्पादन के कारण हुई।

केन्द्रगत योजना

मूल 1.00 1.00 .. (-)1.00

₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

03- चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- भवन निर्माण-

मूल 349.50
303.58 219.08 (-)84.50

पुनर्वि० (-)45.92

₹ 84.50 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 45.92 की कमी कार्यों के कम निष्पादन के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 84.50 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

03- इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज, शिमला में निर्माण कार्य-

मूल 252.00 252.00 189.67 (-)62.33

₹ 62.33 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

मूल 1.00

..

पुनर्वि० (-)1.00

मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण समाप्त कर दिया गया।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

04-	डॉ. राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा में निर्माण कार्य-				
	मूल	162.00			
			274.00	138.75	(-)135.25
	पुनर्वि०	112.00			
	₹ 135.25 लाख अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 112.00 लाख का आवर्धन एम०आर०आई० मशीनों की खरीद पर अधिक व्यय के कारण हुआ जोकि अनावश्यक सिद्ध हुआ।				
	₹ 135.25 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।				
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(i)	मूल	1.00			
		
	पुनर्वि०	(-)1.00			
08-	श्री लाला बहादुर शास्त्री सरकारी मेडिकल कॉलेज, नेर चौक-				
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(ii)	मूल	1.00			
		
	पुनर्वि०	(-)1.00			
	उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण समाप्त कर दिया गया।				
4215-	जलापूर्ति तथा स्वच्छता पर पूंजीगत परिव्यय-				
01-	<i>जलापूर्ति-</i>				
796-	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-				
01-	ग्रामीण पाइप जलापूर्ति योजनाओं पर व्यय-				
	मूल	2,237.00			
			1,538.52	1,511.68	(-)26.84
	पुनर्वि०	(-)698.48			
	₹ 26.84 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 698.48 लाख की कमी कार्यों के कम निष्पादन के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।				
	₹ 26.84 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।				
09-	राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक/ग्रामीण आधारभूत संरचना				
	विकास निधि के अन्तर्गत ग्रामीण पेयजल योजनाओं पर व्यय-				
	मूल	1,692.00			
			92.06	92.10	(+)0.04
	पुनर्वि०	(-)1,599.94			
	मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,599.94 लाख की कमी कार्यों के कम निष्पादन के कारण हुई।				
14-	जल जीवन मिशन-				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
मूल	3,600.00			
		1,817.61	1,817.61	..
पुनर्वि०	(-)1,782.39			
मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,782.39 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण हुई।				
4216-	आवास पर पूंजीगत परिव्यय-			
01-	सरकारी आवासीय भवन-			
796-	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-			
02-	भवन-			
मूल	1,367.00			
		602.88	486.08	(-)116.80
पुनर्वि०	(-)764.12			
₹ 116.80 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 764.12 लाख की कमी चल रहे कार्यों के निष्पादन न होने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।				
₹ 116.80 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।				
05-	पंचायत निरीक्षक/उप निरीक्षकों के लिए आवासीय भवनों का निर्माण-			
(i)	पूरक	0.01		
		1.00	..	(-)1.00
पुनर्वि०	0.99			
09-	सामान्य प्रशासनिक विभाग के सामान्य पूल आवास का निर्माण-			
(ii)	मूल	108.00	108.00	..
				(-)108.00
उपरोक्त दो मामलों में ₹ 108.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।				
4225-	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-			
02-	अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-			
796-	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-			
01-	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजाति विकास निगम को सहायता-			
मूल	1.00			
	
पुनर्वि०	(-)1.00			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

मार्च 2022 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण समाप्त कर दिया गया।

02-	विभागीय भवनों का निर्माण-				
	मूल	6.00	6.00	..	(-)6.00
4235-	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर				
	पूंजीगत परिव्यय-				
02-	सामाजिक कल्याण-				
796-	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-				
01-	विभागीय भवनों का निर्माण-				
(ii)	मूल	1.00	1.00	..	(-)1.00
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(iii)	मूल	7.00	7.00	..	(-)7.00
	उपरोक्त तीन मामलों में ₹ 14.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।				
02-	महिला एवं बाल विकास विभाग के भवन-				
	मूल	16.00			
			1.00	..	(-)1.00
	पुनर्वि०	(-)15.00			
	₹ 1.00 लाख के समस्त प्रावधान के अप्रयुक्त रहने की दृष्टि से मार्च 2022 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 15.00 की कमी कार्यों के कम निष्पादन के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।				
	₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।				
4401-	फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय-				
796-	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना -				
01-	कृषि भवनों पर व्यय-				
	मूल	50.00			
			25.50	25.49	(-)0.01
	पुनर्वि०	(-)24.50			
	मार्च 2022 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 24.50 लाख की कमी कार्यों के कम निष्पादन के कारण हुई।				
	केन्द्रगत योजना				
(i)	मूल	1.00			
		
	पुनर्वि०	(-)1.00			
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(ii)	मूल	1.00			
		
	पुनर्वि०	(-)1.00			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2.00 लाख का समस्त प्रावधान कार्यों के निष्पादन न होने के कारण समाप्त कर दिया गया।

4402- मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना -

01- पॉली हाउस एवं सूक्ष्म सिंचाई योजना
ग्रामीण अवसरचनना विकास निधि-

मूल 198.00

228.00

158.93

(-)69.07

पुनर्वि० 30.00

₹ 69.07 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 30.00 लाख का आवर्धन चल रहे कार्यों के पूर्ण होने के कारण हुआ जोकि अनावश्यक सिद्ध हुआ।

₹ 69.07 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (अगस्त 2021)।

4403- पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना -

01- भवन निर्माण कार्यक्रम-
केन्द्रगत योजना

(i) मूल 1.00

..

..

..

पुनर्वि० (-)1.00

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

(ii) मूल 1.00

..

..

..

पुनर्वि० (-)1.00

4515- अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- मुख्यमंत्री लोक भवन-

(iii) मूल 8.00

..

..

..

पुनर्वि० (-)8.00

उपरोक्त तीन मामलों में मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा ₹ 10.00 लाख का समस्त प्रावधान चल रहे कार्यों का निष्पादन न होने के कारण समाप्त कर दिया गया।

02- सामुदायिक विकास कार्य-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

मूल 1.00

..

..

..

पुनर्वि० (-)1.00

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण समाप्त कर दिया गया।

4702- लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

06- कृषि और ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक के अंतर्गत लिफ्ट सिंचाई योजनाएं-

मूल 700.00

512.10

512.74

(+)0.64

पुनर्वि (-)187.60

मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 187.90 लाख की कमी कार्यों के कम निष्पादन के कारण हुई।

08- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (हर खेत को पानी) के अन्तर्गत लघु सिंचाई योजनाएं-

(i) मूल 51.00 51.00 .. (-)51.00

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

(ii) मूल 400.10 400.10 .. (-)400.10

10- प्रधानमंत्री सिंचाई योजना हर खेत को पानी के अन्तर्गत डायवर्सन तथा प्रवाह सिंचाई योजना-

(iii) मूल 130.00 130.00 .. (-)130.00

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

(iv) मूल 700.90 700.90 . (-)700.90

उपरोक्त चार मामलों में ₹ 1,282.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

4705- कमान क्षेत्र विकास पर पूंजीगत परिव्यय-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- लघु सिंचाई के अन्तर्गत कमान क्षेत्र का विकास-

मूल 439.00

231.28

230.59

(-)0.69

पुनर्वि (-)207.72

मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 207.72 लाख की कमी कार्यों के कम निष्पादन के कारण हुई।

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

मूल 1.00

..

..

..

पुनर्वि0 (-)1.00

मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण समाप्त कर दिया गया।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

4711- बाढ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय-

01- बाढ नियंत्रण-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

02- ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि/
राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के
अन्तर्गत बाढ नियंत्रण कार्यक्रम पर व्यय-
मूल 99.00

66.00

31.58

(-)34.42

पुनर्वि० (-)33.00

₹ 34.42 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 33.00 लाख की कमी बाढ नियंत्रण कार्यों के निष्पादन पर कम व्यय के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 34.42 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

4801- विद्युत परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय-

01- हाइड्रल उत्पादन-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

08- हिमाचल पन्नबिजली एवं नवीकरण विकास कार्यक्रम
के अन्तर्गत वितरण स्मार्ट ग्रिड वितरण (बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना)-
मूल 1.00 1.00 .. (-)1.00

₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

4851- ग्रामीण और लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

05- औद्योगिक भवनों का निर्माण/सम्पदा-
मूल 168.00

50.00

..

(-)50.00

पुनर्वि० (-)118.00

₹ 50.00 लाख के समस्त प्रावधान के अप्रयुक्त रहने की दृष्टि से मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 118.00 लाख की कमी कार्यों के कम निष्पादन के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 50.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

5053- नागरिक उड्डयन पर पूंजीगत परिव्यय-

80- सामान्य-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

03- हेलिपॉर्ट्स एवं हवाई अड्डों का विकास-
मूल 8,150.00 8,150.00 .. (-)8,150.00

₹ 8,150.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

5054- सड़कों तथा पुलों पर पूंजीगत परिव्यय-

04- जिला तथा अन्य सड़कें-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

03- ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि /राष्ट्रीय कृषि
एवं ग्रामीण विकास बैंक के अन्तर्गत
ग्रामीण सडकों के निर्माण पर व्यय-
मूल 1,860.00

552.81 542.13 (-)10.68

पुनर्वि० (-)1,307.19

मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,307.19 लाख की कमी कार्यों के कम निष्पादन के कारण हुई।

08- केन्द्रीय सड़क निधि के अन्तर्गत सड़को का निर्माण-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना

मूल 990.00

..

पुनर्वि० (-)990.00

मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 990.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण समाप्त कर दिया गया।

09- सडकों और पुलों की डिजाइन/विस्तृत
परियोजना रिपोर्ट के लिए परामर्श-

(i) मूल 36.00

31.00 13.42 (-)17.58

पुनर्वि० (-)5.00

12- मुख्यमंत्री सडक योजना-

(ii) मूल 450.00

450.00 373.55 (-)76.45

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 94.03 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

80- सामान्य-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

05- मुख्य पुलों पर व्यय-

मूल 684.00

635.14 605.95 (-)29.19

पुनर्वि० (-)48.86

₹ 29.19 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 48.86 लाख की कमी चल रहे कार्यों के निष्पादन न होने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 29.19 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

09- ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि/राष्ट्रीय
कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के अन्तर्गत
मुख्य पुलों के निर्माण पर व्यय-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

मूल	2,790.00			
		640.00	665.26	(+25.26)

पुनर्वि० (-)2,150.00

₹ 25.26 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2,150.00 लाख की कमी कार्यों के कम निष्पादन के कारण हुई जोकि अत्याधिक सिद्ध हुई।

₹ 25.26 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

5056- अंतर्देशीय जल परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- जेटी और अंतर्देशीय जल परिवहन-

मूल	9.00			
		9.00	..	(-)9.00

₹ 9.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

(i) मूल 1.00

..

पुनर्वि० (-)1.00

5075- अन्य परिवहन सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय-

60- सामान्य-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- रोपवे और रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

(ii) मूल 1.00

..

पुनर्वि० (-)1.00

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2022 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 2.00 लाख का समस्त प्रावधान कार्यों का निष्पादन न होने के कारण समाप्त कर दिया गया।

5475- अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना-

मूल	550.00			
		550.00	487.13	(-)62.87

₹ 62.87 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

6801- बिजली परियोजनाओं के लिए ऋण-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

10- हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम लिमिटेड को ऋण-

मूल	2,101.00			
		2,101.00	..	(-)2,101.00

₹ 2,101.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

(viii) उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
4059- लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय-			
01- कार्यालय भवन-			
796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-			
02- अन्य प्रशासन पर व्यय-			
मूल	500.00		
		712.10	676.54
			(-)35.56
पुनर्वि०	212.10		
₹ 35.56 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 212.10 लाख का आवर्धन कार्यों के अधिक निष्पादन के कारण हुआ जोकि अत्याधिक सिद्ध हुआ।			
₹ 35.56 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।			
12- कानूनगो/पटवार भवनों का निर्माण-			
मूल	95.00		
		116.62	116.62
			..
पुनर्वि०	21.62		
मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 21.62 लाख का आवर्धन चल रहे कार्यों के पूरा होने के कारण हुआ।			
13- संयुक्त कार्यालय भवन एवं लघु सचिवालय-			
मूल	92.00		
		251.70	286.07
			(+)34.37
पुनर्वि०	159.70		
₹ 34.37 लाख केके अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 159.70 लाख का आवर्धन चल रहे कार्यों के पूरा होने के कारण हुआ जोकि अत्याधिक सिद्ध हुआ।			
₹ 34.37 लाख की अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।			
4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-			
01- सामान्य शिक्षा-			
796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-			
01- भवन-			
(i) मूल	292.00		
		355.76	355.74
			(-)0.02
पुनर्वि०	63.76		

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(ii)	मूल	1.00		
			605.00	605.00
	पुनर्वि०	604.00		..
03-	माध्यमिक पाठशाला भवनों का निर्माण-			
(iii)	मूल	135.00		
			209.00	208.99
	पुनर्वि०	74.00		(-)0.01
	उपरोक्त तीन मामलों में मार्च 2022 में पुनर्विनियोज द्वारा प्रावधान में ₹ 741.76 लाख का आवर्धन भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति तथा राज्य की अनुपातिक हिस्सेदारी जारी करने के कारण हुआ।			
03-	खेल और युवा सेवाएं-			
796-	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-			
01-	भवन-			
	मूल	80.00		
			158.02	158.00
	पुनर्वि०	78.02		(-)0.02
	मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 78.02 लाख का आवर्धन चल रहे कार्यों के पूरा होने के कारण हुआ।			
केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
	मूल	1.00		
			160.00	160.00
	पुनर्वि०	159.00		..
	मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 159.00 लाख का आवर्धन भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ।			
04-	कला एवं संस्कृति-			
796-	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-			
01-	भवन-			
	मूल	1.00		
			78.38	78.19
	पुनर्वि०	77.38		(-)0.19
	मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 77.38 लाख लाख का आवर्धन चल रहे कार्यों के पूरा होने के कारण हुआ।			
4210-	चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य पर			
	पूंजीगत परिव्यय-			
02-	ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-			
796-	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

01-	भवन- केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
	मूल	1.00			
			700.00	700.00	..
	पुनर्वि०	699.00			
	मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 699.00 लाख का आवर्धन भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ।				
4215-	जलापूर्ति तथा स्वच्छता पर पूंजीगत परिव्यय-				
01-	जलापूर्ति-				
796-	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-				
03-	मल निकासी योजनाओं पर व्यय-				
	मूल	265.00			
			558.33	579.91	(+)21.58
	पुनर्वि०	293.33			
	₹ 21.58 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 293.33 लाख का आवर्धन योजना के अन्तर्गत अधिक व्यय होने के कारण हुआ जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुआ।				
	₹ 21.58 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।				
14-	जल जीवन मिशन-				
	मूल	360.00			
			494.77	494.77	..
	पुनर्वि०	134.77			
	मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 134.77 लाख का आवर्धन योजना के अन्तर्गत निर्माण पर अधिक व्यय के कारण हुआ। जबकि भारत सरकार से ₹ 1,817.61 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ था।				
17-	पुरानी ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं का पुनर्निर्माण/नवीनीकरण-				
	मूल	180.00			
			299.24	265.99	(-)33.25
	पुनर्वि०	119.24			
	₹ 33.25 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 119.24 लाख का आवर्धन चल रहे कार्यों के पूरा होने के कारण हुआ जोकि अत्याधिक सिद्ध हुआ।				
	₹ 33.25 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।				
4406-	वानिकी तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय-				
01-	वानिकी-				
796-	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

03-	सड़कों के निर्माण पर व्यय-				
	मूल	201.00			
			417.71	387.54	(-)30.17
	पुनर्वि०	216.71			
	₹ 30.17 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 216.71 लाख का आवर्धन चल रहे कार्यों के पूरा होने के कारण हुआ जोकि अत्याधिक सिद्ध हुआ।				
	₹ 30.17 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।				
02-	भवनों के निर्माण पर व्यय-				
(i)	मूल	196.00			
			267.58	259.73	(-)7.85
	पुनर्वि०	71.58			
4515-	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय-				
796-	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-				
02-	सामुदायिक विकास कार्य-				
(ii)	मूल	147.00			
			1,808.48	1,808.48	..
	पुनर्वि०	1,661.48			
4702-	लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-				
796-	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-				
01-	लघु सिंचाई योजनाओं पर व्यय (उठाऊसिंचाई योजना)-				
(iii)	मूल	51.00			
			171.37	169.28	(-)2.09
	पुनर्वि०	120.37			
02-	लघु सिंचाई योजनाओं पर व्यय (प्रवाह सिंचाई योजना)-				
(iv)	मूल	1,122.00			
			1,422.63	1,429.41	(+)6.78
	पुनर्वि०	300.63			
	उपरोक्त चार मामलों में मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2,154.06 लाख का आवर्धन चल रहे कार्यों पर अधिक व्यय के कारण हुआ।				
4711-	बाढ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय-				
01-	बाढ नियंत्रण-				
796-	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-				
02-	बाढ नियंत्रण कार्यों पर व्यय-				
(i)	मूल	836.00			
			1,036.00	1,013.01	(-)22.99
	पुनर्वि०	200.00			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

5054- सड़कों तथा पुलों पर पूंजीगत परिव्यय-

04- जिला तथा अन्य सड़कें-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- ग्रामीण सड़कों के निर्माण पर व्यय-

(ii) मूल 3,465.00

4,158.72

4,085.97

(-)72.75

पुनर्वि० 693.72

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 95.74 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 893.72 लाख का आवर्धन चल रहे कार्यों के पूर्ण होने पर अधिक व्यय के कारण हुआ जोकि अत्याधिक सिद्ध हुआ।

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 95.74 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

02- प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत

ग्रामीण सड़कों पर व्यय-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

मूल 4,860.00

6,300.00

6,300.00

..

पुनर्वि० 1,440.00

मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,440.00 लाख का आवर्धन भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ।

04- निवल वर्तमान मूल्य सहित भूमि मुआवजे पर व्यय-

मूल 180.00

1,724.49

1,755.50

(+)31.01

पुनर्वि० 1,544.49

₹ 31.01 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,544.49 लाख का आवर्धन मुआवजे के दावों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुआ।

₹ 31.01 लाख की अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

11- ब्लैक स्पॉट के सड़क सुरक्षा के उपाय,

जियोमेट्रिक्स और राइडिंग क्वालिटी में सुधार-

मूल 450.00

478.02

463.67

(-)14.35

पुनर्वि० 28.02

मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 28.02 लाख का आवर्धन चल रहे कार्यों के पूरा होने के कारण हुआ।

5055- सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय-

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

01-	हिमाचल सड़क परिवहन निगम में निवेश-				
	मूल	630.00			
			994.28	994.28	..
	पुनर्वि०	364.28			
	मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 364.28 लाख का आवर्धन नई बसों की खरीद पर अधिक व्यय के कारण हुआ।				
02-	बस स्टैंड के निर्माण पर व्यय-				
	मूल	158.00			
			290.10	290.10	..
	पुनर्वि०	132.10			
	मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 132.10 लाख का आवर्धन बस स्टैंडों तथा वर्षा शालिकाओं के निर्माण पर अधिक व्यय के कारण हुआ।				
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
	पूरक	0.01			
			25.00	25.00	..
	पुनर्वि०	24.99			
	मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 24.99 लाख का आवर्धन भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ।				
5075-	अन्य परिवहन सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय-				
60-	<i>अन्य-</i>				
796-	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-				
01-	रोपवे और रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम-				
	मूल	200.00			
			240.50	240.50	..
	पुनर्वि०	40.50			
	मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 40.50 लाख का आवर्धन रोपवे के निर्माण के कारण हुआ।				
5452-	पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय-				
01-	<i>पर्यटक अवसंरचना-</i>				
796-	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-				
01-	नई राहें नई मंजिले-				
	मूल	450.00			
			657.05	619.30	(-)37.75
	पुनर्वि०	207.05			
	₹ 37.75 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 207.05 लाख का आवर्धन चल रहे कार्यों के पूरा होने के कारण हुआ जोकि अत्याधिक सिद्ध हुआ।				
	₹ 37.75 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

80-	सामान्य-				
796-	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-				
01-	विभिन्न भवनों के निर्माण-				
	मूल	100.00			
			119.01	117.01	(-)2.00
	पुनर्वि0	19.01			

मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 19.01 लाख का आवर्धन चल रहे कार्यों के पूरा करने के कारण हुआ।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 (क्रमशः)

(ix) उच्चंत लेन-देन:-

- (i) उच्चंत के अन्तर्गत लेखाबद्ध किए गए अनुदान के अन्तर्गत व्यय में ₹ 3,655.93 लाख (₹ 3,655.93 लाख राजस्व प्रवर्ग तथा ₹ 0.00 लाख पूंजीगत प्रवर्ग के अन्तर्गत) सम्मिलित हैं।
- (ii) उच्चंत लेनदेन के स्वरूप का वर्णन अनुदान संख्या-10 लोक निर्माण कार्य- सडकें, पुल तथा भवन के अन्तर्गत पैरा संख्या- (vii) में किया गया है।
- (iii) अथ तथा अंत शेषों सहित वर्ष 2021-22 में इस अनुदान में उच्चंत लेनदेनों का विश्लेषण विभिन्न उपशीर्षों के अंतर्गत नीचे दिया गया है :-

शीर्ष	1 अप्रैल 2021 को प्रारम्भिक शेष डैबिट (+) क्रेडिट (-)	डैबिट (लाखों में)	क्रेडिट	31 मार्च 2022 को अन्त शेष डैबिट (+) क्रेडिट (-)
राजस्व प्रवर्ग				
2059- लोक निर्माण-कार्य-				
01- कार्यालय भवन-				
796- जन जातीय क्षेत्र उप-योजना-				
07- उच्चंत के अन्तर्गत व्यय (स्कन्ध)-	(-)1,267.94	911.45	608.17	(-)964.66*
08- उच्चंत के अन्तर्गत व्यय (स्टॉक विनिर्माण)	(+)284.64	270.22	389.64	(+)165.22
09- उच्चंत के अन्तर्गत व्यय (विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम)-	(+)6,283.74	1,367.22	920.67	(+)6,730.29
कुल 2059-	(+)5,300.44	2,548.89	1,918.48	(+)5,930.85
2215- जलापूर्ति तथा स्वच्छता-				
01- जलापूर्ति-				
796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-				
04- स्कन्ध-	(-)315.68	362.29	308.45	(-)261.84*
05- स्कन्ध विनिर्माण-	(+)156.08	5.98	0.00	(+)162.06
06- विविध लोक निर्माण काय अग्रिम-	(+)104.45	37.56	0.00	(+)142.01
कुल 2215-	(-)55.15	405.83	308.45	(+)42.23

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या - 31 - (समाप्त)

शीर्ष	1 अप्रैल 2021 को प्रारम्भिक शेष डैबिट (+)क्रेडिट (-)	डैबिट (₹ लाखों में)	क्रेडिट	31 मार्च 2022 को अन्त शेष डैबिट (+)क्रेडिट (-)
2702- लघु सिंचाई-				
80- सामान्य-				
796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-				
08- उच्चंत पर व्यय- (स्कन्ध)-	(-)121.30	599.73	807.16	(-)328.73*
09- उच्चंत पर व्यय- (स्कन्ध विनिर्माण)-	(+)142.52	22.32	0.00	(+)164.84
10- उच्चंत पर व्यय- (विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम)-	(+)559.67	79.17	51.08	(+)587.76
कुल-2702-	(+)580.89	701.22	858.24	(+)423.87
कुल राजस्व प्रवर्ग-	(+)5,826.18	3,655.94	3,085.17	(+)6,396.95
कुल मांग-	(+)5,826.18	3,655.94	3,085.17	(+)6,396.95

टिप्पणी:- *ऋणात्मक शेषों के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

विनियोग लेखे

अनुदान संख्या - 32- अनुसूचित जाति उप-योजना

(शीर्ष- 2054- ट्रेजरी और लेखा प्रशासन, 2055- पुलिस, 2059- लोक निर्माण-कार्य, 2202- सामान्य शिक्षा, 2203- तकनीकी शिक्षा, 2204-खेलकूद तथा युवा सेवाएं, 2205-कला एवं संस्कृति, 2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 2211- परिवार कल्याण, 2215- जलापूर्ति तथा सफाई, 2216- आवास, 2217- शहरी विकास, 2220- सूचना तथा प्रचार, 2225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, एवं अन्य पिछड़े वर्गों एवं अल्पसंख्यकों का कल्याण, 2230-श्रम, रोजगार तथा कौशल विकास, 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, 2236- पोषण, 2401- फसल कृषि-कर्म, 2402- भू तथा जल संरक्षण, 2403- पशुपालन, 2404- दूध विकास, 2405- मछली पालन, 2406-वानिकी तथा वन्य जीवन, 2407-बागान, 2408- खाद्य भण्डारण तथा भाण्डागार, 2415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा, 2425-सहकारिता, 2435-अन्य कृषि कार्यक्रम, 2501- ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम, 2505- ग्राम रोजगार, 2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम, 2801- ऊर्जा, 2851- ग्रामीण तथा लघु उद्योग, 2852- उद्योग, 3054- सड़कों तथा सेतु, 3055- सड़क परिवहन, 3425-अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान, 3452- पर्यटन, 3456-नागरिक आपूर्ति, 4055-पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय, 4058-मुद्रण पर पूंजीगत परिव्यय, 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय, 4070- अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय, 4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय, 4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय, 4215-जलापूर्ति तथा स्वच्छता पर पूंजीगत परिव्यय, 4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय, 4217- शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय, 4220-सूचना और प्रचार पर पूंजीगत परिव्यय, 4225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय, 4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय, 4250- अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय, 4401-फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय, 4402- मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय, 4403-पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय, 4405- मछली पालन पर पूंजीगत परिव्यय, 4406- वानिकी तथा वन्य प्राणियों पर पूंजीगत परिव्यय, 4408- खाद्य भण्डारण तथा भांडागार पर पूंजीगत परिव्यय, 4425- सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय, 4515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय, 4701- मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, 4702- लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, 4705-कमान क्षेत्र विकास पर पूंजीगत परिव्यय, 4711- बाढ़ नियन्त्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय, 4801- बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय, 4851- ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय, 5002-भारतीय रेल वाणिज्यिक लाईनो पर पूंजीगत परिव्यय, 5053- नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय, 5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय, 5055- सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय, 5056- अंतर्देशीय जल परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय, 5075- अन्य परिवहन सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय, 5452- पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय, 6225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, एवं अन्य पिछड़े वर्गों एवं अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए ऋण तथा 6801-बिजली परियोजनाओं के लिए ऋण)

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजारों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
राजस्व प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	20,25,46,95			
		20,78,66,38	19,37,16,69	(-)1,41,49,69
पूरक	53,19,43			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)				8,30,54
पूंजीगत प्रवर्ग				
दत्तमत				
मूल	16,00,59,99			
		18,05,90,63	14,15,44,66	(-)3,90,45,97
पूरक	2,05,30,64			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)				2,78,87,69

टिप्पणियां तथा अभ्यक्तियां

- (i) राजस्व प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 14,149.69 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से फरवरी 2022 में प्राप्त ₹ 5,319.43 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ जबकि मूल अनुदान भी सारभूत रूप से अप्रयुक्त रहा तथा ₹ 830.54 लाख का अभ्यर्पण अपर्याप्त सिद्ध हुआ।
- (ii) पूंजीगत प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 39,045.97 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से फरवरी 2022 में प्राप्त ₹ 20,530.64 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ जबकि मूल अनुदान भी सारभूत रूप से अप्रयुक्त रहा तथा ₹ 27,887.69 लाख का अभ्यर्पण अपर्याप्त सिद्ध हुआ।

राजस्व प्रवर्ग

- (iii) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
-------	------------	-----------------------------------	-----------------------

2054- खजाना और लेखा प्रशासन-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

01- विश्व बैंक सहायता प्राप्त एकीकृत वित्तीय
प्रबंधन प्रणाली (बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना)-

(i)	मूल	907.00	907.00	..	(-)907.00
-----	-----	--------	--------	----	-----------

2055- पुलिस-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

02- सुरक्षा सम्बन्धी व्यय-

(ii)	मूल	29.00	29.00	..	(-)29.00
------	-----	-------	-------	----	----------

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 936.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

2059- लोक निर्माण कार्य-

01- कार्यालय भवन-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

02- मेडिकल कॉलेजों का रखरखाव-

	मूल	481.95	481.95	446.91	(-)35.04
--	-----	--------	--------	--------	----------

₹ 35.04 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

04- सरकारी स्वामित्व वाले आंगनबाडी केन्द्रों का रखरखाव-

(i)	मूल	2.00			
-----	-----	------	--	--	--

	पुनर्वि०	(-)2.00	
--	----------	---------	--	----	----

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

(ii)	मूल	13.00			
------	-----	-------	--	--	--

	पुनर्वि०	(-)13.00	
--	----------	----------	--	----	----

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा ₹15.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने तथा केन्द्रीय हिस्सेदारी के अनुपात में राज्य की हिस्सेदारी जारी न करने के कारण समाप्त कर दिया गया।

2202- सामान्य शिक्षा-

01- प्रारंभिक शिक्षा-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

01- राजकीय प्राथमिक पाठशालाओं पर व्यय-

	मूल	814.22			
			745.92	707.32	(-)38.60

	पुनर्वि०	(-)68.30			
--	----------	----------	--	--	--

₹38.60 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹68.30 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, बिजली, पानी तथा टेलीफोन शुल्क पर कम व्यय के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 38.60 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

03- माध्यमिक विद्यालय-

मूल 1,081.62

991.06

964.13

(-)26.93

पुनर्वि० (-)90.56

₹ 26.93 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹90.56 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 26.93 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

06- मध्याह्न आहार-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

मूल 2,426.00

पूरक 0.01

2,548.86

2,086.47

(-)462.39

पुनर्वि० 122.85

₹ 462.39 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च, 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 122.85 लाख का आवर्धन मरम्मत कार्यों के निष्पादन पर अधिक व्यय के कारण हुआ जोकि अनावश्यक सिद्ध हुआ। जबकि भारत सरकार से ₹ 1,726.74 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ था।

₹ 462.39 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

08- साक्षर भारत योजना-

(i) मूल 1.00

1.00

..

(-)1.00

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

(ii) मूल 1.00

1.00

..

(-)1.00

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 2.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

11- अभिभावक शिक्षक संघ को सहायता अनुदान पर व्यय-

मूल 1,304.76

797.48

89.43

(-)708.05

पुनर्वि० (-)507.28

₹ 708.05 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च, 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 507.28 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 708.05 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

12- अटल वर्दी योजना-

मूल 853.00

720.00

685.09

(-)34.91

पुनर्वि० (-)133.00

₹ 34.91 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 133.00 लाख की कमी कोविड-19 के मध्यनजर स्कूलों को बंद करने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 34.91 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

13-	अनुसूचित जाति के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति- केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
	मूल	60.00			
			30.00	..	(-)30.00
	पुनर्वि०	(-)30.00			
	₹ 30.00 लाख के समस्त प्रावधान के अप्रयुक्त रहने की दृष्टि से मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 30.00 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।				
	₹ 30.00 लाख के समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।				
15-	विद्यालय प्रबंधक समिति को सहायता अनुदान-				
	मूल	685.30			
			270.59	234.88	(-)35.71
	पुनर्वि०	(-)414.71			
	₹ 35.71 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च, 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 414.71 लाख की कमी स्कूल प्रबंधन समिति के अंतर्गत शिक्षकों की सेवाओं का विस्तार न करने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।				
	₹ 35.71 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।				
17-	प्राथमिक/माध्यमिक विद्यालयों के भवनों की मरम्मत/रखरखाव-				
	मूल	573.30	573.30	516.09	(-)57.21
	₹ 57.21 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।				
18-	उर्दू एवं पंजाबी शिक्षक-				
	मूल	30.00			
			13.88	5.15	(-)8.73
	पुनर्वि०	(-)16.12			
	₹ 8.73 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 16.12 लाख की कमी उर्दू और पंजाबी शिक्षकों के नियमितीकरण के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।				
	₹ 8.73 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।				
19-	समग्र शिक्षा अभियान-				
(i)	मूल	1,106.00	1,106.00	889.95	(-)216.05
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(ii)	मूल	9,968.00	9,968.00	8,009.52	(-)1,958.48
	उपरोक्त दो मामलों में ₹ 2,174.53 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)। जबकि भारत सरकार से क्रम संख्या (ii) पर ₹ 8,375.44 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ था।				
22-	डिजिटल शिक्षा-				
(i)	मूल	1.00	1.00	..	(-)1.00

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

23- निजि विद्यालयों में कमजोर वर्ग के छात्रों की फीस की प्रतिपूर्ति-

(ii) मूल	30.00	30.00	..	(-)30.00
----------	-------	-------	----	----------

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 31.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

24- स्वस्थ बचपन-

मूल	80.00			
		20.00	..	(-)20.00
पुनर्वि०	(-)60.00			

₹ 20.00 लाख का समस्त प्रावधान के अप्रयुक्त रहने की दृष्टि से मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 60.00 लाख की कमी कोविड-19 महामारी के मध्यनजर नर्सरी कक्षाओं के लिए स्कूलों को बंद करने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 20.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

02- माध्यमिक शिक्षा-

789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-

16- अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए

पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

मूल	605.00			
पूरक	0.01	544.50	206.00	(-)338.50
पुनर्वि०	(-)60.51			

₹ 338.50 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 60.51 लाख की कमी योजना के बंटवारे की पद्धति में बदलाव के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई। जबकि भारत सरकार से ₹3,481.16 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ था।

₹ 338.50 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई, 2022)।

20- अभिभावक शिक्षक संघ को अनुदान सहायता-

मूल	286.00			
		76.00	75.01	(-)0.99
पुनर्वि०	(-)210.00			

मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 210.00 लाख की कमी अभिभावक शिक्षक संघ के अंतर्गत शिक्षकों के नियमितीकरण के कारण हुई।

21- अटल स्कूल वर्दी योजना-

मूल	3,78.00			
		281.03	281.03	..
पुनर्वि०	(-)96.97			

मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 96.97 लाख की कमी सामग्री एवं वस्तुओं की कम खरीद के कारण हुई।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

24- समग्र शिक्षा अभियान-

(i) मूल	521.00			
		371.95	391.36	(+)19.41
पुनर्वि०	(-)149.05			

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

(ii) मूल	4,692.00			
		3,482.00	3,522.26	(+)40.26
पुनर्वि०	(-)1,210.00			

उपरोक्त दो मामलों में ₹59.67 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹1,359.05 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति के कारण हुई तथा इसलिए केंद्रीय हिस्सेदारी के अनुपात में राज्य की हिस्सेदारी जारी करने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 59.67 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

25- प्रचलित सूचना एवं संचार तकनीकी प्रयोगशालाओं और अन्य प्रयोगशाला सुविधाओं का उन्नयन/रख-रखाव-

मूल	1,260.00	1,260.00	..	(-)1,260.00
-----	----------	----------	----	-------------

₹ 1,260.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

26- खेल से स्वास्थ्य योजना-

मूल	50.00	50.00	6.73	(-)43.27
-----	-------	-------	------	----------

₹43.27 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

30- मेधा प्रोत्साहन योजना-

(i) मूल	126.00			
		71.00	71.00	..
पुनर्वि०	(-)55.00			

31- स्वर्ण जयंती सूपर (100) योजना-

(i) मूल	28.00			
		17.65	17.65	..
पुनर्वि०	(-)10.35			

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 65.35 लाख की कमी योजनाओं के अंतर्गत लाभार्थियों से मांग की कम प्राप्ति के कारण हुई।

03- विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

04- अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(i)	मूल	3,428.00		
	पूरक	0.02	3,438.12	1,135.12
	पुनर्वि०	10.10		(-)2,303.00
05- राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान-				
(ii)	मूल	53.00	53.00	28.97
				(-)24.03
केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(iii)	मूल	476.00	476.00	260.69
				(-)215.31
उपरोक्त तीन मामलों में ₹ 2,542.34 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)। जबकि भारत सरकार से क्रम संख्या (iii) पर ₹ 260.69 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ था।				
06- राजकीय महाविद्यालयों पर व्यय-				
	मूल	203.75		
			170.09	152.37
	पुनर्वि०	(-)33.66		(-)17.72
मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹33.66 लाख की कमी मशीनरी एवं उपकरणों की कम खरीद के कारण हुई।				
08- व्यवसायिक स्नातक कार्यक्रम-				
	मूल	1.00		
		
	पुनर्वि०	(-)1.00		..
मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1.00 लाख के समस्त प्रावधान को कार्यक्रम के लिए निधियां कौशल विकास निगम के तहत कार्यक्रम के निधियां उपलब्ध करने के कारण समाप्त कर दिया गया।				
09- खेल से स्वास्थ्य योजना-				
	मूल	38.00	38.00	..
				(-)38.00
₹ 38.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।				
04- प्रौढ़ शिक्षा-				
789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-				
01- पढ़ना लिखना अभियान-				
(i)	मूल	90.00		
	पूरक	0.01	5.02	5.02
	पुनर्वि०	(-)4.99		..
केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(ii)	मूल	90.00		
	पूरक	0.01	45.18	45.18
	पुनर्वि०	(-)44.83		..

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 49.82 लाख की कमी अन्य मानक उद्देश्य के लिए निधियों की अधिक आवश्यकता के कारण हुई जोकि केन्द्रीय हिस्सेदारी के अनुपात में राज्य की हिस्सेदारी को जारी करने के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।

2203- तकनीकी शिक्षा-

789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-

02- तकनीकी शिक्षा-

मूल 55.00

30.57

27.87

(-)2.70

पुनर्वि० (-)24.43

मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 24.43 लाख की कमी छात्रवृत्ति के लिए आवेदनों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

2204- खेल तथा युवा सेवाएं-

789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-

03- निर्देशन और प्रशासन-

मूल 200.00

..

..

..

पुनर्वि० (-)200.00

मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 200.00 लाख का समस्त प्रावधान संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण समाप्त कर दिया गया।

2205- कला तथा संस्कृति-

789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-

03- सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन-

(i) मूल 270.00

270.00

115.57

(-)154.43

2210- चिकित्सा तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य-

03- ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-पाश्चात्य

चिकित्सा पद्धति-

789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-

01- ग्रामीण स्वास्थ्य-

(ii) मूल 1,632.12

1,632.12

1,045.68

(-)586.44

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 740.87 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

03- राष्ट्रीय सुरक्षा बीमा योजना-

मूल 1.00

..

..

..

पुनर्वि० (-)1.00

मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹1.00 लाख का समस्त प्रावधान योजना का क्रियान्वयन न होने के कारण समाप्त कर दिया गया।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

04-	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन- केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
	मूल	11,080.00			
			11,050.00	8,441.00	(-)2,609.00
	पुनर्वि०	(-)30.00			
	₹ 2,609.00 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च, 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 30.00 लाख की कमी योजना के लिए नया खाता शीर्ष खोलने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई। जबकि भारत सरकार से ₹ 8,189.00 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ था।				
	₹ 2,609.00 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।				
04-	ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-अन्य चिकित्सा पद्धति-				
789-	अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-				
01-	आयुर्वेदिक औषधालय-				
	मूल	1,540.31			
			1,332.03	1,328.67	(-)3.36
	पुनर्वि०	(-)208.28			
	मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 208.28 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।				
03-	विद्यमान आयुष संस्थानों का उन्नयन-				
(i)	मूल	21.00	21.00	..	(-)21.00
05-	चिकित्सा शिक्षा-प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-				
789-	अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-				
02-	राजकीय मैडिकल कॉलेजों का उन्नयन-				
(ii)	मूल	1.00	1.00	..	(-)1.00
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(iii)	मूल	1.00	1.00	..	(-)1.00
	उपरोक्त तीन मामलों में ₹ 23.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।				
06-	लाल बहादुर शास्त्री सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल नेरचौक-				
	मूल	82.00	82.00	56.00	(-)26.00
	₹ 26.00 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।				
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
	मूल	1.00	1.00	..	(-)1.00
	₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

07-	डॉ० यशवंत सिंह परमार सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय, नाहन-				
(i)	मूल	189.00	189.00	93.00	(-)96.00
09-	पंडित जवाहर लाल नेहरू सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय चम्बा-				
(ii)	मूल	244.00	244.00	140.66	(-)103.34
10-	हिमाचल प्रदेश सरकारी दन्त चिकित्सा महाविद्यालय शिमला-				
(iii)	मूल	75.00	75.00	55.82	(-)19.18
उपरोक्त तीन मामलों में ₹ 218.52 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।					
06-	लोक स्वास्थ्य-				
789-	अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-				
01-	एड्स नियन्त्रण कार्यक्रम- केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(i)	मूल	1.00			
	पुनर्वि०	(-)1.00
02-	ट्रामा सेंटर-				
(ii)	मूल	1.00			
	पुनर्वि०	(-)1.00
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(iii)	मूल	1.00			
	पुनर्वि०	(-)1.00
उपरोक्त तीन मामलों में मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण समाप्त कर दिया गया तथा इसलिए राज्य का हिस्सा भी अप्रयुक्त रहा।					
03-	मुख्यमंत्री क्षय रोग निवारण योजना-				
(i)	मूल	50.00	50.00	23.19	(-)26.81
04-	मुख्यमंत्री आर्शीवाद योजना-				
(ii)	मूल	378.00	378.00	355.28	(-)22.72
05-	मुफ्त दवाएं-				
(iii)	मूल	378.00	378.00	284.02	(-)93.98
08-	सहारा योजना-				
(iv)	मूल	907.00	907.00	884.13	(-)22.87

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

उपरोक्त चार मामलों में ₹ 166.38 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

09- सम्पूर्ण स्वास्थ्य योजना-
मूल 126.00

पुनर्वि० (-)126.00

मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹126.00 लाख का समस्त प्रावधान संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण समाप्त कर दिया गया।

2211- परिवार कल्याण-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

02- राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा-

मूल 1.00 1.00 .. (-)1.00

₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

मूल 1.00

पुनर्वि० (-)1.00

मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार के निधियों की प्राप्ति न होने के कारण समाप्त कर दिया गया।

03- निदेशन एवं प्रशासन-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

(i) मूल 334.00 334.00 193.33 (-)140.67

04- ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार कल्याण केन्द्र-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

(ii) मूल 1,903.00 1,903.00 1,154.16 (-)748.84

05- शहरी क्षेत्रों में परिवार कल्याण केन्द्र-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

(iii) मूल 191.00 191.00 87.74 (-)103.26

उपरोक्त तीन मामलों में ₹ 992.77 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)। जबकि भारत सरकार से ₹ 9,448.69 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ था।

2216- आवास

03- ग्रामीण आवास-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

06- प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)-

मूल 126.00

51.30 44.30 (-)7.00

पुनर्वि० (-)74.70

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 74.70 लाख की कमी केंद्रीय हिस्सेदारी के अनुपात में राज्य की हिस्सेदारी को जारी करने के कारण हुई।

2217- शहरी विकास-

80- सामान्य-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

05- अटल श्रेष्ठ शहर योजना-

मूल 100.00

80.00

80.00

..

पुनर्वि० (-)20.00

मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 20.00 लाख की कमी योजना के अंतर्गत कम व्यय के कारण हुई।

09- शहरी स्थानीय निकाय क्षेत्र की सड़कों का रखरखाव-

मूल 1.00

1.00

..

(-)1.00

₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

10- नगरपालिकाओं की विकास योजना तैयार करना:

मूल 50.00

..

..

..

पुनर्वि० (-)50.00

मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹50.00 लाख का समस्त प्रावधान संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण समाप्त कर दिया गया।

11- निजि सार्वजनिक भागीदारी आधारित परियोजनाओं पर परामर्श-

मूल 5.00

..

1.25

(+1.25)

पुनर्वि० (-)5.00

₹ 1.25 लाख के बिना प्रावधान के व्यय की दृष्टि से मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 5.00 लाख का समस्त प्रावधान संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण समाप्त कर दिया गया जोकि अनुचित सिद्ध हुआ।

₹ 1.25 लाख का व्यय बिना प्रावधान के किया गया; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

2225- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों एवं अल्पसंख्यकों का कल्याण-

01- अनुसूचित जातियों का कल्याण-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

01- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े

वर्गों के लिए पूर्व अवुशिक्षण केन्द्र पर व्यय-

केन्द्रीय योजना

मूल 200.00

100.00

100.00

..

पुनर्वि० (-)100.00

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹100.00 लाख की कमी एकल नोडल एजेंसी के खाते में निधियों के हस्तांतरण के कारण हुई। जबकि भारत सरकार से ₹ 314.96 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ था।

02- निदेशन तथा प्रशासन-

मूल	989.49			
		537.59	478.61	(-)58.98
पुनर्वि०	(-)451.90			

₹ 58.98 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 451.90 लाख की कमी विभिन्न मदों, बाह्य वाहनों, पेट्रोल, तेल, रनेहक, वाहनों की मरम्मत, विज्ञापन, प्रचार पर कम व्यय तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति के कारण हुई जोकि प्रतिपूर्ति कार्यों के निष्पादन पर अधिक व्यय के कारण हुई आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 58.98 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

₹ 478.61 लाख के कुल व्यय में से ₹ 20.00 लाख का व्यय वर्ष 2019-20 की आपत्ति पुस्तिका के उचंत के समायोजन के कारण हुआ।

10- मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम योजना-

मूल	1.00			
	
पुनर्वि०	(-)1.00			

मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹1.00 लाख का समस्त प्रावधान प्रस्तावों की प्राप्ति न होने के कारण समाप्त कर दिया गया।

11- अनुवर्ती कार्यक्रम-

मूल	126.00			
		93.76	54.26	(-)39.50
पुनर्वि०	(-)32.24			

₹ 39.50 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च, 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 32.24 लाख की कमी लाभार्थियों से आवेदनों की कम प्राप्ति के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 39.50 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

12- कम्प्यूटर एप्लीकेशन कार्यक्रम-

केन्द्रीय योजना

मूल	110.00			
		1.49	1.48	(-)0.01
पुनर्वि०	(-)108.51			

मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 108.51 लाख की कमी कोविड-19 में पाठयक्रमों को देर से शुरू करने के कारण हुई।

2230- श्रम, रोजगार और कौशल विकास-

03- प्रशिक्षण-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

06- कौशल विकास भत्ता-				
मूल	1,763.00			
		1,708.32	853.83	(-)854.49

पुनर्वि० (-)54.68

₹ 854.49 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च, 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 54.68 लाख की कमी प्रस्तावों की कम प्राप्ति, विज्ञापन तथा प्रचार बिल पर कम व्यय के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 854.49 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

07- आजीविका संवर्धन के लिए कौशल अधिग्रहण और ज्ञान जागरूकता (संकल्प)- केन्द्रीय प्रायोजित योजना-				
पूरक	0.01			
		31.46	..	(-)31.46

पुनर्वि० 31.45

₹ 31.46 लाख के समस्त प्रावधान के अप्रयुक्त रहने की दृष्टि से मार्च, 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 31.45 लाख का आवर्धन भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ जोकि अनावश्यक सिद्ध हुआ।

₹ 31.46 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-

02- सामाजिक कल्याण-				
789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-				
01- एकीकृत बाल विकास योजना-				
मूल	969.00			
		728.20	582.37	(-)145.83

पुनर्वि० (-)240.80

₹ 145.83 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 240.80 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, मानदेय, किराया, दर एवं करों के भुगतान पर कम व्यय के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 145.83 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

मूल	6,474.00			
		5,350.30	4,949.33	(-)400.97

पुनर्वि० (-)1,123.70

₹ 400.97 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,123.70 लाख की कमी मानदेय पर कम व्यय, रिक्त पदों को न भरने, शिविरों का कम आयोजन, यात्रा, किराए, दर एवं करों के भुगतान पर कम व्यय के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई। जबकि भारत सरकार से ₹ 3,218.54 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ था।

₹ 400.97 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

06-	बेटी है अनमोल-				
	मूल	378.00			
			215.00	207.55	(-)7.45
	पुनर्वि०	(-)163.00			
	मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹163.00 लाख की कमी प्रस्तावों की कम प्राप्ति के कारण हुई।				
09-	विधवा पुनर्विवाह योजना-				
	मूल	18.00	18.00	12.50	(-)5.50
	₹ 5.50 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।				
12-	महिला आयोग-				
	मूल	1.00	1.00	..	(-)1.00
	₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।				
16-	महिला विकास निगम-				
	मूल	38.00			
			19.39	19.39	..
	पुनर्वि०	(-)18.61			
	मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹18.61 लाख की कमी लक्ष्य के आधार पर ऋण की कम आवश्यकता के कारण हुई।				
20-	समेकित बाल संरक्षण योजना-				
(i)	मूल	48.00			
			21.60	21.60	..
	पुनर्वि०	(-)26.40			
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(ii)	मूल	475.00			
			213.75	213.75	..
	पुनर्वि०	(-)261.25			
	उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 287.65 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति के कारण हुई तथा इसलिए केन्द्रीय हिस्से का अनुपात में राज्य का हिस्सा भी जारी कर दिया गया।				
21-	प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना-				
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
	मूल	340.00			
		
	पुनर्वि०	(-)340.00			
	मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 340.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण समाप्त कर दिया गया।				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

22- पोषण अभियान-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना-
मूल 249.00 249.00 227.73 (-)21.27
₹ 21.27 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

23- विकलांगों का उत्थान-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना
(i) मूल 1.00
पुनर्वि० (-)1.00

31- राष्ट्रीय शिशु सदन योजना-
(ii) मूल 5.00
पुनर्वि० (-)5.00
केन्द्रीय प्रायोजित योजना

(iii) मूल 41.00
पुनर्वि० (-)41.00

उपरोक्त तीन मामलों में मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा ₹47.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण समाप्त कर दिया गया और इसलिए राज्य का हिस्सा भी अप्रयुक्त रहा।

60- अन्य सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कार्यक्रम-
789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-
03- वृद्धावस्था पेंशन-
मूल 14,953.00 14,239.60 14,239.59 (-)0.01
पुनर्वि० (-)713.40

मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 713.40 लाख की कमी पेंशन खाता धारकों की मृत्यु या अधिक्रमण के कारण हुई। जबकि भारत सरकार से ₹ 250.25 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ था।

06- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना
मूल 17.00 6.87 6.87 ..
पुनर्वि० (-)10.13

मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹10.13 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

2401- फसल कृषि कर्म-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

06-	प्राकृतिक खेत खुशहाल किसान- केन्द्रीय योजना				
	मूल	80.00			
			52.45	52.45	..
	पुनर्वि०	(-)27.55			
	मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 27.55 लाख की कमी निधियों का एकल नोडल एजेंसी के खाते में हस्तांतरण करने के कारण हुई।				
07-	पौध संरक्षण- केन्द्रीय योजना				
	मूल	40.00			
			31.52	40.00	(+)8.48
	पुनर्वि०	(-)8.48			
	₹ 8.48 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 8.48 लाख की कमी एकल नोडल एजेंसी के खाते में हस्तांतरण करने के कारण हुई जोकि अनावश्यक सिद्ध हुई।				
	₹ 8.48 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।				
25-	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (कृषि)-				
(i)	मूल	21.00	21.00	7.67	(-)13.33
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(ii)	मूल	193.00	193.00	69.00	(-)124.00
	उपरोक्त दो मामलों में ₹137.33 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)। जबकि भारत सरकार से क्रम संख्या (ii) पर ₹213.00 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ था।				
26-	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (उद्यान)-				
(i)	मूल	91.00			
			60.00	27.00	(-)33.00
	पुनर्वि०	(-)31.00			
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(ii)	मूल	10.00			
			6.00	3.00	(-)3.00
	पुनर्वि०	(-)4.00			
	उपरोक्त दो मामलों ₹36.00 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹35.00 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति के कारण हुई तथा इसलिए केंद्रीय हिस्सेदारी के अनुपात में राज्य की हिस्सेदारी को भी जारी कर दिया गया जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।				
	उपरोक्त दो मामलों में ₹36.00 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

36- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-

(i)	मूल	38.00	38.00	16.18	(-)21.82
-----	-----	-------	-------	-------	----------

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

(ii)	मूल	340.00	340.00	145.62	(-)194.38
------	-----	--------	--------	--------	-----------

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 216.20 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

38- उद्यान एकीकृत विकास मिशन-

मूल	258.00				
		60.55	30.55		(-)30.00

पुनर्वि० (-)197.45

₹ 30.00 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 197.45 लाख की कमी सब्सिडी प्रस्तावों की कम प्राप्ति तथा केन्द्रीय हिस्सेदारी के अनुपात में राज्य की हिस्सेदारी जारी करने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 30.00 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

मूल	453.00	453.00	275.00		(-)178.00
-----	--------	--------	--------	--	-----------

₹ 178.00 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

43- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-

(i)	मूल	276.00			
			68.94	68.94	..

पुनर्वि० (-)207.06

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

(ii)	मूल	227.00			
			120.00	120.00	..

पुनर्वि० (-)107.00

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 314.06 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति तथा केन्द्रीय हिस्सेदारी के अनुपात में राज्य की हिस्सेदारी को जारी करने के कारण हुई। जबकि भारत सरकार से क्रम संख्या (ii) पर ₹ 437.50 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ था।

46- मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना-

मूल	1,008.00				
		1,134.00	1,008.00		(-)126.00

पुनर्वि० 126.00

₹ 126.00 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 126.00 लाख का आवर्धन किसानों से मांग की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ जोकि अनावश्यक सिद्ध हुआ।

₹ 126.00 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

47-	मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना-				
(i)	मूल	10.00	10.00	1.00	(-)9.00
48-	बीज और उपजाऊ सामग्री पर उपलाभ- केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(ii)	मूल	100.00	100.00	60.57	(-)39.43
	उपरोक्त दो मामलों में ₹48.43 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।				
49-	कृषि मशीनीकरण पर उप मिशन-				
(i)	मूल	48.00	48.00	..	(-)48.00
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(ii)	मूल	450.00	450.00	..	(-)450.00
	उपरोक्त दो मामलों में ₹498.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।				
50-	परम्परागत कृषि विकास योजना-				
(i)	मूल	25.00	25.00	8.27	(-)16.73
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(ii)	मूल	229.00	229.00	74.47	(-)154.53
	उपरोक्त दो मामलों में ₹ 171.26 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।				
51-	मृदा की स्वास्थ्य एवं उर्वरकता हेतु राष्ट्रीय परियोजना-				
(i)	मूल	6.00	6.00	..	(-)6.00
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(ii)	मूल	50.00	50.00	..	(-)50.00
52-	राष्ट्रीय बांस मिशन-				
(iii)	मूल	1.00	1.00	..	(-)1.00
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(iv)	मूल	1.00	1.00	..	(-)1.00
	उपरोक्त चार मामलों में ₹ 58.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।				
54-	राष्ट्रीय बांस मिशन-				
(i)	मूल	1.00
	पुनर्वि०	(-)1.00
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(ii)	मूल	1.00
	पुनर्वि०	(-)1.00

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण समाप्त कर दिया गया तथा इसलिए राज्य का हिस्सा भी अप्रयुक्त रहा।					
55-	कृषि मशीनीकरण पर उपमिशन-				
(i)	मूल	33.00	33.00	..	(-)33.00
केन्द्रीय प्रायोजित योजना					
(ii)	मूल	247.00	247.00	..	(-)247.00
उपरोक्त दो मामलों में ₹ 280.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।					
56-	मुख्यमंत्री कीवी प्रोत्साहन योजना-				
	मूल	50.00			
			30.02	30.02	..
	पुनर्वि०	(-)19.98			
मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 19.98 लाख की कमी प्रस्तावों की कम प्राप्ति के कारण हुई।					
59-	मुख्यमंत्री मधु विकास योजना-				
	मूल	156.00			
			40.00	17.31	(-)22.69
	पुनर्वि०	(-)116.00			
₹ 22.69 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 116.00 लाख की कमी प्रस्तावों की कम प्राप्ति के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।					
₹ 22.69 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।					
60-	मुख्यमंत्री खुम्ब विकास योजना-				
	मूल	126.00			
			72.50	58.68	(-)13.82
	पुनर्वि०	(-)53.50			
मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 53.50 लाख की कमी अनुदान मामलों की कम प्राप्ति के कारण हुई।					
62-	वनस्पति रक्षण योजना-				
	मूल	254.00			
		
	पुनर्वि०	(-)254.00			
मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 254.00 लाख का समस्त प्रावधान सब्सिडी मामलों की प्राप्ति न होने के कारण समाप्त कर दिया गया।					
64-	कृषि कोष-				
	मूल	126.00			
		
	पुनर्वि०	(-)126.00			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹126.00 लाख का समस्त प्रावधान योजना का क्रियान्वयन न होने के कारण समाप्त कर दिया गया।

67- मुख्यमंत्री ग्रीन हाउस नवीनीकरण योजना-

(i) मूल	25.00	25.00	2.96	(-)22.04
---------	-------	-------	------	----------

2402- भू तथा जल संरक्षण-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

02- संरक्षण वनरोपण मृदा संरक्षण एवं प्रदर्शन (वन विभाग)-

(ii) मूल	1,200.00	1,200.00	729.67	(-)470.33
----------	----------	----------	--------	-----------

उपरोक्त दो मामलों में 492.37 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

03- फार्म पर टैंक द्वारा जल का सिंचाई योजना द्वारा प्रबन्ध-
केन्द्रगत योजना

मूल	180.00			
		78.88	134.91	(+)56.03

पुनर्वि० (-)101.12

₹ 56.03 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च, 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 101.12 लाख की कमी निधियों को एकल नोडल एजेंसी के खाते में हस्तांतरण करने के कारण हुई जोकि अत्याधिक सिद्ध हुई।

₹ 56.03 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

2403- पशु पालन-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

09- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-

(i) मूल	19.00			
पूरक	0.01	19.00	5.45	(-)13.55
पुनर्वि०	(-)0.01			

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

(ii) मूल	170.00			
पूरक	0.01	170.00	49.00	(-)121.00
पुनर्वि०	(-)0.01			

उपरोक्त दो मामलों में ₹134.55 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

11- पशु बीमारी उन्मूलन हेतु राज्य सहायता-

(i) मूल	2.75			
	
पुनर्वि०	2.75			

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

(ii) मूल	25.00			
	
पुनर्वि०	(-)25.00			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

12-	पशुधन बीमारी उन्मूलन कार्यक्रम के राष्ट्रीय प्रोजेक्ट पर व्यय-				
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(iii)	मूल	1.00			
	पुनर्वि०	(-)1.00			
	उपरोक्त तीन मामलों में मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 28.75 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण समाप्त कर दिया गया तथा इसलिए राज्य का हिस्सा भी अप्रयुक्त रहा।				
14-	व्यावसायिक निपुणता विकास योजना के अन्तर्गत पशु चिकित्सा परिषद को सहायता अनुदान-				
	मूल	5.00	5.00	..	(-)5.00
	₹ 5.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।				
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(i)	मूल	5.00			
	पुनर्वि०	(-)5.00			
15-	पशुधन गणना-				
(ii)	मूल	5.00			
	पुनर्वि०	(-)5.00			
	उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹10.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण समाप्त कर दिया गया।				
28-	चिक्स योजना-				
	केन्द्रगत योजना				
(ii)	मूल	100.00			
	पुनर्वि०	(-)23.06	76.94	99.33	(+)22.39
	₹ 22.39 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 23.06 लाख की कमी निधियों को एकल नोडल एजेंसी के खाते में हस्तांतरण करने के कारण हुई जोकि अत्याधिक सिद्ध हुई।				
	₹ 22.39 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।				
2404-	दुग्ध विकास-				
789-	अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-				
02-	एकीकृत डेयरी विकास परियोजना-				
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(i)	मूल	1.00			
	पुनर्वि०	(-)1.00			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

03- डेयरी उद्यमी विकास योजना के अंतर्गत उपदान-

(ii) मूल 1.00

पुनर्वि० (-)1.00

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा ₹ 2.00 लाख का समस्त प्रावधान योजना का क्रियान्वयन न होने तथा भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण समाप्त कर दिया गया।

2405- मत्स्य पालन-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

08- प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अन्तर्गत मछुआरों का बीमा योजना-

(i) मूल 1.00

पुनर्वि० (-)1.00

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

(ii) मूल 3.00

पुनर्वि० (-)3.00

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 4.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार द्वारा मछुआरों के लिए अलग बीमा योजना लागू करने के कारण समाप्त कर दिया गया।

09- ट्राउट पशुधन बीमा-

मूल 2.00

0.75

0.75

पुनर्वि० (-)1.25

मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1.25 लाख की कमी बीमा मामलों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

10- प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना-

(i) मूल 25.00

24.25

6.07

(-)18.18

पुनर्वि० (-)0.75

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

(ii) मूल 227.00

220.00

22.99

(-)197.01

पुनर्वि० (-)7.00

2406- वानिकी तथा वन्य जीवन-

01- वानिकी-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

789-	अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-				
08-	हिमाचल प्रदेश वन पारिस्थितिकी प्रणाली जलवायु प्रूफिंग परियोजना-				
(iii)	मूल	1,385.00	1,385.00	538.01	(-)846.99
	उपरोक्त तीन मामलों में ₹ 1,062.18 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।				
09-	राष्ट्रीय वनारोपण कार्यक्रम-				
(i)	मूल	115.00	115.00	..	(-)115.00
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(ii)	मूल	12.00	12.00	..	(-)12.00
11-	स्थायी कृषि पर राष्ट्रीय मिशन के अन्तर्गत कृषि-वानिकी मिशन-				
(iii)	मूल	3.00	3.00	..	(-)3.00
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(iv)	मूल	25.00	25.00	..	(-)25.00
	उपरोक्त चार मामलों में ₹155.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।				
14-	पुराने वृक्षारोपण का रख रखाव-				
	मूल	162.65	162.65	134.06	(-)28.59
	₹ 28.59 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।				
20-	वन चकबंदी तथा सीमांकन-				
(i)	मूल	57.00	57.00	..	(-)57.00
21-	प्रबन्धादि योजना संगठन-				
(ii)	मूल	25.00	25.00	..	(-)25.00
	उपरोक्त दो मामलों में ₹ 82.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।				
22-	प्रायोगिक सिल्विकल्चर कटाई-				
(i)	मूल	149.00	149.00	117.36	(-)31.64
23-	सहायक सिल्विकल्चर संचालन-				
(ii)	मूल	76.00	76.00	30.72	(-)45.28
	उपरोक्त दो मामलों में ₹ 76.92 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।				
25-	चिड़ की पत्तियों का जंगल से संग्रह तथा इस पर आधारित उद्योगों में निवेश हेतु उपदान-				
(i)	मूल	63.00	63.00	..	(-)63.00

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

26-	हरित भारत के लिए राष्ट्रीय अभियान-				
(ii)	मूल	48.00	48.00	..	(-)48.00
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(iii)	मूल	430.00	430.00	..	(-)430.00
	उपरोक्त तीन मामलों में ₹ 541.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।				
27-	राज्य वानिकी कार्यक्रम-				
(i)	मूल	1,253.00	1,253.00	1,030.12	(-)222.88
28-	समुदाय आधारित राज्य वानिकी कार्यक्रम-				
(ii)	मूल	164.00	164.00	85.17	(-)78.83
02-	पर्यावरणीय वानिकी और वन्य जीवन-				
789-	अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-				
01-	राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों का विकास-				
(iii)	मूल	176.00	176.00	73.20	(-)102.80
02-	हिमाचल प्रदेश चिड़ियाघर संरक्षण और प्रजनन समितियों को सहायता अनुदान-				
(iv)	मूल	320.00	320.00	240.00	(-)80.00
03-	वन्य जीवन-				
(v)	मूल	504.00	504.00	37.69	(-)466.31
	उपरोक्त पांच मामलों में ₹ 950.82 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।				
2408-	खाद्य भंडारण और भांडागार-				
01-	खाद्य-				
789-	अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-				
01-	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-				
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(i)	मूल	1.00	1.00	..	(-)1.00
2425-	सहकारिता-				
789-	अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-				
01-	एकीकृत सहकारी विकास परियोजना-				
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(ii)	मूल	1.00	1.00	..	(-)1.00
	उपरोक्त दो मामलों में ₹ 2.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।				
05-	नए अनुसूचित जाति सदस्यों का पंजीकरण उपदान-				
	केन्द्रीय योजना				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

मूल	5.00				
		3.97	5.00	(+)	1.03

पुनर्वि० (-)1.03

₹ 1.03 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹1.03 लाख की कमी निधियों को एकल नोडल एजेंसी के खाते में हस्तांतरण के कारण हुई जोकि अनुचित सिद्ध हुई।

₹ 1.03 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

2435- अन्य कृषि कार्यक्रम-

01- विपणन और गुणवत्ता नियंत्रण-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

01- विपणन बोर्ड को मार्केटिंग बोर्ड के निर्माण हेतु सहायता अनुदान-

(i) मूल 1.00

..

पुनर्वि० (-)1.00

2501- ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम-

06- स्वरोजगार कार्यक्रम-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

04- जिला ग्रामीण विकास अभिकरण प्रशासन-

(ii) मूल 24.00

..

पुनर्वि० (-)24.00

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

(iii) मूल 152.00

..

पुनर्वि० (-)152.00

उपरोक्त तीन मामलों में मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 177.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण समाप्त कर दिया गया और इसलिए राज्य का हिस्सा भी अप्रयुक्त रहा।

07- दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना-

(i) मूल 193.00

9.17 2.39 (-)6.78

पुनर्वि० (-)183.83

मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 183.83 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति तथा केंद्रीय हिस्सेदारी के अनुपात में राज्य की हिस्सेदारी को जारी करने के कारण हुई।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

मूल 1,742.00

87.00

21.53

(-)65.47

पुनर्वि० (-)1,655.00

₹ 65.47 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,655.00 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति तथा केन्द्रीय हिस्सेदारी के अनुपात में राज्य की हिस्सेदारी को जारी करने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 65.47 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

08- राष्ट्रीय ग्रामीण शहरी मिशन-

(i) मूल 101.00

..

..

..

पुनर्वि० (-)101.00

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

(ii) मूल 612.00

..

..

..

पुनर्वि० (-)612.00

09- राष्ट्रीय बाँस मिशन-

(iii) मूल 1.00

..

..

..

पुनर्वि० (-)1.00

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

(iv) मूल 1.00

..

..

..

पुनर्वि० (-)1.00

उपरोक्त चार मामलों में मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 715.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण समाप्त कर दिया गया तथा इसलिए राज्य का हिस्सा भी अप्रयुक्त रहा।

2505- ग्राम रोजगार-

01- राष्ट्रीय कार्यक्रम-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

02- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

मूल 6,801.00

4,000.00

4,000.00

..

पुनर्वि० (-)2,801.00

मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2,801.00 लाख की कमी भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

2515- अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

07- कार्यालय भवनों/ग्राम सेवक हट का रख रखाव-

मूल 264.60

..

पुनर्वि० (-)264.60

मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 264.00 लाख का समस्त प्रावधान रखरखाव कार्यों के कम निष्पादन के कारण समाप्त कर दिया गया।

08- राज्य पुरस्कार योजना-

मूल 65.00

65.00

..

(-)65.00

₹ 65.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

09- महिला प्रोत्साहन योजना-

मूल 35.00

..

पुनर्वि० (-)35.00

मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 35.00 लाख का समस्त प्रावधान लाभार्थियों का चयन न होने के कारण समाप्त कर दिया गया।

16- राष्ट्रीय बाँस मिशन-

(i) मूल 1.00

1.00

..

(-)1.00

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

(ii) मूल 1.00

1.00

..

(-)1.00

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 2.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

2851- ग्रामीण तथा लघु उद्योग-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

06- हथकरघा और हस्तशिल्प उद्योग का विकास-

केन्द्रीय योजना

मूल 60.00

..

पुनर्वि० (-)60.00

मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 60.00 लाख का समस्त प्रावधान निधियों को एकल नोडल एजेंसी के खाते में हस्तांतरण करने के कारण समाप्त कर दिया गया।

15- हथकरघा और हस्तशिल्प के लिए एकीकृत योजना-

मूल 25.00

..

पुनर्वि० (-)25.00

मार्च 2022 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 25.00 लाख का समस्त प्रावधान संहितागत औपचारिकताएं पूरी न करने के कारण समाप्त कर दिया गया।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

19-	ग्रामीण अभियांत्रिकी आधारित उद्योग केन्द्र- केन्द्रीय योजना				
(i)	मूल	40.00			
			5.71	5.70	(-)0.01
	पुनर्वि०	(-)34.29			
	मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 34.29 लाख की कमी निधियों के एकल नोडल एजेंसी के खाते में हस्तांतरण करने के कारण हुई।				
25-	राष्ट्रीय हथकरघा विकास-				
	मूल	1.00	1.00	..	(-)1.00
	₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।				
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
	मूल	1.00			
		
	पुनर्वि०	(-)1.00			
	मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान केन्द्रीय हिस्से के सीधे लाभार्थियों के खाते में हस्तांतरण करने के कारण समाप्त कर दिया गया।				
27-	हिमस्वान-				
	मूल	700.00			
			550.00	415.58	(-)134.42
	पुनर्वि०	(-)150.00			
	₹ 134.42 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 150.00 लाख की कमी हार्डवेयर का उन्नयन न होने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।				
	₹ 134.42 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।				
29-	उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम हेतु सहायता-				
	मूल	150.00	150.00	126.66	(-)23.34
	₹ 23.34 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।				
30-	खाद्य विधायन उद्योग हेतु राज्य मिशन-				
	मूल	176.00			
			18.00	17.80	(-)0.20
	पुनर्वि०	(-)158.00			
	मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 158.00 लाख की सारभूत कमी खाद्य प्रसंस्करण पर कम व्यय तथा मांग की प्राप्ति न होने के कारण हुई।				
33-	राष्ट्रीय बाँस मिशन-				
(i)	मूल	1.00	1.00	..	(-)1.00

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

(ii) मूल 1.00 1.00 .. (-)1.00

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 2.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

34- मुख्यमंत्री स्टार्ट अप योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन-
मूल 91.00

64.72 .. (-)64.72

पुनर्वि० (-)26.28

₹ 64.72 लाख के समस्त प्रावधान के अप्रयुक्त रहने की दृष्टि से मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 26.28 लाख की कमी मुख्यमंत्री स्टार्ट-अप योजना पर कम व्यय के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹64.72 लाख के समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

35- सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों का
औपचारिककरण-आत्मनिर्भर भारत-

मूल 8.00 8.00 .. (-)8.00

₹ 8.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)। जबकि भारत सरकार से ₹ 49.13 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ था।

36- मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना-

(i) मूल 2,015.00 2,015.00 1,172.00 (-)843.00

37- सूचना एवं प्रौद्योगिकी और ई-शासन-

(ii) मूल 700.00 700.00 507.88 (-)192.12

उपरोक्त दो मामलों में ₹1,035.12 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

3054- सड़के और पुल-

04- जिला और अन्य सड़कें-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

01- अन्य रख-रखाव पर व्यय सड़क निर्माण-

मूल 1,586.55

523.43 1,519.66 (+)996.23

पुनर्वि० (-)1,063.12

₹ 996.23 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,063.12 लाख की कमी सड़कों की मरम्मत पर कम व्यय के कारण हुई जोकि अत्याधिक सिद्ध हुई।

₹ 996.23 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

3456- नागरिक आपूर्ति-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

02- उपभोक्ता जागरूकता-
केन्द्रीय प्रायोजित योजना

मूल	5.00	5.00	..	(-)5.00
-----	------	------	----	---------

₹5.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

(iv) उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नवत शीर्षों के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसन्तुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
-------	------------	--------------------------------	-----------------------

2202- सामान्य शिक्षा-

01- प्रारम्भिक शिक्षा-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

06- मध्याह्न भोजन-

मूल	687.00			
पूरक	0.03	964.67	884.24	(-)80.43
पुनर्वि०	227.64			

₹ 80.43 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 227.64 लाख का आवर्धन मानदेय में वृद्धि, स्वच्छता किट की खरीद पर अधिक व्यय तथा केन्द्रीय हिस्सेदारी के अनुपात में राज्य की हिस्सेदारी जारी करने के कारण हुआ जोकि अत्याधिक सिद्ध हुआ।

₹ 80.43 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

16- जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान-

मूल	331.80			
		296.02	345.35	(+)49.33
पुनर्वि०	(-)35.78			

₹ 49.33 लाख की अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च, 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 35.78 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जोकि अनुचित सिद्ध हुई।

₹ 49.33 लाख की अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

21- राज्य के लिए शिक्षण और परिणाम को

सुदृढ़ बनाना (स्टार्स प्रोजेक्ट)-

मूल	1.00			
		213.35	146.24	(-)67.11
पुनर्वि०	212.35			

₹ 67.11 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 212.35 लाख का आवर्धन केन्द्रीय हिस्सेदारी के अनुपात में राज्य की हिस्सेदारी जारी करने के कारण हुआ जोकि अत्याधिक सिद्ध हुआ।

₹ 67.11 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

मूल	1.00			
		1,920.13	1,316.24	(-)603.89

पुनर्वि० 1,919.13

₹ 603.89 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,919.13 लाख का आवर्धन स्कूली प्रणाली के सुदृढीकरण के कारण हुआ जोकि अत्याधिक सिद्ध हुआ।

₹ 603.89 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

02- माध्यमिक शिक्षा-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

02- उच्चतर पाठशालाएं-

मूल	1,710.21			
		2,277.79	2,204.25	(-)73.54

पुनर्वि० 567.58

₹ 73.54 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 567.58 लाख का आवर्धन निःशुल्क पाठ्य पुस्तक के दायित्व का समाशोधन तथा छात्रवृत्ति के लिए आवेदनों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ जोकि रिक्त पदों को न भरने तथा अभिभावक शिक्षक संघ के अंतर्गत शिक्षकों का नियमितीकरण करने के कारण हुई बचत से अंशतः प्रतिसंतुलित हुआ जोकि अत्याधिक सिद्ध हुआ।

₹ 73.54 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

12- श्रीनिवास रामानजन छात्र डिजिटल योजना-

मूल	630.00	630.00	1,083.00	(+)453.00
-----	--------	--------	----------	-----------

₹ 1,083.00 लाख के कुल व्यय में से ₹ 453.00 लाख का व्यय वर्ष 2019-20 की आपत्ति पुस्तिका के उंचत के समायोजन के कारण हुआ।

16- अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए पूर्व-मैट्रिक छात्रवृत्ति-

पूरक	0.01			
		60.50	60.50	..

पुनर्वि० 60.49

मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 60.49 लाख का आवर्धन योजना के हिस्सेदारी पद्धति में बदलाव के कारण हुआ।

2205- कला एवं संस्कृति-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

02- पुरावशेषों के संचालन और कला खजाना-

मूल	30.00	30.00	56.58	(+)26.58
-----	-------	-------	-------	----------

₹ 56.58 लाख के कुल व्यय में से ₹ 26.94 लाख का व्यय वर्ष 2019-20 की आपत्ति पुस्तिका के उंचत के समायोजन के कारण हुआ।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

2210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-

04- ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-अन्य चिकित्सा पद्धतियां-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

03- मौजूदा आयुष संस्थानों का उन्नयन-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

मूल 193.00

554.02

554.02

..

पुनर्वि० 361.02

मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 361.02 लाख का आवर्धन भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ। जबकि भारत सरकार से ₹ 554.02 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ था।

06- लोक स्वास्थ्य-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

10- राज्य नशा नियामक प्रणाली का सुदृढीकरण-

पूरक 0.01

17.34

17.34

..

पुनर्वि० 17.33

मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 17.33 लाख का आवर्धन केंद्रीय हिस्सेदारी के अनुपात में राज्य की हिस्सेदारी को जारी करने के कारण हुआ।

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

पूरक 0.01

156.00

156.00

..

पुनर्वि० 155.99

मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 155.99 लाख का आवर्धन योजना के सुदृढीकरण पर अधिक व्यय के कारण हुआ। जबकि भारत सरकार से ₹ 453.00 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ था।

2211- परिवार कल्याण-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

07- राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

पूरक 0.02

30.00

8.00

(-)22.00

पुनर्वि० 29.98

₹ 22.00 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 29.98 लाख का आवर्धन भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ जोकि अत्याधिक सिद्ध हुआ। जबकि भारत सरकार से ₹ 8.00 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ था।

₹ 22.00 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

2216- आवास-

03- ग्रामीण आवास-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

04- मुख्यमंत्री आवास योजना-

मूल 527.00

526.50

827.25

(+)300.75

पुनर्वि० (-)0.50

₹827.25 लाख के कुल व्यय में से ₹300.75 लाख का व्यय वर्ष 2019-20 की आपत्ति पुस्तिका के उचंत के समायोजन के कारण हुआ।

05- मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मकानों का रख रखाव-

..

..

91.35

(+)91.35

₹ 91.35 लाख का समस्त व्यय वर्ष 2019-20 की आपत्ति पुस्तिका के उचंत के समायोजन के कारण हुआ।

06- प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

मूल 273.00

629.43

629.43

..

पुनर्वि० 356.43

मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 356.43 लाख का आवर्धन भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ।

2217- शहरी विकास-

80- सामान्य-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

04- प्रधानमंत्री आवास योजना-सभी के लिए आवास (शहरी)-

मूल 88.00

92.00

115.92

(+)59.92

पुनर्वि० 4.00

₹ 115.92 लाख के कुल व्यय में से ₹ 60.20 लाख का व्यय वर्ष 2019-20 की आपत्ति पुस्तिका के उचंत के समायोजन के कारण हुआ।

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

मूल 792.00

1,422.00

1,963.80

(+)541.80

पुनर्वि० 630.00

मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 630.00 लाख का आवर्धन भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ। जबकि भारत सरकार से ₹ 1,422.00 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ था।

₹ 1,963.80 लाख में से ₹ 541.80 लाख का व्यय वर्ष 2019-20 की आपत्ति पुस्तिका के उचंत के समायोजना के कारण हुआ।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

2225-	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों एवं अल्पसंख्यकों का कल्याण-				
01-	अनुसूचित जातियों का कल्याण-				
789-	अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-				
05-	स्वर्ण जयंती आश्रय योजना-				
	मूल	1,625.00			
	पूरक	862.67	5,973.00	5,973.00	..
	पुनर्वि०	3,485.33			
	मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 3,485.33 लाख का आवर्धन लाभार्थियों से आवेदनों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ।				
08-	प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना- केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
	मूल	1,000.00			
			1,555.16	3,235.49	(+)1,680.33
	पुनर्वि०	555.16			
	मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 555.16 लाख का आवर्धन भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ।				
	₹ 3,235.49 लाख के कुल व्यय में से ₹1,680.33 लाख का व्यय वर्ष 2019-20 की आपत्ति पुस्तिका के उचंत के समायोजन के कारण हुआ।				
17-	हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति आयोग-				
	मूल	0.09			
			19.12	17.27	(-)1.85
	पुनर्वि०	19.03			
	मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 19.03 लाख का आवर्धन भवन के किराए, फर्नीचर, कार्यालय की वस्तुओं तथा मानदेय पर अधिक व्यय के कारण हुआ।				
18-	प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना- केन्द्रीय योजना				
	पूरक	66.94			
			1,520.00	1,520.00	..
	पुनर्वि०	1,453.06			
	मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹1,453.06 लाख का आवर्धन विशेष केन्द्रीय सहायता की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ।				
2230-	श्रम, रोजगार और कौशल विकास-				
02-	रोजगार सेवाएं-				
789-	अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-				
01-	बेरोजगारी भत्ता-				
	मूल	982.00			
			1,017.97	1,010.60	(-)7.37
	पुनर्वि०	35.97			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹35.97 लाख का आवर्धन मुख्यतः बाह्य सेवाओं पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

03-	प्रशिक्षण-				
789-	अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-				
04-	विश्व बैंक सहायता प्राप्त औद्योगिक कौशल उपयोगिता संवर्धन सशक्तिकरण परियोजना-				
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
	पूरक	0.01			
			188.69	188.69	..
	पुनर्वि०	188.68			

मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 188.68 लाख का आवर्धन भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ।

2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-

02-	समाज कल्याण -				
789-	अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-				
07-	मुख्यमंत्री कन्यादान योजना-				
(i)	मूल	202.00			
			271.69	270.73	(-)0.96
	पुनर्वि०	69.69			
13-	मदर टेरेसा योजना-				
(ii)	मूल	209.00			
			240.57	240.02	(-)0.55
	पुनर्वि०	31.57			

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹101.26 लाख का आवर्धन प्रस्तावों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ।

28-	आंगड़वाडी कार्यकर्ताओं/सहायिकाओं को मानदेय-				
	मूल	1,513.00			
			2,417.92	2,148.87	(-)269.05
	पुनर्वि०	904.92			

₹ 269.05 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च, 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 904.92 लाख का आवर्धन मानदेय की दर में वृद्धि के कारण हुआ जोकि अत्याधिक सिद्ध हुआ।

₹ 269.05 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

2236- पोषण-

02-	पौष्टिक भोजन और सुपेय का वितरण-				
789-	अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-				
01-	अनुसूचित जाति के लिए पोषण कार्यक्रम-				
	मूल	199.00	199.00	323.28	(+)124.28

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

₹ 323.28 लाख के कुल व्यय में से ₹169.72 लाख का व्यय वर्ष 2019-20 की आपत्ति पुस्तिका के उचंत के समायोजन के कारण हुआ।

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

मूल	1,791.00				
		1,841.20	2,923.82	(+)	1,082.62

पुनर्वि० 50.20

मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 50.20 लाख का आवर्धन भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ।

₹ 2,923.82 लाख के कुल व्यय में से ₹ 1,082.62 लाख का व्यय वर्ष 2019-20 की आपत्ति पुस्तिका के उचंत के समायोजन के कारण हुआ।

2401- फसल कृषि-कर्म-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

18- उद्यानिक विपणन स्कीम-

मूल	415.00				
		858.48	858.48		..

पुनर्वि० 443.48

मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 443.48 लाख का आवर्धन अनुदान मामलों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ।

33- विस्तार और प्रौद्योगिकी पर राष्ट्रीय मिशन-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

(i) मूल	223.00				
		252.00	252.00		..

पुनर्वि० 29.00

35- सतत् कृषि पर राष्ट्रीय मिशन-

(ii) मूल	11.00				
		13.44	13.44		..

पुनर्वि० 2.44

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

(iii) मूल	100.00				
		120.96	120.96		..

पुनर्वि० 20.96

2403- पशुपालन-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

20- राष्ट्रीय पशुधन मिशन-

(iv) मूल	3.00				
		18.81	18.81		..

पुनर्वि० 15.81

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(v)	मूल	209.50		
			338.58	338.58
	पुनर्वि०	129.08		..

उपरोक्त पांच मामलों में मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 197.29 लाख का आवर्धन भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ तथा इसलिए केन्द्रीय हिस्से के अनुपात में राज्य का हिस्सा भी जारी कर दिया गया।

2405- मछली पालन-

789-	अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-			
03-	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-			
(i)	पूरक	3.00		
			..	3.07
				(+)3.07
	पुनर्वि०	3.00		
केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(ii)	पूरक	23.00		
			..	27.68
				(+)27.68
	पुनर्वि०	(-)23.00		

मार्च 2022 में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 26.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण समाप्त कर दिया गया तथा इसलिए केन्द्रीय हिस्से के अनुपात में राज्य का हिस्सा भी जारी कर दिया गया।

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 30.75 लाख का समस्त व्यय वर्ष 2019-20 की आपत्ति पुस्तिका के उचंत के समायोजन के कारण हुआ।

07-	नील क्रान्ति एकीकृत मत्स्य पालन प्रबन्ध एवं विकास-			
(i)	23.82
				(+)23.82
केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(ii)	169.69
				(+)162.69

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 186.51 लाख का समस्त व्यय वर्ष 2019-20 की आपत्ति पुस्तिका के उचंत के समायोजन के कारण हुआ। जबकि भारत सरकार के क्रम संख्या (ii) पर ₹ 78.21 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ था।

2501- ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम-

04-	समेकित ग्रामीण ऊर्जा योजना कार्यक्रम-			
789-	अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-			
03-	अपरम्परागत ऊर्जा स्रोत-			
केन्द्रीय योजना				
	मूल	250.00		
			50.00	312.50
				(+)262.50
	पुनर्वि०	(-)200.00		

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

₹ 262.50 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 200.00 लाख की कमी निधियों को एकल नोडल एजेंसी के खाते में हस्तांतरण करने के कारण हुई जोकि अनुचित सिद्ध हुई।

₹ 262.50 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)। जबकि ₹ 312.50 लाख के कुल व्यय में से ₹ 200.00 लाख का व्यय वर्ष 2019-20 के लिए आपत्ति पुस्तिका के उचंत के समायोजन के कारण हुआ।

06- स्वरोजगार कार्यक्रम-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

03- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन-

(i)	मूल	76.00			
			115.49	131.64	(+16.15)

पुनर्वि० 39.49

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

(ii)	मूल	680.00			
			1,039.32	1,184.78	(+145.46)

पुनर्वि० 359.32

मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹398.81 लाख का आवर्धन भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति होने के कारण हुआ तथा इसलिए केन्द्रीय हिस्से के अनुपात में राज्य का हिस्सा भी जारी कर दिया गया। जोकि भारत सरकार से क्रम संख्या (ii) पर ₹ 1407.28 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ था।

उपरोक्त दो मामलों में ₹1,316.42 लाख के कुल व्यय में से ₹161.61 लाख का व्यय वर्ष 2019-20 की आपत्ति पुस्तिका के उचंत के समायोजन के कारण हुआ।

06- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-

(i)	मूल	567.00			
			..	1,683.30	(+1,683.30)

पुनर्वि० (-)567.00

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

(ii)	मूल	63.00			
			..	187.03	(+187.03)

पुनर्वि० (-)63.00

उपरोक्त दो मामलों में मार्च, 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 630.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण समाप्त कर दिया गया तथा राज्य का हिस्सा भी अप्रयुक्त रहा। जबकि भारत सरकार से क्रम संख्या (ii) पर ₹ 340.20 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ था।

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 1,870.33 लाख का समस्त व्यय वर्ष 2019-20 की आपत्ति पुस्तिका के उचंत के समायोजन के कारण हुआ।

2515- अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

10-	पंचायती राज विभाग/संस्थाओं का उन्नयन-				
	11.55		(+)11.55
	₹ 11.55 लाख का समस्त व्यय वर्ष 2019-20 की आपत्ति पुस्तिका के उचंत के समायोजन के कारण हुआ।				
12-	राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान-				
(i)	मूल	54.00			
			122.23	122.22	(-)0.01
	पुनर्वि०	68.23			
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(ii)	मूल	486.00			
	पूरक	0.01	1,100.00	1,100.00	..
	पुनर्वि०	613.99			
13-	स्वच्छ भारत मिशन-				
(iii)	मूल	5.00			
			109.84	109.84	..
	पुनर्वि०	104.84			
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(iv)	मूल	41.00			
			1,438.53	1,438.53	..
	पुनर्वि०	1,397.53			
	उपरोक्त चार मामलों में मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹2,184.59 लाख का आवर्धन भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ तथा इसलिए राज्य का हिस्सा भी केन्द्रीय हिस्से के अनुपात में जारी कर दिया गया। जबकि भारत सरकार से क्रम संख्या (ii) पर ₹ 1,100.00 लाख तथा क्रम संख्या (iv) पर ₹1,438.53 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ था।				
14-	आवासीय भवनों का निर्माण/नवीनीकरण-				
	पूरक	0.01			
			264.60	254.32	(-)10.28
	पुनर्वि०	264.59			
	₹ 10.28 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 264.59 लाख का आवर्धन आवासीय भवनों के रखरखाव के कारण हुआ जोकि अत्याधिक सिद्ध हुआ।				
	₹10.28 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।				
2851-	ग्राम तथा लघु उद्योग-				
789-	अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-				
10-	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

केंद्रीय योजना

मूल	55.00		58.98	(+)58.98
पुनर्वि०	(-)55.00	..		

मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 55.00 लाख के समस्त प्रावधान को निधियों के एकल नोडल एजेंसी के खाते में हस्तांतरण करने के कारण समाप्त कर दिया गया।

₹ 58.98 लाख का समस्त व्यय वर्ष 2019-20 की आपत्ति पुस्तिका के उचंत के समायोजन के कारण हुआ।

3055- सड़क परिवहन-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

02- परिवहन सेवाओं के लिए सहायता-

मूल	7,739.00			
पूरक	4,389.49	13,431.12	13,431.12	..
पुनर्वि०	1,302.63			

मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹1,302.63 लाख का आवर्धन योजना के अंतर्गत अनुदान सहायता की अधिक आवश्यकता के कारण हुआ।

3452- पर्यटन-

01- पर्यटक अवसंरचना-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

03- पर्यटन के लिए बुनियादी ढांचा विकास निवेश कार्यक्रम-

मूल	1.00		1,763.00	(+)1,763.00
पुनर्वि०	(-)1.00	..		

मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण समाप्त कर दिया गया।

₹ 1,763.00 लाख का समस्त व्यय वर्ष 2019-20 की आपत्ति पुस्तिका के उचंत के समायोजन के कारण हुआ।

पूंजीगत प्रवर्ग

(v) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाखों में)	आधिक्य (+) बचत (-)
-------	------------	--------------------------------	-----------------------

4059- लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय-

01- कार्यालय भवन-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

01- पूल किए गए गैर-आवासीय भवन-

मूल	1,000.00			
		389.96	682.15	(+)292.19
पुनर्वि०	(-)610.04			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

₹ 292.19 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 610.04 लाख की कमी कार्यों के कम निष्पादन के कारण हुई जोकि अत्याधिक सिद्ध हुई।

₹ 292.19 लाख की अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

02- न्यायपालिका के आधारिक संरचना का उन्नयन-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

मूल 1.00

..

पुनर्वि० (-)1.00

मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹1.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण समाप्त कर दिया गया।

09- संयुक्त कार्यालय भवन एवं लघु सचिवालय का निर्माण-

मूल 260.00 260.00 232.65 (-)27.35

₹ 27.35 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

11- वैकल्पिक विवाद समाधान केंद्र-

मूल 5.00

..

पुनर्वि० (-)5.00

मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 5.00 लाख का समस्त प्रावधान कार्यों का निष्पादन न होने के कारण समाप्त कर दिया गया ।

60- अन्य भवन-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

01- द्वारका (दिल्ली) में हिमाचल भवन का निर्माण-

मूल 126.00

67.52 67.52 ..

पुनर्वि० (-)58.48

मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 58.48 लाख की कमी निर्माण पर कम व्यय के कारण हुई।

4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति

पर पूंजीगत परिव्यय-

03- खेल और युवा सेवाएं-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

03- मुख्यमंत्री युवा निर्माण योजना-

मूल 240.00 240.00 210.00 (-)30.00

₹ 30.00 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

04- कला और संस्कृति-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

01- भवन/बहुउद्देशीय सांस्कृतिक परिसर-
मूल 1.00 1.00 .. (-)1.00

₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

4210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-

02- ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

01- ग्रामीण स्वास्थ्य-

(i) मूल 1,562.00 1,562.00 1,522.21 (-)39.79

03- चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

01- इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज-

(ii) मूल 704.00 704.00 500.60 (-)203.40

उपरोक्त दो मामलों में ₹243.19 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

02- डॉ० राजेन्द्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज, टांडा-

मूल 453.00

778.00

352.95

(-)425.05

पुनर्वि० 325.00

₹ 425.05 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 325.00 लाख का आवर्धन मशीनरी की खरीद पर अधिक व्यय के कारण हुआ जोकि अनुचित सिद्ध हुआ।

₹ 425.05 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

मूल 1.00 1.00 .. (-)1.00

₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

04- लोक स्वास्थ्य-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

01- भवन-

मूल 500.00

366.09

366.09

..

पुनर्वि० (-)133.91

मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 133.91 लाख की कमी भूमी की उपलब्धता न होने के कारण हुई।

4215- जलापूर्ति तथा स्वच्छता पर पूंजीगत परिव्यय-

01- जलापूर्ति-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

01-	विभिन्न जिलों में शहरी जलापूर्ति योजना-				
	मूल	1,134.00	1,134.00	887.06	(-)246.94
	₹ 246.94 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।				
02-	विभिन्न जिलों में ग्रामीण जलापूर्ति योजनाएं-				
	मूल	5,878.00			
			5,935.00	5,487.31	(-)447.69
	पुनर्वि0	57.00			
	₹ 447.69 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 57.00 लाख का आवर्धन कार्यों के अधिक निष्पादन के कारण हुआ जोकि अनावश्यक सिद्ध हुआ।				
	₹ 447.69 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।				
09-	मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजलापूर्ति योजना बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना (राष्ट्रीय विकास बैंक)-				
(i)	मूल	1.00	1.00	..	(-)1.00
10-	विभिन्न जलापूर्ति योजनाओं के लिए ऊर्जा कुशल पंपो का स्थानांतरण-				
(ii)	मूल	50.00	50.00	..	(-)50.00
11-	पुरानी जलापूर्ति योजनाओं का पुनर्निर्माण/नवीनीकरण-				
(iii)	मूल	503.00	503.00	..	(-)503.00
	उपरोक्त तीन मामलों में ₹ 554.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।				
02-	मल निकासी तथा सफाई-				
789-	अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-				
02-	विभिन्न जिलों में जलस्तर तथा मल व्यवस्था योजनाएं-				
	मूल	4,534.00	4,534.00	1,473.36	(-)3,060.64
	₹ 3,060.64 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।				
4216-	आवास पर पूंजीगत परिव्यय-				
01-	सरकारी आवासीय भवन-				
789-	अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-				
01-	सरकारी आवासीय भवन-				
	मूल	2,100.00			
		
	पुनर्वि0	(-)2,100.00			
	मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा 2,100.00 लाख का समस्त प्रावधान कार्यों के निष्पादन न होने के कारण समाप्त कर दिया गया।				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

02-	सामान्य प्रशासन विभाग के सरकारी रिहायशी पूल आवासों का निर्माण-				
	मूल	302.00			
			220.87	111.90	(-)108.97
	पुनर्वि०	(-)81.13			
	₹ 108.97 लाख के अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च, 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 81.13 लाख की कमी कार्यों के कम निष्पादन के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।				
	₹ 108.97 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।				
03-	वन क्षेत्र के अंतर्गत निर्माण-				
	मूल	400.00			
			420.00	283.67	(-)136.33
	पुनर्वि०	20.00			
	₹ 136.33 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से, मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 20.00 लाख का आवर्धन कार्यों के अधिक निष्पादन के कारण हुआ जोकि अनावश्यक सिद्ध हुआ।				
	₹ 136.33 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।				
4225-	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-				
80-	<i>सामान्य-</i>				
789-	अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-				
01-	कन्या छात्रावास के भवनों का निर्माण-				
(i)	मूल	1.00	1.00	..	(-)1.00
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(ii)	मूल	1.00	1.00	..	(-)1.00
03-	बाबू जग जीवन राम कन्या छात्रावास-				
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(iii)	मूल	1.00	1.00	..	(-)1.00
	उपरोक्त तीन मामलों में ₹ 3.00 लाख का समस्ता प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।				
4235-	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-				
02-	<i>सामाजिक कल्याण-</i>				
789-	अनुसूचित जातियों विशेष घटक योजना-				
01-	बहुउद्देशीय सामुदायिक/आंगन बाड़ी केन्द्र-				
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
	मूल	20.00			
		
	पुनर्वि०	(-)20.00			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹20.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण समाप्त कर दिया गया।

4250- अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

01- निर्माण कार्य-

मूल 70.00

40.21

40.21

..

पुनर्वि० (-)29.79

मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 29.79 लाख की कमी कार्यों के कम निष्पादन के कारण हुई।

4402- मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

02- पोलीहाउस तथा सूक्ष्म सिंचाई योजना-

(i) मूल 554.00 554.00 227.68 (-)326.32

03- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत व्यय-

(ii) मूल 14.00 14.00 6.53 (-)7.47

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 333.79 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

04- सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली के माध्यम से प्रभावी सिंचाई-

मूल 831.00

527.00

567.31

(+)40.31

पुनर्वि० (-)304.00

मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 304.00 लाख की कमी कार्यों के कम निष्पादन के कारण हुई।

₹ 567.31 लाख में से ₹ 40.31 लाख का व्यय वर्ष 2019-20 की आपत्ति पुस्तिका के उचंत के समायोजन के कारण हुआ।

4405- मत्स्य पालन पर पूंजीगत परिव्यय-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

02- भवन-

मूल 284.00

212.00

211.92

(-)0.08

पुनर्वि० (-)72.00

मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 72.00 लाख की कमी कार्यों के कम निष्पादन के कारण हुई।

4406- वानिकी तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय-

01- वानिकी-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

02- भवन-

मूल 600.00

650.00

361.99

(-)288.01

पुनर्वि० 50.00

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

₹ 288.01 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च, 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 50.00 लाख का आवर्धन कार्यों के अधिक निष्पादन के कारण हुआ जोकि अनुचित सिद्ध हुआ।

₹ 288.01 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

4408- खाद्य भंडारण तथा भांडागार पर पूंजीगत परिव्यय-

02- भंडारण और भांडागार-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

01- गोदाम का निर्माण-

(i) मूल	1.00	1.00	..	(-)1.00
---------	------	------	----	---------

4701- मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-

20- फिना सिंह परियोजना (गैर-वाणिज्यिक)-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

04- फिना सिंह परियोजना-

(ii) मूल	5.07	5.07	..	(-)5.07
----------	------	------	----	---------

21- नादौन क्षेत्र मध्यम सिंचाई परियोजना वाणिज्यिक (गैर-वाणिज्यिक)-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

01- नादौन क्षेत्र मध्यम सिंचाई परियोजना-

(iii) मूल	1.48	1.48	..	(-)1.48
-----------	------	------	----	---------

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

(iv) मूल	1.48	1.48	..	(-)1.48
----------	------	------	----	---------

उपरोक्त चार मामलों में ₹ 9.03 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

4702- लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

01- विभिन्न जिलों में नलकूप योजनाएं-

मूल	156.00	145.27	122.67	(-)22.60
-----	--------	--------	--------	----------

पुनर्वि० (-)10.73

₹ 22.60 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

02- विभिन्न जिलों में लिफ्ट सिंचाई योजना-

मूल	504.00	614.73	496.79	(-)117.94
-----	--------	--------	--------	-----------

पुनर्वि० 110.73

₹ 117.94 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 110.73 लाख का आवर्धन कार्यों के अधिक निष्पादन के कारण हुआ जोकि अनावश्यक सिद्ध हुआ।

₹ 117.94 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

04-	राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के अंतर्गत विभिन्न जिलों में उठारु सिंचाई योजना-				
	मूल	2,051.00			
			973.90	1,042.85	(+)68.95
	पुनर्वि०	(-)1,077.10			

₹ 68.95 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹1,077.10 लाख की कमी कार्यों के कम निष्पादन के कारण हुई जोकि अत्याधिक सिद्ध हुई।

₹ 68.95 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

06-	त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न जिलों में लिफ्ट सिंचाई योजना-				
(i)	मूल	3,010.81	3,010.81	702.96	(-)2,307.85
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(ii)	मूल	347.00	347.00	77.46	(-)269.54

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 2,577.39 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

07-	विभिन्न जिलों में जल प्रवास सिंचाई योजना-				
(i)	मूल	71.19	71.19	..	(-)71.19
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(ii)	मूल	15.00	15.00	..	(-)15.00

उपरोक्त दो मामलों में ₹86.19 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

10-	वर्षा जल संचयन संरचनाएं-				
	मूल	741.00			
			538.12	324.67	(-)213.45
	पुनर्वि०	(-)202.88			

₹ 213.45 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2022 पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 202.88 लाख की कमी कार्यों के कम निष्पादन के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 213.45 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

4705- कमांड क्षेत्र विकास पर पूंजीगत परिव्यय-

789-	अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-				
01-	कमांड क्षेत्र विकास-				
	मूल	2,501.00	2,501.00	2,071.82	(-)429.18

₹ 429.18 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

(i)	मूल	1.00	1.00	..	(-)1.00
-----	-----	------	------	----	---------

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

4711-	बाढ़ नियन्त्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय-				
01-	बाढ़ नियन्त्रण-				
789-	अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-				
07-	मण्डी तथा हमीरपुर जिलों में सीर खड्ड से बरछबाड़ से जाहू तक तटीयकरण-				
(ii)	मूल	2.67	2.67	..	(-)2.67
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(iii)	मूल	2.67	2.67	..	(-)2.67
09-	बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत पंजाब सीमा तक स्वां नदी का तटीयकरण (चरण-III)-				
(iv)	मूल	1.13	1.13	..	(-)1.13
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(v)	मूल	1.13	1.13	..	(-)1.13
12-	तहसील इन्दौरा में छौंछखड का बाढ़ नियन्त्रण कार्य (बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम)-				
(vi)	मूल	1.21	1.21	..	(-)1.21
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(vii)	मूल	1.21	1.21	..	(-)1.21
15-	पब्वर नदी जिला शिमला का तटीयकरण-				
(viii)	मूल	4.62	4.62	..	(-)4.62
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(ix)	मूल	4.62	4.62	..	(-)4.62
17-	जिला मंडी में ब्यास नदी जलग्रहण हेतु के तहत सुकेती खड्ड तथा इसकी सहायक खड्डों बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम-				
(x)	मूल	1.21	1.21	..	(-)1.21
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(xi)	मूल	1.21	1.21	..	(-)1.21
4801-	विद्युत परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय-				
05-	संचरण और वितरण-				
789-	अनुसूचित जातियों विशेष घटक योजना-				
01-	हिमाचल हाइड्रोपावर एवं नवीकरणीय विकास कार्यक्रम (ईएपी) के अंतर्गत स्मार्ट ग्रीड वितरण-				
(xii)	मूल	1.00	1.00	..	(-)1.00
	उपरोक्त बारह मामलों में ₹ 23.68 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

5053- नागरिक उड्डयन पर पूंजीगत परिव्यय-

02- हवाई बंदरगाह-

789- अनुसूचित जातियों विशेष घटक योजना-

01- हैलीपैड तथा हवाई पट्टी का निर्माण-

मूल 196.00

50.00

50.00

..

पुनर्वि० (-)146.00

मार्च 2022 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹146.00 लाख की कमी प्रस्तावों की उपलब्धता न होन अंतिम रूप न देने के कारण हुई।

02- एयरपोर्ट्स/हेलीपोर्ट्स का विकास-

मूल 27,865.00

..

..

..

पुनर्वि० (-)27,865.00

मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा ₹27,865.00 लाख का समस्त प्रावधान संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण समाप्त कर दिया गया।

5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-

04- जिला तथा अन्य सड़कें-

789- अनुसूचित जातियों विशेष घटक योजना-

01- ग्रामीण सड़कों का निर्माण-

केन्द्रीय योजना

मूल 220.00

0.03

173.90.

(+)173.87

पुनर्वि० (-)219.97

₹ 173.87 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹219.00 लाख की कमी निधियों को एकल नोडल एजेंसी के खाते में हस्तांतरण करने के कारण हुई जोकि अनावश्यक सिद्ध हुई।

₹ 173.87 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

03- प्रतिपूरक पौधोरोपण (वन विभाग के शुद्ध वर्तमान

मूल्य की लागत और भुगतान)-

मूल 504.00

..

..

..

पुनर्वि० (-)504.00

मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹504.00 लाख का समस्त प्रावधान मुआवजे के मामलों की प्राप्ति न होने के कारण समाप्त कर दिया गया।

05- सड़क किनारे की सुविधा-

मूल 753.22

629.43

554.97

(-)74.46

पुनर्वि० (-)123.79

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

₹ 74.46 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 123.79 लाख की कमी कार्यों के कम निष्पादन के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹74.46 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

09- मुख्य जिला सड़कें-

मूल	445.78			
		439.78	409.60	(-)30.18
पुनर्वि०	(-)6.00			

₹ 30.18 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

10- राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के अंतर्गत सड़को का निर्माण-

मूल	13,015.00			
		10,109.17	9,658.50	(-)450.67
पुनर्वि०	(-)2,905.83			

₹ 450.67 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2,905.83 लाख की कमी कार्यों के कम निष्पादन के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 450.67 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

11- ग्रामीण सड़क विश्व बैंक-

मूल	2,800.00			
		2,600.00	2,600.00	..
पुनर्वि०	(-)200.00			

मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 200.00 लाख की कमी योजना के अंतर्गत कार्यों के कम निष्पादन के कारण हुई।

13- सड़कों और पुलों की डिजाइन/विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के लिए परामर्श-

मूल	101.00			
	
पुनर्वि०	(-)101.00			

मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹101.00 लाख का समस्त प्रावधान संहितागत औपचारिकताओं के पूरा न करने के कारण समाप्त कर दिया गया।

16- मुख्यमंत्री सड़क योजना-

मूल	1,260.00			
		1,245.00	1,045.57	(-)197.43
पुनर्वि०	(-)15.00			

₹ 197.43 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

5055- सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

02- परिवहन विभाग के क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय भवनों का निर्माण-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

	मूल	50.00			
			..	50.00	(+)50.00
	पुनर्वि०	(-)50.00			
	मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 50.00 लाख का समस्त प्रावधान कार्यों के निष्पादन न होने के कारण समाप्त कर दिया गया।				
	₹ 50.00 लाख का समस्त व्यय वर्ष 2019-20 की आपत्ति पुस्तिका के उचंत के समायोजन के कारण हुआ।				
05-	परिवहन नगर-				
(i)	मूल	1.00			
		
	पुनर्वि०	(-)1.00			
06-	प्रशिक्षण संस्थान-				
(ii)	मूल	1.00			
		
	पुनर्वि०	(-)1.00			
	उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2.00 लाख का समस्त प्रावधान संहितागत औपचारिकताएं पूरी न करने के कारण समाप्त कर दिया गया।				
08-	मॉडल निरीक्षण और प्रमाणन केंद्र-				
(i)	मूल	1.00	1.00	..	(-)1.00
5056-	अंतर्देशीय जल परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय-				
789-	अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-				
01-	जेटिंग अंतर्देशीय जल परिवहन-				
(ii)	मूल	25.00	25.00	..	(-)25.00
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
(iii)	मूल	1.00	1.00	..	(-)1.00
	उपरोक्त तीन मामलों में ₹ 27.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।				
5452-	पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय-				
80-	सामान्य-				
789-	अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-				
01-	स्कूलों/कॉलेजों के खेल मैदानी का हैलीपैड के रूप में प्रयोग करने हेतु उनका निर्माण-				
	मूल	275.00			
			158.25	158.25	..
	पुनर्वि०	(-)116.75			
	मार्च 2022 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹116.75 लाख की कमी कार्यों के कम निष्पादन के कारण हुई।				

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

6225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, एवं अन्य पिछड़े वर्गों एवं अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए ऋण-

01- अनुसूचित जातियों का कल्याण-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

02- आई0आर0डी0पी0 परिवारों के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए ब्याज मुक्त ऋण-

(i)	मूल	1.00	1.00	..	(-)1.00
-----	-----	------	------	----	---------

6801- विद्युत परियोजनाओं के लिए ऋण-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

02- हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम लिमिटेड को ऋण-

(ii)	मूल	1,965.00	1,965.00	..	(-)1,965.00
------	-----	----------	----------	----	-------------

उपरोक्त दो मामलों में ₹1,966.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

03- हिमाचल प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन निगम लिमिटेड को ऋण-

मूल	5,786.00	5,786.00	5,299.55	(-)486.45
-----	----------	----------	----------	-----------

₹ 486.45 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

(vi) उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसन्तुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
			(₹ लाखों में)

4055- पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

04- पुलिस आवास-

मूल	1,209.00			
-----	----------	--	--	--

1,244.00

1,244.00

..

पुनर्वि०	35.00			
----------	-------	--	--	--

मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹35.00 लाख का आवर्धन कार्यों के निष्पादन पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-

01- कार्यालय भवन-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

05- भवन (जेल विभाग)-

मूल	300.00			
-----	--------	--	--	--

300.00

450.00

(+150.00

₹ 450.00 लाख के कुल व्यय में से ₹ 150.00 लाख का व्यय वर्ष 2019-20 की आपत्ति पुस्तिका के उचंत के समायोजन के कारण हुआ।

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-

01- सामान्य शिक्षा-

789- अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-

02- भवन (माध्यमिक शिक्षा)-

मूल 819.00

1,169.00

1,169.00

..

पुनर्वि० 350.00

मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 350.00 लाख का आवर्धन कार्यों के निष्पादन पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

4215- जलापूर्ति तथा स्वच्छता पर पूंजीगत परिव्यय-

01- जलापूर्ति-

789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-

04- ग्रामीण संरचना विकास निधि/राष्ट्रीय कृषि एवं
ग्रामीण विकास के लिए नैशनल बैंक (नाबार्ड)-

मूल 4,736.00

5,186.00

5,156.85

(-)29.15

पुनर्वि० 450.00

₹ 29.15 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 450.00 लाख का आवर्धन कार्यों के निष्पादन पर अधिक व्यय के कारण हुआ जोकि अत्याधिक सिद्ध हुआ।

₹ 29.15 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

08- राष्ट्रीय ग्रीमीण पेयजल योजना-

(i) मूल 1,008.00

5,324.55

5,324.55

..

पुनर्वि० 4,316.55

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

(ii) मूल 10,076.00

पूरक 9,534.64

19,630.64

19,630.64

..

पुनर्वि० 20.00

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹4,336.55 लाख का आवर्धन भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ तथा इसलिए केंद्रीय हिस्से के अनुपात में राज्य का हिस्सा भी जारी कर दिया गया। जबकि भारत सरकार से क्रम संख्या (ii) पर ₹ 10,440.23 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ था।

4225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-

01- अनुसूचित जातियों का कल्याण-

789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

02-	अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए विभागीय/ अन्य भवनों का निर्माण-				
	मूल	0.99			
			545.81	445.81	(-)100.00
	पुनर्वि०	544.82			
	₹ 100.00 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 544.82 लाख का आवर्धन कार्यों के निष्पादन पर अधिक व्यय के कारण हुआ जोकि अत्याधिक सिद्ध हुआ।				
	₹ 100.00 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।				
4711-	बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय-				
01-	बाढ़ नियंत्रण-				
789-	अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-				
01-	स्टॉक (बाढ़ नियंत्रण)-				
	मूल	100.00			
			190.00	174.92	(-)15.08
	पुनर्वि०	90.00			
	मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 90.00 लाख का आवर्धन कार्यों के अधिक निष्पादन के कारण हुआ।				
5002-	भारतीय रेलवे वाणिज्यिक लाइनों पर पूंजीगत परिव्यय-				
01-	पूंजी का लाभांश दायित्व-				
789-	अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-				
01-	रेलवे लाइनों का निर्माण-				
	मूल	2,000.00			
	पूरक	1,306.47	4,090.77	4,090.77	..
	पुनर्वि०	784.30			
	मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 784.30 लाख का आवर्धन रेलवे लाइन के निर्माण पर अधिक व्यय के कारण हुआ।				
	उप मुख्यशीर्ष 01-पूंजी का लाभांश दायित्व को 01-04-2019 से बन्द कर दिया गया है।				
5054-	सड़कों तथा पुलों पर पूंजीगत परिव्यय-				
04-	जिला तथा अन्य सड़कें-				
789-	अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-				
01-	ग्रामीण सड़कों का निर्माण-				
(i)	मूल	9,698.00			
			11,055.73	11,327.56	(+)271.83
	पुनर्वि०	1,357.73			
04-	पुलों का निर्माण-				
(ii)	मूल	1,914.00			
			2,324.75	2,590.87	(+)266.12
	पुनर्वि०	410.75			

विनियोग लेखे
अनुदान संख्या-32 (समाप्त)

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 537.95 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से, मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,768.48 लाख का आवर्धन कार्यों के निष्पादन पर अधिक व्यय के कारण हुआ जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुआ।

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 537.95 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

15-	ब्लैक स्पॉट में सुधार, सड़क सुरक्षा के उपाय और जियोमेट्रिक्स और राइडिंग क्वालिटी में सुधार-				
	मूल	1,260.00			
			1,360.00	1,303.66	(-)56.34
	पुनर्वि०	100.00			

₹ 56.34 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹100.00 लाख का आवर्धन कार्यों के निष्पादन पर अधिक व्यय के कारण हुआ जोकि अत्याधिक सिद्ध हुआ।

₹ 56.34 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2022)।

5055- सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय-

789-	अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-				
03-	उपमंडल/ब्लॉक स्तर पर बस स्टैंड का निर्माण-			403.00	(+)403.00
			

₹ 403.00 लाख का समस्त व्यय वर्ष 2019-20 के लिए आपत्ति पुस्तिका के उचंत के समायोजन के कारण हुआ।

01- परिवहन-

789-	अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना-				
01-	हिमाचल सड़क परिवहन निगम में निवेश-				
	मूल	1,763.00			
	पूरक	1,433.88	3,248.88	3,248.88	..
	पुनर्वि०	52.00			

मार्च 2022 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 52.00 लाख का आवर्धन कार्यों के निष्पादन पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

उप-मुख्य शीर्ष 01-परिवहन मुख्यशीर्ष 5055-सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय के अंतर्गत गलत तरीके से संचालित किया जा रहा है क्योंकि यह लेखा के मुख्य तथा लघु शीर्षों की सूची में नहीं है।

विनियोग लेखे

परिशिष्ट

(सभी दत्तमत)

(विनियोग लेखाओं के सारांश में सन्दर्भित)

वर्ष 2021-22 के लेखाओं में व्यय में कमी के रूप में समायोजित वसूलियों के अनुमानों और वास्तविकताओं के आँकड़ों का अनुदानवार विवरण

अनुदान संख्या व नाम	बजट अनुमान		वास्तविक आंकड़े		बजट अनुमानों की तुलना में वास्तविक आंकड़ें	
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	वृद्धि (+) राजस्व	हास (-) पूंजीगत
1	2	3	4	5	6	7
			(₹ हजारों में)			
5-भू-राजस्व और जिला प्रशासन	4,54,00,01	..	10,65,67,85*	..	(+)6,11,67,84	..
10- लोक निर्माण कार्य- सड़कें, पुल तथा भवन-	14,85,22,15	..	8,05,89,00	..	(-)6,79,33,15	..
11- कृषि-	..	45,02,95	..	41,92,31	..	(-)3,10,64
12- उद्यान-	..	12,93,10	9,56,54	6,05,48	(+)9,56,54	(+)6,87,62
13- सिंचाई, जलापूर्ति तथा स्वच्छता-	10,05,67,37	..	10,23,19,51	..	(+)17,52,14	..
16- वन और वन्य जीवन-	1,38,10,00	..	94,77,17*	..	(-)43,32,82	..
31-जनजातीय विकास-	1,78,28,94	..	93,10,88	..	(-)85,18,06	..
सकल जोड़-	32,61,28,47	57,96,05	30,92,20,95	47,97,79	(-)1,69,07,51	(-)9,98,26

*वित्त लेखे की विवरणी संख्या 21 में दर्शाये गये ब्यौरे से राज्य आपदा प्रबंधन निधि में से प्रयुक्त राशि को घटाएं।

© भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
2022
www.cag.gov.in



<https://cag.gov.in/ae/himachal-pradesh/hi>